दशम माला, खंड 34, अंक 20

सोमवार, 22 अगस्त 1994
31, श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 53
Date 15.12.94

सत्यमेव जयते

(खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी
ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

22 अगस्त, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद
के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
1	3	म०प०	म०पू०
37	प्रश्न संख्या 3717 शीर्षक	–	कोव्वूर और भद्राचलम के बीच सड़क मार्ग पर यातायात सर्वेक्षण
42	10	(क)	(ग)
101	नीचे से 8	(ग)	(ख)
238	पंक्ति 1,5,6	सेशन	शेषन
248	नीचे से 6	दुबली	हुबली
254	नीचे से 10	पार्जी	पार्टी
284	17	बैरीरियर	बैरियर
286	2	हार्नर	हार्बर

विषय—सूची

दशम माला, खंड 34, ग्यारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)

अंक 20, सोमवार, 22 अगस्त, 1994/31 श्रावण, 1916 (शक)

विषय		**पृष्ठ**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1
* **तारांकित प्रश्न संख्या**	381 से 384	1-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर		21-232
* **तारांकित प्रश्न संख्या**	385 से 400	21-37
अतारांकित प्रश्न संख्या	3717 से 3949	37-232
मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने के बारे में		233-242
हुबली (कर्नाटक) में पुलिस द्वारा गोली बारी		242-268
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	242
	श्री लोकनाथ चौधरी	243
	कुमारी उमा भारती	243
	श्री सोमनाथ चटर्जी	246
	श्री शरद यादव	247
	श्री असलम शेर खां	250
	श्री सैयद शहाबुद्दीन	251
	श्री लाल कृष्ण आडवाणी	252
	श्री चन्द्र शेखर	255
	श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स,	256
	श्री नीतीश कुमार	257
	श्रीमत्ती बासवा राजेश्वरी	258
	डा० कार्तिकेश्वर पात्र	259
	श्री ई० अहमद	260

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का घोतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने ा था।

विषय		पृष्ठ
	श्री भोगेन्द्र झा	261
	श्री पी० एम० सईद	261
	श्री विद्याचरण शुक्ल	266-268
सभा पटल पर रखे गए पत्र		269-273
वाणिज्यि संबंधी स्थायी समिति		273
	आठवां प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया	
नियम 377 के अधीन मामले		273-277
(एक)	नेताजी सुभाष-चन्द्र राष्ट्रीय खेल संस्थान को विश्व विद्यालय का दर्जा देने की आवश्यकता.	
	श्री संतराम सिंगला	273
(दो)	जबलपुर जल निकासी परियोजना को नर्मदा कार्य योजना के एक हिस्से के रूप में शीघ्र क्रियान्वित करने की आवश्यकता	
	श्री श्रवण कुमार पटेल	274
(तीन)	केरल के समुद्र तट के साथ-साथ दीवार का निर्माण करने की आवश्यकता	
	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	274
(चार)	मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की खान संख्या 11 बी में खनन कार्य बंद किए जाने के निर्णय की समीक्षा करने की आवश्यकता	
	श्री मानकूराम सोड़ी	274
(पांच)	वायुदूत के कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने की आवश्यकता	
	श्री अन्ना जोशी	275
(छः)	बिहार को पिछड़े राज्य का दर्जा देने और उसके सर्वांगीण विकास के लिए एक कार्य-योजना तैयार करने की आवश्यकता	
	श्री नीतीश कुमार	275
(सात)	पटसन श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग को पुनर्गठित करने के लिए व्यापक पैकेज तैयार करने की आवश्यकता	276
	श्री सनत कुमार मंडल	
(आठ)	उत्तर प्रदेश के हरदोई कस्बे में कृषकों को कृषि उपकरणों के रख रखाव तथा खेती की अन्य आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के संबंध	

में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक 276-277

मोटरयान (संशोधन) विधेयक 277-304

राज्य सभा द्वारा यथापारित

विचार किए जाने हेतु प्रस्ताव

श्री चेतन पी०एस० चौहान 277

श्री श्रवण कुमार पटेल 280

डा० एस०पी० यादव 283

श्री अमल दत्त 286

श्री भेरू लाल मीणा 290

श्री चन्द्रेश पटेल 292

श्री याइमा सिंह युमनाम 294

श्री एम० कृष्ण स्वामी 296

श्री सैयद शहाबुद्दीन 298

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 301

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी 302-304

कार्य मंत्रणा समिति 304

पैंतालीसवां प्रतिवेदन — प्रस्तुत

लोक सभा

सोमवार, 22 अगस्त, 1994/31 श्रावण, 1916 (शक)
लोक सभा 11.00 बजे म० प० पर समवेत हुई

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

पासपोर्ट जारी करना

* 381 **श्री रामेश्वर पाटीदार**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आवेदकों को पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पासपोर्ट कार्यालयों ने इस सम्बन्ध में दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) सरकार ने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई कदम उठाये हैं। इनमें कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना, पासपोर्ट पुस्तिकाओं की आपूर्ति बढ़ाना, प्रोत्साहन योजना लागू करना, कार्यालयी सुविधाओं के स्तर को बढ़ाना तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने और विलम्बों को कम करने के उद्देश्य से प्रणालियों और क्रियाविधियों की समीक्षा शामिल है।

(ख) जी, नहीं,

(ग) पासपोर्ट जारी करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है क्योंकि पासपोर्ट जारी

करने में लगने वाला समय प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में अलग-अलग होता है और यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है अर्थात कार्य की मात्रा, कर्मचारियों की संख्या तथा आधारभूत सुविधायें। पासपोर्ट कार्यालय-वार पासपोर्ट जारी करने में लिया जाने वाला समय संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट जारी करने में लिया गया समय

क्र० सं०	कार्यालय	दिसम्बर, 92 में लिया गया समय	दिसम्बर, 93 में लिया गया समय	31.3.94 की स्थिति के अनुसार लिया गया समय	29.7.94 की स्थिति के अनुसार लिया गया समय
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद	105 दिन	90 दिन	80 दिन	74 दिन
2.	बंगलौर	28 दिन	97 दिन	73 दिन	179 दिन
3.	बरेली	70 दिन	39 दिन	49 दिन	87 दिन
4.	भोपाल	40 दिन	44 दिन	79 दिन	73 दिन
5.	भुवनेश्वर	60 दिन	65 दिन	44 दिन	44 दिन
6.	बम्बई	50 दिन	52 दिन	52 दिन	44 दिन
7.	कलकत्ता	90 दिन	37 दिन	30 दिन	30 दिन
8.	चण्डीगढ़	270 दिन	320 दिन	291 दिन	306 दिन
9.	कोचीन	180 दिन	56 दिन	48 दिन	35 दिन
10.	दिल्ली	70 दिन	45 दिन	24 दिन	21 दिन
11.	गोवा	40 दिन	32 दिन	32 दिन	32 दिन
12.	गुवाहटी	60 दिन	32 दिन	28 दिन	28 दिन
13.	हैदराबाद	80 दिन	41 दिन	45 दिन	85 दिन

1	2	3	4	5	6
14.	जयपुर	240 दिन	37 दिन	44 दिन	36 दिन
15.	जालंधर	270 दिन	235 दिन	106 दिन	100 दिन
16.	कोजीकोड़	330 दिन	66 दिन	66 दिन	52 दिन
17.	लखनऊ	180 दिन	107 दिन	114 दिन	77 दिन
18.	मद्रास	150 दिन	46 दिन	37 दिन	36 दिन
19.	नागपुर	28 दिन	32 दिन	35 दिन	31 दिन
20.	पटना	300 दिन	300 दिन	280 दिन	196 दिन
21.	त्रिची	300 दिन	57 दिन	50 दिन	31 दिन
22.	त्रिवेन्द्रम	240 दिन	37 दिन	35 दिन	36 दिन
23.	जम्मू				

* 4.2.94 की स्थिति के अनुसार

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, आजकल दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आदमी सुबह की चाय दिल्ली में पीता है, दोपहर का खाना पेरिस में और डिनर अमरीका में करता है, प्यार से लेकर पैसा कमाने तक और जान बचाने के लिए विदेश की दौड़ लगानी पड़ती है। आज यह वैदिक वाक्य सही हो रहा है कि 'वसुधैव कुटुम्बकम्' सही मायनो में दुनिया एक परिवार बन गई है। इसलिए हर आदमी को विदेश जाना पड़ता है। पासपोर्ट जारी होने में बहुत देर होती है। हमने अखबारों में भाटिया साहब का बयान पढ़ा कि 30 दिन में पासपोर्ट जारी कर दिया जायेगा। स्टेटस्मैन में भी इसी तरह का बयान छपा था कि सरकार ने रूल बना दिया है कि एक महीने में पासपोर्ट बना दिया जायेगा। लेकिन आज देखा जाये तो तीन महीने से लेकर एक वर्ष पासपोर्ट जारी होने में लग जाता है। पासपोर्ट कार्यालय में लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन पासपोर्ट जारी नहीं होते। 1980 की तुलना में आज पासपोर्ट आवेदकों की संख्या में 160 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि स्टाफ में केवल 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1992 में आपने कहा था और गत वर्ष भी आपने कहा था कि हम चार सौ कर्मचारी बढ़ा रहे हैं। परन्तु आज तक कर्मचारी बढ़ाये नहीं गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने गत दो वर्षों में कितने कर्मचारियों की भर्ती की और कितनों की पदोन्नति की क्योंकि जब तक स्टाफ नहीं बढ़ेगा, तब तक पासपोर्ट जारी नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय : इनका कहना है कि स्टाफ बढ़ाया गया या नहीं और यदि नहीं बढ़ायेंगे तो ये काम कैसे करेंगे ?

श्री आर० एल० भाटिया : इनका पहला प्रश्न यह है कि मैंने यह बयान दिया कि 30 दिन में

पासपोर्ट जारी किया जायेगा। तो मेरा यह कहना है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इन्होंने गलत समझा। मेरा इसमें क्लैरिफिकेशन है . . .

श्री अन्ना जोशी : आप डिनाई करो तब फिर।

श्री आर० एल० भाटिया : या तो जवाब सुन लो। मैं तो यह कहता हूं कि अखबारों में यह छपा था जिसमें यह कहा था कि 30 दिन के अंदर-अंदर हम पुलिस वैरिफिकेशन्स करवायेंगे और इसके पहले जब भी पुलिस वैरिफिकेशन्स होती थी तो महीनों लग जाते थे और वे वैरिफिकेशन्स नहीं करते थे। हमने उसमें चेंजेज़ लाकर यह कहा कि एक महीने के अंदर पुलिस या होम डिपार्टमेंट वैरिफिकेशन्स कर देते हैं तो ठीक है नहीं तो हम समझ लेंगे कि इसके लिये वैरिफिकेशन्स की जरूरत नहीं है और हम पासपोर्ट जारी कर देंगे। इस बात को इन्होंने समझा कि शायद एक महीने के अंदर-अंदर पासपोर्ट जारी कर देंगे तो इस बात को मैं ठीक करना चाहता था।

दूसरी बात इन्होंने कही कि पासपोर्ट जारी होने में बहुत महीने लग जाते हैं। यह बात किसी हद तक दुरुस्त है। अभी हमारे पास 23 पासपोर्ट आफिसेज़ है जहां पिछले दो सालों में चेंजेज लाये हैं जिनमें 19 ऐसे हैं जहां पर जो पासपोर्ट जारी होते हैं उनमें 2 महीने या इससे कम समय लगता है। अभी चार पासपोर्ट आफिसेज़ जालंधर, चंडीगढ़, बंगलौर और पटना ऐसे हैं जहां की प्राब्लम स्टडी करने के लिये स्पेशल आफिसर्स भेजे हैं। जो जो वहां की त्रुटियां हैं, उन्हें ठीक करने का काम कर रहे हैं ताकि वहां पर जल्दी से जल्दी पासपोर्ट जारी हो सकें। आपने ठीक कहा कि स्टाफ कम होने के कारण जल्दी पासपोर्ट जारी नहीं होते हैं, इस बात से सहमत हूं। सन् 1980 के बाद 1992 तक पासपोर्ट बहुत कम तादाद में बनते थे लेकिन अब बढ़ गये हैं। इस दौरान कोई स्टाफ नहीं दिया गया है। 1992 में हमारे अनुरोध पर फाईनेंस मिनिस्ट्री ने 400 आदमी देना मान लिया है और तब से 380 आदमियों ने ड्यूटी ज्वायन की है। इसमें समय लगता है क्योंकि एक प्रोसीजर के जरिये एडवरटाईजमेंट होता है जिसपर होम मिनिस्ट्री सलेक्ट करती है, इंटरव्यु लेती है तब जाकर यह काम पूरा हुआ है। बाकी जहां पर डिफ्कल्टी है, वहां पर टैम्पोरेरी स्टाफ रखकर सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं।

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, आतंकवादी फर्जी पासपोर्ट लेकर विदेश चले जाते हैं और फिर यहां पर आ जाते हैं। इसी प्रकार बम्बई बम कांड के अपराधी हमेशा भारत से बाहर चले जाकर वापस आ जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि यदि 30 दिन के अंदर पुलिस वैरिफिकेशन्स नहीं हुई तो जरूरत नहीं रहेगी । **............ यह अखबारों में छपा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सब का वैरिफिकेशन कैसे होता हैं ? पुलिस वैरिफिकेशन तो आजकल पैसा कमाने का जरिया हो गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन दो वर्षों में ऐसे कितने फर्जी पासपोर्ट बने और सरकार ने इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की तथा कितने लोगों को सज़ा दिलवाई ?

मेरा इसके साथ यह प्रश्न जुड़ा हुआ है कि प्रायरिटी पासपोर्ट व्यापारियों, विद्यार्थियों को या सर्विस के लिए या विवाह आदि के लिये दिये जाते हैं जिसमें यदि डिप्टी सैक्रेटरी के लैवल का अधिकारी वैरिफाई कर दे तो पुलिस वैरिफिकेशन्स की जरूरत नहीं पड़ती और उन लोगों को दे दिये जाते हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सांसदों द्वारा सिफारिश करने पर यह पासपोर्ट दिये जाने पर विचार करेगी ?

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री आर० एल० भाटिया : जैसा कि आपने कहा कि कितने ऐसे पासपोर्ट हैं जो गलत बने हैं या उनको कैंसिल किया गया है या उस पर क्या कार्यवाही की है, तो इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास नहीं है फिर भी जो है, वह मैं आपको भिजवा दूंगा लेकिन जो हमारा मकसद है कि पुलिस अगर एक महीने के अंदर-अंदर वैरिफिकेशन्स कर दे ताकि डिले न हो। ऐसा न हो कि हम पासपोर्ट ईश्यू कर दें और उनकी तरफ से खबर आ जाये, जैसा आपने उदाहरण दिया, तो हमारा हक है कि हम उस पासपोर्ट को कैंसिल कर दें, उसका तरीका यह है।

दूसरी बात आपने पासपोर्ट प्रियोरिटी के बारे में पूछी है। उसमें हमने ऐसा किया है कि जो लोग बाहर जाते हैं और जिन्हें जल्दी जाना होता है, उन्हें कुछ सुविधायें दी हैं। उन सुविधाओं में वे लोग शामिल हैं जिन्हें या तो बाहर किसी देश में नौकरी मिल जाये, उनके पास अप्वाइंटमेंट लैटर हो तो हमने पासपोर्ट अधिकारी को हिदायतें दी हुई हैं कि उन्हें तुरन्त पासपोर्ट दिया जाये। दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्हें बाहर इलाज कराने जाना है और जिनकी एडमीशन किसी फौरन हास्पिटल में हो गयी है, उन्हें भी हमने फौरन पासपोर्ट जारी करने के लिये हिदायतें दी हुई हैं। तीसरी कैटेगरी में डाक्टर्स एण्ड प्रोफैसर्स हैं जिन्हें किसी सैमिनार में शामिल होने के लिये जरूरी जाना है, किसी कांफरेंस के लिये बाहर जाना है तो उन्हें भी जल्दी पासपोर्ट देने के बारे में हिदायतें हमने दी हैं। इसी तरह जिन लोगों के किसी रिश्तेदार की मैरिज है, मैरिज फिक्स हो चुकी है और उन्हें वहां जल्दी पहुंचना है उन्हें भी हम प्रियोरिटी के आधार पर पासपोर्ट देते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, जिन्हें बाहर कहीं एडमीशन मिल गयी है, उन्हें पहुंचना है, उन्हें भी हम जल्दी पासपोर्ट देते हैं। इन कैटेगरीज के बारे में हमने पासपोर्ट अधिकारियों को हिदायतें दी हुई हैं कि उन्हें तुरन्त पासपोर्ट दिये जायें।

तीसरी बात आपने मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को ऑथौरिटी देने के बारे में पूछी है, शायद आपको याद हो तो पिछले साल सदन में पासपोर्ट बिल पेश करते हुये मैने कहा था कि तमाम मैम्बर्स ने युनैनिमस होकर मुझसे कहा था कि हमारे ऊपर यह बला मत डालो, इससे हमारी पोजीशन खराब होती है। इसलिये जब मैम्बर्स ने एकमत होकर हमसे कहा है तो बेहतर यही होगा कि आप अपने साथियों को बोलें और एकमत होकर मुझें बतायें तो मैं उस पर कार्यवाही करूंगा। फर्जी पासपोर्ट के बारे में सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, मैं बाद में माननीय सदस्य को भेज सकता हूं।

श्रीमती भावना चिखलिया : मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने माना है कि पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया तेज बनानी चाहिये। आज देश में पासपोर्ट बनवाने वाला हर व्यक्ति पासपोर्ट सुविधाओं के अभाव में परेशान हैं। नये पासपोर्ट बनवाना तो मुश्किल है ही लेकिन जो पहले से जारी पासपोर्ट हैं, उसमें नये नाम ऐड कराने में, कोई नया पन्ना ऐड कराने में भारी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है जिसे हम सब जानते हैं और अनुभव भी करते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में पुलिस जांच कराना जरूरी है और जब पासपोर्ट के संबंध में पूरी जांच हो जाती है तो पासपोर्ट बन जाने के बाद रजिस्टर्ड डाक से आप संबंधित व्यक्ति को भेज देते हैं लेकिन अक्सर ऐसा पाया जाता है कि आप डाक से जो पासपोर्ट भेजते हैं, उसकी तस्करी हो जाती है, उसका ही परिणाम है कि जम्मू कश्मीर में जब आपने इतने सारे पासपोर्ट भेजें तो हजारों की संख्या में वे गायब हो गये और कुछ आतंकवादी फर्जी वीसा लेकर देश से भागने में सफल हो गये। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि डाक से पासपोर्ट लोगों

को भिजवाने के स्थान पर आवेदक को व्यक्तिगत रूप से पासपोर्ट हैंड-ओवर करने के लिये क्या आप कार्यवाही करेंगे।

मेरा दूसरा सवाल है कि आपने जो पासपोर्ट की फीस बढ़ाई है जिसे बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है, मैं जानना चाहती हूं कि क्या आपने कभी यह देखने की कोशिश की है पासपोर्ट की तस्करी रोकने के लिये क्या यह फीस काफी है क्योंकि तस्करी करने वाले के लिये 2500 रुपये कुछ भी नहीं हैं, वह तो आसानी से 25,000 रुपये भी दे देगा। दूसरी ओर देश में कुछ गरीब लोग जब नौकरी करने के लिये विदेशों में जाते हैं, उनके लिये आपने क्या कोई कार्यक्रम तय किया है।

श्री आर० एल० भाटिया : माननीय सदस्या ने दो प्रश्न किये हैं। उनका पहला प्रश्न है कि पासपोर्ट बाई-पोस्ट क्यों भेजा जाता है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इससे नुकसान कोई नहीं है बल्कि फायदा हुआ है क्योंकि जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि देश में बहुत से बोगस पासपोर्ट बन जाते हैं, उसे देखते हुये हमने यह निश्चय किया कि जो पासपोर्ट की एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम आयेगी, पासपोर्ट बनाकर हम बाई-पोस्ट उसके रेजिडेंस पर भेजेंगे। आपको यह जानकर खुशी होगी कि ऐसा करने से 20 परसेंट पासपोर्ट हमारे पासपोर्ट कार्यालयों में वापस आ गये क्योंकि वे बोगस आदमियों के थे। इसलिये इस विधि से हमें फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। मैंने जल्दी पासपोर्ट के संबंध में जो बहुत सी तजवीज लायी, उनमें से एक यह भी है क्योंकि बहुत से ट्रैवलिंग एजेंट्स इसमें हमेशा गड़बड़ करते थे। वे हमारे पासपोर्ट अधिकारियों को भी कष्ट करते थे और लोगों से भी पैसा लेते थे पैसा लेकर पासपोर्ट लाकर देते थे। इसे रोकने के लिये, जो आदमी पासपोर्ट के लिए एप्लाई करता है, उसे ठीक ढंग से पासपोर्ट पहुंच जाये, उसका यही एक तरीका है। इसलिये मैंने कहा कि इस विधि से फायदा ही हुआ है।

दूसरी बात आपने पूछी है कि हमने 2500 रुपये फीस क्यों कर दी, लेकिन यह 2500 रुपये की फीस लॉस्ट पासपोर्ट पर है, जितने तस्कर हैं, जितने उग्रवादी यहां से बाहर गये, किसी तरह से चले गये और बाहर जाकर उन्होंने अपने पासपोर्ट को फाड़ दिया और नये पासपोर्ट के लिये कहा तो उनके पास वह लीगल डाक्यूमेंट हो गया। उसे रोकने के लिये हमने यह तजवीज की कि उसकी फीस 2500 रुपये कर दी जाये।

एक बात यह भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब किसी का पासपोर्ट लॉस्ट हो जाये तो उसमें हमें बहुत दिक्कत आती है क्योंकि जितने भी हमारे कार्यालय विदेशों में और देश में हैं, हमें उन सबको इत्तला करनी पड़ती है कि अमुक पासपोर्ट गुम हो गया है कोई अनधिकृत व्यक्ति उसका फायदा न उठाने पाये। वह इत्तला रजिस्टर्ड डाक से भेजनी पड़ती है। इसके अलावा दूसरे भी खर्चे हैं, हमारे मिशन्स में यह एडीशनल काम है। इसलिये सारी चीजों को देखते हुये 2500 रुपये फीस ज्यादा नहीं है। दूसरे मुल्कों में इससे भी ज्यादा फीस ली जाती है।

[अनुवाद]

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : अध्यक्ष महोदय, उत्तर पूर्व में स्थित नागालैंड एवं मिजोरम के पासपोर्ट हेतु आवेदकों की दोहरी जांच की जाती है, एक तो स्थानीय पुलिस तथा फिर गृह मंत्रालय द्वारा। इसके परिणामस्वरूप अनावश्यक विलम्ब हो जाता है तथा अंतत्वोगत्वा आवेदकों को अपने विदेशी दौरे रद्द करने पड़ते हैं क्योंकि विलम्ब के कारण यात्रा का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है।

पासपोर्ट हेतु आवेदन-पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए, क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि अगर ऐसी जांच नितान्त जरुरी है तो क्या सरकार दोनों जांचें एक साथ करवाने की सम्भावनाओं का आकलन करेगी, ताकि होने वाले विलम्ब को कम किया जा सके तथा इन दो राज्यों के ऐसे लोगों के मन में भेदभाव बरतं जाने की जो भावना विद्यमान है, उसे समाप्त किया जा सके?

श्री आर० एल० भाटिया : यह क्षेत्र असम पासपोर्ट कार्यालय के अंर्तगत आता है तथा असम में, पासपोर्ट जारी करने में अधिक विलम्ब नहीं होता। लेकिन माननीय सदस्य ने जिस असुविधा के बारे में उल्लेख किया है, उसके बारे में मेरा यह कहना है कि यह सच है कि गृह मंत्रालय आवेदक के सही व्यक्ति होने अथवा न होने के बारे में जांच करने में आवश्यक ध्यान नहीं देता। लेकिन यह मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तेजी से जांच की जाये, मैं निश्चित रूप से गृह मंत्रालय को सूचित कर दूंगा ताकि मैं पासपोर्ट जारी कर पाने की स्थिति में हो जाऊं।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं चूंकि पासपोर्ट की फीस ली जाती है और इस फीस को सरकार जब चाहे बढ़ा सकती है, तो इसको चाहे तो और भी बढ़ा दे, लेकिन पासपोर्ट लोगों को एक निश्चित समय-सीमा के अन्दर मिले, इसकी व्यवस्था क्या मंत्री महोदय करेंगे और क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि जिस तरह से पुलिस वैरिफिकेशन के बारे में निश्चित कर दिया है कि यदि वह एक माह में होकर नहीं आता है, तो यह मान लियां जाएगा कि पुलिस वैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। क्या इसी प्रकार से दो या तीन माह की अवधि निश्चित करेंगे कि इतनी अवधि में पासपोर्ट प्रार्थी को मिल जाएगा? चाहे तो सरकार आवश्यकतानुसार फीस और बढ़ा दे या स्टाफ और बढ़ा दे क्योंकि निश्चित समय-सीमा के निर्धारण के अभाव में जो फजीहत होती है और सांसदों को जो कठिनाई इस सिलसिले में होती है और फिर सांसद लोग मंत्री महोदय को इस बारे में बार-बार खत लिखते हैं, मिलते हैं और उनको समस्या पैदा करते हैं, इस सबसे छुटकारा मिल सके। इसलिए क्या इस बारे में वे विचार करेंगे?

श्री आर० एल० भाटिया : अध्यक्ष महोदय, लोगों को पासपोर्ट जल्दी मिलें, इसके लिए हमने क्या एक्शन लिया है, वह मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले हमने यह कर दिया है कि पासपोर्ट की म्याद हमने पांच साल से बढ़ाकर दस साल कर दी है जिससे कि हर पांच साल के बाद लोगों को पासपोर्ट आफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़े।

दूसरी बात यह है कि ट्रैवलिंग एजैंट सिस्टम को खत्म कर दिया है क्योंकि वे ही एप्लीकेशन देते थे, वे ही भरवाते थे और जब तक एप्लीकांट से डील नहीं हो जाती थी तब तक वे पासपोर्ट को अपने पास ही रखते थे।.......**(व्यवधान)**

श्री दाऊ दयाल जोशी : मंत्री जी अभी भी चल रहा है। राजस्थान में बहुत चल रहा है।

श्री आर० एल० भाटिया : हम उनको रिकगनाइज नहीं करते। हम उनको पासपोर्ट नहीं देते। कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट आफिस जा सकता है। लेकिन जहां तक पासपोर्ट वापिस करने का ताल्लुक है, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि फर्स्ट एप्लीकेंट को घर पर वह बाय पोस्ट जाएगा। इस डिसिजन को बदलवाने के लिए ट्रेवलिंग एजेंट कोर्ट में चले गये है, यह मामला अभी चल रहा है।

दूसरी बात हमने 400 आदमी और मांगे हैं। वित्त मंत्रालय ने इसको कंसीडर कर लिया है। 300 से ऊपर लोग आ गये हैं। बाकी आदमी आ रहे हैं। तीसरी चीज जहां-जहां प्रैशर प्वाइंट हैं वहां हमने टैम्प्रेरी स्टाफ रखकर उसको क्लीयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आफिसर्स 1992 का बेस रखकर जल्दी पासपोर्ट इशू करेंगे, उनको हमने इन्सेनटिव दिये हैं, उससे भी हमको फायदा पहुंचा है। इसके अलावा कुछ बिजनैस मैंन ऐसे हैं जो बार-बार बाहर जाते हैं और बड़ी जल्दी उनके पासपोर्ट की अवधि खत्म हो जाती है। उनके लिए हम एक जम्बू पासपोर्ट इशू करने जा रहे हैं, जिसका फैसला अभी तय नहीं हुआ है। उसमें बहुत पेजिस हो जायेंगे और बार-बार उनको हमारे दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे। इसके अलावा हम नये दफ्तर भी खोलने की तजवीज़ कर रहे हैं। जम्मू में तो हमने खोल दिया है और आपके जो प्रैशर प्वाइंट हैं जैसे-केरल में सबसे ज्यादा पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन्स आती है, वहां खोलने के लिए सोच रहे हैं। मेंगलौर में भी सोच रहे हैं। बहुत से मेम्बरों ने इसके बारे में तजवीज दी है, वे सब मेरे पास है। हम ठीक-ठाक करके इस पर डिस्कशन करेंगे और बाद में उस पर निर्णय करेंगे।

इसके अलावा जो देरी का कारण है और जिसको हमने ठीक किया है वह यह है कि नासिक से हमें पूरी पासपोर्ट कापियां नहीं मिलती हैं। 1992 में हमारे पास नासिक से सिक्योरिटी प्रेस आफिस से 40,3,496 एप्लीकेशन्स आई थीं लेकिन उन्होंने हमको इतनी कापियां नहीं दीं। इसी तरह हमको 1992 में 24,72,428 एप्लीकेशन्स आई थी और उसमें हमने 22,60,425 पासपोर्ट इशू कर दिये थे। 1993 में हमारे उनके साथ मीटिंग हुई और उन्होंने फैसला किया कि वह आगमेंट करेंगे, मशीनरी और लायेंगे, हमको और बढ़ाकर देंगे। 1993 में पोजीशन बहुत अच्छी हो गयी। उस समय 21,86,925 एप्लीकेशन्स आई थी और हमने 27,9,280 पासपोर्ट जारी कर दिये थे। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर हमारे पास पासपोर्ट की कापियां नहीं हैं तो हम पासपोर्ट कैसे इशू करेंगे। .....**(व्यवधान)** मैं समस्या का जिक्र करूंगा, आप सुनने की कोशिश कीजिये और मैं उसका हल भी बतलाऊंगा। जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि वह 1992 में इसीलिए बैकलॉग हुआ क्योंकि उसकी कापियां हमारे पास नहीं थीं। इसलिए वह 1994 में खत्म होने जा रही हैं। अब उन्होंने तय कर लिया है कि हमको ज्यादा कापियां देंगे। हमने उनके ऊपर 40 लाख का इंडेंट किया है लेकिन वह हमें 1993 में 31 लाख से ज्यादा कापी नहीं दे पाये और 94 में स्थिति और खराब हो गयी है। वह हमें पर मंथ 2.5 लाख कापी दे रहे हैं, जो कि बहुत कम है। इसलिए हम उनसे मीटिंग करके यह कह रहे हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा पासपोर्ट की कापियां दें जिससे डिले न हो। इसको हम निकालने जा रहे हैं।

इसके अलावा तीन जगह हमने कम्प्यूटराईजेशन किया है, बम्बई, दिल्ली और बंगलौर। इस तरह से हम 1995 के अंत तक तमाम आफिसीस कम्प्यूटराईजेशन हो जायेंगे और जो लेट पास होने की जो दिक्कत है, वह काफी हद तक दूर हो जायेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पासपोर्ट प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार है। अगर नागरिक विदेश जाना चाहते हैं तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। उन मामलों को छोड़कर जहां सुरक्षा से संबधित प्रश्न जुड़े हुए हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय कठिनाई यह है कि पासपोर्ट विदेश मंत्रालय देता है बल्कि गृह मंत्रालय की भी उसमें दखल है। पासपोर्ट फीस से जो आमदनी होती है और अभी हाल में जो पासपोर्ट फीस बढ़ाई गयी है, वे कंसोलिडेटड फंड में जाती है। पासपोर्ट दफ्तर चलाने के लिए, जल्दी पासपोर्ट देने के लिए, उस धन का उपयोग करने के लिए विदेश मंत्रालय की अनुमति जरूरी है।

हम कई पासपोर्ट ऑफिसेस में गए। वहां खड़े होने की जगह नहीं है, पुरानी फाइलें रखने के लिए स्थान नहीं है, पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। आपके यह कहने से ट्रैवल एजैंसी खत्म नहीं होती कि आपने खत्म कर दी है। दलाल काम कर रहे हैं। गांवों से जा लोग मजदूर बनकर बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं हैं, बताने वाला नहीं है कि फार्म किस तरह से भरें, फार्म में कोई कमी तो नहीं रह गई है। उन्हें बार-बार पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। यह स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। पर्याप्त स्टाफ नहीं है, जो है उनको प्रमोशन नहीं मिल रही। आखिर उन्हें काम करने का क्या प्रोत्साहन मिल रहा है ?

अध्यक्ष महोदय, मुझे स्टैंडिंग कमेटी का उल्लेख करने का अधिकार नहीं है लेकिन पासपोर्ट के बारे में हमने एक विस्तृत रिपोर्ट दी है। जब हमने अफसरों से बात की तो उन्होंने कहा कि हर बात के लिए फाईनैंस में जाना पड़ता है। कनसौलीडेटेड फंड में पैसा जमा है और फाईनैंस वाले समझते हैं कि अगर इसमें भी थोड़ा मुनाफा हो जाए, घाटा पूरा हो जाए तो कोई बुरा सौदा नहीं है। पासपोर्ट कोई मुनाफा कमाने के लिए नहीं है। वहां अच्छा इन्तजाम होना चाहिए। नागरिक तत्काल अपनी कठिनाइयां दूर कर सकें, ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रवन्ध नहीं है। विदेश मंत्रालय एक ही जगह आम नागरिक के संवंध में आता है और वह पासपोर्ट ऑफिस है।

लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस में बड़ी गड़बड़ी हुई है। मेरे जाने पर वहां सी० बी० आई० ने छापा मारा और किसी अफसर की दराज में से नकली पासपोर्ट पकड़े गए। यह गोलमाल क्या है, भाटिया साहब, यह क्या चल रहा है ? यह ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप इन मामलों में कदम उठाइए और संसद के सदस्यों से पूछिए कि उनके क्षेत्रों में जो पासपोर्ट ऑफिस हैं, उनमें क्या शिकायतें है और उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है ?

श्री आर० एल० भाटिया : वाजपेयी जी ने ठीक कहा कि जो फीस आती है, वह कनसौलीडेटेड फंड में जाती है। लेकिन जैसे-जैसे हमारी रिक्वायरमैंटस है, जैसे मैंने कहा कि हमें आदमियों की जरूरत है तो उन्होंने 400 आदमी सैंक्शन कर दिए। इसके अलावा यह भी कर दिया कि हम धयाड़ी पर भी रख सकते हैं। उससे कुछ फायदा हुआ है। बाकी, आपकी रिपोर्ट मुझे मिली है, मैंने पढ़ी है, ठीक है, हम उस पर गौर कर रहे हैं।

आपने लखनऊ ऑफिस के बारे में बात की। ऐसी बातें हैं। हमने सी० बी० आई० को कॉफी केसेस दिए हैं। यहां जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको मैं मुसलसल भेज रहा हूं डिफरैंट ऑफिसेस को चैक करने के लिए कि वहां स्टाफ की डिफिकल्टी हैं, पैसे की डिफिकल्टी है या आदमी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें देखकर हम उनमें इम्प्रूवमैंट कर रहे हैं। हमें जितनी भी शिकायतें मिली हैं, माननीय सदस्यों की या बाहर से, वे सब केसेस हमने इन्क्वारी के लिए भेज दिए हैं। उनमें पिछले साल ही तीन आदमियों पर एक्शन लिए गए और अभी बाकी केसेस सी० बी० आई० के पास हैं। ज्यों-ज्यों उनके फैसले होते जाएंगे, मैं उनपर स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं।

श्री मुहैम्मद यूनुस सलीम : अध्यक्ष महोदय, हमारे दोस्त वाजपेयी जी ने इशारा किया कि मिनिस्ट्री ऑफ ऐक्सटर्नल अफेयर्स की स्टैडिंग कमेटी में पासपोर्ट के मसले पर शिद्दत से गौर किया गया और हमारे चेयरमैंन साहब ने सिर्फ पासपोर्ट के मसले पर गौर करने के लिए एक सब-कमेटी बनाई। उस कमेटी ने पासपोर्ट ईशू करने वाले अफसरों और होम मिनिस्ट्री के लोगों को बुलाकर बात की। तफसील में जाए बिना

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट मुरत्तब हुई और सर्कुलेट हुई। उस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई कि पासपोर्ट दिए जाने में जो देरी होती है, जो करप्शन होती है, लोगों को जो तकलीफ होती है, उसको कम करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। मैं मंत्री जी से मालूम करना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट, जो तमाम सदस्यों को तकसीम की जा चुकी है, उस पर आपने विचार किया था या नहीं किया ? अगर विचार नहीं किया तो कितना वक्त लेंगे और विचार करके कब डायरैक्टिव इशू करेंगे ? इस रिपोर्ट की सिफारिशों को इम्पलीमैंट करने के लिए जल्दी से जल्दी प्रावधान किया जाये।

श्री आर० एल० भाटिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न का उत्तर वाजपेयी जी के प्रश्न के जवाब में पहले ही दे दिया है। वह रिपोर्ट आ गई है और उसको हम देख रहे हैं। हम उसकी सिफारिशों पर बहस करके कार्यवाही करेंगे।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद : यह नोट करके संतोष होता है कि जहां तक केरल में स्थित पासपोर्ट कार्यालयों का संबंध है, पासपोर्ट जारी करने में होने वाली देरी में व्यापक कमी आई है। 1992 में कालीकट में पासपोर्ट जारी करने में 330 दिन का समय लगता था, जबकि अव यह घटकर 52 दिन रह गया है लेकिन कोचीन एवं त्रिवेन्द्रम में पासपोर्ट जारी करने में क्रमशः 35 एवं 36 दिन का समय लगता है, कालीकट में 52 दिन लगते हैं तथा शायद कालीकट से वास्तव में पासपोर्ट जारी करने हेतु सबसे अधिक संख्या में आवेदन-पत्र आ रहे हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां तक कोजीकोड़ (कालीकट) पासपोर्ट कार्यालय का संबंध है, सरकार कोचीन एवं त्रिवेन्द्रम के समान पासपोर्ट जारी करने में लिए गये समय को 55 दिन से घटा कर 35 अथवा 36 दिन करने हेतु क्या कदम उठाना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया गया है। आप इसे इतना महत्व नहीं दे सकते।

श्री ई० अहमद : एक राज्य में तीन पासपोर्ट कार्यालय हैं तथा तीनों कार्यालय पासपोर्ट जारी करने में अलग-अलग समय लग रहा है। कालीकट में 52 दिन का समय लगता है, जबकि कोचीन में 35 दिन तथा त्रिवेन्द्रम में 36 दिन का समय लगता है।

दूसरे, विदेशों में, वहां कि भारतीय हैं, कई बार उनके पासपोर्ट भीग अथवा गुम हो जायेंगे, क्योंकि इस कार्य को उनके प्रायोजकों को सौंपना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए। मैं पहले ही आधे घण्टे का समय दे चुका हूं।

श्री ई० अहमद : पासपोर्ट के नवीनीकरण अथवा बदलने के लिए वे मनमाना शुल्क मांग रहे हैं, जोकि उस गरीब कारीगर का एक महीने के वेतन के बराबर तक होगी। क्या सरकार इसे कम करने पर विचार करेगी ?

श्री आर० एल० भाटिया : मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि माननीय सदस्य ऐसे मामलों के बारे में उल्लेख कर रहे हैं, जिनमें कि पासपोर्ट गुम हो चुके होते हैं। ऐसे मामले में, यह शुल्क अधिक है, अन्यथा यह शुल्क बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने कारण भी बता दिया है कि ऐसा क्यों होता है।

केरल में तीन पासपोर्ट कार्यालय हैं। कोज़ीकोड़ी-जोकि प्रमुख सग्रहण केंद्र है—में पासपोर्ट जारी करने में 330 दिन का समय लगता था। हमने कार्रवाई की है तथा अब यह समय घटकर 52 दिन हो चुका है। 330 दिनों से घटकर यह समयावधि 52 दिनों पर आ गई है। कालीकट में यह समयावधि घटकर 35 दिन हैं तथा त्रिवेन्द्रम में यह 32 दिन है। आप मुझ से इससे अधिक और क्या सुधार की अपेक्षा करते हैं? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप सभा में अत्यधिक **व्यवधान** डाल रहे हैं। कृपया ऐसा मत कीजिये।

[हिन्दी]

तेल रिग

* 382. **श्री राजेश कुमार** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल रिगों को किराये पर लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं,

(ग) यदि हां, तो निविदाएं कितनी बार आमंत्रित की गयीं, कितनी निविदाएं प्राप्त हुई और इनका क्या परिणाम निकला है, और

(घ) देश के अंदर ही इन तेल रिगों का निर्माण करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) से (ग) अपने तटीय और अपतटीय प्रचालनों के लिए वेधन और वर्कओवर रिगों के चार्टर-भाड़े हेतु फिलहाल ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ ने चार और ओ॰ आई॰ एल॰ ने एक निविदा आमंत्रित की है।

ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ की चार निविदाएं पहली बार आमंत्रित की गई हैं। इनमें से 2 निविदाओं के प्रति बोलियां अभी प्राप्त की जानी हैं और अन्य दो निविदाओं के प्रति 13 बोलियां प्राप्त हुई हैं। ओ॰ आई॰ एल॰ ने 3 बार निविदा आमंत्रित की हैं और पहली, दूसरी और तीसरी बार क्रमशः 8, 9 और 5 बोलियां प्राप्त हुई।

(घ) तटीय व अपतटीय प्रचालनों के लिए तेल रिगों के निर्माण की सुविधाएं पहले से ही देश में विद्यमान हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन विदेशी कंपनियों के क्या नाम हैं जिनको गत तीन वर्षों के दौरान ऑयल रिग्स के टैंडर दिए गए? जब से विदेशी कंपनियों को ऑयल रिग्स के टैंडर दिये गए हैं, तब से देश में तेल के उत्पादन और खपत में कितना अंतर आया है? देश में कच्चे तेल का पता लगाने और संसाधित कार्य की कितनी परियोजनायें

विचाराधीन हैं ? और उनकी लागत क्या है ? क्या कुछ ऐसी भी परियोजनाएं हैं, जो निर्माण के लिए रखे गए लक्ष्य से पिछड़ गई हैं ?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, माननीय सदस्य ने अपने अनुपूरक प्रश्न में तेल-अन्वेषण तथा उत्पादन से संबंधित सभी पक्षों पर प्रकाश डाला है। इस बारे में संक्षेप में मैं यही कहना चाहता हूं। यह प्रश्न रिग्स से संबंधित है। अधिकतर रिग्स जोकि चार्टर्ड रिग्स हैं—क्योंकि यह बात इस प्रश्न से जुड़ी है— का संरक्षण तेल एवं प्राकृतिक गैस एवं ऑयल इण्डिया लिमिटेड के प्रयासों में सहयोग देने तथा इन रिग्स—जोकि उनके पास पहले से ही संवर्धित तेल अन्वेषण कार्यक्रम में हैं-को भी सहयोग देने के लिए किया जा रहा है ताकि कम-से-कम धनराशि के निवेश से अधिकतम मात्रा में कार्य सुनिश्चित किया जा सके तथा प्रत्येक रिग-जिसकी कि जरूरत है-को हमें खरीदना न पड़े तथा अपने निवेश को फंसाना न पड़े। इसके पीछे धारणा यह है कि अमले दो अथवा तीन वर्षों में हमारा प्रमुख ध्यान देश में नये तेल भण्डारों को खोजना होगा, जिसमें कि हमें पिछले कुछ वर्षों से पिछड़ गये हैं, ताकि हम अपनी समस्त धनराशि को अत्यंत सूझबूझ एवं कारगर तरीके से खर्च कर सकें। यहां मैं माननीय सदस्य को यह भी आश्वासन दिला सकता हूं कि अगले दो अथवा तीन वर्षों में हमारी राष्ट्रीय तेल अन्वेषण योजना से यह सुनिश्चित होगा कि हमारी निजी रिगों के माध्यम से अधिकतम मात्रा में किया जा सके तथा जिन रिग्स-चार्टर्ड ऑयल रिग्स-का हम संरक्षण कर रहे हैं-जोकि कौल समिति की सिफारिश थी कि विभिन्न सेवाओं का बाहर सृजन करें ताकि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लक्षित कार्य पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकें।

अतः तेल के अन्वेषण के मुद्दे पर हमारे प्रयासों में अभी से सुधार होना शुरू हो जाएगा तथा हम और अधिक नये क्षेत्रों, समुद्र-पत्तन क्षेत्रों तथा फंटियर क्षेत्रों—कुछ क्षेत्रों को पहले कभी भी कवर नहीं किया गया है—को देश के लिए यथासम्भव कम-से-कम समय में नये तेल भण्डारों की खोज हेतु शामिल कर पायेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वश्चन था कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का नाम क्या है लेकिन मंत्री महोदय ने उसका जवाब नहीं दिया। मेरे सप्लीमेंटरी का मतलब था कि आप जब विदेशी कम्पनियों को टैण्डर दे रहे हैं तो भी देश में तेल की जितनी आपूर्ति होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है तो इनको देने का क्या मतलब है ?

मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी है कि क्या आयल रिगों का स्वदेश में निर्माण करने के लिए कोई विशेष कार्यदल गठित करने का सरकार का विचार है ?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, इस प्रश्न के दो भाग हैं। प्रश्न का एक भाग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से तथा दूसरा भाग उन अन्य कम्पनियों से संबंधित है, जिन्होंने इन रिग्स के लिए निविदाएं दी हैं। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, घरेलू कम्पनियां तथा भारतीय कम्पनियां हैं। ये विश्वव्यापी निविदाएं हैं तथा इन रिग्स के लिए हर कोई निविदा दे सकता है। वास्तव में, मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला

सकता हूं कि जब यह निविदाएं भारतीय कम्पनियों को मिलती हैं, तो उन्हें 15 प्रतिशत मूल्य-प्राथमिकता मिलती है अर्थात्, यदि अपतटीय रिगों का निर्माण भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा किया गया है तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं ऑयल इण्डिया लिमिटेड को दिया गया है, तो इन्हें मूल्य-अधिमान मिलता है। भूतकाल में, आफशोर जेक-अप रिगों का निर्माण मझगांव डोक्स एवं इसके साथ ही साथ अन्य कम्पनियों के अलावा हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा भी किया जाता था। इन भारतीय कम्पनियों को अपतटीय रिग्स एवं तटीय रिग्स की आपूर्ति करने के लिए 15 प्रतिशत मूल्य-अधिमान मिलता है। यदि माननीय सदस्य उन सभी कम्पनियों की सूची प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्होंने कि इन सभी चार मामलों के लिए आवेदन किया है, तो मैं निश्चित रूप से यह पूरी-सूची माननीय सदस्य को दे सकता हूं।

प्रश्न का अन्य भाग उन कम्पनियों से संबंधित है, जिन्होंने कि इन रिग्स के लिए निविदा दी है। ये कम्पनियां हैं, अबन लोयड चिलिस लिमिटेड, अम्बरशिप मैनेजमैंट प्राईवेट लिमिटेड, सेडको फोरेक्स इनटेल, पैरामाउण्ट आफशोर लिमिटेड, जिंदल ड्रिलिंग एण्ड इंड० लिमिटेड, अबन लोयड चिलिस लिमिटेड, हाईटेक सर्विसिज, डुअल ऑफशोर लिमिटेड, ग्रेट ऐटबुड लिमिटेड तथा एस० आर० गुजरात लिमिटेड अतः, सभी प्रकार की कम्पनियों ने इन अपतटीय एवं तटीय रिग्स के लिए निविदा दी है।

प्रश्न का अन्य भाग कच्चे तेल के उत्पादन एवं देश में इसकी स्थिति से संबंधित हैं। मैंने इससे पूर्व भी इसका सभा के समक्ष उल्लेख किया है तथा मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि हमारे उत्पादन-स्तर सबसे नीचे हैं। 1992-93 में 34 मिलियन टन के अधिकतम स्तर से हमारा उत्पादन घटकर लगभग 27 मिलियन टन रह गया है।

लेकिन मुझे सभा को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष से हमारा उत्पादन प्रतिवर्ष पांच मिलियन टन बढने वाला है। अगले वर्ष यह दस मिलियन टन अधिक होगा और 1996-97 में यह पन्द्रह मिलियन टन अधिक होगा। इस प्रकार उत्पादन के संबंध में यह स्थिति है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की हैं और उन्हें निविदाएं प्राप्त हो गई हैं। मुझे याद है कि बम्बई हाई के मामले में हमें यह निर्णय लेने में दस वर्ष लगे कि क्या रिग खरीदा जाए या किराए पर लिया जाए और अंत में यह कि कौन सा लिया जाए। अतः मुझे उम्मीद है कि उसी तरह का विलम्ब अब नहीं होगा क्योंकि उससे उत्पादन में नुकसान होता है। अतः मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न यह है कि उनके अनुसार इन निविदाओं को अंतिम रूप कब तक दिया जाएगा और इन रिगों को जहां उनकी वास्तव में जरूरत है कब तक भेजा जाएगा? दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि देश में इनके विनिर्माण की क्षमता है। लेकिन स्पष्ट रूप से यह काफी नहीं है क्योंकि यदि ऐसी बात होती तो हम बाहर से रिग किराए पर नहीं लेते। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जहां तक तेल रिगों का संबंध है क्या उन्होंने लक्ष्य तारीख निर्धारित किया है जब भारत इस संबंध में आत्मनिर्भर होगा।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, जहां तक प्राप्त हुई निविदाओं के संबंध में समय-सीमा निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने संबंधी माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का संबंध है मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इसका बम्बई हाई से या बम्बई अपतट से कोई लेना देना नहीं है।......**(व्यवधान)**.......

श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या इसे तो विलम्ब के एक उदाहरण के रुप में उतद्धृत किया गया था।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यहां पर महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इसे इसके सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया कि व्यापक खोज के कार्यक्रम के लिए स्पष्ट रूप से अधिक रिगों की आवश्यकता होगी। हमारा तीन वर्ष का निर्धारित समय है। तीन वर्ष में हमारी निश्चित मात्रा में कार्य करने की योजना है। अतः हम स्पष्ट रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई समय नहीं गवां सकते हैं। मैं इस संबंध में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग या आयल इंण्डिया द्वारा कोई विलम्ब बरदाश्त नहीं करूंगा क्योंकि इससे हमारे पूरे खोज कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मंत्री महोदय ने वह निश्चित तारीख नहीं बताई है जब तक उन्हें इसे अंतिम रूप दिए जाने की आशा है।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, प्राप्त हुई सभी निविदाएं विचाराधीन हैं। किसी निविदा पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उनकी जांच और मूल्यांकन किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को केवल इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि किसी अनावश्यक विलम्व के बगैर, हम शीघ्र ही यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कम्पनियां इन रिगों के बारे में निर्णय लें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 383 श्री ललित उरांव ....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

बिजली का उत्पादन

* 383. **श्री ललित उरांव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पनबिजली उत्पादन की तुलना में ताप बिजली उत्पादन में वृद्धि हो रही है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में कितने प्रतिशत ताप विजली और पन विजली का उत्पादन हुआ तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(घ) पन विजली उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) जल विद्युत क्षमता की अपेक्षा ताप विद्युत क्षमता में अभिवृद्धि के मुख्य कारण निम्नवत हैं:—

(1) जल विद्युत परियोजनाओं की दीर्घ निर्माणाधीन अवधि।

(2) पर्यावरणीय मुद्दों, भूमि अधिग्रहण और पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन संबंधी समस्याएं

(3) जल-बंटवारे से संबंधित अन्तर-राज्यीय विवाद।

(ग) 6वीं, 7वीं, पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्षों, दो वार्षिक योजनाओं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में ताप व जल विद्युत उत्पादन की क्षमता तथा 8वीं योजना के दौरान परिकल्पित क्षमता अभिवृद्धि का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया।

(घ) किए गए उपायों में ये शामिल हैं :— केन्द्रीय/संयुक्त क्षेत्र के निगमों जैसे एम० एच० पी० जी०, नीपको, एन० जे० पी० सी० और टी० एच० डी० सी० का गठन, जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता। जैसे विश्व बैंक, ओ० ई० सी० एफ० और द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से निधियां जुटाना, जल विद्युत परियोजनाओं का शेल्फ तैयार करना और निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों की वित्तीय सीमाओं में वृद्धि करना। अब जल विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुबंध

ताप विद्युत और जल विद्युत उत्पादन मे० वा० में (अधिष्ठापित क्षमता)

योजना /वर्ष	ताप विद्युत		जल विद्युत	
	मे० वा०	कुल का प्रतिशत	मे० वा०	कुल का प्रतिशत
छठी योजना (31.3.85 की स्थिति के अनुसार)	27030	63	14460	34
सातवीं योजना (31.3.90 की स्थिति के अनुसार)	43417	69	18308	29
वार्षिक योजना (1990-91) (31.3.91 की स्थिति के अनुसार)	45766	69	18753	28
वार्षिक योजना (1991-92) (31.3.92 की स्थिति के अनुसार)	48096	69	19189	28
आठवीं योजना (31.3.93 की स्थिति के अनुसार)	50745	70	19569	27
(31.3.94 की स्थिति के अनुसार)	54347	70.8	20366	26.6
आठवीं योजना के दौरान जोड़ी जाने वाली प्रत्याशित क्षमता	15057.50	70.9	3864.7	26.07

[हिन्दी]

श्री ललित उरांव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है, जल विद्युत

परियोजनाओं की दीर्घ निर्माणाधीन अवधि, पर्यावरणीय मुद्दों, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी समस्याएं, और जल बंटवारे से संबंधित अन्तर-राज्यीय विवाद-ये कारण हैं, जिनके चलते जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में कठिनाई होती है। यह बात उन्होंने प्रश्न के 'ख' के जवाब में कही है। उन्होंने यह भी कहा है-अब जल विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है, जब निजी क्षेत्रों को काम दिया जाएगा, तो जिन समस्याओं का जिक्र इन्होंने किया है, क्या उन समस्याओं का निदान हो जाएगा-क्या सरकार ऐसा समझती है ?

[अनुवाद]

श्री पी० वी० रंगय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय, हमने इन दो पन बिजली परियोजनाओं के शीघ्र निर्माण के रास्ते में आ रही अनेक बाधाओं के कारण दिए हैं। इन परियोजनाओं के निर्माण में शीघ्रता लाने का एक कदम यह है कि इन्हें निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए। यह केवल एकमात्र सुझाव या हल नहीं है। कुछ परियोजनाओं के मामले में समस्याएं हैं अन्य परियोजनाओं को सभी दृष्टिकोणों से स्वीकृत किया जा सकता है और निजी क्षेत्र के निवेश के लिए तैयार रखा जा सकता है। राज्य सरकारों को पहले ही समुचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और हिमाचल प्रदेश सरकार एक परियोजना अर्थात बी० एस० पी० ए० को निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना बना रही है। इसी तरह से सभी राज्य सरकारें सभी मंजूरियां प्राप्त करने के बाद इन परियोजनाओं को कार्यान्वियन के लिए निजी क्षेत्र को देने की पेशकश कर सकती हैं। .....(व्यवधान) ....

अध्यक्ष महोदय : सदस्य जानना चाहते हैं कि "इसे निजी क्षेत्र को देने से क्या आप पन विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ा सकेंगे।"

श्री पी० वी० रंगय्या नायडू : जी, हां, ऐसा ही विचार है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा ही विचार है। लेकिन क्या आप पन विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ा सकेंगे ?

श्री पी० वी० रंगय्या नायडू : उठाए जाने वाले कदमों में से एक कदम इन कुछ परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को सौंपना है। हम समझते हैं कि जब निजी क्षेत्र बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में आ जाएगा तो हम पन विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ा सकेंगे। ......(व्यवधान) .....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस बारे में निश्चित नहीं हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : महोदय, क्या मैं कुछ कह सकता हूं। मेरे सहयोगी ने यह बताया है कि हमने निश्चित उत्तर दिया है कि ताप विद्युत उत्पादन क्षमता पन विद्युत उत्पादन क्षमता के अनुरूप क्यों नहीं है। हमने इसके तीन कारण बताए हैं अर्थात्—

(i) जल विद्युत परियोजनाओं की दीर्घ निर्माणाधीन अवधि।

(ii) पर्यावरणीय मुद्दों, भूमि अधिग्रहण और पुर्नवास एवं पुनर्स्थापन संबंधी समस्याएं।

(iii) जल-बंटवारे से संबंधित अन्तर राज्यीय विवाद।

उनका प्रश्न है कि यदि इन परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को दे दिया जाएगा तो क्या ये तीन कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी।

महोदय, निजी क्षेत्र को शामिल करने से इन तीनों कठिनाइयों का समाधान नहीं होगा। यह केवल संसाधनों की पूर्ति करेगा।...........**(व्यवधान)**.........

महोदय, मुझे आशा है कि जो कुछ मैंने कहा है वह निश्चित है।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम मेरे मन में तो नहीं है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : महोदय, मैं आपका आभारी हूं। मुख्य प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या ताप विद्युत उत्पादन पन विद्युत उत्पादन की तुलना में बढ़ रहा है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

अब हमने पन विद्युत उत्पादन की तुलना में ताप विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के तीन कारण बताए हैं। पन विद्युत को ताप विद्युत के समान रखने में ये तीन सहजात कठिनाइयां हैं। यह कठिनाइयां ताप विद्युत परियोजनाओं में उस सीमा तक मौजूद नहीं हैं। अन्त में हमने एक कारण हमने यह भी बताया है कि पन विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि निजी क्षेत्र को शामिल करने से ये तीनों कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। भाग (घ) के उत्तर में हमने अतिरिक्त जानकारी के रूप में ऐसा कहा है।

[हिन्दी]

श्री ललित उरांव : अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं आया है। अब मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन संबंधी समस्याओं का जिक्र किया है तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने अभी क्या विचार किया है ?

[अनुवाद]

श्री एन० के० पी० साल्वे : महोदय, प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में हमने पन विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रस्तावित उपाय बताए हैं। हमने स्पष्ट उत्तर दिया है।

जो उपाय किए गए हैं उनमें एन० एच० पी० सी०, एन० ई० ई० पी० सी० ओ०, एन० जे० पी० सी० और टी० एच० डी० सी० जैसे केन्द्रीय और संयुक्त क्षेत्र के निगम बनाना विश्व बैंक, औ० ई० सी० एफ० जैसी संस्थाओं से पनविद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध करवाना और द्विपक्षीय समझौतों, पन विद्युत परियोजनाओं का शेल्फ तैयार करना और निवेश निर्णय के लिए राज्य सरकारों की वित्तीय सीमाओं को बढाना शामिल है। अब पनविद्युत के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : महोदय, देश में पन विद्युत और ताप विद्युत स्टेशनों की मौजूदा विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 76,000 मेगावाट है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 48,000 मेगावाट विजली का अतिरिक्त उत्पादन करने पर जोर दिया गया है। इसको पूरा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ? सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे जबकि आवश्यकता 2,00,000 करोड़ रुपए की है। एक मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन की अनुमानित लागत 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपए है। कुछ राज्य निजी क्षेत्र के माध्यम से एक मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए

अनुमानित लागत लगभग 6.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम के संदर्भ में 6000 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए 6.500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत दी गई है और इसे निजी क्षेत्र को दे दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले में जांच करेगी और उत्पादन लागत को नीचे लाएगी।

श्री पी० वी० रंगय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय, ऐसा अनुमान है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में इस देश में पंन विद्युत, तापविद्युत और आणविक ऊर्जा सहित विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता लगभग 88,872 मेगावाट होगी। यह वात सही है कि आवश्यकता इससे कही अधिक है, देश में लगभग 1,20,000 मेगावाट विजली की जरूरत होगी। ऐसी उम्मीद है कि मांग और पूर्ति के बीच 30,000 से 32,000 मेगावाट का अन्तर होगा। हम बाहर से अतिरिक्त निवेश प्राप्त करके मौजूदा संयंत्रों में संयंत्र भार गुणक में सुधार करके, पारेषण और वितरण में होने वाली हानि को कम करके और ऊर्जा बचाने के तरीके अपना कर इस अन्तर को कम करने के प्रयास कर रहे हैं। मांग और पूर्ति के बीच यह अन्तर कुछ और वर्षों तक बने रहने की संभावना है। लेकिन अन्तर को यथा संभव कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उनके दूसरे अनुपूरक प्रश्न के संबंध में, कृष्णापट्नम के बारे में हमें राज्य सरकार से अभी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। जैसे ही यह प्रतिवेदन प्राप्त होगा उसकी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विधिवत जांच की जाएगी और हम उस पर समुचित कार्रवाई करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हाइड्रल पावर जेनरेशन की तीन समस्याएं मंत्री महोदय ने बताई हैं और उन्होंने सहीं बताया है कि पर्यावरण क्लीयरेंस भी एक कारण है और जमीन के अधिग्रहण तथा पुनर्वास का सवाल भी है। ये सारी चीजें सरकार के हाथ की चीजें हैं और इनकी वजह से ही सबसे अधिक विलंब हाइड्रल प्रोजेक्ट्स में होता है। इसके चलते कई योजनाएं लंवित पड़ी हुई हं। सरकार इस मामले में कौन सी विधा इस्तेमाल करने जा रही है, ताकि इन योजनाओं में विलंब न हो।

इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि हाइड्रल तथा थर्मल पावर जेनरेशन का रेशो 70/30 का होना चाहिए, लेकिन दिए गए आंकड़ो से पता चलता है कि छठी पंचवर्षीय योजना के बाद से हाइड्रल जेनरेशन में लगातार ह्रास होता जा रहा है और यह घट कर सिर्फ 26 प्रतिशत रह गई है। इस परिस्थिति को देखते हुए सरकार इस विलंब को दूर करने का क्या उपाय कर रही है। क्या हाइड्रल पावर जेनरेशन बढ़ाने के लिए मिनि हाइड्रल प्लांट्स के बारे में भी सरकार विचार कर रहीं है, क्योंकि कई पर्यावरण विशेषज्ञों ने राय दी है कि बड़े डैमों के वजाए छोटे-छोटे मिनि हाइड्रल प्रोजेक्ट्स की स्थापना की जानी चाहिए। क्या इस ओर भी सरकार तवज्जो दे रही है?

[अनुवाद]

श्री पी० वी० रंगय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि कुछ परियोजनाएं अनेक तरह की स्वीकृतियों विशेषरूप से पर्यावरण और वन स्वीकृतियों के न मिलने के कारण रूकी हुई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार की नीति यह है कि जब भी किसी परियोजना का निर्माण किया जाए, तो उस क्षेत्र के पर्यावरण पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। यह एक अति महत्वपूर्ण पहलू है जिसे

हम अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए, पर्यावरण मंत्रालय इन परियोजनाओं की जांच बड़ी सावधानी से कर रहा है और यह कुछ सुधारात्मक उपाय करने का सुझाव भी दे रहा है। अतः ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अड़चन आ गई हो। प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के निदेशानुसार राज्य सरकारों को कदम उठाने पड़ेंगे। परियोजनाओं को जब तक पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जाएगी, तब तक विश्व बैंक और अन्य वित्त पोषक एजेंसियां भी वित्तीय सहायता नहीं देंगी। इनमें से अधिकांश राज्य परियोजनायें हैं। हम परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए इस मामले को पर्यावरण और बन मंत्रालय के साथ भी उठा रहे हैं।

पुनर्वास और राहत अन्य बातें हैं। राज्य सरकारों द्वारा इन्हें भी सुलझांया जा रहा है और शीघ्रताशीघ्र हल कर लिया जाएगा और परियोजनायें शुरू की जाएंगी। कुछ परियोजनायें चालू हैं। ऐसा नहीं है कि इन पर ध्यान नहीं दिया जाता, फिर भी कुछ समस्यायें बनी हुई हैं।

बेलाडिला खानें

*384. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जुलाई, 1994 के "बिजनेस स्टेन्डर्ड" नई दिल्ली में "बेलाडिला माइन टू वी सोल्ड टू एस्सार और निप्पोन डेनरो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो बेलाडिला खानों के विकास हेतु प्रस्तावित संयुक्त क्षेत्र की परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा उद्यम राष्ट्रीय खान विकास निगम के कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए है; और

(ङ) बेलाडिला खानो का गैर-सरकारीकरण करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (एन० एम० डी० सी०) मध्य प्रदेश के बेलाडिला क्षेत्र में इस समय दो लौह अयस्क खनन परियोजनाएं चला रहा है। इन खानों से लौह अयस्क का वर्तमान उत्पादन लगभग 90 लाख टन है। लोहे और इस्पात की कई नई इकाइयां चल रही हैं और विशेष रूप से स्पंज लोहे के क्षेत्र से लौह अयस्क तेजी से बढ़ने की सम्भावना है। इसलिए नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड ने बेलाडिला क्षेत्र में विकास करने हेतु दो नई लौह अयस्क खनन परियोजनाओं का पता लगाया है। इनमें से एक डिपाजिट II-बी है।

बेलाडिला आयरन ओर डिपाजिट नं० II-बी में उपलब्ध लौह अयस्क गैस पर आधारित संयंत्रों में स्पंज लोहे का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त बताया गया है। इसलिए नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (एन० एम० डी० सी०) और निजी क्षेत्र के एक उद्यमी जो देश में गैस पर आधारित स्पंज लौह अयस्क संयंत्र चला रहा है अथवा स्थापित कर रहा है और जिसको संयंत्र के लिए लौह अयस्क की पर्याप्त मात्रा को पूरा करने के लिए एन० एम० डी० सी० से पहले ही आश्वासन मिल गया है, के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में इस निक्षेप का विकास करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) और (घ) संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा डिपाजिट नं० II-बी के विकास से एन० एम० डी० सी० के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या में कोई कमी नहीं होगी अथवा इससे उनके रोजगार की सेवा शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा डिपाजिट नं. II-बी का विकास करने के कारणों को उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में स्पष्ट किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभा पटल पर रखे गए विवरण को मैंने ध्यानपूर्वक देखा है। स्थापित किए जाने वाले नए गैस आधारित इस्पात संयंत्रों और इन संयंत्रों को अयस्क की आपूर्ति करने वाली लौह अयस्क खानों, के बीच इससे भ्रान्ति उत्पन्न होती है।

मेरा प्रश्न बेलाडीला में एन० एम० डी० सी० खानों में सरकार का जो करने का प्रस्ताव है, उससे संबंधित है। एन० एम० डी० सी० के अंतर्गत यह जो खनिज भंडार II-बी है, उसका निजीकरण करने का प्रस्ताव है जबकि इस समय इसकी किस्म सबसे अच्छी है, यहां उच्च किस्म का लौह अयस्क उपलब्ध है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस तथ्य से इंकार नहीं करेंगे कि सरकारी क्षेत्र भी परियोजनाओं में एन० एम० डी० सी० सबसे अधिक सफल है। यह सरकार को लगभग 20 प्रतिशत वार्षिक लाभांश दे रहा है। इसका कार्यनिष्पादन उत्कृष्ट रहा है। यह सामान्यतः उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को भी पार कर जाता है और माननीय मंत्री महोदय ने जिन नए गैर-सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों की बात की है, उन्हें एन० एम० डी० सी० अतिरिक्त अयस्क की आपूर्ति करने की स्थिति में है।

यदि वह गैर-सरकारी क्षेत्र में स्पंज लौह संयंत्र स्थापित कर रहे हैं, तो वह भिन्न बात है। मेरा प्रश्न इस समय उससे संबंधित नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि बैलाडीला खानों से, जहां प्रचुर मात्रा में अयस्क उपलब्ध है, प्रचुर उत्पादन हो रहा है और बहुत अच्छा कार्य निष्पादन है, उन संयंत्रों को लौह अयस्क की आवश्यकतानुसार आपूर्ति क्यों नहीं की जा सकती। वे स्थापित किए जाने वाले संयंत्रों के साथ-साथ इन खानों का भी निजीकरण पर क्यों विचार कर रहे हैं।

श्री संन्तोष मोहन देव : माननीय मंत्री महोदय ने एन० एम० डी० सी० के बारे में जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत हूं। कि यह सरकारी क्षेत्र के अच्छे संगठनों में से एक है और यह लाभ अर्जित कर रहा है तथा लाभांश भी दे रहा है। निःसंदेह इस वर्ष लाभ में कमी आई है क्योंकि लोहे के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट आई है और यही कारण है कि इसने पिछले वर्ष 24 करोड़ के लाभ की तुलना में इस वर्ष 70 करोड़ रुपए लाभ कमाया है। इस समय एन० एम० डी० सी० द्वारा संख्या 5, 11 सी और 14 तीन लौह अयस्क खानों का संचालन किया जा रहा है। अब हम तीन और खानें 11 बी, 11ए और 10 नंबर की खानें चलाने की सोच रहे हैं। इसलिए, एन० एम० डी० सी० की प्रतिबद्धता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय किया है कि 11 बी और 10 को एन० एम० डी० सी० को दिया

जाए और 11 बी को एन० एम० डी० सी० को निजी क्षेत्र के साथ मिलाकर संयुक्त क्षेत्र का हिस्सेदार बनाया जाए। सरकार की नई औद्योगिक नीति यह है कि रक्षित खानें उन लोगों को दी जाएंगी जो नए उद्योग शुरू कर रहे हैं। एन० एम० डी० सी० पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। धनराशि की उपलब्धता के अनुसार एन० एम० डी० सी० ने अपनी प्रतिबद्धता से अधिक प्राप्त किया है। एन० एम० डी० सी० के लिए 1024 करोड़ रुपए निश्चित किया गया है बेलाडीला की 10/11 ए परियोजना के लिए 447 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और ए० आर० के० आई० लाइम स्टोन परियोजना के लिए 280 करोड़ और उसी तरह दूसरी परियोजनाओं के लिए भी आवश्यकता है। इन सभी परियोजनाओं के लिए कुल लगभग 1024 करोड़ रुपए होता है।

एक प्रश्न पूछा गया है कि यह संयुक्त क्षेत्र को क्यों दिया जा रहा है। विगत में भी, नई औद्योगिक नीति से पहले, टिस्को के मामले में, सर बीरेन मुखर्जी को एक रक्षित खान दी गई थी। टिस्को के संबंध में, एक कोयला और लौह अयस्क खान दी गई थी। ऐसा नई नीति के कारण नहीं हुआ है। विगत में भी सरकार ने कोयला खानें निजी क्षेत्र को दी हैं। मैं आप से पूर्णरूप से सहमत हूं। मैं माननीय सदस्य को एक बात का आश्वासन देता हूं कि हम किसी भी समय एन० एम० डी० सी० को काम से वंचित नहीं करेंगे। उनके पास उपलब्ध धनराशि के अनुसार, उसका विभिन्न खानों में पूर्ण रूप से उपयोग किया जाएगा। कर्नाटक में भी वे एक खान को ले रहे हैं जहां से चीन की सरकार ने लोह अयस्क की मांग की है। चीन की एक फर्म के साथ संयुक्त क्षेत्र में वे इसकी खोज करने का प्रयास कर रहे हैं। मजदूर संगठनों द्वारा भय व्यक्त किया गया है। मैं पहले ही माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त को आश्वासन दे चुका हूं कि जो भी प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाए हैं, मैं उनको देखूंगा। मैं अंतिम निर्णय लेने के पहले उन्हें बुलाऊंगा। मैं इस बात पर भी ध्यान दूंगा कि उनकी शिकायतें दूर हो जाएं। मैं यह आश्वासन देता हूं कि उसमें काम की कमी नहीं होगी। जन-जातीय लोग पहले से ही परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। 10/11 ए खनन परियोजना में अधिक रोजगार की गुंजाइश होगी। निजी क्षेत्र संयुक्त क्षेत्र के साथ कार्य करेगा और स्थानीय लोगों को भी नियुक्ति प्रदान करेगा। मैं यह आश्वासन देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पाकिस्तानी जेलों में भारतीय मछुआरे

*385. **श्री मोहन रावले :**

श्री छीतू भाई गामीत :

क्या **विदेश मंत्री** 28 फरवरी, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं० 688 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी जेलों में बंदी सभी 1013 भारतीय कैदियों को रिहा कराने के लिए किए गए प्रयासों के क्या परिणाम निकले;

(ख) ऐसे कितने कैदियों को इस बीच पाकिस्तान द्वारा रिहा कर दिया गया है;

(ग) क्या भारतीय और पाकिस्तानी मछुआरों के आदान-प्रदान के लिए कार्यविधि तय कर ली गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पाकिस्तान ने इस बीच सभी भारतीय मछुआरों और बच्चों को रिहा कर दिया है; और

(च) यदि नहीं तो सरकार ने उन्हें रिहा कराने हेतु क्या उपाय किए है और उसके अब तक क्या परिणाम निकले है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (च) 28 फरवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार पाकिस्तान की जेलों में नजरबंद 1013 भारतीय राष्ट्रिकों में से अब तक 84 भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया गया है। इन 84 कैदियों में 83 मछेरे हैं। इस समय शेष 50 भारतीय मछेरे पाकिस्तान की हिरासत में हैं।

सरकार इन 50 भारतीय मछेरों को रिहा कराने के लिए बरावर प्रयास कर रही है। 21 जुलाई, 1994 को ढ़ाका में विदेश राज्य मंत्री श्री आर० एल० भाटिया ने इस मामले को पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ उठाया था। पाकिस्तान की हिरासत में 50 भारतीय मछेरों की रिहाई के तौर-तरीकों पर राजनयिक माध्यमों से विचार किया जा रहा है।

कलकत्ता और हल्दिया पत्तन

* 386. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता और हल्दिया पत्तन क्षेत्रों से व्यापक स्तर पर गाद निकालने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया के निर्णय से इन दोनों पत्तनों की समस्याएं बढ़ गई हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इन पत्तनों के सुचारू रूप में कार्यकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) हुगली नदी में मुहाने के पहुंचमार्गों में डुबाव के सुधार के लिए एक व्यापक योजना वनाई गई थी। इसमें ब्लारी बार में नदी सुधार कार्यों और बड़े निकर्षण कार्यों की 7 इकाइयां शामिल हैं। अव तक एक मद अर्थात् नयाचारा द्वीप में उत्तरी सुरक्षा दीवार का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) भारतीय निकर्षण निगम द्वारा ब्लारी बार क्षेत्र में अगले सुमौसम, 1994 से गहन अनुरक्षण निकर्षण किए जाने की योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान के लिए वीसा

* 387 **श्री धर्मण्णा मोंड्य्या सादुल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नागरिकों को वीसा जारी करने में पाकिस्तान सरकार का रवैया उतना उदार नहीं है जितना पाकिस्तानी नागरिकों को वीसा जारी करने में भारत सरकार का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा यह बात पाकिस्तान सरकार के ध्यान में लाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (ङ) दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान ने भारतीय राष्ट्रिकों के लिए प्रतिबन्धात्मक वीसा व्यवस्था लागू की हुई है जिसमें भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा किए गए सभी वीसा आवेदनों के मामला-दर-मामला आधार पर पूर्व साक्ष्यांकन की व्यवस्था है।

सरकार को खेद है कि पाकिस्तान की वीसा नीति में हाल ही में शामिल नकारात्मक उपायों से दोनों देशों के बीच यात्रा में बाधा पड़ेगी और लोगों से लोगों के बीच सम्पर्क घटेगा। सरकार ने पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वह भारत-पाकिस्तान वीसा करार, 1974 का पालन करे जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सहज यात्रा का प्रावधान है।

सरकार ने पाकिस्तान को भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग के चतुर्थ उप-आयोग की बैठक के आयोजन का भी सुझाव दिया है जो वीसा तथा कोंसली मामलों से सम्बद्ध है। पाकिस्तान ने अब तक इस प्रस्ताव पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश

* 388 **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु वर्ष 1993-94 में अनिवासी भारतीयों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार-ब्यौरा क्या है;

(ख) खाद्य प्रसंस्करण और मात्स्यिकी क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को आमन्त्रित करने के लिए विदेशी निवेशकों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय उद्यमियों को भी विदेशी निवेशकों के समान रियायतें दी जा रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का इस असमानता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ङ) वर्ष 1993-94 के दौरान सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों और गहन समुद्री मात्स्यिकी यूनिटों की स्थापना के लिए 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिनमें अनिवासी भारतीयों का 86.45 करोड़ रुपये का इक्विटी पूंजी निवेश निहित है। इसके राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

(रुपये लाख में)

राज्य	प्रस्तावों की संख्या	कुल प्रस्तावित निवेश	अनिवासी भारतीय निवेश
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	6	12803	2487
गुजरात	2	2573	425
हरियाणा	2	558	274
हिमाचल प्रदेश	1	3200	2500
केरल	1	486	7
महाराष्ट्र	4	5945	1748
पंजाब	1	1070	32
राजस्थान	1	2200	400
तमिलनाडु	2	2313	220
पश्चिम बंगाल	1	1500	2
गोआ	1	2100	50
स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है।	1	1200	500
योग	23	35948	8645

जुलाई 1991 की नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अल्कोहलयुक्त पेयों के आसवन और किण्वन, चीनी और लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंसयुक्त कर दिया गया है और उद्यमियों को केवल औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाली सूची में रखा गया है। इन उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 51% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए स्वतः अनुमोदन की अनुमति दी गई है। उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड की संवीक्षा और अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूरी दिए जाने पर अधिक विदेशी इक्विटी निवेशों की

भी अनुमति दी जाती है। अनिवासी भारतीयों और प्रधान रूप से अनिवासी भारतीयों के स्वामित्व वाले विदेशी कार्पोरेट निकायों द्वारा 100% इक्विटी तक की भी स्वतः मंजूरी दी जाती है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों, कच्चे माल, पैकेजिंग सामग्री, पूंजीगत माल आदि के लिए सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न वित्तीय रियायतें घरेलू और विदेशी दोनों पूंजी निवेशकों के लिए उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

एसियान और ए० आर० एफ० की सदस्यता

*389 **श्री रवि राय :**
डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत एसियान और नव गठित एसियान रीजिनल फोरम (ए० आर० एफ०) का सदस्य बनने हेतु सक्रिय प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या हाल में बैंकाक में हुई एसियान की बैठक में इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा;

(ङ) एसियान और ए० आर० एफ० की सदस्यता से, अलग-अलग, भारत को क्या लाभ होने की सम्भावना है; और

(च) हाल में बैंकाक में हुई ए० आर० एफ० की बैठक के, जिसमें 18 देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया, क्या मुख्य परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) भारत आसियान की सदस्यता के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। हमने यह बता दिया है कि हम आसियान क्षेत्रीय मंच में शामिल होना चाहते हैं।

(ख) से (घ) हमारी रुचि के प्रति आम प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है। तथापि, आसियान क्षेत्रीय मंच की सदस्यता बढ़ाने के मसले पर अभी तक विचार नहीं हुआ है।

(ङ) आसियान में भारत की सदस्यता का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह भौगोलिक रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया में नहीं आता। इस समय हम आसियान के एक क्षेत्रीय वार्ता के भागीदार हैं जिससे हम एक समूह के रूप में विशिष्ट क्षेत्रों में आसियान देशों के साथ अपना सहयोग बढ़ा सकेंगे।

दक्षिण-पूर्व एशिया का एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत इस क्षेत्र के राजनीतिक और सुरक्षा मसलो के बारे में चिन्तित हैं, इसलिए वह आसियान क्षेत्रीय मंच के विचार-विमर्श में भाग लेना चाहता है।

(च) बैंकाक में आसियान क्षेत्रीय मंच की हाल की बैठक में एशिया प्रशान्त क्षेत्र की ताजा राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में अमरीकी-कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य की बातचीत जारी रखे जाने का स्वागत हुआ और इस बात का समर्थन किया गया था अन्तर-कोरियाई वार्ता पुनः शुरू की जाए।

[हिन्दी]

रसोई गैस वितरक

*390. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन घरेलू रसोई गैस वितरकों की राज्यवार संख्या क्या है जिनके विरुद्ध गत वर्षों के दौरान भारतीय तेल निगम ने कथित कदाचारों के लिए कार्यवाही की है,

(ख) उनमें से राज्यवार कितनी गैस एजैंसियों को निलंबित/रद्द किया गया,

(ग) उनमें से ऐसे मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनकी सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है, और

(घ) इन लंबित मामलों का निपटारा कब तक किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1991-92, 1992-93 और 1993-94

क्रम संख्या	राज्य का नाम	एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या जिनके विरुद्ध कदाचार/ अनियमितता के लिए आई०ओ० सी० ने कार्रवाई शुरु की।	आस्थगित/परिसमाप्त डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
3.	असम	1	–
4.	बिहार	5	–
5.	गोआ	–	–
6.	गुजरात	38	5
7.	हरियाणा	17	8

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	4	1
9.	जम्मू और काश्मीर	–	–
10.	कर्नाटक	5	3
11.	केरल	3	3
12.	मध्य प्रदेश	18	3
13.	महाराष्ट्र	3	–
14.	मणिपुर	–	–
15.	मेघालय	–	–
16.	मिजोरम	–	–
17.	नागालैण्ड	1	–
18.	उड़ीसा	–	–
19.	पंजाब	10	1
20.	राजस्थान	8	1
21.	सिक्किम	–	–
22.	तमिलनाडु	2	–
23.	त्रिपुरा	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	34	7
25.	पश्चिम बंगाल	3	1
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	चंडीगढ़	1	1
2.	दादर और नागर हवेली	–	–
3.	दिल्ली	38	2
4.	दमन और द्वीप	–	–
5.	लक्ष्यद्वीप	–	–
6.	पांडिचेरी	–	–
7.	अंडमान और निकोबार	–	–

तेल पूल खाता

*391 **श्रीमती गिरिजा देवी :**
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल पूल खाते में भारी घाटा हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इस समय तेल उत्पादन कंपनियों और तेलशोधक कारखानों को कितनी बकाया राशियों का भुगतान किया जाना है, और

(ग) तेल पूल खाते में बढ़ते हुए घाटे को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) 31.3.94 की स्थिति के अनुसार तेल पूल लेखे में संचयी घाटा 5050 करोड़ रुपए है और तेल कम्पनियों को देय है।

(ग) जब भी आवश्यक समझा जाता है। सुधारात्मक कार्रवाई के लिए तेलपूल खाते की स्थिति भी निरन्तर निगरानी व समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तानी सकल्प

*392. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी सत्र में कश्मीर संबंधी अपने प्रस्तावित संकल्प के लिए समर्थन जुटाने हेतु पाकिस्तान द्वारा विभिन्न देशों में राजदूत भेजने के बारे में 12 जुलाई, 1994 के "ट्रिब्यून" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पाकिस्तान के इन प्रयासों का प्रतिकार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) पाकिस्तान ने जम्मू एवं कश्मीर के मसले को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के अपने अभियान के अंग के रूप में कई प्रतिनिधिमण्डल, जिनमें संसद सदस्य, राजनीतिक नेता, प्रचारक आदि शामिल हैं, हाल के महीनों में विदेशों में भेजे हैं।

सरकार ने अन्य देशों के साथ मंत्रियों, अधिकारियों और राजनयिकों के स्तर पर विचार-विमर्श के दौरान उन्हें जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति के बारे में सही तथ्यों से, भारत के खिलाफ विध्वंस और आतंकवाद

को पाकिस्तान के समर्थन से और हमारी इस प्रतिबद्धता से भी अवगत करा दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ सभी मतभेजों को शिमला समझौते की रूप रेखा के भीतर शांतिपूर्ण तरीके से और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं।

बहुराष्ट्रीपु कम्पनियों द्वारा मछली पकड़ना

*393. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्रीमती सरोज दुबे :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जुलाई, 1994 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "इंडिया ओपन्स इट्स कोस्ट्स टू फिशिंग एम० एन० सीज० डिस्पाइट फियर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारतीय समुद्र में मछली पकड़ने की अनुगति देने से देश की समुद्री परिस्थितिकी संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के इस क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कोई भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों को मछली पकड़ने की अनुमति नहीं दी गयी है। किन्तु अनेक भारतीय कम्पनियों को गहन समुद्री मात्स्यिकी के लिए विदेशी मात्स्यिकी कम्पनियों के सहयोग से सयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के लिए खरीद/पट्टे के माध्यम से जलयानों के अधिग्रहण की अनुमति दी गई है। भारतीय अन्नय आर्थिक क्षेत्र से मात्स्यिकी स्त्रोतों का वर्तमान दोहन 3.9 मिलियन टन के अनुमानित संभाव्य स्त्रोतों की तुलना में लगभग 2.6 मिलियन टन है। इसलिए, समुद्री मात्स्यिकी स्त्रोतों के अत्यधिक दोहन और समुद्री पर्यावरण संतुलन में गड़बड़ी का कोई भय नहीं है।

पेट्रोलियम उत्पाद

*394. **डा० के० वी० आर० चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की कितने प्रतिशत मांग स्वदेशी उत्पादन से पूरी की गई,

(ख) 2001 ई० तक के लिए इस संबंध में क्या अनुमान लगाए गए हैं, और

(ग) देश की मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का देशी उत्पादन द्वारा पूरा किया गया प्रतिशत निम्नानुसार था:

वर्ष	कच्चा तेल	पेट्रोलियम उत्पाद
1991-92	59.0	87.0
1992-93	50.4	87.7
1993-94x	49.8	86.5

x अनंतिम

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 1996-97 तक कच्चे तेल का आकलित देशी उत्पादन 44.45 मि० मि० टन है और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग का 79.37 मि० मि० ट० होने का अनुमान लगाया गया है। देशी उत्पाद की उपलब्धता द्वारा पूरी की जाने वाली उत्पाद की मांग का प्रतिशत, मांग के वास्तविक क्रियान्वयन तथा अतिरिक्त/नयी शोधन क्षमता आदि के शुरु होने पर निर्भर करेगी।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अनुसरण किए जा रहे विभिन्न उपायों में जागरण अभियान, प्रशिक्षण एवं शिक्षण, ईंधन कुशल उपयोग आदि शामिल हैं।

अन्तर्देशीय जलमार्ग

* 395 **श्री शरद दिघे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपनी कार्य योजना रिपोर्ट में क्या-क्या टिप्पणियां की गई हैं,

(ख) क्या कम धनराशि के आवंटन के कारण भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख निर्माण-कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए भा० अ० ज० प्रा० की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

i) 8वीं योजना अवधि के दौरान 4 और नये राष्ट्रीय जलमार्गों, जैसे गोदावरी नदी, गोवा में जलमार्ग, सुन्दरवन में अंतर्राष्ट्रीय स्टीमर मार्ग और बर्क नदी की, उनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के अध्यधीन, घोषणा करना।

ii) पहले से घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों अर्थात् गंगा (इलाहाबाद से हल्दिया 1620 कि० मी० ब्रह्मपुत्र (धुवरी से सैदिया-891 कि० मी०) और पश्चिम तटीय नहर (चम्पाकारा नहर)

(14 कि० मी०) और उद्योग मंडल नहर (23 कि० मी०) के साथ-साथ कोलम से कोटापुरम (168 कि० मी०) का, और अधिक मूल भू-संरचनात्मक सुविधाएं जैसे यंत्रीकृत कार्गो हैंडलिंग सुविधायुक्त टर्मिनल, संचालन, आदि के लिए विकास तथा मौजूदा टर्मिनल/नौबाहय जलपथ सुविधाओं में सुधार।

iii) पर्याप्त तकनीकी कर्मचारियों और उपकरणों से लैस करके क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत बनाना।

(ख) और (ग) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, वार्षिक योजनाओं में उपलब्ध कराए गए वित्तीय परिव्ययों, सामान्यतः पिछले वर्ष के खर्च/बजटगत परिव्यय पर निर्भर होते हैं, के आधार पर स्कीमें/कार्य शुरु कर रहा है। बड़े कार्यों की योजना न बनाने का कारण केवल निधि आबंटन ही नहीं बल्कि पर्याप्त तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध न होना भी था। तथापि 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मध्यावधिक समीक्षा प्रस्ताव में अधिक निधियों के आबंटन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। अधिक कर्मचारियों की संस्वीकृति के प्रस्तावों पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

एअर टैक्सी आपरेटर

* 396 **श्री हरिन पाठक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी एअर टैक्सी आपरेटरों ने ईंधन लागत के भुगतान संबंधी अपने दायित्व पूरे कर दिए हैं,

(ख) यदि नहीं, तो भुगतान संबंधी दायित्व पूरा न करने वाले आपरेटरों का ब्यौरा क्या है और सरकार को इसके कारण कुल कितना घाटा हुआ है, और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) चूककर्त्ताओं, इस खाते में कुल बकाया धनराशि तथा गलती करने वालों के विरुद्ध की गई/ प्रस्तावित कार्यवाही संबंधी ब्यौरे नीचे दिए हैं :–

क्रम संख्या	गलती करने वाले एअर टैक्सी प्रचालक का नाम	बकाया धनराशि	की गई कार्यवाही
1.	2.	3.	4.
इंडियन आयल कारपोरेशन लि०			
1.	ईस्ट वेस्ट एअरलाइन्स	1955 लाख रुपये (11 अगस्त, 1994 की स्थिति में)	बकाया धनराशि को 10 करोड़ रुपए की अनुमोदत उधार सीमा तक नीचे लाने के संबंध में प्रयास

1.	2.	3.	4.
			किए जा रहे हैं।
2.	सिटी लिन्क एअरवेज	38.94 लाख रुपए	पार्टी ने 15 जून, 1993 से प्रचालन बंद कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में एक सहमति डिक्री पारित की है कि कस्टम्स प्राधिकरियों को इस धनराशि को सिटी लिंक एअरवेज को देय प्रतिपूर्ति धनराशि से जमा करना चाहिए। इसके संबंध में कस्टम्स प्राधिकारियों द्वारा विवाद प्रस्तुत किया गया है जो उच्च न्यायालय में लंबित है।
3.	राज एअर	20 लाख रुपये	पार्टी ने 25 जून, 1994 से अपने प्रचालन बंद कर दिए हैं। उन्होंने समग्र धनराशि को एक माह के अंतर्गत निपटाने के लिए एक परिवर्तन दे दिया है।
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०			
4.	कॉन्टीनेन्टल एविएशन प्राइवेट लि०	12,89,131 रुपए	देयताओं की प्रतिपूर्ति (वसूली) के संबंध में जबलपुर उच्च न्यायालय में एक परिसमापन याचिका दायर की गई है।
5.	सिटी लिंक एअरवेज लि०	14,13,862 रुपए	देयताओं की प्रतिपूर्ति (वसूली) के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई परिसमापन याचिका की सुनवाई प्रगति पर है।
6.	राज एविएशन प्रा० लि०	3,94,269 रुपए	8 सितंबर, 1994 तक बकाया धनराशि को निपटाने के लिए पार्टी सहमत हो गई है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का० लि०

7.	ईस्ट वेस्ट एअरलाइंस	106 लाख रु०	पार्टी ने एक बैंक गारंटी प्रस्तुत कर दी है देरी से किए जाने वाले भुगतान के लिए ब्याज के साथ धनराशि का शीघ्र भुगतान प्रत्याशित है।

चूककर्त्ता एअर टैक्सी प्रचालकों के कारण होने वाली कुल बकाया राशि 21,50,91,262 रुपए हैं।

[हिन्दी]

रूग्ण इस्पात संयंत्र

*397 **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बहुत से इस्पात संयंत्र रुग्ण हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) भारत में इस्पात का उत्पादन मुख्य उत्पादकों और गौण उत्पादकों द्वारा किया जाता है। गौण-इस्पात इकाइयों में इस समय 181 विद्युत चाप भट्टी इकाइयां हैं। ये इकाइयां मुख्यतया निजी क्षेत्र में हैं। विद्युत चाप भट्टी उद्योग आठवें दशक के प्रारम्भ में स्थापित किया गया था और इसमें छोटे आकार की भट्टियां हैं जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकीय विशेषताएं नहीं अपनाई जा सकतीं। इसके अतिरिक्त, इन इकाइयों में आ रही श्रम, वित्तीय तथा प्रबंधकीय समस्याओं से पिछले कुछ समय में अनेक इकाइयां बन्द हो गई और 30.6.1994 की स्थिति के अनुसार 85 इकाइयों के बन्द हो जाने की सूचना मिली है। इसके अलावा, स्क्रैप जो इसका आधार भूत कच्चा माल है, के मूल्यों में तेजी से हुई वृद्धि, उच्च विद्युत दर, मांग में मन्दी आदि जैसे अन्य घटकों के कारण अभी हाल में उनके कार्य निष्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) सरकार ने विद्युत चाप भट्टी इकाइयों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए इस्पात प्रगलन स्क्रैप पर आयात शुल्क को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इन इकाइयों को निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई रियायती दर पर करने पर विचार करें। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, अवसंरचना आदि, जैसे क्षेत्रों के लिए 1994-95 के बजट में वर्धित आवंटन, परियोजना-आयात शुल्क को 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने, पूंजीगत माल को मोडवेट के तहत लाने, ब्याज दर को 1 प्रतिशत कम करने आदि से इस्पात संयंत्रों के निष्पादन में सुधार होने की संभावना है।

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया

*398. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया का कार्य-निष्पादन पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया की अन्य नौवहन कंपनियों की तुलना में कैसा रहा,

(ख) क्या भारतीय जहाजों से माल और यात्रियों को विदेश ले जाने हेतु कोई योजना बनाई गई है,

(ग) क्या नौवहन क्षेत्र में गैर-सरकारी निवेश को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है.

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की अन्य नौवहन कम्पनियों की तुलना में भारतीय नौवहन निगम के कार्य-निष्पादन के बारे में कोई ब्यौरेवार अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि भारतीय नौवहन निगम के कार्य निष्पादन की तुलना चुनिंदा जापानी नौवहन कम्पनियों के साथ की जा सकती है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर माल का परिवहन, निजी भारतीय नौवहन कम्पनियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की नौवहन कम्पनियों के लिए पहले से ही खुला है। ये कम्पनियां विभिन्न विदेशी गन्तव्यों तक कार्गों की ढुलाई करती रही हैं। इस समय कोई भी भारतीय कम्पनी भारत से विदेशी पत्तनों तक यात्री सेवा प्रचालित नहीं कर रही है।

(ग) और (घ) : सरकार ने नौवहन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. अब निम्नलिखित के लिए स्वतः अनुमोदन दिया जाता है :—

(क) निजी जहाज मालिक कम्पनियों द्वारा क्रूड टैंकरों और अपतटीय आपूर्ति पोतों को छोड़कर शेष सभी श्रेणियों के जहाजों की खरीद।

(ख) किसी भारतीय शिपयार्ड से जहाज की खरीद, और

(ग) प्रतिस्थापन टन भार के लिए खरीद।

2. भारतीय नौवहन कंपनियों को विदेश में अपने जहाजों की बिक्री से प्राप्त राशि रखने और उसका नयी खरीद के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गयी है।

3. नौवहन कंपनियों को विदेशी नौवहन कंपनियों के लिए भारतीय जहाज टाइम-चार्टर-आउट पर देने की स्वतंत्रता दी गयी है।

4. नौवहन कम्पनियों को बेयर-बोट-चार्टर-कम डिमाइज विधि द्वारा जहाज खरीदने की अनुमति दी गयी है।

5. जहाजों की मरम्मत के लिए तिमाही ब्लाक आवंटन स्कीम पूर्णतः समाप्त कर दी गयी है और अब भारतीय रिजर्व बैंक जहाज मरम्मत/ड्राई डाकिंग के लिए तथा किसी मूल्य सीमा के बगैर आयातित पूंजीगत सामान हेतु कलपुर्जों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करता है।

6. उर्वरक और पैट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई के भाड़ा प्रभारों का, अब अन्य वस्तुओं के समान परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति है।

7. विदेशी ऋणदाता, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम की कुछेक धाराओं को ऋण के मामले में चूक और बंधक को पुरोबंधित किए जाने की परिणामी अपेक्षाओं के बारे में ऋणदाता के अधिकार को लागू करने में बाधक मानते थे। अब इन धाराओं को संशोधित कर दिया गया है ताकि भारतीय नौवहन कंपनियां विदेशों से जहाज खरीदने के लिए बाहर से वाणिज्यिक ऋण जुटा सके।

(ड़) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात उत्पादन

*399. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन बड़े और लघु दोनों प्रकार के इस्पात संयंत्रों द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो बड़े और लघु इस्पात संयंत्रों में इस्पात उत्पादन की औसत दर क्या है;

(ग) वर्ष 1990-91 से 1993-94 के दौरान बड़े और लघु संयंत्रों द्वारा वर्षवार कुल कितनी मात्रा में इस्पात का उत्पादन किया गया;

(घ) क्या लघु संयंत्रों द्वारा किए गए उत्पादन में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि बड़े संयंत्रों के उत्पादन में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि से कम है; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) जी, हां। विक्रेय इस्पात का उत्पादन मुख्य उत्पादकों (एकीकृत इस्पात संयंत्र) और गौण उत्पादकों (विद्युत चाप भट्टी इकाइयां/ प्रेरण भट्टी इकाइयां) दोनों द्वारा किया जाता है। वर्ष 1990-91 से 1993-94 के दौरान मुख्य उत्पादकों और गौण उत्पादकों द्वारा कार्बन विक्रेय इस्पात का उत्पादन और कुल उत्पादन में उनकी प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

(दस लाख टन)

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
मुख्य उत्पादक :				
उत्पादन	9.33	10.58	11.33	11.98
कुल में उनकी प्रतिशतता	70.7%	75.7%	77.0%	81.6%
गौण उत्पादक :				
उत्पादन	3.86	3.40	3.38	2.70

प्रतिशतता	29.3%	24.3%	23.0%	18.4%
कुल उत्पादन :	13.19	13.98	14.71	14.68

(घ) और (ड़) 1990-91 से 1993-94 के दौरान मुख्य उत्पादकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु गौण उत्पादकों के उत्पादन में कमी हुई है। मुख्य उत्पादकों और गौण उत्पादकों के उत्पादन में वार्षिक प्रतिशतता वृद्धि/कमी निम्नलिखित थी :—

	1991-92	1992-93	1993-94
मुख्य उत्पादक	(+) 13.3%	(+) 7.1%	(+) 5.7%
गौण उत्पादक	(—) 11.9%	(—) 0.7%	(—) 20%

फलों और सब्जियों के नष्ट हो जाने संबंधी अध्ययन

*400 **श्री गुमान मल लोढ़ा :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद से देश में फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या फलों और सब्जियों के नष्ट होने के औसत प्रतिशत में भी उसी अनुपात से वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी हां।

(ख) करीब 9%।

(ग) जी नहीं। वाणिज्यिक प्रसंस्करण के लिए फल और सब्जियों के उपयोग और फल और सब्जी उत्पादों का निर्माण, धूप में सुखाए गये तथा फ्राई किए गये उत्पादों को छोड़कर, का प्रतिशत उपयोग 1991-92 के 0.5% से बढ़कर 1993-94 में करीब 1.1% हो गया है। फल और सब्जी उत्पादों के निर्माण के लिए धूप में सुखाया जाना और फ्राइंग में भी वृद्धि हो रही है।

(घ) फल और सब्जियों की फसलोत्तर बर्बादी कम करने और उनका उपयोग बढ़ाने के लिए, सरकार ने कतिपय उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्री कूलिंग, अल्ट्रा हाई ह्यूमिडिटी स्टोरेज, पैकिंग, गेडिंग, उपयुक्त परिवहन और प्रसंस्करण जैसे फसलोत्तर बुनियादी ढांचे की स्थापना करने में सहायता देना शामिल हैं। फल और सब्जियों के अधिक मात्रा में प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी फल और सब्जी उत्पादों पर उत्पाद शुल्क हटा दिया है, 51% तक विदेशी इक्विटी निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन की अनुमति। करोड़ रुपये तक प्रौद्योगिकी शुल्क के भुगतान पर विदेशी कम्पनियों के साथ विपणन

व्यवस्थाओं और घरेलू विक्री के लिए 5% रायल्टी और निर्यात के लिए 8% तक रायल्टी, फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रशीतन और अन्य उपकरणों सहित पूंजीगत माल पर कम उत्पाद और सीमाशुल्क, पांच वर्षों की अवधि के लिए निर्यात की आय को कर मुक्त बनाकर निर्यात को प्रोत्साहन देने, कृषि खाद्य उद्योगों के लिए 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों को 50% तक घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विक्री की अनुमति, पूंजीगत सामान स्कीम के अन्तर्गत शुल्क रियायत की अनुमति, फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योंग के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत पूंजीगत सामान के आयात की अनुमति आदि दी है। फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने विभिन्न योजना स्कीमें भी तैयार की हैं।

[अनुवाद]

*3717 **श्री रामकृष्ण कोताला** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोव्वूर और भद्राचलम के वीच सड़क मार्ग पर कोई यातायात सर्वेक्षण कराया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संवंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों को लागू करने में विलम्ब हो रहा है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) सांविधानिक दृष्टि से भारत सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर शेष अन्य सड़कों के लिए संवंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार होती है। आंध्र प्रदेश में प्रश्नगत सड़क का भाग राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर नहीं पड़ता और इसलिए केन्द्र सरकार इस मामले में जिम्मेदार नहीं है।

केरल में ग्रेनाइट की खोज

3718 **श्री पी० सी० थामस** : क्या खान मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल में ग्रेनाइट की खोज करने और उसके संसाधित करने हेतु इकाईयां स्थापित करने संवंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है: और

(ख) यदि हां, तो तत्संवंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

परमाणु अप्रसार संधि संवंधी वैठक

3719 **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विदेश मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जुलाई, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्ज" में "रिपोर्ट आन एन० पी० टी० मीट नॉट आप्टिमिस्टिक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जो 17 जुलाई को वाशिंगटन से प्रसारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें मामले के किन तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है;

(ग) क्या अमरीका ने वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के संबंध में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय उपसंधि का अनुपालन करने में भारत का सहयोग मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) जी हां। तीन गैर-सरकारी संगठनों यानी द लायर्स एलायन्स फार वर्ल्ड सिक्योरिटी, द कमिटी फार नेशनल सिक्योरिटी और वाशिंगटन काउंसिल आन नॉन-प्रोलिफरेशन ने "नाभिकीय निरस्त्रीकरण : नाभिकीय अप्रसार संधि के संदर्भ में 5 नाभिकीय शक्तियों की प्रतिबद्धता कितनी" "न्यूक्लीयर डिस्आर्मामेंन्ट हाव मच हैव द फाइल न्यूक्लीयर पावर्स प्रोमिस्ड इन द नॉन-प्रोलिफरेशन ट्री टी? शीर्षक रिपोर्ट में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस रिपोर्ट के लेखक अमरीकी सरकार के अधिकारी नहीं हैं।

(ग) और (घ) वहुत से देश अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा (अभिकरण आई० ए० ई० ए०) के सदस्य, जिनमें भारत और अमरीका शामिल है, 1991 से नाभिकीय सुरक्षा संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय पर बातचीत में सक्रिय रूप से शरीक रहे हैं। आई० ए० ई० ए० द्वारा वियना में आयोजित राजनयिक सम्मेलन में इस अभिसमय को जून, 1994 में पारित किया गया था जिसमें अन्य देशों सहित भारत और अमरीका ने भी भाग लिया। इस अभिसमय पर वियना में 20 सितम्बर, 1994 को हस्ताक्षर होंगे।

आप्रवासी श्रमिकों को मुआवजा

3720. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विदेश में देशवार कितने भारतीय आप्रवासी श्रमिक ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए और उन्हें कितना मुआवजा दिया गया;

(ख) सरकार के पास उक्त अवधि के दौरान दुर्घटनाग्रस्त लोगों के मुआवजा सम्बन्धी वर्षवार और देशवार कितने मामले लम्बित हैं; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार में पेट्रोल/डीजल/रसोई गैस एजेंसियां

3721. **श्री अर्जुन सिंह यादव** :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों ने राज्यों के सभी जिला मुख्यालयों में पेट्रोल/डीजल की खुदरा डिपो और रसोई गैस की एजेंसियां खोलने संबंधी प्रस्ताव भेजें हैं,

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बेतार टेलीफोन तथा कलेक्ट काल प्रणाली

3722. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के दूर-दराज के क्षेत्रों की संचार आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वायरलेस टेलीफोन लगाने की वाणिज्यिक और प्रौद्योगिकीय सम्भावनाओं की जांच करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार का विचार देश में "कलेक्ट काल प्रणाली" शुरू करने का है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) :— बेतार टेलीफोन, की सुविधा स्थानीय रेडियो (एम० ए० आर० आर०) और उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से देश के दूरस्थ क्षेत्रों में पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में एल० पी० जी० की आपूर्ति

3723. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी) : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार के पास पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में एल० पी० जी० जारी करने के लिए **"एक्सटेंशन प्वाइंट"** खोलने संबंधी कोई नीति हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या विद्यमान "एक्सटेंशन प्वाइंटों" के अंतर्गत प्वाइंट के 15 से 20 किलोमीटर के परिधि के भीतर आने वाले सभी गांव शामिल हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या "एक्सटेंशन प्वाइंट" खोलने हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा सिफारिश किए गए बड़ी संख्या में स्थानों का मामला सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है,

(च) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं, और

(घ) इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) पहाड़ी क्षेत्रों में एक्सटेंशन प्वाइंटों के लिए स्वीकृति दी जाती है। पिछड़े क्षेत्रों में एक्सटेंशन प्वाइंट देने की कोई नीति नहीं है।

(ग) और (घ) जबकि उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के स्थान से 50 कि० मी० के घेरों वाले गांवों और स्थानों को कवर करने के लिए एक्सटेंशन प्वाइंटों की स्वीकृति दी जाती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि के पहाड़ी क्षेत्र के बाजारों के मामले में मुख्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप के स्थान से 15 कि० मी० के समीपवर्ती स्थानों में एक्सटेंशनों की स्वीकृति दी जाती है।

(ड़) से (छ) गढ़वाल मंडल विकास निगम ने कुछ एक्सटेंशन प्वाइंटों की स्थापना के लिए अनुरोध किया है। यह विचाराधीन है।

कुद्रेमुख से निर्यात

3724. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान, देश-वार कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया,

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई,

(घ) क्या सरकार का कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित तैयार माल के निर्यात का विचार है, और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (कि० आई० ओ० सी० एल०) विभिन्न देशों को लौह अयस्क सांद्रण और लौह अयस्क पैलेटों का निर्यात करता है।

(ख) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड द्वारा 1993-94 के दौरान निर्यात किए गए लौह अयस्क सांद्रण और लौह अयस्क पैलेटों की देश-वार मात्रा नीचे सारणी में दी गई है :—

(लाख टन)

देश	सांद्रण	पैलेट
जापान	24.20	—
बहरीन	3.20	—

चीन	3.00	9.40
इरान	11.60	—
आस्ट्रेलिया	—	2.60
टर्की	—	3.00
ताइवान	—	3.50
इण्डोनेशिया	—	2.70
कुल	42.00	21.20

(ग) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड ने उपरोक्त निर्यात से 390.93 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

(घ) और (ड़) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड इस समय केवल लौह् अयस्क सान्द्रण और लौह् अयस्क पैलेटों का उत्पादन करती है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने

3725. **श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात और स्वदेशी मांग की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र में नए तेल शोधक कारखानों की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की है,

(ख) यदि हां, तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत अब तक कितने तेल शोधक कारखानों की स्थापना की गई है अथवा स्थापना करने का प्रस्ताव है, और

(ग) ये तेल शोधन कारखाने कब तक कार्य करना आरंभ कर देंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) निम्नलिखित विवरण के अनुसार तेल रिफाइनरियों को स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सात पार्टियों को आशय पत्र जारी किए गए हैं :—

पार्टी का नाम	रिफाइनरी के लिए प्रस्तावित स्थल	क्षमता
1. मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लि०	सलाया, जामनगर, गुजरात	9 एम एम टी पी ए
2. मैसर्स अशोक लेलैंड लि०	दायतारी, पारादीप, उड़ीसा	6 एम एम टी पी ए
3. मैसर्स एस्सार इन्वेस्टमेंट्स लि०	वाडीनार, गुजरात	9 एम एम टी पी ए

4. मैसर्स इंटरनेशनल पेट्रोलियम एस ए (बी वी आई) स्वीटजरलैंड) (ईओयू)	गुजरात का पश्चिमी तट	5 एम एम टी पी ए (10 मि० मि० द० पू०वर्ष तक बढ़ाए जाने योग्य)
5. मैसर्स ब्लैक गोल्ड रिफाइनरीज लि० (ई ओ यू)	विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	2.5 एम एम टी पी ए
6. मैसर्स मेपलेक उद्योग	जिला पंचमहल, गुजरात	0.5 एम एम टी पी ए
7. मैसर्स पेट्रो एनर्जी प्रोडक्टस कं० इंडिया लि० (ई ओ यू)	कराईकल, पांडिचेरी	1.45 एम एम टी पी ए

उपर्युक्त रिफाइनरियों में से कोई भी अभी स्थापित नहीं हुई है।

(क) यद्यपि इन रिफाइनरियों के प्रचालन को शुरू करने के लिए कोई विशिष्ट तिथि लक्ष्यांकित नहीं की गई है तथापि पार्टियां संबंधित आशय पत्रों में दी गई शर्तों द्वारा शासित होंगी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में उपग्रह केन्द्र

3726. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में, जिलेवार, कितने उपग्रह केन्द्र स्थापित किए जाने का विचार है,

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) उत्तर प्रदेश में जिला-वार स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उपग्रह-केन्द्र निम्नलिखित हैं :—

जिला	उपग्रह केन्द्रो की संख्या
उत्तरकाशी	6
चमोली	4
देहरादून	1

(ख) जी हां।

(ग) उपग्रह-केन्द्रों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

3727. **श्री विजय एन० पाटील** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान और जून, 1994 तक दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई,

(ख) क्या सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रभावी रणनीति बनायी है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1993-94 के दौरान 1745 व्यक्ति और इस वर्ष जून,, 94 तक 525 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए।

(ख) और (ग) दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए दिल्ली के भूतपूर्व पुलिस आयुक्त श्री वेद मारवाह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। दिल्ली सरकार इस समिति की रिपोर्ट की जांच कर रही है। तथापि, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

दिल्ली में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए/किए जा रहे उपाय :

1. दिल्ली के परिवहन विभाग ने वैज्ञानिक विधि से चालक प्रशिक्षण देने के लिए एक मोटर चालन (ड्राइविंग) प्रशिक्षण स्कूल खोला है।

2. चालन- लाइसेंस तथा वाहनों की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गये हैं।

3. चालकों के लिए नवम्बर, 1992 में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे जो अभी भी जारी हैं। चालकों की प्रवीणता की परीक्षा ली जाती है। इसके अतिरिक्त, लॉसप्रिवेंशन एसोसिएशन आफ इंडिया भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन (इंडिया) नई दिल्ली ने भी चालकों के लिए इंस्पेक्शन पिट, बुराड़ी, नई दिल्ली में 60 एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें लगभग 6500 चालकों ने भाग लिया।

4. दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

i) यातायात संबंधी नियमों और विनियमों को सख्ती से लागू करना

ii) खतरनाक तरीके से तथा लापरवाही से वाहन चलाने, लाइसेंस बगैर वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने और लालबत्ती पार करने के खिलाफ विशेष अभियान।

iii) उल्लंघन कर्त्ताओं को नोटिस जारी करके उनका नियमित रूप से अभियोजन।

iv) दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में यातायात संकेत/बिलंकर लगाना।

v) दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में और अधिक यातायात पुलिस कर्मी तैनात करना।

vi) राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष गश्ती जांच।

vii) अल्कोमीटर और रडार गन जैसे अति आधुनिक उपस्करों के माध्यम से अभियोजन।

viii) पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए चलती-फिरती प्रदर्शनी वैन को विभिन्न क्षेत्रों में ले जाना।

ix) सड़क सुरक्षा संबंधी साहित्य का वितरण।

कलकत्ता टेलीफोन डायरेक्टरी

3728. **श्री अमल दत्त : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन डायरेक्टरी के प्रकाशन हेतु निविदाएं तैयार कर ली गई हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) डायरेक्टरी कब तक प्रकाशित की जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) एक निविदा आमंत्रित की गई थी और इसे 10 जून, 1994 को खोला गया। पश्चिम बंगाल सरकार के एक उद्यम मैसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कलकत्ता को ठेकेदार चुना गया था। जिसकी निवादा सब से कम थी। कलकत्ता टेलीफोन डायरेक्ट्री के मुद्रण का कार्य सौंपने के लिए मैसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड कलकत्ता को आशय पत्र जारी किया गया है।

(ग) जनवरी, 1995 तक डायरेक्टरी प्रकाशित हो जाने की संभावना है।

नया पासपोर्ट कार्यालय

3729. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केरल के पशचमथिट्टा जिले में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों जिनमें केरल भी शामिल है मैं और अधिक पासपोर्ट कार्यालय खोलने से सम्बद्ध अनुरोध प्राप्त हुए हैं। नये पासपोर्ट कार्यालय खोलना विभिन्न मानदण्डों पर आधारित होता है जिनमें कार्यभार तथा उपलब्ध संसोधन भी शामिल हैं। नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने-मात्र से तब तक सेवा में सुधार नहीं होता जब तक आवश्यक आधारभूत संरचना और कार्मिक

उपलब्ध न हो। इसलिए सरकार बकाया पड़े आवेदनों को निपटाने, पासपोर्ट जारी करने में होने वाले विलम्ब को कम करने तथा क्रियाविधियों को सुव्यवस्थित और सरल बनाने पर ध्यान दे रही है।

आन्ध्र प्रदेश में रसोई गैस के कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

3730. **श्री दत्तात्रेय बंडारु :**
श्री धर्मभिक्षम :
श्री येल्लैया नंदी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस समय रसोई गैस के कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या कितनी है,

(ख) पिछले दो वर्षों में जारी किए गए कनेक्शनों का वर्षवार ब्यौरा क्या है,

(ग) चालू वर्ष के दौरान नये गैस कनेक्शन देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है,

(घ) इस समय राज्य में कार्यरत गैस एजेंसियों की संख्या कितनी है,

(ङ) क्या सरकार को राज्य में अन्य स्थानों में रसोई गैस एजेंसियां खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(च) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 01.01.1994 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में एल० पी० जी० कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में 7.55 लाख आवेदक थे।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान जारी किए गए एल० पी० जी० कनेक्शनों की संख्या निम्नवत् है:—

1992-93	56,505
1993-94	1,00,836

(ग) 1994-95 के दौरान पूरे देश में 20 लाख नए ग्राहकों का नामांकन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

(घ) 1.4.94 तक आन्ध्र प्रदेश में 375 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें थीं। आन्ध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों के समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं।

(ङ) और (च) आर्थिक व्यवहार्यता और उत्पाद उपलब्धता के अंतर्गत जिला मुख्यालयों और 20,000 व इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थानों में एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चरणबद्ध रूप में खोली जाती हैं। तदनुसार आंध्र प्रदेश की वर्तमान विपणन योजना 1992-94 में 40 स्थानों को शामिल कर लिया गया है।

केरल में इस्पात संयंत्र की स्थापना

3731. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र लगाने हेतु आशयपत्र जारी करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निजी कम्पनियों का नाम क्या हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के लिए निजी क्षेत्र को आशयपत्र जारी करने हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। औद्योगिक लाइसेंस के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी तभी अपेक्षित होती है यदि परियोजना 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आवादी वाले शहरों के मानक शहरी क्षेत्र के 25 कि० मी० के भीतर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हो।

आन्ध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण

3732. **श्री जी० गंगा रेड्डी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिये 1993-94 में स्वीकृत की गयी खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को ब्यौरा क्या है;

(ख) श्रम दिवसों के हिसाव से इन परियोजनाओं की रोजगार-सृजन क्षमता कितनी है; और

(ग) खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की निर्यात-क्षमता क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) 1993-94 में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए उन्नीस प्रस्तावों (।। फल और सब्जी उत्पादों के विनिर्माण के लिए, 5 बीयर विनिर्माण के लिए, 2 उपभोक्ता उद्योगो के लिए और एक मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए) को मंजूरी दे दी गई है।

(ख) फल और सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र के मामले में उन यूनिटों में अनुमानित प्रत्यक्ष रोजगार 1767 व्यक्तियों के लिए होगा। अन्य यूनिटों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार करीब 650 व्यक्तियों को मिलने की आशा है।

(ग) आशा है कि फल और सब्जी उत्पादों के मामले में 5 वर्षों की अवधि में करीब 136.5 करोड़ रुपये का निर्यात होने की संभावना है। अन्य यूनिटों के मामले में 5 वर्षों में करीब 300 करोड़ रुपये का निर्यात होने की आशा है।

आन्ध्र प्रदेश में पेट्रोल और डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र

3733. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में 1993-94 के दौरान पेट्रोल एवं डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्वीकृति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई और कितने खुदरा बिक्री केन्द्रों को स्वीकृति दी गई, और

(ख) निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना कितने खुदरा बिक्री केन्द्रों को स्वीकृति दी गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान तेल विपणन कंपनियों ने आन्ध्र प्रदेश में पेट्रोल/डीजल के 42 खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए आशय पत्र जारी किए हैं। इनमें से 36 तेल चयन बोर्ड के माध्यम से दी गई हैं तथा छः खुदरा बिक्री केन्द्र सरकार की स्वविवेक शक्तियों के अधीन अनुकंपा आधार पर आबंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में नए शाखा डाकघर

3734. **श्री महेश कनोडिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1993-94 के दौरान गुजरात में कितने नये शाखा डाकघरों को मंजूरी दी गई और वास्तव में कितने शाखा डाकघर खोले गये ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान गुजरात में 15 शाखा डाकघर मंजूर किये गये और खोले गये।

[अनुवाद]

अरुणाचल प्रदेश और असम के तेल क्षेत्रों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

3735. **श्री द्वारका नाथ दास** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयल इंडिया लि० (ओ० आई० एल०) द्वारा अरुणाचल प्रदेश और असम में अपने तेल क्षेत्रों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं,

(ख) इन क्षेत्रों में रुग्ण अथवा प्रयोग में नहीं लाए जा रहे तेलकूप कितने हैं,

(ग) इन क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए ओ० आई० एल० ने कितनी धनराशि निर्धारित की है,

(घ) क्या आयल इंडिया लि० ने इस प्रकार के कार्यों हेतु अपने प्रयासों के अतिरिक्त निजी कम्पनियों को शामिल करने का निर्णय लिया है, और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) और अधिक उत्पादन क्षेत्रों में वेधन को प्राथमिकता देना।

(2) वेधन के चक्र-समय में कमी करना।

(3) गैस उठान के कार्यनिष्पादन को सतत अनुकूलतम करना।

(4) दाब अनुरक्षण योजना को तेज करना आदि।

(ख) 30.6.94 तक ओ० आई० एल० के रुग्ण तथा परित्यक्त कूपों की संख्या क्रमशः 55 और 62 थी।

(ग) 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए ओ० आई० एल० द्वारा अन्वेषण के लिए विनिर्दिष्ट राशि/लगभग 297 करोड़ रुपए है।

(घ) और (ड़) असम और अरुणाचल प्रदेश के ओ० आई० एल० के कंसेशन क्षेत्रों में तथा इसके इर्द-गिर्द कुछ अन्वेषण ब्लाकों को बोली के 5वें, छठे और सातवें दौर में प्रस्ताव किया गया है।

प्राईवेट-कूरियर्स

3736. **श्री राम नाईक : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पत्रों को प्राप्त करने और डिलीवर करने के लिए प्राईवेट कूरियर्स को अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डाक सेवा की किन्हीं कमियों का पता लगा लिया गया है; और

(घ) यदि हां,, तो पत्रों को प्राप्त करने और डिलीवर करने के लिए प्राईवेट कूरियर्स को अनुमति देने से पूर्व डाक सेवा की कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय डाक सेवाओं की कुछ मुख्य कमियां इस प्रकार हैं:

i) तकनीकी निवेश का अभाव,

ii) तकनीक के अभाव के कारण अपेक्षाकृत कम उत्पादकता, और

iii) ग्राहकोन्मुखता का अभाव।

(घ) डाक सेवाओं की जन-सेवा का एक सफल साधन बनाने के उद्देश्य से इन कमियों को दूर करने के लिए यथासंभव कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पेट्रोल/डीजल विक्री केन्द्र

3737. **श्री खेलन राम जांगड़े : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में पेट्रोल तथा डीजल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है,

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में और अधिक रसोई गैस एजेंसियां तथा पेट्रोल तथा डीजल के खुदरा विक्री केन्द्र खोलने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के लिए चालू विपणन योजनाओं में 54 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटर शिपों तथा 102 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों को शामिल किया गया है। डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन कार्य तेल चयन बोर्ड (म० प्र०) के माध्यम से चल रहा है। विज्ञापन देने के उपरांत डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को आरंभ करने में करीब 1 से 2 वर्ष का समय लगता है। 1988-93 से आगे खुदरा बिक्री केन्द्र की विपणन योजना तथा 1992-94 से आगे एल० पी० जी० की विपणन योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

मध्य प्रदेश में चूना-पत्थर

3738. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में चूना-पत्थर के अनुमानित संसाधन कितने है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, राज्य में कितनी मात्रा में चूना-पत्थर का दोहन हुआ है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) मध्य प्रदेश में 1.4.1990 को चूनापत्थर के 9,449,985 हजार टन के कुल अनुमानित भंडार थे।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में विदोहन किए गए चूना-पत्थर की कुल मात्रा इस प्रकार है:—

(आंकड़े हजार टन में)

1991-92	1992-93	1993-94
20674	20535	23883

हरियाणा में पेट्रोल पम्पों पर छापे

3739. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हरियाणा में कुछ पेट्रोल पम्पों पर छापे डाले गए थे.,

(ख) यदि हां, तो इन छापों के क्या परिणाम निकले, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने पेट्रोल पम्पों पर छापे डाले गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की पाइपलाइन की लंबाई

3740. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने गुजरात में पाइपलाइन विछाने का कार्य पूरा कर लिया है, और

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कितना पूरा कर लिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने डबका में कांच उद्योगों के लिए, गुजरात टॉरेन्ट इंजीनियरिंग कारपोरेशन के लिए पाइपलाइनें बिछाने तथा एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ गंधार के लिए 18" व्यास की पाइपलाइन बिछाने संबंधी कार्य को ले लिया है। डबका को बिछाई जाने वाली पाइपलाइन के लिए सामग्री की प्राप्ति, जी॰ टी॰ ई॰ सी॰ को बिछाई जाने वाली पाइपलाइन के लिए अभियंत्रण कार्य तथा एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ गंधार को पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

भारतीय जल-क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय उपक्रम

3741. **श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जुलाई, 1994 के "इकॉनामिक टाइम्स" में "जापान बैस्ड एन॰ आर॰ आई॰ प्लान्स टूना फिशिंग वेंचर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है:

(ख) क्या सरकार को जापान में रहने वाले अनिवासी भारतीयों से संयुक्त उपक्रम संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारतीय जल-क्षेत्र में इस प्रकार के भारी समुद्री बेड़े को अनुमति देने से क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) क्या सरकार का विचार "अनन्य निर्यात क्षेत्रों" को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अनिवासी भारतीयों को लीज पर देने का है;

(च) क्या सरकार का विचार "अनन्य निर्यात क्षेत्रों" में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पोतों के आवागमन के प्रभावों का अध्ययन करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) मून मैरीन इंडिया प्रा॰ लि॰, कलकत्ता ने ताइवान/इंडोनेशिया से कुल 30 मीटर लम्बाई वाले 60 टूना लांग लाइनर पट्टे पर लेने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।

(घ) से (छ) इस समय भारतीय जल में बड़े बेड़े चलाने के प्रभाव के अध्ययन का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस समय भारत में समुद्री मात्स्यिकी साधनों का दोहन स्तर अनुमानित 3.9 मिलियन टन संभावित संसाधनों की तुलना में लगभग 2.6 मिलियन टन है। किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को भारतीय समुद्र

में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं दी गयी है परन्तु बहुत सी भारतीय कम्पनियों को विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग से गहन समुद्री मत्स्यन परियोजनाएं लगाने की अनुमति दी गयी है।

तमिलनाडु में डाकघर

3742. **श्री पी० कुमारासामी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में जिलावार, श्रेणीवार कितने डाकघर कार्यरत हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) तमिलनाडु में 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे डाकघरों की श्रेणीवार संख्या का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

तमिलनाडु में, 30.6.94 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे डाकघरों की श्रेणीवार और जिलेवार संख्या।

क्रम संख्या	जिले का नाम	प्रधान डाकघर	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	चेंगलपट्टूर एम० जी० आर०	7	246	14	601	868
2.	कोयम्बतूर	6	94	4	425	529
3.	धामापुरी	2	70	3	560	635
4.	डिंडीगुल अन्ना	3	83	14	349	449
5.	कन्याकुमारी	2	73	30	264	369
6.	कामराज	4	106	9	243	362
7.	मद्रास	4	90	3	—	97
8.	मदुरै	6	197	8	372	583
9.	नगई क्वाई मिलर्र	6	198	19	506	729
10.	नीलगिरि	2	57	66	116	181
11.	नार्थ आर्कट अम्बेडकर	5	93	2	426	526
12.	पघनपोन मुथूरामा उंगा देवरी	4	77	11	221	313

1	2	3	4	5	6	7
13.	पेरियार	4	87	6	403	500
14.	पुदुकोट्टाई	1	54	5	276	336
15.	रामनाथपुरम	2	161	11	202	376
16.	सलेम	5	219	1	686	911
17.	साउथ आर्कट अम्वेडकर	3	112	5	379	499
18.	तंजावुर	5	117	10	414	546
19.	तिरुचिरापल्ली	6	201	16	830	1053
20.	तिरुनालवेल्ली कोट्टा बोर्मन	5	159	27	407	598
21.	तिरुवनमलाई संबूरमरि	2	169	–	406	477
22.	विल्लुपुरम रागा स्वामी पदयचार	4	102	3	622	731
23.	वोच्चीदम्वरम	4	92	17	310	423
	योग	92	2757	224	9018	12091

कच्चे तेल का उत्पादन

3743. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत 2-3 वर्षों के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या तेल के उत्पादन से संबंधित कुछ बड़ी परियोजनाएं शीघ्र ही पूरा होने वाली हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के पूरा होने पर कितना उत्पादन होने का अनुमान है, और

(ङ) उन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों-1991-92, 1992-93 और 1993-94 में कच्चे तेल का स्वदेशी उत्पादन क्रमशः 30.35 मिलियन टन, 26.95 मिलियन टन और 27.02 मिलियन टन था।

(ग) और (घ) : बम्बई हाई क्षेत्र में एल-2 और एल-3 के अतिरिक्त विकास और दक्षिण हीरा

चरण-1 और चरण-2 के लिए ओ० एन० जी० सी० की परियोजनाओं के अप्रैल, 1995 तक पूरा होने की संभावना है।

1994-95 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य लगभग 32.30 मिलियन टन नियत किया गया है। कच्चे तेल का उत्पादन 1995-96 में 38.37 मिलियन टन और 1996-97 में 44.45 मिलियन टन तक बढ़ने की संभावना है।

(ङ) परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति की ओ० एन० जी० सी० और सरकार दोनों द्वारा सूक्ष्म निगरानी की जाती है।

राज्य विद्युत बोर्डों के सम्बन्ध में विश्व बैंक की रिपोर्ट

3744. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व बैंक ने राज्य विद्युत बोर्डों को दिए जाने वाले ऋण व्यवस्था का पुनरीक्षण किया है,

(ख) विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों के पास विश्व बैंक से लिए गए ऋण का वर्तमान लघु विवरण क्या है और क्या ऋण की अदायगी नियमित रूप से होती रही है,

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन राज्य विद्युत बोर्डों ने ऋण की अदायगी नहीं की है, और

(घ) विभिन्न राज्य वियुत बोर्डों द्वारा नये ऋण के लिए विश्व बैंक को सौंपे गए प्रस्तावों का लघु ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा लिए गए ऋण की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) विश्व बैंक आवधिक रूप से ऐसी परियोजनाओं के कार्य की प्रगति की समीक्षा करता है, जिनके लिए वह सहायता प्रदान कर रहा है। राज्य क्षेत्र की ऐसी परियोजनाएं जिनके लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ऋण भारत सरकार के माध्यम से स्वीकृत किए गए हैं और ऋणों का भुगतान करने में कोई कोताही नहीं बरती गई है।

(घ) राज्य विजली बोर्डों से संबंधित कोई नई परियोजनाएं वित्तीय सहायता हेतु औपचारिक रूप से विश्व बैंक को प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों के बारे में विश्व बैंक के वर्तमान ऋण/कर्ज का ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजना/राज्य का नाम	ऋण/कर्ज की राशि (मिलियन अमरीकी डालरों मे	अभ्युक्ति
1	2	3	4
ऋण			
1.	अपर इन्दिरावती एच० ई० पी० उड़ीसा	170.000	

1	2	3	4
2.	इन्दिरा सरोवर एच० ई० पी० मध्य प्रदेश	9.078	
ऋण			
1.	चन्द्रपुर टी० पी० पी० महाराष्ट्र	280.000	29.7.1994 की स्थिति के अनुसार वितरित न की गई राशि को बैंक ने रद्द कर दिया है।
2.	केरल विद्युत परियोजना केरल	156.000	15.4.1994 की स्थिति के अनुसार 30 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि को बैंक ने रद्द कर दिया है।
3.	कर्नाटक विद्युत परियोजना-I कर्नाटक	69.637	रद्द
4.	कर्नाटक विद्युत परियोजना-II कर्नाटक	220.000	रद्द
5.	महाराष्ट्र विद्युत परियोजना-I महाराष्ट्र	354.000	
6.	महाराष्ट्र विद्युत परियोजना-II महाराष्ट्र	350.000	

बंगला देश के साथ विदेशी अंतःक्षेत्र की अदला-बदली

3745. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बंगलादेशी अंतःक्षेत्र और बंगलादेश में भारतीय अंतःक्षेत्र की अदला-बदली के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों देशों के बीच विदेशी अंतःक्षेत्र की अदला-बदली में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में पूरा कार्यक्रम स्पष्ट करने का विचार है और विदेशी अंतःक्षेत्र की अदला-बदली का कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) बंगलादेश और भारत के बीच बस्तियों का आदान-प्रदान करने से पूर्व निर्धारित क्रिया-विधियों के अनुसार भारत/बंगलादेश भू-सीमा करार 1974 का अनुसमर्थन आवश्यक है। इस करार के अनुसमर्थन से पूर्व यह आवश्यक है कि भू-सीमा के सीमांकन का कार्य पूरा हो जाए। अब तक कुल 4080 किलोमीटर लम्बी सीमा में से व्यावहारिक कठिनाइयों की वजह से 40.60 किलोमीटर सीमा का सीमांकन नहीं हुआ है।

(ग) 1974 के करार के पूर्ण क्रियान्वयन के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराते हुए सरकार इस मसले में शीघ्र प्रगति करने के कार्य में लगी हुई है। तथापि, इस स्तर पर कोई समय सीमा बता पाना मुमकिन नहीं है।

[हिन्दी]

सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश में तारघर

3746. **श्री रामपाल सिंह : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कुल कितने तारघर कार्यरत हैं, और

(ख) सिद्धार्थ नगर जिले में तारघर कहां-कहां है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत तारघरों की कुल संख्या 6175 है ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सिद्धार्थ नगर जिले में तारघरों की अवस्थिति ।

1. सिद्धार्थ नगर
2. तेट्रीबाजार
3. बन्सी
4. उस्काबाजार
5. इटवा
6. डोमरियागंज
7. शोहरतगढ़
8. आछनेहरा
9. पौर प्यास
10. डालदाला
11. बंगौरा
12. बयारा
13. बिरदपुर नं0 12
14. विरदपुर नं0 7
15. बिरदपुर नं0 1
16. बिरदपुर नं0 11
17. बिरदपुर नं0 13
21. छिटनी
22. ढोगना
23. घेबरूआ
24. हालौर
25. जोगिया
26. खुनियागांव
27. कक्रहवा
28. खाण्डसारी
29. कोडरा ग्रांट
30. कथेला
31. मिथंवल बाजार
32. महदलपुर
33. मलिमहला मुस्तखान
34. पाथरा
35. पोहाली
36. सोन[illegible]
37. सोनखर

18. बिसकोहर

19. चिलिहा

20. चेत्रा

38. सेरहरी बुजुर्ग

39. तूलगुनिया

महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन

3747. **डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में इस समय, जिलेवार, कितने ग्राम-पंचायतों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है तथा कितने ग्राम-पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है और

(ख) शेष ग्राम-पंचायतों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31 जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा युक्त और बिना टेलीफोन सुविधा वाले ग्राम पंचायतों की संख्या क्रमशः 14,516 और 10,236 है। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सभी ग्रामों में जिनमें पंचायत ग्राम भी शामिल हैं, मार्च, 1997 तक उपर्युक्त सुविधा उत्तरोत्तर रूप से प्रदान कर दी जाएगी, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण

महाराष्ट्र में 31 जुलाई, 1994 की स्थित के अनुसार टेलीफोन सुविधा युक्त तथा बिना टेलीफोन सुविधा वाले ग्राम पंचायतों के ब्यौरे

क्र० सं०	जिले का नाम	पंचायत ग्रामों की कुल संख्या	टेलीफोन सुविधा युक्त ग्राम पंचायतों की सं०	बिना टेलीफोन सुविधा वाली ग्राम पंचायतें
1	2	3	4	5
1.	अहमद नगर	1160	887	273
2.	अकोला	936	475	461
3.	अमरावती	804	538	266
4.	औरांगाबाद	693	394	299
5.	बीड	924	206	713
6.	भंडारा	1046	541	505
7.	बुल्डाना	828	444	384
8.	चंद्रपुर	804	337	467

1	2	3	4	5
9.	धुले	962	620	342
10.	गढ़चिरौली	458	137	321
11.	जलगांव	1062	800	262
12.	जलना	557	332	225
13.	कोल्हापुर	913	701	212
14.	लादूर	637	281	356
15.	नागपुर	710	705	5
16.	नानदेढ़	1163	457	706
17.	नासिक	1224	997	227
18.	उस्मानावाद	1544	247	297
19.	परभानी	1073	418	655
20.	पुणे	1177	580	597
21.	रायगढ़	660	552	108
22.	रतनगिरि	768	305	463
23.	संगली	631	535	96
24.	सतारा	1213	643	570
25.	सिंधदुर्ग	388	207	181
26.	सोलापुर	931	666	265
27.	थाणे	882	692	190
28.	वर्धा	481	378	103
29.	यवतमाल	1123	441	682
	जोड़	24762	14516	10236

[अनुवाद]

असम में संचार नेटवर्क

3748. **श्री प्रवीन डेका** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में गत कुछ वर्षों से संचार नेटवर्क संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) असम में संचार नेटवर्क के संचालन, कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं,

(घ) क्या राज्य में आधुनिक इलेक्ट्रानिक संचार प्रणाली स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं, यह संतोषजनक रुप से काम कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संचार संबंधी प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए विभाग द्वारा नियमित आधार पर निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

1. जीर्ण इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना।

(i) एक एक्सचेंज को छोड़ कर सभी पुराने, मियाद समाप्त और मरम्मत के अयोग्य स्ट्रोजर (इलेक्ट्रोमैकेनिकल) एक्सचेंजों को बदल दिया गया है और शेष बचे एक एक्सचेंजे को चालू वर्ष के दौरान बदल दिया जाएगा।

(ii) टेलेक्स नेटवर्क को पुर्णतः इलेक्ट्रोनिक बना दिया गया है।

(iii) जिन मार्गों पर ओपन वायर लाइनों से एस टी डी सुविधा प्रदान की गई है उन्हें चरणबद्ध रूप से विश्वसनीय माध्यम से बदलने का प्रस्ताव है।

2. निम्नलिखित द्वारा वाह्य संयंत्र का उन्नयन किया जा रहा है :-

(i) जीर्ण टेलीफोन उपकरणों को बदलकर नये उपकरण लगाना।

(ii) सिरोपरि संरेखण (ओवर हेड एलाइनमेंट) को भूमिगत केबल से बदलना।

(iii) बड़े शहरों में केबल डक्टों की व्यवस्था करना।

3. डायरेक्ट्री पूछताछ और दोष शिकायत सेवाओं का चरणबद्ध रूप से कंप्यूटरीकरण।

4. और अधिक सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करना।

(घ) और (ङ) जी हां, सर्किल में कुल स्विचिन क्षमता का 92.6% पहले से ही इलेक्ट्रानिक है। और अधिक आधुनिकीकरण के लिए निम्नांकित कदम उठाने का प्रस्ताव है।

1. शेष पांच गौण स्विचन क्षेत्र मुख्यालयों के लिए मार्च, 1997 तक डिजिटल ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों की योजना बनाई गई है।

2. और अधिक विश्वसनीय पारेषण माध्यम के लिए आप्टीकल फाइबर केबल/डिजिटल माइक्रोवेव, डिजिटल परा उच्च आवृत्ति (यू० ए० एफ०) का प्रस्ताव किया गया है।

3. मौजूदा मैनुअल ट्रंक एक्सचेंजों को कंप्यूटरीकृत ट्रंक मैनुअल एक्सचेंजों से बदलने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

4. लम्बी दूरी के टेलीफोन/सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए सिंगल चैनल वी० एच० एफ०/मल्टी एक्सेस रेडियो रिले उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है।

पेट्रोल और डीजल खुदरा विक्री केन्द्रों/रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन

3749. **श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में रसोई गैस/पेट्रोल/डीजल एजेंसियां/खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन का कितना कोटा निर्धारित किया गया है, और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान को ऐसे कितने खुदरा विक्री केन्द्र और एजेंसियां दिए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) : देश और राजस्थान के लिए वर्तमान विपणन योजना में शामिल डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या निम्नवत् है:—

योजना	**कुल**	**राजस्थान**
खुदरा बिक्री केन्द्र (1988—93)	1519	115
एल० पी० जी० (1992-94)	623	25

बाद के वर्षों की योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पम्प

3750. **श्री तारा सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पम्पों की स्थापना करने हेतु भारतीय सड़क कांग्रेस की सिफारिशों/दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है,

(ख) इन सिफारिशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, नई दिल्ली पर कितने पेट्रोल पम्प स्थापित किये गये हैं,

(ग) उक्त पेट्रोल पम्पों में से कितने पेट्रोल पम्प भारतीय सड़क कांग्रेस के नियमों का उल्लंघन करते है, और

(घ) इन पेट्रोल पम्पों द्वारा किये गये उल्लंघन का ब्यौरा क्या है और इन पेट्रोल पम्पों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है /करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां

3751. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जून, 1994 तक मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों पर रसोई गैस एजैंसियों के आबंटन हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किए गए, और

(ख) राज्य में इन गैस एजैंसियों के खोले जाने के संबंध में प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही और उनकी वर्तमान स्थिति संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) 01.01.1993 से तेल चयन बोर्ड के गठन के बाद ही तेल कम्पनियों ने डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करना आरम्भ किया।

पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की 1992-94 की वर्तमान एल० पी० जी० विपणन योजना में 54 एल० पी० जी० डिस्ट्रीव्यूटरशिप स्थानों को शामिल किया गया है जिनके लिए तेल कम्पनियां चरणबद्ध रूप में आवेदन पत्र आमंत्रित कर रही हैं। तेल चयन बोर्ड (मध्य प्रदेश) के माध्यम से एल० पी० जी० डिस्ट्रीव्यूटरों का चयन जारी है। डिस्ट्रीव्यूटरशिपों को आरम्भ करने में विज्ञापन की तिथि से 1-2 वर्ष लगते हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्कूली बच्चों को पुस्तकें देना

3752. **श्री आनंद रत्न मौर्य :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार, कल्याण बोर्ड द्वारा प्रतिभावान स्कूली बच्चों को पुस्तकें दी जाती हैं,

(ख) यदि हां, तो 1993 के दौरान इस योजना से कितने बच्चे लाभान्वित हुए और मंडलवार इस पर कितना धन व्यय हुआ,

(ग) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए और इनका प्रतिशत कितना है, और

(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को कितनी सहायता प्रदान की गई ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। दूरसंचार कर्मचारी कल्याण बोर्ड से उत्कृष्ट स्कूली बच्चों को पुस्तक पुरस्कार मंजूर किए जाते हैं।

(ख) से (घ) सर्किलों से सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

उड़ीसा में भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्थान द्वारा सर्वेक्षण

3753. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्थान ने उड़ीसा में भू-सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में पाई गई नई खनिज संपदा का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां, पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) ने स्वर्ण के लिए मयूरभंज और क्योंझर जनपदों, प्लेटिनम समूह के तत्वों के लिए, मयूरभंज, कटक और बालासोर जनपदों, क्रोमाइट के लिए कटक, बालासोर और धेनकनाल जनपदों में सर्वेक्षण किया है। हीरे के लिए कालाहांडी, बोलानगिर, सम्बलपुर और सुनधरगढ़ जनपदों के कुछ भागों में और आधार धातु (अपधातुओं) के लिए सम्बलपुर जिले में प्रारंभिक सर्वेक्षण किए हैं। मैंगनीज के लिए सुन्दरगढ़ रायगाडा और क्योंझर जनपदों में किए गए सर्वेक्षण के दौरान रायगाड़ा जनपद में इसके प्राप्त होने की अच्छी संभावनाओं का पता चला है। तालचर और आई० बी० रिवर कोयला क्षेत्र में कुल 1935 मिलियन टन कोयले के भंडारों का अनुमान लगाया गया है।

डीलरों का चयन/नियुक्ति

3754. **श्री कालका दास** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल निगम डीलरों के चयन/नियुक्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं और तत्पश्चात् डीलरशिप अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं,

(ख) क्या तेल निगमों को एस० के० ओ०/एल० डी० ओ० और रसोई गैस की डिस्ट्रीव्यूटरशिप के संदर्भ में ऐसी डीलरशिप शुरु करने के लिए एक बार फिर से मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है,

(ग) क्या समान डीलर चयन नीति और विपणन योजना तैयार करते समय मंत्रालय तेल विपणन निगमों से लंबित पड़े मामलों/वायदों की सूची ले लेता है,

(घ) ऐसी डीलरशिप जिनकी सप्लाई किन्ही कदाचार के आरोपों के कारण रोक दी गई है, फिर से शुरु करने संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के अंदर ऐसी कितनी डीलरशिपों को फिर से चालू किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) समान डीलरशिप चयन नीति के निर्माण के समय डीलरों के पास लंबित मामलों/वचनबद्धताओं की कोई सूची मंत्रालय द्वारा नहीं मंगाई गई थी। पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों सहित संभाव्यता और आर्थिक व्यवहार्यता वाले स्थानों को अगली विपणन योजनाओं में शामिल किया जाता है।

(घ) और (ङ) कदाचार में लिप्त डीलरशिपों को आपूर्तियां रोक दी जाती हैं और विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार उचित दंडात्मक कार्यवाई की जाती है और जिन मामलों में गंभीर अपराध साबित हो जाते हैं, उनमें डीलरशिप समाप्त कर दी जाती है। बाकी के मामलों में आपूर्ति पुनः शुरु कर दी जाती है, बशर्तें कि डीलर कमियों को दूर कर दे।

[हिन्दी]

विहार में डाक-तार तथा टेलीफोन व्यवस्था को प्रशासनिक जिलों से जोड़ना

3755. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विहार के दरभंगा जिले के अंतर्गत जाले प्रखंड को तार आदि के मामलों में प्रशासनिक जिले मधुवनी के साथ जोड़ा गया है,

(ख) क्या प्रशासनिक जिले मधुबनी में विस्फी प्रखंड में विभिन्न शाखा डाक घरों को दरभंगा के साथ जोड़ा गया है, और

(ग) इन सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिये बिस्फी प्रखंड के डाक और टेलीफोन कनेक्शन तथा जाले प्रखंड के तार और टेलीफोन कनेक्शन क्रमशः मधुबनी तथा दरभंगा ज़िले के साथ कब तक जोड़े जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं। जाले ब्लाक दरभंगा जिले के कमतौल ब्लाक के साथ जुड़ा हुआ है।

(ख) जी हां।

(ग) (i) विस्फी ब्लाक में शाखा डाकघरों को मधुवनी जिले के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ii) तारों के लिए जाले को पहले ही कमतौल के साथ जोड़ा जा चुका है।

(iii) इस समय बिस्फी में कोई टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है। तथापि बिस्फी मधुवनी जिले के प्रशानिक नियंत्रण में है बिस्फी में टेलीफोन की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए 1995-96 की अवधि के दौरान टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है। जाले प्रशासनिक दृष्टि से पहले ही दरभंगा के साथ जुड़ा हुआ है और टेलीफोन परियात दरभंगा के रास्ते होता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

3756. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगस्त, 1994 के प्रथम सप्ताह के दौरान रुरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर० ई० सी०) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय और अमरीका की नेशनल रुरल इलेक्ट्रिक कोआपरेटिव एसोसिएशन के बीच किसी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) निर्वाध विकेन्द्रीकृत विद्युत परेषण प्रणालियों को अधिष्ठापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एम० ओ० यू०) में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और नेशनल रुरल इलैक्ट्रिक कापरेटिव सोसायटी ऑफ यू० एस० ए० के बीच सहयोग का प्रावधान है। सहयोग के क्षेत्रों में

ये शामिल हैं, तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण सुविधाओं आदि के विस्तार के लिए घनिष्ठ संबंधों का विकास करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने के लिए नयी प्रौद्योगिकियों एवं प्रबंधन प्रणालियों को आरंभ करना, ऊर्जा का दक्ष समुपयोजन करना, पर्यावरण के निम्नीकरण को कम करना, कम लागत वाले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना और समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कार्यक्रम विकास के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहायता प्राप्त करना।

[हिन्दी]

गुजरात में पाइप लाइन से कच्चे तेल की चोरी

3757. **श्री चन्द्रेश पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सलाया-मथुरा पाइप लाइन से कच्चा तेल के रिसने और इसे चोरी से निकालने के संबंध में जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या सरकार का विचार पाइप लाइन की क्षमता में वृद्धि करने का है, और

(घ) यदि हां, तो पाइप लाइन की मौजूदा क्षमता कितनी है और इसे बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) 1994 के दौरान चोरी के दो प्रयास किए गए थे परन्तु वे असफल रहे। इन घटनाओं की स्थानीय अधिकारियों की जानकारी में लाया गया था तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई हैं।

(ग) और (घ) पाइप लाइन के विभिन्न अनुभागों की विद्यमान तथा प्रस्तावित क्षमता नीचे दी गई है :—

अनुभाग		विद्यमान क्षमता (एम० एम० टी० पी० ए०)	प्रस्तावित क्षमता (एम० एम० टी० पी० ए०)
1.	सलया-वीरमगाम	12.0	20.0
2.	वीरमगाम-मथुरा	7.5	13.5
3.	वीरमगाम-कोयाली	5.0	6.5

वीसा संबंधी समस्याएं

3758. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी निवेश कर्ताओं को वीसा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या विदेशी निवेशकों से सरकार को शिकायतों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास इस संबंध में कार्यप्रणाली के सरलीकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ड़) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जा रहे कदम क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है कि विदेशी पूंजी-निवेश के रास्ते में बीजा संबंधी समस्यायें आड़े आती हैं। सरकार को इस बारे में विदेशी निवेशकों की शिकायतों के संबंध में भी कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ड़) प्रश्न नहीं उठता।

विधिवेत्ताओं का अन्तर्राष्ट्रीय आयोग

3759. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :
श्री चेतन पी० एस० चौहान
डा० रमेश चन्द्र तोमर :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कश्मीर के संबंध में विधिवेत्ताओं के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग के क्या निष्कर्ष रहे और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी हां।

सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग से जम्मू-कश्मीर की उनकी यात्रा के संबंध में एक प्रारूप रिपोर्ट मिली है। सरकार ने इस प्रारूप रिपोर्ट पर अपनी प्राथमिक टिप्पणियां दे दी हैं।

अमरीका में भारत विरोधी लॉबी

3760. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
डा० रमेश चन्द्र तोमर :
श्री अमर पाल सिंह :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जून, 1994 को नवभारत टाइम्स में प्रकाशित अमरीका में भारत-विरोधी लॉबी को पुनः सक्रिय बनाने संबंधी समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पाकिस्तानी लाबीइस्टों द्वारा सिनेट, कांग्रेस के सदस्यों और सरकारी पदों पर आसीन अन्य व्यक्तियों को दी जाने वाली जानकारी और पाकिस्तान द्वारा अमरीका में भारत-विरोधी प्रचार का प्रतिवाद करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) विनियोजन विधेयक में कांग्रेस सदस्य डान बुर्टन के इस संशोधन को 25 मई, 1994 को नियम समिति के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था जिसमें मानवाधिकारों के उल्लंघनों के आधार पर यह मांग की गई थी कि भारत को आई० एम० ई० टी० से मिलने वाली वित्तीय सहायता में कटौती की जाए।

(ग) अमरीका में स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र भारत की हित-चिन्ता से सम्बद्ध मसलों की जानकारी अमरीकी कांग्रेस सदस्यों, नेताओं को तथा जनमत-निर्माताओं को देने का प्रयास करते हैं यह एक सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अमरीका में पाकिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा किए जा रहे भारत विरोधी दुष्प्रेरित कुप्रचार का प्रतिकार करना है। सरकार के इन प्रयासों की सहायता लॉ फर्म मैसर्ज रफीली, स्पीस, स्प्रिंगर एण्ड स्मिथ और डेनीयल जे० एडेलमैन की जन सम्पर्क फर्म द्वारा भी की जाती है।

अमरीकी कैबिनेट सदस्यों की भारत यात्रा

3761. **श्री पी० सी० चाक्को :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994 के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति की कैबिनेट के कुछ सदस्य भारत की यात्रा पर आए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन यात्राओं का उद्देश्य क्या था;

(ग) इन यात्राओं के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या इन यात्राओं के दौरान किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो यात्रा-वार किए गए समझौतों की मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) अमरीका की ऊर्जा मंत्री हज़ेल ओलीरी ने 8 से 15 जुलाई, 1994 तक भारत की यात्रा की।

(ख) और (ग) अमरीका की ऊर्जा मंत्री के साथ एक बहुत-बड़ा प्रतिनिधिमण्डल भारत आया जिसमें अधिकारी गण और ऊर्जा के क्षेत्र में अमरीकी व्यवसायी शामिल थे। उन्होंने विद्युत, कोयला, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और पर्यावरण तथा वन मंत्रालयों में विचार-विमर्श किया। उनके कार्यक्रम में प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात, भारतीय गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ परस्पर विचार-विनिमय और सचिव, अणु ऊर्जा विभाग, बम्बई के साथ बैठक भी शामिल थी।

भारत के प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के परिणाम स्वरूप अमरीका की ऊर्जा मंत्री भारत आयी जिसके दौरान राष्ट्रपति क्लिंटन और प्रधान मंत्री इस बात पर सहमत हुए थे कि समूचे राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और सामाजिक मसलों के बारे में उच्च स्तरीय आदन-प्रदान की गति और गुंजाइश को बढ़ाया जाय।

(घ) और (ङ) इस यात्रा के दौरान इस उद्देश्य के चार संयुक्त मंशा वक्तव्यों पर हस्ताक्षर किए गए : ऊर्जा दक्षता के बीच के क्षेत्र में सहयोग करने की मंशा (भारत सरकार और अमरीका की सरकार के विद्युत मंत्रालय के बीच जीवाश्म ऊर्जा में सहयोग की मंशा (भारत सरकार के कोयला मंत्रालय और अमरीका की सरकार के बीच) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सहयोग की मंशा (भारत सरकार के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय और अमरीका के अणुविभाग के बीच) और पर्यावरण को बेहतर बनाने की ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में सहयोग की मंशा) भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और अमरीका के ऊर्जा विभाग के बीच) इसके अतिरिक्त, द्विपक्षीय ऊर्जा परामों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें ऊर्जा सहयोग संबंधी मंत्रिस्तरीय उपकार्य दल की स्थापना शामिल है।

पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में अमरीका के महावाणिज्य दूत की टिप्पणियां

3762. **श्री तरित वरण तोपदार :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कलकत्ता में अमरीका के महावाणिज्य दूत द्वारा पश्चिम बंगाल की आर्थिक और औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी विदेशी राजनयिक को मेजबान देश के आंतरिक मामलों के बारे में ऐसी टिप्पणियां करने का अधिकार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) 3 जून, 1994 को बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल की अपने सम्बोधन के दौरान कलकत्ता स्थित अमरीकी प्रधान कोंसल द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में समाचारों में छपी खबरों की सरकार को जानकारी है। अमरीकी प्रधान कोंसल ने यह कहा था कि पश्चिमी बंगाल "शेष भारत के साथ प्रतिस्पर्द्धा के लिए अपने को प्रोत्साहित करने हेतु कोई उधमशील भूमिका नहीं निभा रहा है।" बताया जाता है कि अमरीकी प्रधान कोंसल ने वहां एकत्र व्यवसायिक समूह के प्रतिनिधियों को सलाह दी कि वे और अधिक सक्रिय भूमिका निभायें।

सरकार ने 6 जून, 1994 को कलकत्ता स्थित अमरीकी प्रधान कोंसल द्वारा जारी स्पष्टीकरण पर गौर किया है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने "पश्चिम बंगाल की सरकार अथवा उसके किसी अधिकारी की सीधे-सीधे निन्दा नहीं की।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र से लोहे की चोरी

3763. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद:
श्री तारा सिंह :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री शिबू सोरेन :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान वर्षवार बोकारो इस्पात संयंत्र से कितनी मात्रा में लोहे की चोरी हुई और इसका मूल्य कितना है,

(ख) क्या संयंत्र के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं, और

(ग) यदि हां, तो दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राजदूतों के दौरों को नाकाम करने की पाकिस्तान की कोशिश

3764. **डा० अमृतलाल कालीदास पटेल : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न राजदूतों के कश्मीर दौरों को पाकिस्तान द्वारा नाकाम करने की कोशिश से संबंधित दिनांक 28 अप्रैल, 1994 के हिन्दुस्तान में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) भारत को प्रत्यायित कई मिशन प्रमुखों को सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर की यात्रा के लिए दी गई पेशकश के अनुसरण में इस्लामी और अन्य देशों के राजदूतों के दल ने 27-28 अप्रैल, 1994 को कश्मीर की यात्रा की। सरकार ने संभारतंत्र की व्यवस्था की। पक्षसार तथा यात्रा कार्यक्रम की व्यवस्था राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से की गई थी।

सरकार को इस यात्रा में व्यवधान डालने के लिए कुछ उग्रवादी तत्वों के निष्फल प्रयासों की जानकारी है और इसी कारण से सरकार राजदूतों को राज्य के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ मुलाकात का अवसर प्रदान नहीं करती।

[अनुवाद]

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद

3765. **श्री सुदर्शन रायचौधरी :**
डा० सुधीर राय :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप सही है कि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् का कार्यकरण विगत समय की तुलना में संतोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यकरण के स्तर में गिरावट आने के क्या कारण है और सरकार द्वारा परिषद के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उठाए जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भारत की विदेश नीति के सम्पूरक के रूप में अपने क्रियाकलापों के जरिए सांस्कृतिक संबंधों का सृजन करके सराहनीय कार्य कर रही है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संविधान के अनुसार इसके तीन सांविधिक प्राधिकरण इस प्रकार हैं:

(i) महासभा

(ii) शासी निकाय

(iii) वित्त समिति

ये तीनों सांविधिक प्राधिकरण नियमित रूप से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्य संचालन की समीक्षा करते हैं। परिषद के इन सांविधिक प्राधिकरणों की सहायता सलाहकार समितियां अपनी सलाह दे कर करती हैं जिनका गठन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के क्रियाकलापों के सभी पहलुओं की जांच और समीक्षा के लिए किया गया है। सलाहकार समितियां जिनका गठन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के इन तीन सांविधिक प्राधिकरणों की सहायता के लिए किया गया है, इस प्रकार हैं :—

(i) बजट और कार्य योजना समिति।

(ii) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद संविधान समीक्षा समिति।

(iii) सूची निर्माण सलाहकार समिति

परिषद के सभी क्रियाकलाप विदेश मंत्रालय द्वारा आबंटित अनुदान की सीमाओं के भीतर निष्पादित किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष के लिए कार्य-योजना पहले बना ली जाती है और इसे सांविधिक

प्राधिकरणों के समक्ष विचार के लिए पेश किया जाता है। वित्त समिति प्रस्तावों की छानबीन करके इन्हें शासी निकाय के समक्ष विचारार्थ रखती है और उसके बाद उन्हें महासभा के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। अनुमोदित कार्य-योजना में उल्लिखित क्रियाकलाप ही निष्पादित किए जाते हैं। तथापि, विदेश स्थित हमारे मिशनों से प्राप्त होने वाले तदर्थ अनुरोधों की पूर्ति के लिए प्रावधान है और इन प्रस्तावों को विदेश मंत्रालय के परामर्श से क्रियान्वित किया जाता है क्योंकि सभी क्रियाकलापों के लिए यह लाजमी है कि वे भारत की विदेश नीति के सम्पूरक हों।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के क्रियाकलापों ने भारत की विदेश नीति के सम्पूरक होने के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के संवर्द्धन की दिशा में पर्याप्त योगदान दिया है। इस बात को देखते हुए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के क्रियाकलापों की नियमित समीक्षा आवश्यक है और यह समीक्षा ऊपर उल्लिखित सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

3766. **श्री श्रीकांत जेना :**
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले संयुक्त उद्यम के पोत सितम्बर 1993 के बाद से मारमुगाव पत्तन पर निष्क्रिय खड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) मैं० सर्ब कान्सुलेट मैरीन प्रोड्क्ट लि०, नई दिल्ली के पांच गहन समुद्री मत्स्यन जलयान भारतीय कम्पनी तथा विदेशी मत्स्यन जलयानों के सप्लायर/मालिक के बीच विवाद के कारण मुर्मुगांव बन्दरगाह पर बेकार पड़े हैं।

(ग) चूंकि मामला न्यायाधीन है, अतः कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।

पेट्रोल में सीसा मिलाया जाना

3767. **श्री शंकरसिंह वाघेला :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय पेट्रोल में सीसे की मात्रा कितनी है और अन्य विकसित देशों की तुलना में यह मात्रा कितनी है,

(ख) क्या विकसित देशों ने पेट्रोल में सीसा मिलाना बन्द कर दिया है, और

(ग) यदि हां, तो हमारे देश में भी पेट्रोल में सीसा मिलाना बंद किए जाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) वर्तमान समय में चार महानगरों में पेट्रोल में सीसे की मात्रा अधिकतम 0.15 ग्राम/लीटर है और अन्य स्थानों पर 0.1 ग्राम/ लीटर से 0.56 ग्राम/लीटर (अधिकतम) की सीमा में है। उपलब्ध सूचना के अनुसार कई विकसित देश 0.15 ग्राम/लीटर की अधिकतम सीसा मात्रा वाले तथा सीसा रहित पेट्रोल का विपणन कर रहे हैं।

(ग) सरकार ने महानगरों के लिए पेट्रोल के चरणबद्ध रूप से सीसा निकालने की एक योजना बनाई है। योजना के अनुसार दिसम्बर, 1994 तक महानगरों (बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास) को की जाने वाली पेट्रोल आपूर्ति में अधिकतम सीसा स्तर 0.15 ग्राम/लीटर होना चाहिए। सभी चार महानगरों को कम सीसे (0.15 ग्राम/लीटर अधिकतम) वाले पेट्रोल की आपूर्ति पहले ही शुरू कर दी गई है।

दिसम्बर, 1997 की समाप्ति तक दिल्ली और बम्बई में सीसा रहित पेट्रोल की आपूर्ति की जाएगी जबकि बाकी देश में 0.15 ग्राम/लीटर से अनधिक सीसे की मात्रा वाले पेट्रोल की आपूर्ति की जाएगी। तथापि, नए वाहनों की जरूरत को पूरा करने के लिए चार महानगरों में कुछ चुनिंदा खुदरा बिक्री केन्द्रों में अप्रैल, 1995 से सीसा रहित पेट्रोल की आपूर्ति आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है। इन नए वाहनों में केटेलिटिक कन्वर्टर्स लगाए जाएंगे।

संयुक्त अरब अमीरात के लिए व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल

3768. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ० आई० सी० सी० आई० द्वारा प्रायोजित किसी व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने जिसमें कि बैंकर तथा पूंजी बाजार के विशेषज्ञ शामिल थे, मई 1994 में व्यापारिक अवसरों की खोज के उद्देश्य से संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा के संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी हां। फिक्की का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल व्यवसाय अवसरों का पता लगाने के लिए 25-28 मई, 1994 को संयुक्त अरब अमीरात गया। यह यात्रा 4-6 जनवरी, 1994 को नई दिल्ली में आयोजित भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग के सातवें सत्र के दौरान लिए गए एक निर्णय के अनुसरण में थी।

(ख) और (ग) हमें यह सूचित किया गया है कि रिपोर्ट तैयार की जा रही है और शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जाएगी। आगे की कार्रवाई इस रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात में सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र संचालकों पर बकाया राशि

3769. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के अहमदाबाद तथा भावनगर जिलों में आई० एस० डी०/एस० टी० डी० युक्त कितने सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र हैं,

(ख) इन सार्वजनिक दूरभाष केन्द्रों के संचालकों के विरुद्ध वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के लिए क्या कोई राशि बकाया है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं, और

(घ) इस बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गुजरात के अहमदाबाद तथा भावनगर जिलों में आई० एल० डी०/एस० टी० डी० सुविधायुक्त सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या क्रमशः 1209 और 261 है।

(ख) और (ग) भावनगर जिले में बकाया राशि का कोई मामला नहीं है। अहमदावाद जिले में एस० टी० डी०/सार्वजनिक टेलीफोन ऑपरेटरों के प्रति बकाया राशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	दोषी उपभोक्ताओं की सं०	राशि
1993-94	43	रु० 10.71 लाख
1994-95	12	रु० 6.20 लाख

(घ) सार्वजनिक टेलीफोनों को काट दिया गया है टेलीफोन राजस्व की टेलीफोन राजस्व निरीक्षकों तथा कानूनी कार्रवाई के माध्यम से वसूली की जा रही है।

[अनुवाद]

विदेशों में लापता केरलवासी

3770. **श्री के० मुरलीधरन : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्सर समाचार पत्रों में वीजा के दुरुपयोग के समाचार छपते रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या प्रभावी कदम उठा रही है;

(ग) क्या सरकार को विदेशों में कार्यरत कई केरलवासियों के लापता होने के कई मामलों का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए है या उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) सरकार को ऐसी घटनाओं की सूचना समय-समय पर मिलती हैं जिनमें वैद्य यात्रियों को जारी किए गए वैद्य वीजा बेइमान तत्वों द्वारा पासपोर्टों पर एक फोटो के स्थान पर दूसरी फोटो लगाकर नाम तथा वैयक्तिक विवरण बदलकर दुरुपयोग किया जाता है ताकि इन दस्तावेजों पर अनाधिकृत व्यक्ति यात्रा कर सकें। जब इस प्रकार के मामले सरकार की जानकारी में लाए जाते हैं तो संबद्ध प्राधिकारी उस मामले की जांच करते हैं और उसके बाद कानून के अनुसार इस पर समुचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) केरल राज्य के लोग खाड़ी के देशों में नियमित रूप से रोजगार की तलाश में जाते हैं। सरकार को भारतीय राष्ट्रिकों के बारे में समय-समय पर इस आशय की जानकारी मिलती रहती है कि उन्होंने अपने प्रायोजकों के यहां काम करना छोड़ दिया है जिसके तरह-तरह के कारण होते हैं जैसे दुर्व्यवहार किया जाना, देर-देर तक काम करवाना, उम्मीदें से कम वेतन देना और संविदा शर्तों का पालन न किया जाना। इसके अक्सर उनके निरन्तर प्रवास को नियमित करने और/अथवा वैकल्पिक रोजगार खोजने में कठिनाइयां होती हैं। बहुत से मामलों में ऐसे भारतीय राष्ट्रिक आर्थिक कारणों से भारत लोटने की बजाए वहीं रहना पसंद करते हैं। ऐसे भी मामले देखने में आए जब कि लोग अपने परिवारों के साथ संपर्क आदि नहीं करते जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवार उन्हें लापता समझ लेते हैं। जिन मामलों में मंत्रालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया जाता है उन सभी मामलों में संबद्ध भारतीय मिशन उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए प्रायोजकों और स्थानीय प्राधिकारियों से सम्पर्क करता है।

शिशु आहार

3771. **श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान देश में शिशु आहार का उत्पादन करने के लिए दुग्ध संयंत्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता क्या है और संयंत्र कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) इन संयंत्रों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करती।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उपग्रह पृथ्वी केन्द्र

3772. **श्री सत्यदेव सिंह :**
डा० रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक उपग्रह पृथ्वी केन्द्र खोलने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार वे कहां-कहां खोले जाएंगे,

(ग) इन्हें कब तक खोल लिया जायेगा, और

(घ) इन पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) मल्टीचैनल-पर-कैरिअर (एम० सी० पी० सी०) बहुत छोटे अपरचर टर्मिनल (वी० एच० ए० टी०) और डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके कई उप ग्रह भू-केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। और उनकी स्थापना के लिए संभावित स्थानों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इनको स्थापित किए जाने की संभावना है।

(घ) इस पर 153 करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है।

विवरण

उपग्रह भू-केन्द्र स्थापित करने के लिए संभावित स्थानों की राज्य-वार सूची

(1) **आन्ध्र प्रदेश**

पडेरु, अलाकू, चिंतापल्ली, सिलेरू।

(2) **अरुणाचल प्रदेश**

कोलरीयंग, टूटिंग, ह्युलिआंग, मेछूका, सागली, बासर, मरीअंग, चयंगतेजू, यिंगकियांग, यजाली, पाटिन (लुम्बा), कालकटेंग, पाकी केसंग, जंग, बमेंग, हुरी, लिरोमोवो, गेनसी, अनीलीह, हुनली क्रोनली, वीलेंग, ताली, न्यापिन, गेलिंग, सिन्जा, जेनगिंग।

(3) **अंडमान निकोबार द्वीपसमूह**

टेरेसा, ट्रिनकेट, लिटल निकोवार, कोन्डूल।

(4) **हिमाचल प्रदेश**

चोपाल, शिमला, सिवनी, डोडरकवाडु, करसोग, भारमोर, किल्लर, निचार पुह, यंगथांग, मेरंग, सांगला, कजा, उदयपुर, अनी, जुव्वल, रोहरू, सरकाघाट।

(5) **जम्मू और कश्मीर**

कितिवाड़, उरी, टांगडर, गुरेज, नौमा, बडेरवाह, पदम, सोना मार्ग, खेलसी, मोहोर, गन्डोह, जम्मू, थातरी, द्रास, कोटरंका (बुडल), वानी।

(6) **कर्नाटक**

एम० एम० हिल, टुमरी, हुरीनहदागल, कुश्तजी, जगालूर, कलासा।

(7) **मणिपुर**

तमेई, टोसेम।

(8) **मध्य प्रदेश**

बीजापुर, देवभोग, भावरा, भानपुरा, बेहड़, विवहरी, दंतेवाड़ा, रामानुजगंज, शिवपुर कालन, मंडू, पंचमडी, कोंटा, सुकमा, समारी (कुसमी), अलीराजपुर, राजगढ़, कन्नोड़, निवाड़ी, ढिन्डोरी, शाहपुरा।

(9) **महाराष्ट्र**

धादुगांव, मूलगी, पीन्ट, सुरगाना।

(10) **मेघालय**

वालत, पिनुरसला।

(11) **मिजोरम**

बुंगमन, फेलेंग।

(12) **नागालैंड**

टंगू, समाटोर।

(13) **उड़ीसा**

वालीगुड़ा, वारम्ब, नरसिंहपुर, दैतयारी, टेनसा, कोधरा, राजनगर, चांदवाली, बालासोर, बोनई, दरिंगीवाड़ी, पाराद्वीप।

(14) **सिक्किम**

चुंगटांग, राबंगला, सौरेंग, सोमबारिया, मेल्ली, नयाबाजार, रेनोक, रंगोली, डेनटम, समडोंग, रंगपो, सिंगटोम, मंगन।

(15) **तमिलनाडु**

वीयरकाड़, चेरुमुल्ली, पंडालूर, चेरमपाड़ी, देवरशोला, इरुमड़, पन्नईकाडू, कें॰ सी॰ पट्टी, पेरुमपारा, पेरुमलमलई, थलावड़ी, हसनूर।

(16) **उत्तर प्रदेश**

पुरौला, राजगढ़ी, डांडा, भटवारी, गंगोत्री, यमनोत्री, उखीमत्थ, गुप्तकाशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, देहरादून।

(17) **पश्चिम बंगाल**

हिंगलगंज, बसन्ती, पाथरप्रतिमा।

[अनुवाद]

दुर्गापुर ताप विद्युत संयंत्र

3773. **प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दामोदर घाटी निगम की ओर से दुर्गापुर ताप विद्युत संयंत्र के जल गए एकक 1 तथा 2 के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव वित्त निगम लि॰ के पास अभी भी लम्बित पड़ा है और

(घ) इसे कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) दामोदर घाटी निगम ने अपने दुर्गापुर ताप विद्युत संयंत्र के यूनिट 1 और 2 की पुनर्स्थापना के लिए तकनीकी आर्थिक दृष्टि से

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त करने और विद्युत वित्त निगम से आंशिक रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत प्रदान किए जाने और डी० वी० सी० द्वारा विद्युत वित्त निगम के ऋण पात्रता संबंधी मानदण्डों की पूर्ति किए जाने के पश्चात् ही विद्युत वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता हेतु स्कीम पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

पासपोर्ट सेवाएं

3774. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पासपोर्ट जारी न किए जाने और असन्तोषजनक पासपोर्ट सेवाओं के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली पासपोर्ट सेवाओं में सुधार करने हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी, हां। सरकार को समय-समय पर इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है। कई मामलों में दस्तावेजों के पूरा न होने और/या जांच के अभाव में पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब होता है।

(ग) सरकार ने पासपोर्ट कार्यालयों के कार्य संचालन में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें शिकायत सुनने वाले एक अधिकारी को तैनात किया जाना भी शामिल है जो साप्ताहित आधार पर सभी पासपोर्ट कार्यालयों के विभिन्न प्रकार के कार्य-संचालन की निगरानी रखता है। वह पासपोर्ट कार्यालयों के कार्य-संचालन में सुधार लाने तथा आम लोगों को बेहतर सेवा मुहैया करने के लिए प्रबन्धों को अद्यतन करने के लिए निदेश देता है।

विवरण

अनुबंध "एक्स"

वर्ष	प्राप्त मामलों की संख्या	निपटाये गए मामलों की संख्या	लबित मामलों की संख्या
1991	752	566	186
1992	1237	774	463
1993	1240	662	578

[अनुवाद]

हैदराबाद में पासपोर्ट घोटाला

3775. **श्री जे० चोक्का राव : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी हैदराबाद ने जून, 1994 के दौरान पासपोर्ट जारी करने संबंधी किसी घोटाले का पर्दाफाश किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पासपोर्टों हेतु जाली सर्टिफिकेट देने वाले अफसरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (ग) जी, हां। मई, 1994 में ऐसी एक धोखाधड़ी का पता लगाया गया था। 61 मामलों का पता लगाया गया जिसमें पासपोर्ट फर्जी आवेदनों पर तैयार किए गए हैं। इस समय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इन मामलों की छानबीन कर रहा है। सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली जिससे यह पता चलता हो कि कोई पासपोर्ट किसी अधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों पर जारी किया गया था। तीन कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है जिनके बारे में यह सन्देह है कि उनका इसमें हाथ हैं।

तेल शोधक कारखानों की क्षमता

3776. **डा० कृपासिन्धु भोई :**
श्री पी० कुमारासामी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विभिन्न तेल शोधक कारखानों की वर्तमान सोधन क्षमता इसकी मांग से बहुत कम है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस समय सभी तेल शोधक कारखानों की स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है,

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ड़) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाए किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की करीब 64.1 मि० मि० ट० की अनुमानित मांग के प्रति देश में 53.4 मि० मि० टन प्रतिवर्ष की शोधन क्षमता है।

(ग) और (घ) बरौनी रिफाइनरी को छोड़कर बाकी सभी रिफाइनरियों की स्थापित क्षमता का पूर्णतः उपयोग किया जा रहा है। बरौनी रिफाइनरी में अपेक्षाकृत कम उपयोग असम के तेल क्षेत्र से कच्चे तेल की कम उपलव्धता के कारण हैं।

(ड़) बरौनी रिफाइनरी में क्रूड की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए हल्दिया से बरौनी तक एक क्रूड पाइपलाइन बिछाने हेतु इंडियन आयल कारपोरेशन ने सरकार के पास एक विस्तृत साध्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को नियमित किया जाना

3777. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राऊरकेला इस्पात संयंत्र में ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में जानकारी है, और

(ख) यदि हां, तो सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने दो पृथक-पृथक मामले (1) उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करने के लिए और (2) आदेश तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा के संबंध में निर्णय का संशोधन करने के लिए दायर किए हैं। इन आवेदनों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर "सेल" द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सड़क परिवहन उपक्रम

3778. **श्री अशोक आनंद राव देशमुख** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का कार्यनिष्पादन क्या रहा,

(ख) क्या ये उपक्रम उक्त अवधि के दौरान लगातार घाटे में चल रहे हैं, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) योजना आयोग द्वारा राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन से संबंधित एक अध्ययन के आधार पर राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष का वित्तीय कार्य-निष्पादन निम्न प्रकार है:—

(करोड़ रु०)

मद	वर्ष		
	1991-92 वास्तविक आंकड़े	1992-93 वास्तविक आंकड़े	1993-94 संशोधित प्राक्कलन
1. सकल प्राप्ति	5844	6639	7661
2. कुल खर्च	6105	6998	7946
3. निवल लाभ/घाटा	−341	−359	−285

(ख) जी हां।

(ग) (i) अलाभकारी अनिवार्य मार्गों पर प्रचालन ।

(ii) छात्रों, शारिरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रियायतें।

(iii) अलाभकारी भाड़े।

(iv) राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों का भारी बोझ।

[हिन्दी]

डाकघर

3779. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**
श्री लाल बाबू राय :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री कोडीकुन्नीम सुरेश :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-सर्किल-वार कितने डाकघर किराये के भवनों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन डाकघरों को विभागीय भवनों में ले जाने का है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान डाक सर्किल-वार कहां-कहां पर विभागीय भवनों का निर्माण किया गया है और वर्ष 1994-95 में कहां-कहां पर इनका निर्माण विधि जाने का विचार है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ डाक सर्किल-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभी पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) इन डाकघरों के लिए विभागीय भवन, धनराशि, भूमि और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार बनाए जायेंगे।

(घ) जानकारी संलग्न विवरण में की गई हैं।

विवरण

डाकघर भवनों का निर्माण करने के लिए 1991-92 से 1994-95 तक सर्किल-वार आवंटित धनराशि।

(रुपये लाख में)

सर्किल		1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आन्ध्र प्रदेश	109.00	113.00	230.00	100.00
2.	असम	25.65	30.00	56.00	45.00

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	124.05	152.70	150.00	100.00
4.	दिल्ली	36.80	35.00	70.00	70.00
5.	गुजरात	198.40	170.00	390.00	100.00
6.	हरियाणा	61.75	101.60	45.00	75.00
7.	हिमाचल प्रदेश	36.00	53.35	108.00	20.00
8.	जम्मू एवं कश्मीर	51.00	25.00	5.00	10.00
9.	कर्नाटक	168.70	120.00	90.00	80.00
10.	केरल	115.50	120.00	100.00	100.00
11.	मध्य प्रदेश	97.20	80.00	80.00	75.00
12.	महाराष्ट्र	135.00	295.00	400.00	300.00
13.	उत्तर-पूर्व	44.10	35.84	70.00	75.00
14.	उड़ीसा	126.15	140.00	170.00	60.00
15.	पंजाब	85.50	55.00	34.00	30.00
16.	राजस्थान	54.60	105.00	187.00	100.00
17.	तमिलनाडु	108.80	78.51	110.00	70.00
18.	उत्तर-प्रदेश	166.05	110.00	150.00	40.00
19.	पश्चिम बंगाल	185.25	180.00	150.00	90.00
	कुल	1929.50	2000.00	2595.00	1540.00

xx आवंटन बजट प्राक्कलन की स्थिति में है।

महाराष्ट्र में टेलीफोन सलाहकार समितियां

3780. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में किन-किन क्षेत्रों में टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित की गई हैं;

(ख) ये समितियां किन-किन क्षेत्रों में अभी गठित की जानी हैं;

(ग) क्या इन समितियों का गठन करते समय स्थानीय प्रतिनिधियों से भी परामर्श लिया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) महाराष्ट्र राज्य और टेलीफोन जिलों यथा; गोवा, नागपुर, बंबई, कोल्हापुर, नासिक, कल्याण, शोलापुर और अहमदनगर के लिए दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।

(ख) जलगांव और पुणे के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियां अभी गठित की जानी हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न स्थानीय निकायों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से संचार राज्य मंत्री के कार्यालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। इन पर संबंधित सर्किल से प्राप्त सिफारिशों सहित दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन करते समय विचार किया जाता है।

उपभोक्ता न्यायालय

3781. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता न्यायालयों ने दिल्ली और बम्बई में टेलीफोन सेवाओं के विरुद्ध कोई फैसला दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) : जी नहीं। उपभोक्ता न्यायालयों ने दिल्ली और बंबई की टेलीफोन सेवाओं के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं दिया है। तथापि, उपभोक्ता न्यायालयों (मंचों) ने अधिक मीटरिंग और खराब टेलीफोनों से संबंधित कुछ व्यक्तिगत मामलों में फैसला सुनाया है।

(ग) उपयुक्त (क) और (ख) में दिए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल में नए टेलीफोन एक्सचेंज

3782. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी बंगाल में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक एक्सचेंज की क्षमता कितनी है तथा कहां-कहां पर स्थित हैं; और

(ग) ये एक्सचेंज कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) सुचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इन एक्सचेंजों को 1994-95 के दौरान चालू किये जाने की संभावना है।

विवरण

अनुबंध

क्र० सं०	जिला	एक्सचेंज का नाम	क्षमता
1.	कलकत्ता	दूरसंचार फैक्ट्री	2000 लाइनें
2.	कलकत्ता	सर्कस	6000 लाइनें

1	2	3	4
3.	कलकत्ता	वेलूरमठ	3000 लाइनें
4.	कलकत्ता	लेक टाउन	5000 लाइनें
5.	कलकत्ता	जादवपुर	6000 लाइनें
6.	कलकत्ता	कस्बा	3000 लाइनें
7.	कलकत्ता	वैष्णवहाट	2000 लाइनें
8.	कलकत्ता	उलवेरिया	400 लाइनें
9.	कलकत्ता	बिराटी	2000 लाइनें
10.	कलकत्ता	जेस्सौर रोड	3000 लाइनें
11.	कलकत्ता	गार्हन रीच	2000 लाइनें
12.	कलकत्ता	अमतला	1000 लाइनें
13.	कलकत्ता	बागबाजार	20000 लाइनें
14.	कलकत्ता	जोका	2000 लाइनें
15.	बांकुड़ा	जयरामत्राती	56 लाइनें
16.	बांकुड़ा	मलियारा	56 लाइनें
17.	बांकुड़ा	मयनापुर	56 लाइनें
18.	बांकुड़ा	कमलपुर	56 लाइनें
19.	बीरभूम	मरग्राम	56 लाइनें
20.	बीरभूम	जयदेव	56 लाइनें
21.	बीरभूम	अमडाहा	56 लाइनें
22.	बर्दवान	पस्लारोड	56 लाइनें
23.	बर्दवान	आरदिघी	88 लाइनें
24.	बर्दवान	रसूलपुर	88 लाइनें
25.	जलपाईगुड़ी	तापुरहाट	56 लाइनें
26.	जलपाईगुड़ी	पंचकलगुडी	56 लाइनें
27.	नदिया	नगर उखरा	88 लाइनें

1	2	3	4
28.	मालदा	बंगीटोला	88 लाइनें
29.	मालदा	मेहदीपुर	56 लाइनें
30.	मालदा	बतलाहाट	56 लाइनें
31.	24 परगना (उ०)	भानगर	56 लाइनें
32.	24 परगना (उ०)	राजोरहाट (विशनुपुर)	56 लाइनें
33.	24 परगना (उ०)	स्वरूपनगर	56 लाइनें
34.	24 परगना (द०)	बकखली	88 लाइनें
35.	दार्जीलिंग	शक्तिगढ़	2000 लाइनें

[हिन्दी]

गावों में एल० पी० जी० सुविधा

3783. **श्री गया प्रसाद कोरी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शहरों के साथ जुड़े गावों में एल० पी० जी० सुविधा प्रदान करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) उत्पाद की सीमित उपलब्धता के कारण वर्तमान में सामान्यतया गावों को, जिनमें वे गांव भी सम्मिलित हैं जो शहरों से जुड़े हुए हैं, एल० पी० जी० (रसोई गैस) सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बरौनी तेल शोधक कारखाना

3784. **श्री सूर्य नारायण सिंह :**
श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों से बरौनी तेल शोधक कारखाने की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो कारखाने की क्षमता का पूरा उपयोग न करने के लिए कौन-कौन से कारण उत्तरदायी हैं और इसके फलस्वरूप कितनी हानि हुई है,

(ग) क्या बोगाईगांव के विस्तार की योजना से बरौनी तेल शोधक कारखाने के पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और अधिक प्रभावित होगा, और

(घ) यदि हां, तो बरौनी तेल शोधक कारखाने को कच्चे तेल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा इसकी संस्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग करने हेतु सरकार का विचार कौन-कौन से कदम उठाने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) और (ख) बरौनी रिफाइनरी की स्थापित क्षमता 3.3 मि० मि० टन प्रतिवर्ष है। तथापि 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान असम से कच्चे तेल की अपर्याप्त आपूर्ति को देखते हुए संसोधित वास्तविक क्रूड की मात्रा क्रमशः 2.262, 2.287 और 2.222 मिलियन टन थी। चूंकि उत्तर पूर्व में उत्पादित संपूर्ण क्रूड को संसोधित किया गया है, अतः उसकी वजह से नुकसान होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) हल्दिया से बरौनी तक कच्चे तेल की एक पाइपलाइन बिछाने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन ने एक विस्तृत साध्यता रिपोर्ट सरकार के पास प्रस्तुत की है जिस पर आवश्यक निवेश अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही जारी है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा ऋण

3785. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान वर्षवार उद्योगपतियों को कुल कितनी ऋण राशि दी गई,

(ख) इन फर्मों के नाम क्या हैं,

(ग) इस ऋण राशि में से भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा कुल कितनी राशि की वसूली की गई,

(घ) ऋण बुकता न करने वाले फर्मों के नाम क्या हैं, और

(ङ) इन फर्मों के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) द्वारा वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान दिए गए कुल ऋण को क्रमशः नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए)
1992-93	792.65
1993-94	2434.92

(ख) जिन कम्पनियों को ऋण दिए हैं, के नाम बताना "सेल" के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

(ग) ऋण की कुल वसूली को नीचे दर्शाया गया है :–

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए)
1992-93	792.65
1993-94	2397.69

(घ) और (ङ) वर्ष 1992-93 के संबंध में कोई बकाया राशि नहीं है। वर्ष 1993-94 के संबंध में उपभोक्ताओं जो मुख्यतया सरकारी विभाग और सरकारी उपक्रम हैं, से राशि की उगाही के लिए प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाही की गई है।

[हिन्दी]

शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास तथा रख-रखाव

3786. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार शहरी क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा रख-रखाव का कार्य नहीं कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्गों की चौड़ाई को 30 मीटर से कम करके 25 मीटर करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) 20,000 अथवा अधिक जनसंख्या वाले शहरों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के भागों को राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं माना जाता है और सामान्यतया इनके लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होता है। तथापि, ऐसे भागों के रख-रखाव के लिए केन्द्र सरकार प्रति कि० मी० के आधार पर समुचित अंशदान देती है। पात्र शहरी सम्पर्क मार्गों के मामले में ऐसे भागों पर विकास कार्यों के लिए व्यय भी राष्ट्रीय राजमार्ग निधि में से पूरा किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रवान्डा की घटनाएं

3787. **श्री सुधीर सावंत** :
श्री चित्त बसु :

विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रवान्डा के लोगों को हो रही अत्यधिक परेशानियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उस देश की घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने उस देश में शांति स्थापित करने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी तैनात करने के संबंध में भारत सरकार से सम्पर्क किया था; और

(च) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) अनुमान है कि रवांडा में हाल की खलबली में लगभग 5 लाख असैनिक लोगों की मृत्यु हुई। अनुमान है कि रवांडा में 20 लाख से अधिक रवांडा वासी बेघर हो गए और उनके पास खाने को कुछ नहीं है और लगभग 30 लाख बचकर पड़ोसी देशों में भाग गए।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ने रवांडा के राष्ट्रपति की हत्या पर अत्यधिक खेद व्यक्त करते हुए एक वक्तब्य जारी किया है। भारत सरकार ने रवांडा के शरणार्थियों के लिए 45 लाख रुपये मूल्य की राहत-सामग्री देने का वचन दिया है।

(ड़) और (च) रवांडा में स्थित संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन को सैनिक भेजने से सम्वन्धित में संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 6 पर पुल का निर्माण

3788. **श्री पांडुरंग पुंडलिक पुंडकर** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र के अकोला जिले से होकर निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 6 पर रिशवोरा पुल के निर्माण हेतु कोई स्वीकृति दी गई है,

(ख) यदि हां, तो इस पुल के निर्माण में कितनी लागत आने का अनुमान है, और

(ग) इस पुल का निर्माण कार्य कब तक होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां। संभवतः मामनीय सदस्य का आशय रिधौरा नाले पर एक पुल के पुनःनिर्माण से है।

(ख) लगभग 95 लाख रु०।

(ग) अक्तूबर, 1994।

[अनुवाद]

दिल्ली में टेलीफोन लाइनों को पुनः जोड़ना

3789. **श्री जगमीत सिंह बराड़ :**
श्री वी॰ एल॰ शर्मा प्रेम :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को डी॰ एन॰ पी॰ के अन्तर्गत, टेलीफोन बिलों के भुगतान के बावजूद भी कटी हुई टेलीफोन लाइनों को पुनः जुड़वाने में अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रवार ऐसी कितनी लाइनें हैं जो कि अब तक नहीं जोड़ी गई हैं;

(ग) क्या कटी हुई लाइनों को जोड़ने के सम्बंध में किन्ही नियमों का पालन किया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भुगतान के बावजूद भी, चार-पांच महीनों तक कटी हुई लाइनों को न जोड़ने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ड़) कटी हुई लाइनों को न जोड़े जाने पर भी मासिक किराया वसूली करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) नियमानुसार, भुगतान न करने के कारण काटे गए टेलीफोन सामान्यतः पुनर्संस्थापन शुल्क सहित सम्पूर्ण देय राशि का भुगतान करने के बाद पुनः अविलम्ब चालू किये जाने चाहिए। यदि टेलीफोन काटे जाने की तारीख को छः महीने के भीतर देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता, तो कनेक्सन को स्थायी रूप से बंद माना जाएगा।

(घ) और (ड़) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन

3790. **श्री के॰ प्रधानी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1993-94 के दौरान अपने कार्य-निष्पादन में सुधार किया है,

(ख) वर्ष 1994-95 के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कच्चे तेल के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं, और

(ग) स्थिति में सुधार करने और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान ओ॰ एन॰ जी॰ सी॰ द्वारा 24.427 मिलियन टन कच्चे तेल के उत्पादन के प्रति वर्ष 1993-94 के दौरान उनका वास्तविक उत्पादन 24.205 मिलियन टन था।

(ख) 1994-95 के दौरान ओ० एन० जी० सी० द्वारा 29.349 मिलियन टन कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ओ० एन० जी० सी० ने अनेक अल्पावधिक और मध्यावधिक उपाय किए हैं। इसके फलस्वरूप चालू वर्ष में ओ० एन० जी० सी० द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन के गत वर्ष की तुलना में करीब 5.144 मिलियन टन बढ़ जाने की आशा है। लक्ष्य की तुलना में कच्चे तेल के उत्पादन पर क्षेत्रवार माह-दर-माह सूक्ष्म नजर रखी जाती है।

विजयपुर (मध्य प्रदेश) में रसोई गैस की आपूर्ति

3791. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गैस) की विजयपुर (मध्य प्रदेश) में घरेलू उपयोग के लिए पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति करने की कोई योजना है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) गैस अथारिटी ऑफ इंडिया एल० पी० जी० का विपणन नहीं कर रही है।

कर्नाटक में सोना संसाधित करना

3792. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में सोना निकालने के लिये कुछ विदेशी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में किन-किन स्थानों पर सोना भंडार का पता लगा है; और

(घ) विदेशी कंपनियों का कितनी मात्रा में सोना निकालने का विचार है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि खान मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, हिन्दुस्तान जिंक लि० ने मैसर्स न्यूगिनी माइनिंग लि० (एन० एम० एल०), आस्ट्रेलिया के साथ 18.7.1994 को एक समझौता ज्ञापन (एम० ओ० यू०) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण/खनिज अन्वेषण निगम लि० द्वारा गवेषण किए गए कुछ स्थापित स्वर्ण संभावनाओं वाले क्षेत्रों के संबंध में हिन्दुस्तान जिंक लि० द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का मूल्यांकन एन० एम० एल० करेगा और संभाव्यता अध्ययनों और अनुवर्ती विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा। आस्ट्रेलियाई कंपनी द्वारा मूल्यांकन कार्य का व्यय वहन किया जाएगा।

अगर किसी आर्थिक अवसर की पहचान की जाती है तो दोनों कम्पनियां विस्तृत संभाव्यता अध्ययन और अनुवर्ती खान विकास हेतु एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाएंगे जिसमें न्यूगिनी माइनिंग लि० की 60% और हिन्दुस्तान जिंक लि० की 40% भागीदारी (इक्विटी) होगी। अंतिम निवेश इस प्रकार पता लगाए गए निक्षेपों के प्रकार और आकार पर निर्भर करेगा। यदि दो वर्षों की अवधि में कोई सफल अवसर

ज्ञान नहीं हो पाता है, तो समझौता ज्ञापन (एम० ओ० यू०) समाप्त हो जाएगा। जब तक कि आपसी सहमति से कुछ अन्यथा न तय हो।

(ग) भारत गोल्ड माइंस लि० द्वारा कोलार गोल्ड फील्ड में और हट्टी गोल्ड माइंस लि० द्वारा रायचुर और गुलबर्गा जनपदों में स्वर्ण खनन किया जा रहा है। इसके अलावा हासन, शिमोगा, रायचुर चित्रदुर्गा, टुमकुर और धारवाड़ में स्वर्ण मिलने की सूचना मिली है।

(घ) हिन्दुस्तान जिंक लि० ने प्रारंभिक मूल्यांकन हेतु कर्नाटक मे स्वर्ण संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाया है जिनमें अनुमानित स्वर्ण भंडार इस प्रकार है :—

संभाव्यता क्षेत्र	अयस्क भंडार (मी० टन)	श्रेणी (स्वर्ण)
अज्जानाहाल्ली	2.7	2.00 ग्रा०/टन
कैम्पिनकोट	3.5	1.22 ग्रा०/टन

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विकसित अपतटीय तेल कुएं

3793. **डा० विश्वनाथ कैनिथी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कितने अपतटीय तेल कुओं की खोज के प्रयास किए और कितने अपतटीय तेल कुएं खोजने में आयोग को सफलता मिली,

(ख) पश्चिमी और पूर्वी समुद्र तट में कितने कुओं की खोज के प्रयास किए गये, और

(ग) प्रत्येक समुद्र तट में तेल के कुल कितने भण्डार होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1994 तक ओ० एन० जी० सी० ने पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रतट के अपतटीय क्षेत्रों में 649 अन्वेषण कूपों का वेधन किया है। इनमें से 257 कूपों में हाईड्रोकार्बन पाए गए।

(ग) 1.4.94 तक पूर्वी समुद्र तट के अपतटीय क्षेत्र में तथा पश्चिमी समुद्र तट के अपतट में कच्चे तेल और कंडेसेंट के क्रमशः 87.05 मिलियन टन तथा 2509.26 मिलियन टन भूगर्भीय भंडार स्थापित हुए थे।

कश्मीर के संबंध में इस्लामी देशों का दृष्टिकोण

3794. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री मोहन रावले :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री वापू हरि चौरे :
श्री शिवशरण वर्मा :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामी सम्मेलन संगठन तथा उसके सदस्य देशों को कश्मीर के संबंध में भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिये राजनयिक प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या इस्लामी देश कश्मीर के संबंध में भारत के दृष्टिकोण को अब बेहतर समझ रहे हैं और वे अब भारत-पाक मतभेदों को सुलझाने के लिये इनका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के बजाय द्विपक्षीय प्रक्रिया का समर्थन करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या कुछ अन्य देश भी अब इस मुद्दे पर बोले हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी, हां,

(ख) सरकार ने इस्लामी सम्मेलन संगठन के सदस्य देशों के साथ मंत्री, अधिकारी और राजनयिक स्तर पर विचार-विमर्श किया है और इन विचार-विमर्शों के दौरान हम उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में जम्मू और कश्मीर की स्थिति, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन और दुष्प्रेरणा तथा कश्मीर मसले को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप तथा धार्मिक रंग देने के संबंध में पाकिस्तान के दुष्प्रचार से सम्बद्ध प्रयासों से पूर्णतः अवगत कराते रहे हैं। जद्दाह में इस्लामी सम्मेलन संगठन के सचिवालय के साथ भी इस संबंध में अधिकारी स्तर पर परामर्श किए जाते रहे हैं।

(ग) और (घ) सरकार का यह मानना है कि इस्लामी सम्मेलन संगठन के सदस्य देश जम्मू-कश्मीर की स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं और इस बात को भी कि भारत पाकिस्तान के साथ सभी मतभेदों को शिमला समझौते की रूपरेखा के भीतर द्विपक्षीय आधार पर तथा शान्तिपूर्ण बातचीत के जरिए हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ड़) और (च) विश्व के विभिन्न भागों में स्थित बहुत से अन्य देशों ने सीमा पार से आतंकवाद के खतरों के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की है और उन्होंने भारत के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वह द्विपक्षीय मतभेदों को सुलझाने में निष्ठा दिखाये।

[हिन्दी]

परिवहन क्षेत्र में पूंजी निवेश

3795. **श्री भीम सिंह पटेल :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय ने नौवहन, पत्तन, सड़क, राजमार्ग, पुल और जल परिवहन क्षेत्रों में क्षेत्र-वार गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी निवेश में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :

नौवहन : जहां तक नौवहन का संबंध है, नौवहन में पूंजीगत निवेश को वृद्धि करने के लिये सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए है :—

1. अब निम्नलिखित के लिए स्वतः अनुमोदन दिया जाता है :—

(क) कुड टैंकरों और अपतटीय आपूर्ति पोतों को छोड़कर निजि जहाज मालिक कम्पनियों द्वारा सभी श्रेणियों के जहाजों की खरीद।

(ख) किसी भारतीय शिपयार्ड से जहाज की खरीद, और

(ग) प्रतिस्थापना टन-भार के लिए खरीद ।

2. नौवहन कम्पनियों को, अपने जहाजों की विदेशों में की गई बिक्री से प्राप्त राशि अपने पास रखने और नई खरीद के लिए उसका उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

3. नौवहन कम्पनियों को, बेयरबोट चार्टर-कम-डिमाइज पद्धति द्वारा वैसल्स की खरीद की अनुमति दी गई है।

4. जहाजों की मरम्मत के लिए तिमाही ब्लाक एलोकेशन स्कीम को पूर्णतः छोड़ दिया गया है और अब भारतीय रिजर्व बैंक, किसी मूल्य सीमा के बगैर, आयातित पूंजीगत माल के लिए जहाज मरम्मत/ ड्राईडाकिंग तथा हिस्से पुर्जों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करता है।

5. विदेशी ऋणदाता, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम की कुछेक धाराओं को ऋण के मामले में चूक और बंधक को पुरोबंधित किए जाने के परिणामतः मी अपेक्षाओं के बारे में ऋणदाता के अधिकार को लागू किए जाने में बाधक मानते थे। अब इन धाराओं को संशोधित कर दिया गया है ताकि भारतीय नौवहन कम्पनियों विदेशों से जहाज खरीदने के लिए बाहर से वाणिज्यिक ऋण जुटा सकें।

पत्तन :

जहां तक भारतीय महापत्तनों का संबंध है, सरकार द्वारा 8वीं योजना स्कीमों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिये 3216 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है। इस राशि को विभिन्न स्त्रोतों जैसे सरकार से बजटगत सहायता, पत्तन के आन्तरिक संसाधनों और अतिक्ति बजटगत संसाधनों से पूरा किया जाएगा। पत्तनों की निधि-आवश्यकता, इन संसाधनों से यदि अपेक्षित सीमा तक पूरी नहीं होगी तो निजी पूंजी का उपयोग किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ पत्तन कार्य कलापों के विभिन्न क्षेत्र ।। महापत्तनों में निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिए गए हैं, अर्थात् :-

(i) कंटेनर टर्मिनल की स्थापना ।

(ii) वेयर हाउसिंग तथा भण्डारण सुविधाओं की स्थापना ।

(iii) विभिन्न कार्गो हैंडलिंग टर्मिनलों का प्रचालन और रख-रखाव।

(iv) संचालन और क्रेन सेवाओं का प्रावधान।

(v) निकर्षण ।

(vi) विभिन्न पत्तन क्राफ्ट और अन्य उपकरण का रख-रखाव ।

(vii) उपकरण को पट्टे पर देना ।

इस संबंध में भारत सरकार ने नियमों को उदार बनाने और प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। उन क्षेत्रों के संबंध में व्यापक प्रचार किया गया है जिनमें इच्छुक पक्षों द्वारा निजी निवेश किया जा सकता है।

सड़कें, राजमार्ग तथा पुल :

जहां तक इस क्षेत्र का संबंध है, सरकार राष्ट्रीय राजमार्गो पर निर्माण प्रचालन और हस्तांतरण (बी० ओ० टी०) के आधार पर शुल्क आधारित सुविधाओं के निर्माण, रख-रखाव और प्रचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए निजी उद्यमियों सहित देशी/विदेशी कम्पनियों ने रुचि दिखाई है। प्रस्ताव की मुख्य रूप-रेखाओं को सरकार द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना हैं।

जल परिवहन :

जल परिवहन क्षेत्र से संबंधित योजना स्कीमों को भारी निवेश की स्कीमें माना गया है। तदनुसार गत तीन वर्षो के लिए 10.83 करोड़ रु० की राशि जारी की गई है जो निम्नलिखित है :—

वर्ष	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को योजना स्कीमों के लिए जारी की गई राशि (करोड़ रु० में)
1991-92	3.30
1992-93	3.18
1993-94	4.35
	10.83

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग

3796. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और इनकी कुल लम्बाई कितनी है,

(ख) देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई के कितने प्रतिशत हैं, और

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्य में इन विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, विकास तथा मरम्मत के लिए चलाये जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) नौ राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से गुजरते हैं जिनकी कुल लम्बाई 2117 कि० मी० है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई का यह 6.21% है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत प्रक्रिया है इसमें मरम्मत कार्य भी शामिल है। सामान्यतया राष्ट्रीय राजमार्गों को, उपलब्ध निधियों के तहत, यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

दिल्ली में टेलीफोन सेवाएं

3797. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खराब होने वाले टेलीफोनों की शिकायतों का कम्प्यूटरीकरण करने का सरकार का कोई विचार है ताकि दिल्ली में टेलीफोन सेवा में सुधार लाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब से आरम्भ हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) कुल टेलीफोनों का 30% कवर करते हुए, दिल्ली के आठ एक्सचेंज केन्द्रों में दोष मरम्मत सेवा (फाल्ट रिपेयर सर्विस) का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है।

(ग) जून, 1995 तक शेष एक्सचेंज केन्द्रों में भी कम्प्यूटरीकृत दोष मरम्मत सेवा प्रदान करने की योजना है।

[अनुवाद]

सदर्न वायरलैस कम्यूनिकेशन कम्पनी

3798. **प्रो० के० वी० थॉमस :**
श्री वी० एस० विजयराघवन :
श्री पी० सी० चाको :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास आयोग से "कॉमसाट" टेक्नालाजीज़ अमरीका के पूंजी निवेश से संयुक्त उद्यम के तौर पर साउदर्न वायरलैस कम्यूनिकेशन कंपनी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; अथवा करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रस्ताव में केरल राज्य विद्युत विकास आयोग, कॉमसेट (सी० ओ० एम० एस० ए० टी०) प्रौद्योगिकी सेवाओं और कॉमसेट अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों के बीच समझौते के परिणामस्वरूप एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना करने पर विचार किया गया है। प्रस्तावित कंपनी दो चरणों में बुनियादी टेलीफोन सेवा

प्रदान करेगी। प्रथम चरण में केरल के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है और दूसरे चरण में इस सेवा का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश तक किया जा सकता है।

(ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के कार्यान्वयन के लिए मार्गनिदेशों की घोषणा के बाद, ऐसे अन्य प्रस्तावों के साथ, इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को डीप वाटर ब्लाकों की पेशकश

3799. **श्री चित बसु :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल अन्वेषण हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र में डीप वाटर ब्लाक देने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो क्या किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) 1980 से डीप वाटर सहित अपतटीय ब्लाकों को निजी कम्पनियों के माध्यम से अन्वेषण के लिए प्रस्तावित किया गया। अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण के लिए अब तक विभिन्न दौरों के अंतर्गत ।। ठेकों पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इन ठेकों में से 10 समाप्त कर दिए गए हैं और एक ब्लाक में कार्य जारी है।

गोदावरी में फंसा कच्चा तेल वाहक जहाज

3800. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोदावरी नदी जल में के० जी० परियोजना क्षेत्र में हाल ही में एक कच्चा तेल वाहक जहाज फंस गया था,

(ख) यदि हां, तो उक्त जहाज को वहां से निकालने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और

(ग) इस नदी जल से जहाज को निकालने हेतु कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) दिनांक 12 मई, 1994 को इन्नोवेटिव- । नामक जहाज राव्वा अपतटीय क्षेत्रों से क्रूड आयल परिवहन करते समय गौतमी गोदावरी नदीं के मुहाने पर फंस गया था। 100 मी० टन क्रूड आयल के सिवाय पोत के समस्त क्रूड ऑयल को दूसरे जहाज में अन्तरित कर लिया गया है। शेष 100 मी० टन क्रूड आयल को कुछ रसायन मिलाकर ठोस बना दिया गया है।

(ग) प्रचालनों पर किये गये व्यय का आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा अभी तक अनुमान लगाया जाना है।

डाक व तार कार्यालयों में दलाल बनाना

3801. **श्री विनय कटियार :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों, विशेषकर पहियेदार कुर्सियों का प्रयोग करने वालों, को उन डाक व तार विभाग के कार्यालयों में प्रवेश करने में कठिनाई होती है जिनके प्रवेश-द्वार पर ढलान नहीं बनी हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार डाक व तार के उन क्षेत्रीय एवं मुख्य कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर विकलांग व्यक्तियों के लिए ढलान का निर्माण कराने का है जहां पर ये बनी हुई नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो कब तक इन ढलानों का निर्माण कर लिया जायेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में स्वयंसेवी एजेंसियों एवं गैर-सरकारी संस्थाओं को शामिल करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जनता से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (च) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में डाकघर

3802. **डॉ० साक्षी जी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें से कितनी ग्राम पंचायतों में इस समय डाकघर सुविधा उपलब्ध है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) इस समय उत्तर प्रदेश में 74,377 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से 17,446 ग्राम पंचायतों में डाकघर हैं।

दिल्ली में डायनिमिक एस० टी० डी० पुनः लगाना

3803. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत छः माह के दौरान चाणक्यपुरी एक्सचेंज में डायनमिक एस० टी० डी० सुविधा के पुनः लगाने संबंधी कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने मामलों में एस० टी० डी० सुविधा पुनः लगाई गई है और इनमें कितना समय लगा;

(ग) कितने मामलों में अभी एस० टी० डी० सुविधा पुनः लगाई जानी बाकी है; और

(घ) ऐसे अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) पिछले 6 महीनों के दौरान, चाणक्य पुरी एक्सचेंज में डायनिमिक एस० टी० डी० दुबारा लगाने के लिए 532 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) 521 मामलों में, एक महीने के भीतर एस० टी० डी० दुबारा लगा दी गई थी। 11 मामले, अधूरे आवेदन-पत्रों/औपचारिकताओं के कारण विचाराधीन है। इस संबंध में उपभोक्ताओं को पत्र लिख दिया गया हैं।

(घ) ऊपर भाग (ख) और (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

3804. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान कुल कितनी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादनों का आयात किया गया, और

(ख) इन पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान करीब 7041.43 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग 12.08 मि० मी० टन पेट्रोलियम उत्पाद का आयात किया गया था।

टेलीफोन परामर्शदात्री समितियां

3805. **श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितनी टेलीफोन परामर्शदात्री समितियां काम कर रही हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक समिति में कितने सदस्य नियुक्त किए गए हैं और उनकी नियुक्ति किस मानदण्ड के आधार पर होती है;

(ग) इन सदस्यों को टेलीफोनों के आबंटन, मुफ्त टेलीफोन की सुविधाओं आदि के तौर पर कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं;

(घ) क्या समितियों के कुछ सदस्यों के बारे में भ्रष्टाचार में लिप्त रहने एवं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(ड़) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) संचार मंत्रालय में 136 टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।

(ख) सामान्तया विभिन्न टी० ए० सी० में नियुक्त सदस्यों की संख्या तथा उनके संबंधित व्यवसाय के ब्यौरे संलग्न विवरण-एक में दिए गए हैं। इन सदस्यों के नामांकन के लिए संचार राज्य मंत्री के कार्यालय को संसद सदस्यों सहित विभिन्न स्थानीय निकायों तथा जनसेवकों से सिफारिशें प्राप्त होती है। टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन करते समय संबंधित सर्किलों के मुख्य महाप्रबंधकों से प्राप्त सिफारिशों के साथ-साथ उक्त सिफारिसों पर विचार किया जाता है।

(ग) टेलीफोन सलाहकार समितियों के सदस्यों के कार्यों/शक्तियों/विशेषाधिकारों के ब्यौरे संलग्न विवरण दो में दिए गए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ड़) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध-1

विवरण-एक

दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियां-स्वरूप एवं सम्बद्ध व्यवसाय

क्र० सं०	सम्बद्ध व्यवसाय की श्रेणी	बंबई कलकत्ता दिल्ली की टेलीफोन सलाहकार समितियां	मद्रास की टेलीफोन सलाहकार समितियां	4 राज्यों की दूरसंचार सलाहकार समितियां	13 राज्यों की दूरसंचार सलाहकार समितियां	महाप्रबंधकों के अंतर्गत 26 टेलीफोन जिलों की टेलीफोन सलाहकार समितियां	दूरसंचार जिला प्रबंधक के 76 टेलीफोन जिलों की टेलीफोन सलाहकार समितियां	अन्य 13 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की टेलीफोन सलाहकार समितियां
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)
1.	संसद सदस्य	3	3	3	3	2	2	2
2.	राज्य विधान मण्डल	4	3	4	3	3	2	3
3.	राज्य प्रशासन	1	1	1	1	1	1	1
4.	निगम या नागरिक निकाय	2	1	—	—	1	1	—
5.	प्रेस	4	3	4	3	2	1	1
6.	चिकित्सा व्यवसाय	2	2	2	2	2	1	1
7.	विधि व्यवसाय	2	2	2	2	2	1	1
8.	इंजीनियर वास्तविक आदि जैसे अन्य सभी व्यवसाय।	2	2	2	2	2	1	1

9. व्यवसाय, वाणिज्य एवं उद्योग	10	6	10	6	5	5	4
10. जन सेवी एवं अन्य	10	7	12	8	5	5	6
कुल :	40	30	40	30	25	20	20

(क) विहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तथा राजस्थान।

(ख) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश।

(ग) अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलूर, बड़ोदरा, कालीकट, कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, हैदराबाद, जयपुर, लुधियाना, लखनऊ, मदुरई, मंगलौर, पुणे, राजकोट, सूरत, महाप्रबंधक (एन) बरेली, महाप्रबंधक (ई) वाराणसी, निदेशक (डब्ल्यू) देहरादून, निदेशक (सी) लखनऊ, दिल्ली (सी) दिल्ली (ई), दिल्ली (डब्ल्यू), दिल्ली (एन) तथा दिल्ली (एस)।

(ग) आगरा, इलाहावाद, अम्बाला, अल्लेपी, अहमदनगर, अगरतला, आसनसोल, बुलसर, भुज, भावनगर, बेलगाम, भोपाल, चित्तूर, कन्नानोर, कटक, कूडडालोर, दिमापुर, ईलूरू, ईरोहे, फरीदाबाद, फिरोजपुर, गुंटाकल, गुवाहाटी, गुंटूर, गाजियाबाद, हुबली, हिसार, इंदौर, इम्फाल, जूनागढ़, जबलपुर, जामनगर, जलगांव, जलंधर, कुरनूल, कोट्टायम, कल्याण, मेहसाना, मैसूर, मेरठ, नागपुर, नाडियाड, नासिक, पटना, पालघाट, पंजिम, पटियाला, पोर्ट ब्लेयर, राजमुन्द्री, रोहतक, श्रीनगर, शोलापुर, शिलांग, सलेम, सिलीगुड़ी, त्रिवेन्द्रम, त्रिचुर, त्रिची, तिरुनेलवेली, तंजौर, विजयवाड़ा, वाराणसी, वेल्लोर, क्विलान, ईटानगर, रांची, जम्मू, कोडागू, रायपुर, आइजवाल, भुवनेश्वर, पठानकोट, जोधपुर तथा गंगटोक।

(ड़) मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, अण्डमान एवं निकोवार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दमन एवं दिव, लक्ष्यदीप एवं मिनिकाय, दादर एवं नगर हवेली, पाण्डेचेरी।

विवरण-दो

टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों के कार्य/शक्तियां/ विशेषाधिकार इस प्रकार हैं:—

(क) दूरसंचार सेवाओं के निष्पादन की मानीटरिंग करना तथा विभाग को उनके सुधार के लिए सलाह देना।

(ख) उपभोक्ताओं तथा दूरसंचार विभाग को एक दूसरे के निकट सम्पर्क में लाना।

(ग) जनता को यह विश्वास दिलाना कि उनकी शिकायतों का समुचित प्रतिनिधित्व किया जा रहा है तथा उन्हें आगे प्रस्तुत किया जा रहा है।

(घ) टेलीफोन सेवाओं में सुधार एवं विकास करने के लिए विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई का प्रचार-प्रसार करना।

(ड़) जनता के सहयोग एवं विश्वास से टेलीफोन उपस्कर तथा लाइनों की कमियों से निपटने के लिए विभाग को सहयोग करना।

(च) नियमों में यथा उपबंधित ओ० वाई० टी० तथा गैर-ओ० वाई० टी० विशेष श्रेणियों के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची में दर्ज विभिन्न आवेदकों की तुलनात्मक आवश्यकता का संयुक्त मूल्यांकन करके न्यायोचित आधार पर बिना बारी के कनेक्शनों के बारे में निर्णय करने में विभाग को सहयोग करना।

(छ) टी० ए० सी० के सदस्यों को उनके कार्यकाल के दौरान बिना बारी के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन दिए जाते हैं। टेलीफोन के लिए कोई किराए प्रभार नहीं लिए जाते हैं तथा द्विमासिक आधार पर 1150 निशुल्क कालों की अनुमति है, तथा

(ज) टी० ए० सी० के सदस्यों को बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से देय दर से टीए/डीए प्राप्त करने का अधिकार है।

कोचीन डॉक लेयर बोर्ड में कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का विलय

3806. **श्री अनतराव देशमुख :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन डॉक लेवर बोर्ड में कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का विलय करने के लिए कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) ऐसे विलय से क्या-क्या लाभ प्राप्त होंगे?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) 11.7.1994 से कम्पोजिट गैंग्ज की बुकिंग के साथ कोचीन में कोचीन पत्तन न्यास के साथ कोचीन डाक लेवर बोर्ड के विलय का प्रथम चरण पूरा हो गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कोचीन पत्तन न्यास/कोचीन डाक लेवर बोर्ड के प्रबंधन और कोचीन पत्तन न्यास/कोचीन डाक लेबर बोर्ड में कार्यरत विभिन्न यूनियनों के बीच दिनांक 6.6.94 को हुए समझौते के फलस्वरूप ऐसा हुआ है। इस विलय से पत्तन के कार्यकरण पर आने वाली लागत में कमी आएगी और अधिक गैंग उपलब्ध होंगे।

[हिन्दी]

दिल्ली में.टेलीफोन कनेक्शन

3807. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली महानगर टेलीफोन निगम के पास टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं; और

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को वर्तमान वर्ष के अन्त तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1,95, 956।

(ख) 1995 के अंत तक वर्तमान प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए अनंतिम योजनाएं तैयार की गई हैं बशर्ते की समय पर उपस्कर, सामग्री और वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

भारतीय डाक अधिनियम में संशोधन

3808. **श्री शरत पटनायक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय डाक अधिनियम में संसोधन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) सरकार ने भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में किये जाने वाले संशोधनों के ब्यौरों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण

3809. **श्री राम निहोर राय** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण हेतु क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं,

(ख) क्या इन उत्पादों के लागत मूल्य में गत तीन वर्षों के दौरान संशोधन किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत सरकार द्वारा शासित होती हैं और यह उत्पादन लागतों, मांग वृद्धि तथा अन्य सामाजिक आर्थिक विचारों जैसे विभिन्न पहलुओं का आकलन करते हुए नियत की जाती हैं।

(ख) और (ग) तेल कम्पनियों हेतु लागतों तथा लाभों को इनकी (तेल कम्पनियों की) प्रचालन लागतों, मांग वृद्धि तथा अन्य सामाजिक आर्थिक विचारों जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर 1994 में पूर्व प्रभाव से अद्यतन एवं संशोधन किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में एल० पी० जी० एजेंसियां

3810. **श्री राम टहल चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में एल० पी० जी० की कितनी एजेंसियां हैं, और

(ख) राज्य में एल० पी० जी० की मांग और पूर्ति संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1 जून, 1994 की स्थिति में बिहार राज्य में 161 एल० पी० जी० (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कार्य कर रही थीं।

(ख) अप्रैल-जून, 1994 की अवधि के दौरान बिहार राज्य में एल० पी० जी० (रसोई गैस) की मांग लगभग 21838 मी० टन थी और इसे तेल उद्योग द्वारा पूर्णतया पूरा किया गया है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण एककों को घाटा

3811. **श्री वी० एल० शर्मा "प्रेम" :**
श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत कार्यरत खाद्य-प्रसंस्करण एककों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के घाटे से चल रहे एककों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे एककों को वन्द करने अथवा उन्हें अर्थक्षम वनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में मत्स्यकी परियोजनायें

3812. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में जिन विदेशी और देशी कंपनियों को गहरे सागर में मत्स्यकी परियोजनायें स्थापित करने की अनुमति दी गई है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन देशों ने देश में गहरे सागर में मत्स्यिकी परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में भारतीय उद्यमियों की सहायता के लिये शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) किसी भी विदेशी मत्स्यन कम्पनी को भारत में गहन समुद्री मत्स्यन परियोजना स्थापित करने के लिए मंजूरी नहीं दी गयी है। परन्तु 51 भारतीय कम्पनियों जिनमें आन्ध्र प्रदेश की 11 कम्पनियां भी शामिल हैं, को नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति 1991 की शर्तों के अनुसार विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग करते हुए गहन समुद्री मत्स्यन परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति दी गयी है।

(ख) रूस, अमरीका, एस्टोनियां, फ्रांस, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चीन, ताइवान, थाईलैण्ड, फिलीपीन्स और कनाडा की विदेशी कम्पनियों ने भारतीय कम्पनियों के साथ गहन समुद्री मत्स्यन परियोजनाएं लगाने का प्रस्ताव किया है या परियोजनाएं लगाई हैं।

(ग) देशी उद्यमियों, जिनमें आन्ध्र प्रदेश के उद्यमी भी शामिल हैं, की सहायता के लिए चालू वर्ष में कोल्ड चेन स्थापित करने की स्कीम, टूना तथा दूसरी मछलियों के प्रसंस्करण की स्कीम, विविधीकृत मत्स्यन के लिए सहायता और गहन समुद्री मत्स्यन जलयान प्राप्त करने के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी देने के लिए स्कीम चलायी जा रही हैं।

हुगली नदी के तल को गहरा करना

3813. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाहों की रक्षा हेतु हुगली नदी के तल को गहरा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में इछापुर कुएं से तेल तथा प्राकृतिक गैस कंपनी रिग को हटाना

3814. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में इछापुर कुएं से अपने रिग हटा लिये या हटाने का निर्णय ले लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो वहां गवेषण कार्यों में कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक रिग पश्चिमी बंगाल में नादिया जिलान्तर्गत इछापुर-2 में वेधन कार्य में पहले ही लगी हुई है। तथापि वेधन योजना के अनुसार इछापुर-1 के वेधन के उपरान्त एक दूसरी रिग को पूर्वी क्षेत्र में भेज दिया गया है।

(ग) अब तक इछापुर-1 कूप का वेधन कर लिया गया है तथा कूप इछापुर-2 का वेधन चल रहा है। इछापुर-2 का वेधन पूरा हो जाने के उपरांत एक और स्थान शांतिपुर-1 को वेधन हेतु योजनाबद्ध किया गया है। हाल ही में इछापुर क्षेत्र में 3-डी भूकम्पीय आंकड़ा भी प्राप्त कर लिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का कर्तव्य निभाते हुए मारे गये भारतीय सैनिक

3815. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस और बेल्जियम ने संयुक्त राष्ट्र से कहा था कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का कर्तव्य निभाते हुए मारे गए भारतीय सैनिकों को पश्चिमी देशों के सैनिकों के परिवारों की तुलना में कम मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाये क्योंकि विकासशील देशों में मानवशक्ति सस्ती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मांग पर आपत्ति जताई थी; और

(ग) इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, मृत्यु-मुआवजे के भुगतान के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान पद्धति में विसंगति है जिसके अनुसार मुआवजे का केवल वही स्तर है जिस पर अलग-अलग देश मृतक के परिवारों को अदायगियां करते हैं। इसलिए मृतक सैनिकों के परिवारों को मृतक सैनिकों की राष्ट्रिकता के आधार पर अलग-अलग मुआवजा मिलेगा। भारत सरकार इस बात के पक्ष में है कि सैनिक राष्ट्रिकता पर ध्यान न देकर मृत्यु-मुआवजें की रकम एक जैसी होनी चाहिए। भारत इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र में चर्चाओं के दौरान उठा रहा है।

एल॰ पी॰ जी॰ पर आयात शुल्क

3816. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एल॰ पी॰ जी॰ आयात शुल्क में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी की गई है;

(ग) क्या इससे एल॰ पी॰ जी॰ के मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) एल॰ पी॰ जी॰ (रसोई गैस) के संबंध में सीमा शुल्क 12 जनवरी, 94 से 85% से 25% तक कम किय गया था तथा 1 मार्च, 94 से इसे 15% तक और कम कर दिया गया था।

(ग) और (घ) पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में मूल्य परिवर्तन केवल आयात पर सीमा शुल्क पर

ही निर्भर नहीं करते हैं; बल्कि यह घरेलू उत्पादन की प्रवृत्तियों, इसकी लागतों/आयातों की मात्रा/विनिमय संबंधी उतार चढ़ावों जैसे अन्य पहलुओं पर भी निर्भर करते हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में सड़क परियोजनाएं

3817. **प्रो॰ रासा सिंह रावत :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के वे कौन-कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनके संदर्भ में पुलिया बाई-पास के निर्माण और सड़कों के चौड़ी करण से संबंधित योजना विचाराधीन है/लागू किए जाने के करीब हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : सम्भवतः माननीय संसद सदस्य राजस्थान के उन राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम जानना चाहते हैं जिन पर पुलियों, बाईपासों के निर्माण और उन्हें चौड़ा करने संबंधी कार्य विचाराधीन हैं/चल रहे हैं। अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

रा॰ रा॰ संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम
3	आगरा—बम्बई
8	दिल्ली—बम्बई
11	आगरा—बीकानेर
11ए	मनोहर पुर —दौसा
12	जबलपुर — जयपुर
14	बेवर—राधनपुर
15	पठानकोट—समाखियाली

मध्य प्रदेश में पेट्रोल/डीजल/मिट्टी के तेल और रसोई गैस के वितरक

3818. **श्री मोतीलाल सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) तेल चयन बोर्ड ने मध्य प्रदेश में 1993-94 के दौरान अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कितने आवेदकों को पेट्रोल/डीजल/मिट्टी के तेल/रसोई गैस के वितरकों के रूप में नियुक्त किया;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने तेल कंपनियों द्वारा उक्त वितरकों को एक पूर्ण सुविधाओं युक्त वितरण केन्द्र का आवंटन करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन सी तेल कंपनियों ने उक्त वितरकों कों पूर्ण सुविधा युक्त वितरण केन्द्र आवंटित किए हैं और ऐसे वितरकों की संख्या क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन

3819. **श्री शिवशरण वर्मा :**
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में जिलावार कितने रसोई गैस कनेक्शन दिए जाने थे;

(ख) क्या 1994-95 के दौरान राज्य में रसोई गैस कनेक्शन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये कनेक्सन कब तक दे दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) नए गैस कनेक्शनों का आबंटन राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता। प्रतीक्षा सूची, उत्पाद उपलब्धता और डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध स्लैक के आधार पर डिस्ट्रीब्यूटर को आबंटित नए ग्राहक नामांकन के मद्देनजर प्रतीक्षारत आवेदकों को पंजीयन के क्रमानुसार नए एल॰ पी॰ जी॰ कनेक्शन जारी किये जाते हैं। एल॰ पी॰ जी॰ की उपलब्धता के अधीन अधिक से अधिक कनेक्शन यथाशीघ्र प्रदान करने का प्रयास निरन्तर जारी है।

कलकत्ता बंदरगाह को हल्दिया बंदरगाह परिसर से अलग करना

3820. **श्री सुब्रत मुखर्जी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता बंदरगाह को हल्दिया बंदरगाह परिसर से अलग करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या है,

(ग) क्या इस प्रस्ताव का पशिचमी बंगाल राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) सरकार ने प्रचालनात्मक और तकनीकी पहलुओं आदि को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता और हल्दिया गोदी प्रणालियों

के परस्पर मिलकर एक अथवा दो पत्तनों के रूप में अलग-अलग प्रचालन करते हुए संभावित परिणामों और निहितार्थों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है। अगली कार्यवाही समिति की रिपोर्ट का निष्कर्ष प्राप्त होने और सभी संगत पहलुओं की दृष्टि से इसकी जांच पर निर्भर करेगी।

रावा तेल क्षेत्रों और के०जी० बेसिन में तेल भंडार

3821. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) के जी वेसिन में रावा तेल क्षेत्र में तेल और गैस भण्डारों की अनुमानतः कितनी मात्रा उपलब्ध है;

(ख) वहां कितने कुओं की खुदाई की गई, अव तक कितनी राशि खर्च की गई, कितने प्लेटफार्म तैयार किए गए, कितने प्रक्रिया रिग संचालन में हैं और इन पर कितनी लागत आई है; और

(ग) अभी कितने प्लेटफार्मों का निर्माण किया जाना शेष है और इसके लिए कितने रिगों और धन की आवश्यकता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 01 अप्रैल, 94 को स्थिति में राव्वा क्षेत्र में वसूली योग्य 16.52 मिलियन टन तेल एवं कन्डेन्सेट का तथा 6817.2 एम० एम० एम० 3 गैस का भंडार था।

(ख) 01 अगस्त 1994 की स्थिति के अनुसार आयल एण्ड नैचुरल गैस कारपोरेशन ने रावा क्षेत्र में 30 कूपों का वेधन कर लिया है। अपतटीय क्षेत्र के अन्तर्गत 4 कूपों को संबद्ध करते हुए दो कूप प्लेटफार्म वनाए गए हैं। वर्तमान में वहां कोई संसाधन/प्लेटफार्म/संसाधन रिग नहीं है। आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने राव्वा में वेधन के संवंध में 31 मार्च, 1994 तक 234.56 करोड़ रुपए को धनराशि व्यय कर दी है। 31 मार्च, 1994 तक प्लेटफार्मो तथा सहबद्ध सुविधाओं के संवंध में किया गया व्यय 112.86 करोड़ रुपए था।

(ग) यह निर्णय लिया गया है कि राव्वा क्षेत्र का आगे का विकास कार्य संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से किया जाएगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को मिट्टी के तेल की आपूर्ति

3822. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य को मिट्टी के तेल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) केरोसीन के अतिरिक्त आबंटन के संबंध में राज्य सरकारों से समय समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। तथापि उत्पाद उपलब्धता, विदेशी मुद्रा तथा इसमें अन्तर्निहित भरी राजकीय सहायता संबंधी कठिनाइयों के कारण राज्यों की पूरी मांग को पूरा करना संभव नहीं है।

1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश को आवंटित की गई मिट्टी के तेल की मात्रा 411534 मी० टन थी जो 1992-93 की तुलना में 8.31% अधिक थी। इसी प्रकार 1994-95 के लिए आवंटन को 1993-94 को तुलना में 7.9% को बढ़त के साथ 446055 मी० टन बढ़ाया गया है जो 3% को राष्ट्रीय औसत वढ़त की तुलना में बहुत अधिक है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—47 पर पुल का निर्माण

3823. **श्री एन० डेनिस** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 पर पुराने पुल की जगह पर नए पुल के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय कुषीतुरै नदी पर पुराने पुल के स्थान पर एक नए पुल के निर्माण से हैं। जी हां। कुपीतुरे नदीं पर पुराने पुल के स्थान पर एक नए पुल के निर्माण का प्रस्ताव है और उसके लिए भूमि-अधिग्रहण का कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

राज्यों में डाक-तार घर

3824. **मंजय लाल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस समय डाक और तार कार्यालयों और टेलीफोन एक्सचेंजों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या डाक और तार कार्यालयों की वर्तमान संख्या जनसंख्या के अनुपात में नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इनकी संख्या बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) डाकघरों, तारघरों तथा टेलीफोन एक्सचेंजों की राज्यवार संख्या क्रमशः संलग्न विवरण एक दो व तीन में दी गई है।

(ख) **डाकघर** :- डाकघर वार्षिक योजनाओं के तहत उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं बशर्ते कि विभागीय मानदंडों की पूर्ति होती हो व संसाधन उपलब्ध रहें। दिनांक 31-3-94 की स्थिति के अनुसार एक डाकघर द्वारा औसतन 5527 लोगों को सेवा प्रदान की जाती है।

तारघर :- तारघर, मांग, आवश्यकता तथा व्यवहार्यता के आधार पर खोले जाते हैं न कि केवल जनसंख्या के आधार पर।

(ग) **डाकघर** :- गत तीन वर्षों के दौरान देश में 3995 डाकघर खोले गए।

तारघर :- उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण—एक

दिनांक 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार डाकघरों का राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा।

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार	97
2.	आन्ध्र प्रदेश	16203
3.	अरुणाचल प्रदेश	283
4.	असम	3807
5.	बिहार	11770
6.	चंडीगढ़	50
7.	दिल्ली	551
8.	दादर एवं नगर हवेली	34
9.	दमन एवं दियू	17
10.	गोवा	249
11.	गुजरात	8890
12.	हरियाणा	2582
13.	हिमाचल प्रदेश	2726
14.	जम्मू व कश्मीर	1583
15.	कर्नाटक	9781
16.	केरल	5034
17.	लक्षद्वीप	10
18.	मध्य प्रदेश	11214
19.	महाराष्ट्र	12269
20.	मणिपुर	671

1	2	3
21.	मेघालय	478
22.	मिजोरम	383
23.	नागालैंड	299
24.	उड़ीसा	8072
25.	पांडिचेरी	100
26.	पंजाब	3837
27.	राजस्थान	10282
28.	सिक्किम	196
29.	तमिलनाडु	12095
30.	त्रिपुरा	701
31.	उत्तर प्रदेश	20035
32.	पश्चिम बंगाल	8470
	अखिल भारतीय योग :	152776

विवरण-दो

तारघरों से संबंधित राज्यवार जानकारी

क्र० सं०	जिले का नाम	तारघरों की संख्या
1	2	3
1.	असम	476
2.	आन्ध्र प्रदेश	3963
3.	अरुणाचल प्रदेश	29
4.	बिहार	4258
5.	दिल्ली	45
6.	गुजरात (दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दियू सहित)	1809
7.	गोवा	73
8.	हिमाचल प्रदेश	732
9.	हरियाणा	393

1	2	3
10.	जम्मू एवं कश्मीर	421
11.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	2092
12.	कर्नाटक	4234
13.	मध्य प्रदेश	2411
14.	महाराष्ट्र	2878
15.	मेघालय	63
16.	मणिपुर	49
17.	मिजोरम	10
18.	नागालैंड	17
19.	उड़ीसा	1378
20.	पंजाब	610
21.	राजस्थान	2179
22.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	6633
23.	सिक्किम	50
24.	त्रिपुरा	55
25.	उत्तर प्रदेश	6175
26.	पश्चिम बंगाल	2040

विवरण-तीन

दिनांक 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों का राज्यवार दर्जा।

क्र० सं०	राज्य	दिनांक 31.3.94 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2029
2.	असम	269
3.	बिहार	743
4.	गुजरात (दादर एवं नगर हवेली दमन और दियू सहित)	1262

1	2	3
5.	हरियाणा	605
6.	हिमाचल प्रदेश	410
7.	जम्मू एवं कश्मीर	198
8.	कर्नाटक	1866
9.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	715
10.	मध्य प्रदेश	2338
11.	महाराष्ट्र (गोवा एवं एम० टी० एन० एल०, बम्बई सहित)	2238
12.	उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मेघालय सहित)	200
13.	उड़ीसा	733
14.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	691
15.	राजस्थान	1240
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी और मद्रास सहित)	1319
17.	उत्तर प्रदेश	1502
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम, अंडमान और निकोबार तथा कलकत्ता सहित)	574
19.	दिल्ली	111
		19043

सन्तरे का निर्यात

3825. **श्री दत्ता मेघे :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संतरा निर्यातकों को विशेष रूप से महाराष्ट्र में कौन-कौन से प्रोत्साहन दिए गये हैं/ दिये जाने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : सरकार ने संतरों सहित ताजे फलों का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता और हवाई जहाज द्वारा बागवानी निर्यातों के परिवहन के लिए राजसहायता शामिल है। महाराष्ट्र के संतरा निर्यातक भी स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं।

[अनुवाद]

गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

3826. **श्री हाराधन राय :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए राज्यवार कितनी गैस की आवश्यकता है;

(ख) क्या इन संयंत्रों को आवश्यकता के अनुसार गैस की सप्लाई की जा रही है;

(ग) यदि, नहीं तो इसके क्या कारण है; और

(घ) उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वांछित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) पश्चमी अपतटीय क्षेत्रों से उपलब्धता में कमी के कारण उरन हाजिरा और एच० बी० जे० पाइपलाइन से विद्युत संयंत्रों को गैस की आपूर्ति को सीमित किया जा रहा है।

(घ) गैस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में नये क्षेत्रों का विकास, विद्यमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास, ट्रंक पाइपलाइनों का निर्माण तथा गैस टर्मिनलों की क्षमता को बढ़ाना शामिल है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	जरूरत (एम० एम० एस० सी० एम० डी०)
1.	आंध्र प्रदेश	0.40
2.	आसाम	1.38
3.	दिल्ली	0.60
4.	गुजरात	6.05
5.	महाराष्ट्र	4.50
6.	राजस्थान	1.75
7.	तमिलनाडु	0.06
8.	त्रिपुरा	0.34
9.	उत्तर प्रदेश	5.25

टेलीफोन नम्बर 178 पर सेवा

3827. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीफोन नम्बर 178 पर अतिविशिष्ट क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतें दर्ज की जाती हैं;

(ख) जनवरी, 1994 से जुलाई, 1994 तक की अवधि में विशिष्ट क्षेत्रों से टेलीफोन केन्द्रवार कितनी शिकायतें प्रप्त हुई;

(ग) इन खराबियों को सुधारने में औसतन कितना समय लगा;

(घ) गैर-अति विशिष्ट क्षेत्रों को प्रदान की गई मरम्मत सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) जनवरी से जुलाई, 1994 की अवधि में गैर-अतिविशिष्ट क्षेत्रों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(च) इन खराबियों को दूर करने में औसतन कितना समय लगा;

(छ) क्या अतिविशिष्ट क्षेत्रों की खराबियों को दूर करने में गैर-अतिविशिष्ट क्षेत्रों की तुलना में औसतन कम समय, लगा; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं। दिल्ली टेलीफोन में 178 सेवा, वरिष्ठ अधिकारियों, संसद सदस्यों, मंत्रियों तथा सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं के, प्रचालनात्मक रूप से महत्वपूर्ण टेलीफोमों की शिकायतों की विशेष मानीटरिंग के लिए खोली गई है।

(ख) दिल्ली में 178 पर, जनवरी, 1994 से जुलाई, 1994 तक दर्ज ऐसी शिकायतों की कुल संख्या 7077 है। 178 पर एक्सचेंजवार कोई पृथक डाटा नहीं रखा जाता।

(ग) दोष ठीक करने में औसतन 3 से 5 घंटे का समय लगता है। फिर भी, केबिल टूट जाने, केबिल चोरी हो जाने आदि जैसी खराबियों को ठीक करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग जाता है।

(घ) सभी क्षेत्रों के लिए दोष मरम्मत सेवा टेलीफोन नंबर 198/xxx2198 पर उपलब्ध है। दिल्ली में किसी भी उपभोक्ता को टेलीफोन नंबर 198 पर अपनी शिकायत दर्ज करानी होती है, लेकिन ऐसा उसी स्थिति में होगा जब कि संबद्ध उपभोक्ता का दोषयुक्त नंबर उसी एक्सचेंज का हो जिस एक्सचेंज के टेलीफोन नंबर से वह कॉल कर रहा है। दोषयुक्त नंबर किसी अन्य एक्सचेंज का होने पर, उपभोक्ता को xxx2198 डायल करना होता है। इसमें xxx एक्सचेंज के पहले के 2/3 अंकों को दर्शाता है। बंबई में उपभोक्ता को प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक xxx2198 डायल करना और सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक 198 डायल करना अपेक्षित है।

(ङ) ब्यौरे निम्नानुसार है :—

दिल्ली :	1788830
बंबई :	1986443

(इसमें अतिविशिष्ट व्यक्ति तथा इनके अतिरिक्त अन्य उपभोक्ता, दोनों शामिल हैं)

(च) दिल्ली में लगभग 66% खराबियों और बंबई में 46% खराबियों का, 24 घंटे के भीतर

निपटान कर दिया जाता है। अधिकांश खराबियों का निपटान 2 से 3 दिनों के भीतर कर दिया जाता है। तथापि, कबिल टूट जाने/ केबिलों की चोरी हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली खराबियों को ठीक करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सोवियत संघ में भारतीय विद्यार्थी

3828 : **श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन के समय यहां कितने विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा सुविधा/ प्रायोजित छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहे थे;

(ख) इसमें से कितने विद्यार्थियों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है तथा सरकार ने उन्हें सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) राष्ट्रकुल के स्वतंत्र देशों में आधिकारिक रूप से भेजे गए ऐसे कितने विद्यार्थी शिक्षण सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं;

(घ) क्या इन विद्यार्थियों को रूस और अन्य गणतंत्र देशों में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ड़) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (ड़) पुर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र में भारतीय छात्रों के कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि वहां विभिन्न माध्यमों से जाने वाले छात्रों का मास्को स्थित हमारे राजदूतावास में पंजीकरण स्वेच्छा के आधार पर होता है। प्रायोजन विविध प्रकार का है और जहां तक सरकारी आंकड़ों का सवाल है वे उन्हीं मामलों में सही हैं जिन मामलों में छात्रों का प्रायोजन सरकार से सरकार के आधार पर किया जाता है।

सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ भंग हो जाने के परिणामस्वरूप जो स्वतंत्र राज्य बने उनके लिए विदेशी छात्रों को वित्तीय और दूसरी प्रकार की सहायता देना कठिन था। बहुत हद तक इसलिए कि उनके सामने स्वयं आर्थिक कठिनाइयां थीं। बहरहाल, भारत सरकार ने संबद्ध सरकारों पर इस बात की सहायता की आवश्यकता पर बल दिया कि जहां तक हो सके वे सहायता दें ताकि प्रायोजित छात्र अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। उक्रेनियाई सरकार ने तो यह स्वीकार कर लिया है कि उक्रेन की शिक्षा संस्थाओं में जो लोग 1992 तक शिक्षा के लिए दाखिल किए गए थे उन्हें "पहले की शर्तों के अनुसार" अपनी शिक्षा पूरी करने की अनुमति होगी। लेकिन "स्वतंत्र राज्य राष्ट्रकुल" के अन्य राज्यों ने औपचारिक रूप से ऐसा नहीं किया। फिर भी भारत सरकार की कोशिशों से जहां तक बन पड़ा है कुछ सहायता और कुछ रियायतें राष्ट्रकुल के नवोदित राज्यों ने दी हैं।

सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के विघटन के समय लगभग 3300 छात्र वहां निःशुल्क शिक्षा सुविधा/प्रायोजित छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे थे। इस बात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि वास्तव में कितने छात्रों ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार पूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में ऐसे प्रायोजित छात्रों की संख्या इस समय लगभग 2000 है जो अब भी शिक्षा सुविधाएं ले रहे

हैं। आधिकारिक तौर पर प्रायोजित छात्रों की संख्या बराबर घट रही है क्योंकि 1991 के बाद इसकी पेशकश ही नहीं की गई।

पूर्व सोवियत संघ के राज्यों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की सहायता के लिए सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए हैं, उनमें शामिल है:

(1) पूर्व सोवियत संघ में पढ़ने वाले छात्रों को प्रति छात्र प्रतिमाह 50 अमरीकी डालर दिया जाना जिसके बदले उन्हें बराबर मूल्य के रुपए भारत में जमा कराने होंगे।

(2) जो छात्र भारत आना चाहें उनके लिए भारतीय रुपए में भुगतान के बदले भुगतान पर एअर इंडिया का पूर्व भुगतान टिकट का जारी किया जाना।

(3) जहां आवश्यक हो सरकारी नियमों और सुझावों के अनुसार देश प्रत्यावर्तन का प्रबन्ध किया जाना।

(4) कुछ स्वतंत्र राज्यों में असैनिक गड़बड़ी से प्रभावित और जरूरत-मंद छात्रों के लिए मास्कों में पारगमन का प्रबन्ध किया जाना।

इसके अतिरिक्त सरकार ने संबद्ध सभी लोगों को सूचित करते हुए समय-समय पर मशवरे जारी किए हैं कि पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद जहां तक विदेशी छात्रों का संबंध है पूर्व सोवियत संघ के राज्यों में शिक्षा नीतियां बदल रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय ने छात्रों को यही सलाह दी है कि वे पूर्व सोवियत संघ की शिक्षा संस्थाओं में अपने पैसे से पढ़ने के लिए अथवा गैर-सरकारी प्रायोजन के आधार पर सीधे दाखिल न लें। ये नोटिस भारतीय छात्रों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।

भारतीय छात्रों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनमें शामिल हैं। संस्थाओं की ओर से शिक्षा-शुल्क ठोस मुद्रा में जमा कराने का आदेश, संस्थाओं की ओर से मिलने वाली शिक्षा वृत्ति की रकम का अपर्याप्त होना, स्थानीय मुद्रा में विमान किराए में वृद्धि तथा जरूरी चीजों के मूल्य में वृद्धि के कारण होने वाली कठिनाई और वस्तुओं के अभाव की सामान्य समस्या 1 सरकार ने जिन उपायों का ऊपर उल्लेख किया है उनका उद्देश्य इन्हीं कठिनाईयों को कम करना है।

आन्ध्र प्रदेश में नए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

3829. **श्री थोटा सुब्बाराव :**
श्री जी॰ गंगा रेड्डी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों के क्या नाम हैं जिन्हें अब तक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में परिवर्तित नहीं किया गया है;

(ख) कब तक इन्हें परिवर्तित किया जाएगा; और

(ग) 1994-95 के दौरान किन-किन स्थानों पर सरकार ने नए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) (I) कम क्षमता वाले गैर-इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों को मार्च, 97 तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की योजना है।

(ii) बड़ी क्षमता वाले गैर-इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों को उनकी मियाद समाप्त होने के बाद बदल दिया जाएगा।

(ग) कम क्षमता वाले नए गैर-इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उन स्थानों पर लगाए जाते हैं, जहां कुल दत्त पंजीकृत मांग 10 तक पहुंच जाती है। अतः स्थानों के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया हैं।

निम्नलिखित स्थानों पर नयी मध्यम/बड़ी क्षमता वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने की योजना बनाई गई है :—

(1) हैदराबाद (तीन स्थलों पर)

(2) विजयवाड़ा

(3) विशाखापट्नम।

विवरण

आंध्र प्रदेश के एक्सचेंज जिन्हें इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में नहीं बदला गया है।

जिला	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज का नाम
आदिलाबाद	आदिलावाद	आदिलावाद	डोडेपल्ली
आदिलाबाद	मनचेरियल	आदिलावाद	रेचिनी रोड़
आदिलाबाद	सुंकिडी	अनन्तपुर	गूटी
आदिलाबाद	रेह्वाना	अनन्तपुर	धरमवरम
आदिलाबाद	वंकिडी	अनन्तपुर	जल्लीपल्ली
आदिलावाद	वाजारह्टनूर	अनन्तपुर	कोटन्का
आदिलावाद	भीमाराम	अनन्तपुर	एम० पी० आर० डेम
आदिलावाद	जयपुर	अनन्तपुर	नुथिमाडुगु
आदिलावाद	हाजीपुर	अनन्तपुर	रापथाडु
आदिलावाद	लक्ष्योत्तिपेट	अनन्तपुर	वेकटपुरम
आदिलावाद	बासर	अनन्तपुर	वेरीगुन्टला
आदिलावाद	कुवीर	अनन्तपुर	मेडापुरम
आदिलावाद	माधापुर	अनंतपुर	वन्देमेडीकोठापल्ली

जिला	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज का नाम
अनंतपुर	चीकातीमानीपल्ली	अनंतपुर	ओबुलादेवाचेरुबू
अनंतपुर	चिरिचेरला	अनंतपुर	पुलगमपल्ली
अनंतपुर	डी० चेरलोपल्ली	अनंतपुर	रत्नलपल्ली
अनंतपुर	दाडीथोटा	अनंतपुर	रेड्डीपल्ली
अनंतपुर	गुनीपल्ली	अनंतपुर	गंगावरम
अनंतपुर	कोक्कंती	अनंतपुर	कुण्डुरपी
अनंतपुर	भमील्लापल्ली	अनंतपुर	कनगनपल्ली
अनंतपुर	पामुदुरथी	अनंतपुर	कानेकल क्रॉस
अनंतपुर	ताडीमर्री	अनंतपुर	मर्रमकुलापल्ली
अनंतपुर	पाथाकोठाचेरूवु	अनंतपुर	बुडिली
अनंतपुर	येद्दुल्लापल्ली	अनंतपुर	कुगिरा
अनंतपुर	चलकुर	अनंतपुर	पेड़ावल्ली
अनंतपुर	चल्लापल्ली (ए०टी०पी०)	अनंतपुर	तलीमारला
अनंतपुर	गोरंटला	अनंतपुर	गुड़ी संलापल्ली
अनंतपुर	कोड़ीकोन्डा	अनंतपुर	सोमलपुरम
अनंतपुर	मालुगुरू	अनंतपुर	गुगुडू
अनंतपुर	वनवोल	अनंतपुर	मण्डलहाल्ली
अनंतपुर	गंजीवरीपल्ली	अनंतपुर	रोटरीपुरम
अनंतपुर	गोवनीपल्ली	अनंतपुर	म्रलकमचेरुवू
अनंतपुर	कोड़ावन्डलापल्ली	अनंतपुर	तारीमेला
अनंतपुर	कोण्डारामेटला	अनंतपुर	कुचिवरीपल्ली
अनंतपुर	मालामीड़ापल्ली	अनंतपुर	पेड्डापाप्परू
अनंतपुर	मल्लेपल्ली	अनंतपुर	रामालिंगुयपल्ली
अनंतपुर	मोहम्मदवाद	अनंतपुर	थिम्मपल्ली
अनंतपुर	नामवुलिपुलिकुंटा	अनंतपुर	गाडेकल

जिला	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज का नाम
अनंतपुर	हीन्नुरू	चित्तूर	सिद्दमपल्ले
अनंतपुर	कोड़मलकुण्टा	चित्तूर	थुम्बाकुप्पम
अनंतपुर	कोनाकोण्डला	चित्तूर	उग्रनमपल्ले
अनंतपुर	विडापनकल्लू	चित्तूर	वेंगलरजकुप्पम
अनंतपुर	नागासमुन्द्रम	चित्तूर	वाई० सांथागेट
अनंतपुर	सेट्टुर	चित्तूर	चिगुरुगुंटा
अनंतपुर	पुल्ललरेवू	चित्तूर	शांतिपुरम
अनंतपुर	अनंतपुर	चित्तूर	वुरकायलकोटा
अनंतपुर	हिंदुपुर	चित्तूर	चौड़ासमुन्द्रम
अनंतपुर	गुंटाकल	चित्तूर	निम्मनपल्ले
अनंतपुर	पालासमुन्द्रम	चित्तूर	वनमालादिन्ने
अनंतपुर	रोल्ला	चित्तूर	वालिजकान्द्रका
अनंतपुर	मड्डालापल्ली	चित्तूर	विजयपुरम
चित्तूर	कैलरादपल्ले	चित्तूर	वल्लीवेडु
चित्तूर	कायम	वित्तूर	चेम्पाकुर
चित्तूर	कुप्पमवदूर	वित्तूर	कज्जलवरीपल्ले
चित्तूर	नुथनकलवा	वित्तूर	एस० वन्दापल्ली
चित्तूर	सोराकायलपेटा	वित्तूर	येल्लामाण्डा
चित्तूर	तालुपुला	वित्तूर	कंडुर
चित्तूर	येर्रावरीपालेम	वित्तूर	मुथुकुर
चित्तूर	देवालमपेटा	वित्तूर	पेड्डोप्परपल्ले
चित्तूर	कृष्णापुरम	वित्तूर	रामसमुद्रम
चित्तूर	मापाक्षी	वित्तूर	अन्नुर
चित्तूर	पी० कोठाकोटा	वित्तूर	वीराकुप्पम
चित्तूर	एस० एस० कोण्डा	वित्तूर	करानी

जिला	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज का नाम
वित्तूर	नल्लावेंगनपल्ले	वित्तूर	वरदैयापालेम
वित्तूर	पचिकापालेम	कुडप्पा	कुडप्पा
वित्तूर	पालमंगलम	कुडप्पा	ब्राह्मणगरिमातम
वित्तूर	वायलवल्लभ	कुडप्पा	नरसापुरम
वित्तूर	ब्राह्मणपल्ले (सी टी आर)	कुडप्पा	रचायापेट
वित्तूर	चिन्तलपालेम	कुडप्पा	चिन्ताकोम्मादिन्ने
वित्तूर	रापेडु	कुडप्पा	वल्लुर
वित्तूर	के० वी० ओ० पुरम	कुडप्पा	वेल्लातुर
वित्तूर	मईडीलेडु	कुडप्पा	चिन्नाकोमेटल
वित्तूर	चुचीवोलू	कुडप्पा	मयलावरम
वित्तूर	पुडी	कुडप्पा	पेड्डामुडियम
वित्तूर	शांतावेल्लुर	कुडप्पा	पेड्डापशुपुला
वित्तूर	अलाथुर	कुडप्पा	वड्डीराला
वित्तूर	नेताकुप्पम	कुडप्पा	मण्डीमण्डलम
वित्तूर	चेरलोपल्ली	कुडप्पा	पेड्डाचेप्पल्ली
वित्तूर	कोना	कुडप्पा	वीरापुनयुनिपल्ली
वित्तूर	मेडीकुरथी	कुडप्पा	बी० कोडुर
वित्तूर	तारीगोण्डा	कुडप्पा	कुक्कलडोड्डी
वित्तूर	तिरूपति	कुडप्पा	ओबुलावरीपल्ली
वित्तूर	चित्तूर	कुडप्पा	वी० आर० पल्ली
वित्तूर	गुण्डलकट्टमान्वी	कुडप्पा	वाई० कोटा
वित्तूर	पोलाकाला	कुडप्पा	चक्रयपेट
वित्तूर	पथिकोल्डा	कुडप्पा	नीलकंठरावपेट
वित्तूर	सोमाला	कुडप्पा	तल्लाप्रोद्दातुर
वित्तूर	पण्डूर	कुडप्पा	उप्पलुर

जिला	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज का नाम
कुडप्पा	अन्नावरम	कुडप्पा	थोन्डर
कुडप्पा	चिन्तकुंट	कुडप्पा	बीराबल्ली
कुडप्पा	चौदुरू	पूर्वी गोदावरी	काकीनाडा
कुडप्पा	जी० वी० साईराम	पूर्वी गोदावरी	राजामन्डी
कुडप्पा	गोपयपल्ली	पूर्वी गोदावरी	पीतपुरम
कुडप्पा	कनकुडर	पूर्वी गोदावरी	अनापार्थी
कुडप्पा	नक्कलडिन्ने	पूर्वी गोदावरी	सामलकोई
कुडप्पा	ओनीपेंटा	पूर्वी गोदावरी	टुनी
कुडप्पा	परलापडु	पूर्वी गोदावरी	अम्बाजीपेट
कुडप्पा	विदानमचेरला	पूर्वी गोदावरी	कोथापेटा
कुडप्पा	कोराकुन्टापल्ली	पूर्वी गोदावरी	गोल्ललमामीडाडा
कुडप्पा	लिन्कुल	पूर्वी गोदावरी	देवीपटनम
कुडप्पा	मुथुकुर	पूर्वी गोदावरी	राथावरम
कुडप्पा	नल्लापुरेड्डीपल्ली	पूर्वी गोदावरी	एलकीपुरम
कुडप्पा	परनापल्ली (एटीपी)	पूर्वी गोदावरी	तटीपाका
कुडप्पा	वेमुल	पूर्वी गोदावरी	अमलापुरम
कुडप्पा	चेटयेरू परियोजना	पूर्वी गोदावरी	रामुलापलेम
कुडप्पा	गुट्टापल्ली	पूर्वी गोदावरी	पेड्डापुरम
कुडप्पा	रायावरम	पूर्वी गोदावरी	वोम्मंगी
कुडप्पा	गम्वेपल्ली	पूर्वी गोदावरी	चेबरोलु (ई० जी)
कुडप्पा	सेट्टीपल्ली	पूर्वी गोदावरी	वेर्रावरम
कुडप्पा	टी० साकीबान्दा	पूर्वी गोदावरी	चिन्नाशंकरलापडी
कुडप्पा	एलुर	गुंडूर	तेनाली
कुडप्पा	प्रोड्डादुर	गुंडूर	दुग्गीराला
कुडप्पा	कलसापडू	गुंडूर	श्रीनगर

जिला	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज का नाम
गुंडूर	पेडाकोडामगुडला	करीमनगर	काचापुर
गुंडूर	कुंकलगुण्टा	करीमनगर	गर्रीबल्लीगडेम
गुंडूर	पाटीबण्डा	करीमनगर	सैदापुर
गुंडूर	ब्राहमनपल्ले	करीमनगर	सनीगराम
गुंडूर	गनपावरम	करीमनगर	दोनियापुर
गुंडूर	करूमंची	करीमनगर	गोल्लापल्ली
गुंडूर	गुंटुर-अशोकनगर	करीमनगर	गोपालपुर
गुंडूर	गुंटुर-कोडापेटा	करीमनगर	इब्राहीमनगर
गुंडूर	पेरेचेरला	करीमनगर	मेडीपल्ली
गुंडूर	चिलाकलुरेपेट	करीमनगर	पेगडपल्ली
गुंडूर	इंटुर	करीमनगर	पूडुर
हैदराबाद	हैदराबाद-गोवली 2/4,	करीमनगर	रायकल
हैदराबाद	हैदराबाद-सैफ/9	करीमनगर	सारंगपुर
हैदराबाद	हैदराबाद एन०सी०एच/85	करीमनगर	ढक्करगुल्ली
हैदराबाद	हैदराबाद, एम०यू०एस०एच०/66	करीमनगर	वेलगटुर
हैदराबाद	हैदराबाद, ई० आर०/86	करीमनगर	कमलपुर
हैदराबाद	हैदराबाद, एस०डी/7	करीमनगर	उप्पल
हैदराबाद	हैदराबाद, चार्म/52	करीमनगर	ववीलाला
हैदराबाद	हैदराबाद, सैफ/22	करीमनगर	वीनाबंका
हैदराबाद	हैदराबाद, सेक्ड०/82	करीमनगर	धरमारम
हैदराबाद	हैदराबाद, सेक्ड०/83	करीमनगर	गंगोपल्ली
करीमनगर	जम्मीकुटा	करीमनगर	गैरीपल्ली
करीमनगर	कोहेडा	करीमनगर	इल्लंतकुंटा
करीमनगर	कामावरम	करीमनगर	करीमनगर
करीमनगर	एलाकेहुरथी	करीमनगर	कासिमपेट

जिला	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज का नाम
करीमनगर	काटारम (डब्ल्यू० जी० एल०)	करीमनगर	गंगाराम
करीमनगर	लक्ष्मीपुर	करीमनगर	पोट्यल
करीमनगर	महादेवनगर (डब्ल्यू०जी० एल०)	करीमनगर	रामागुण्डम
करीमनगर	मामोडलपल्ली	करीमनगर	वेन्नमपल्ली
करीमनगर	नरसिंहपुर	करीमनगर	ओपलरावपेट
करीमनगर	नुसतुलपुर	करीमनगर	चीरलबन्चा
करीमनगर	रामाडुगु	करीमनगर	गंगीरावपेट (एन० जैड० बी०)
करीमनगर	रेनीकुंटा	करीमनगर	मर्रीगुड्डा
करीमनगर	कथलपुर	करीमनगर	मुससतवा (एम० डी० के०)
करीमनगर	कोडिमियल	करीमनगर	रेरेल्ला
करीमनगर	बेगमपेट	करीमनगर	निम्मापल्ली
करीमनगर	गंजापडगु	करीमनगर	निजामबाड़ा
करीमनगर	मुथाराम	करीमनगर	थिम्मापुर
करीमनगर	गुण्डामुलपल्ली	करीमनगर	वेंकटपुर
करीमनगर	इब्राहीमपट्नम	करीमनगर	पेल्लारेड्डीपेट
करीमनगर	कूनारावपेट	करीमनगर	कोलानुर
करीमनगर	मल्लापुर	करीमनगर	करीमनगर
करीमनगर	मन्नेगुडम	करीमनगर	गोदावरीखानी
करीमनगर	एन० एस० एफ० (मुटयपेट)	करीमनगर	आसिफनगर
करीमनगर	पैडिमडगु	करीमनगर	इलिगेड
करीमनगर	रूद्रंगी	करीमनगर	नगनूर
करीमनगर	थाड्रियल	करीमनगर	परलापल्ली
करीमनगर	वर्षाकोण्डा	करीमनगर	जुलापपल्ली
करीमनगर	चेग्यम	करीमनगर	कामनपुर
करीमनगर	डोंगाडुरथी	करीमनगर	पाठाकापल्ली

जिला	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज का नाम
करीमनगर	थीगायि	कृष्णा	कॉलक्टीकोटा
खम्माम	खम्माम	कृष्णा	चिन्तालावाडू
खम्माम	नायकनगुडेम	कृष्णा	पेंडयाला
खम्माम	मूलकलापल्ली	कृष्णा	पेडाकोन्नूरू
खम्माम	अमवापुरम	कृष्णा	कुचीपुडी
खम्माम	भारीजल संयत्र सी	कृष्णा	लंकापल्ली
खम्माम	भारीजल संयत्र एस	कृष्णा	श्रीकाकुलम
खम्माम	जगन्नाधपुरम	कृष्णा	चिमलापाडु
खम्माम	वरारामचन्द्रपुरम	कृष्णा	मयलावरम
खम्माम	कुनावरम	कृष्णा	रामीरेड्डीपल्ली
खम्माम	जनमपूटा	कृष्णा	गुडीपाडु
कृष्णा	विजयवाडा	कृष्णा	लोलानगर
कृष्णा	गन्नावारम	कृष्णा	पल्लेरलागुडू
कृष्णा	कुडीवाडा	कृष्णा	पेनगोलानु (वुम)
कृष्णा	नुजविड	कृष्णा	वेल्लाटुर
कृष्णा	औद्योगिकक्षेत्र-वीजे	कृष्णा	पमारु
कृष्णा	रामावरप्पाडू	कृष्णा	गोसायिडू
कृष्णा	वडलामन्नाडू	कृष्णा	कोडापल्ली
कृष्णा	पेडाकल्लेपल्ली	कृष्णा	नुन्ना
कृष्णा	अरूगोलानू	कृष्णा	चतराई
कृष्णा	नढीवाडा	कृष्णा	टी॰ सानुवंदा
कृष्णा	गुउलावल्लेरू	कृष्णा	विस्सानापेट
कृष्णा	मक्कापेट	कृष्णा	मछलीपटनम
कृष्णा	भास्कररराप पेट	कृष्णा	इब्राहीमपट्नम (वी॰ जे॰)
कृष्णा	कालीडिण्डी	कृष्णा	पोरंकी

जिला	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज का नाम
कृष्णा	बुशपूरू	कुरनूल	रामापुरम
कुरनूल	अदोनी	कुरनूल	बापूरम
कुरनूल	दसराकोदूर	कुरनूल	चिप्पागिरि
कुरनूल	हालवी	कुरनूल	कुठानहाल
कुरनूल	काण्डुकूर	कुरनूल	चिन्ना टेकूर
कुरनूल	नागारूर	कुरनूल	दिन्नेडेवारापाडु
कुरनूल	पेडाकडुवुरू	कुरनूल	नरनूर
कुरनूल	अहोदिलम	कुरनूल	ओरावाकाल्लू
कुरनूल	अलामुरू	कुरनूल	पेड़ापाडू
कुरनूल	डूंगलदहल	कुरनूल	प्यालाकुथी
कुरनूल	जोहरापुरम	कुरनूल	उलिण्डाकोण्डा
कुरनूल	नंदावरम	कुरनूल	उख्यालावाडा-के
कुरनूल	पालाकुर	कुरनूल	हुसैनापुरम
कुरनूल	जलदुर्गम	कुरनूल	मडुरु
कुरनूल	पी० आर० पल्ली	कुरनूल	पोलूर
कुरनूल	कंवलापाडु	कुरनूल	वेम्पेनिया
कुरनूल	गनी	कुरनूल	जोन्नगिरि
कुरनूल	नागरडोन	कुरनूल	पेंडेकल
कुरनूल	गुलयाम	कुरनूल	पेरावली
कुरनूल	कुठाकोटा	कुरनूल	मल्लापल्ली
कुरनूल	नगलडिन्ने	कुरनूल	नंदावरम
कुरनूल	नगलापुरम (परला)	कुरनूल	ए० कोडूर
कुरनूल	पोलाकल	कुरनूल	रूद्रावरम
कुरनूल	पुलाकुथी	कुरनूल	येरीगुटला
कुरनूल	नोरसाह (सी० डी० पी०)	कुरनूल	वेलपानुर

जिला	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज का नाम
कुरनूल	पामुलापाडु	महबूबनगर	मदगुल
कुरनूल	देवनाकोडा	महबूबनगर	पडकूल
कुरनूल	तग्गाली	महबूबनगर	तालाकांडापल्ली
महबूबनगर	शादनगर	महबूबनगर	वानगोर
महबूबनगर	जदचेरला	महबूबनगर	वेलडंडा
महबूबनगर	अमराबाद	महबूबनगर	वेलजाल
महबूबनगर	बालामूर	महबूबनगर	दमरागीढ़ा
महबूबनगर	उप्पेनथाला	महबूबनगर	मादूर
महबूबनगर	कोडनाडपुरम	महबूबनगर	कवलापल्ली
महबूबनगर	मानूपाड	महबूबनगर	केथेपल्नी
महबूबनगर	श्रीनगर	महबूबनगर	थोमकुण्टा
महबूबनगर	उंडावली	महबूबनगर	बामरासपेट
महबूबनगर	इरविन	महबूबनगर	भूथपुर
महबूबनगर	अदारकल	महबूबनगर	कोयलकोण्डा
महबूबनगर	कौकुंटला	महबूबनगर	कोटाकडारा
महबूबनगर	लालकोटा	महबूबनगर	काथालाबाद
महबूबनगर	उंडेकोड	महबूबनगर	कोटकोण्डा
महबूबनगर	वरना	महबूबनगर	कृष्णा
महबूबनगर	बीचपल्ली	महबूबनगर	मगनोर
महबूबनगर	बिजवाड़ा	महबूबनगर	पुलीमामीदी
महबूबनगर	एलकुर	महबूबनगर	गोपालपेट
महबूबनगर	घट्ट	महबूबनगर	सिरसावाडा
महबूबनगर	अवोचा	महबूबनगर	येडुला
महबूबनगर	पोलेपल्ली	महबूबनगर	यादीरेड्डीपल्ली
महबूबनगर	चराकोंडा	महबूबनगर	बालानगर
महबूबनगर	कोठापल्ली	महबूबनगर	कोल्लूर

जिला	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज का नाम
महबूबनगर	कोंडुर्ग	मेडक	पुलचरम
महबूबनगर	मोगलीगिड्डा	मेडक	मानूर
महबूबनगर	नदीगांव	मेडक	निजामपेट-।।
महबूबनगर	पालमकोल	मेडक	संजीवराजपेट
महबूबनगर	रायकल	मेडक	सिरगापुर
महबूबनगर	उडीहाल	मेडक	गुम्माडीडला
महबूबनगर	अम्माराला	मेडक	हन्डूरा
महबूबनगर	पेडामंडाडी	मेडक	जिन्नाराम
महबूबनगर	नगरकुरनूल	मेडक	सवासपल्ली
मेडक	मेडक	मेडक	शिवमपेट
मेडक	अल्लादुर्ग	मेडक	भानूर
मेडक	वचेपल्ली	मेडक	कोल्लूर
मेडक	देवनदूर	मेडक	पेडाकेजेरला
मेडक	बड़ीपेड्डापुर	मेडक	यूदगेपल्ली
मेडक	कल्हेर	मेडक	वेलमाला
मेडक	पुलकल	मेडक	भिट्टापुर
मेडक	रेगोड	मेडक	दौलताबाद-।।
मेडक	अहमदीपुर	मेडक	नरसिंगी
मेडक	दोम्मटा	मेडक	मसाईपेट
मेडक	गोरारम	मेडक	अंतराम
मेडक	कोडाकांडला	मेडक	एमाकुर
मेडक	ओंटीनामिडी	मेडक	कोडापुर
मेडक	रायपोल	मेडक	मुनीपल्ली
मेडक	रमईपल्ली	मेडक	सुरराम
मेडक	सरधाना	मेडक	कांदी
मेडक	कांगटी	मेडक	मल्लेपल्ली

जिला	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज का नाम
मेडक	विन्नाकोदूर	नालगोंडा	अनंतराम
मेडक	मीरडोड्डी	नालगोंडा	नागिरेड्डीपल्ली
मेडक	सरकिंगडला	नालगोंडा	चंदमपेट
मेडक	तिम्मापुर	नालगोंडा	नादिगुंडम
मेडक	तोगुट्टा	नालगोंडा	अजमापुर
मेडक	चिरागपल्ली	नालगोंडा	चिंतापल्ली
मेडक	हतनूरा	नालगोंडा	पद्मतापल्ली
मेडक	जरसंगम	नालगोंडा	मत्तपल्ली
मेडक	कोठूर (बी)	नालगोंडा	मेल्लाचेरुवु
मेडक	मनयसल्ली	नालगोंडा	केथापल्ली
मेडक	न्यालकाल	नालगोंडा	येशवरम
मेडक	रायकोडू	नालगोंडा	तुम्माडम
मेडक	टुंकीखालसा	नालगोंडा	वेमुलापल्ली
मेडक	सिद्दीपेट	नालगोंडा	विष्णुपुरम
मेडक	पटनचेरू	नालगोंडा	ऐमाकुर
मेडक	संगारेड्डी	नालगोंडा	नारायणपुर
मेडक	रंगमपेट	नालगोंडा	एडुल्लूर
मेडक	निजामपेट-।	नालगोंडा	कट्टंगूर
मेडक	कौड़ीपल्ली	नालगोंडा	माधवाराम
मेडक	अमीनपुर	नालगोंडा	नकरेकल
मेडक	चेगुंटा	नालगोंडा	शालीगौराराम
मेडक	दुधेड़ा	नालगोंडा	बी० वेल्लूमुल्ला
नालगोंडा	नालगोंडा	नालगोंडा	तिकमलागिरि
नालगोंडा	माधोपुर	नालगोंडा	पेड्डावूरा
नालगोंडा	रावहुनाधापुरम	नालगोंडा	छोटुपाल
नालगोंडा	राजापेट	नालगोंडा	गुंडरमपल्ली

जिला	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज का नाम
नालगोंडा	अनंतराम	नेल्लोर	कल्लुरू
नालगोंडा	नामावरम	नेल्लोर	मोमिडी
नालगोंडा	नेम्मीकल	नेल्लोर	ओजिली
नालगोंडा	नूतनकाल	नेल्लोर	वाडीवेरला
नालगोंडा	वेलीसाला	नेल्लोर	अनंतसागरम
नालगोंडा	अरवापल्ली	नेल्लोर	चिंतलादीवी
नालगोंडा	मीरयालगुडा	नेल्लोर	मनोआमूर
नालगोंडा	मर्रीगुडा	नेल्लोर	सिद्दनाकोन्दूर
नालगोंडा	मत्तमपल्ली	नेल्लोर	दगादारमिल
नालगोंडा	कनाओल	नेल्लोर	दमारामागुडू
नालगोंडा	त्रिपुराराम	नेल्लोर	सिद्दीपुरम
नालगोंडा	मोथूकुर	नेल्लोर	तलमन्ची
नालगोंडा	गुरमपोड	नेल्लोर	ववलला
नेल्लोर	कवाली	नेल्लोर	चिल्लाकुर (सी० टी० आर०)
नेल्लोर	कोवूर	नेल्लोर	कलवाकुर (बी० टी० आर०)
नेल्लोर	ए० एस० पेट	नेल्लोर	अनिकेपल्ली
नेल्लोर	चेजेरला	नेल्लोर	इस्कापलेम
नेल्लोर	मर्रापाडू	नेल्लोर	साउथमोपुर
नेल्लोर	एस० आर० पुरम	नेल्लोर	चगनम
नेल्लोर	अरमेनीपाडू	नेल्लोर	दाचूर
नेल्लोर	बी० वी० पलम	नेल्लोर	कोंडालेरू
नेल्लोर	वाली रेड्डीपलेम	नेल्लोर	तालपुर
नेल्लोर	बल्लावोलू	नेल्लोर	तालपुर
नेल्लोर	चिंतावरम	नेल्लोर	डी० वी० कन्ड्रिगा
नेल्लोर	जी० वी० पलोम	नेल्लोर	दुत्तालूर
नेल्लोर	काडीवोडू	नेल्लोर	गंडीपलेम

जिला	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज का नाम
नेल्लोर	कृष्णापुरम	निज़ामाबाद	पाचलानरकुडा
नेल्लोर	नर्रावाड़ा	निज़ामाबाद	पडीगल
नेल्लोर	साईपेट	निज़ामाबाद	रामाडुगू
नेल्लोर	वारीकुंटापाडू	निज़ामाबाद	सीरीकोंडा
नेल्लोर	बलायापल्ली	निज़ामाबाद	देरगटला
नेल्लोर	डक्किली	निज़ामाबाद	चंदूर
नेल्लोर	निदिगल्लू	निज़ामाबाद	हेबडोली
नेल्लोर	वीरमपल्ली	निज़ामाबाद	कोटोइरी
नेल्लोर	नेल्लोर	निज़ामाबाद	मोसरा
नेल्लोर	टिक्कावरम	निज़ामाबाद	नोला
नेल्लोर	पोतलापुडी	निज़ामावाद	रूदूर
नेल्लोर	रापुर	निज़ामाबाद	सलूरा
नेल्लोर	तुरीमेरला	निज़ामाबाद	थानाकलां
निज़ामावाद	काम्मरापल्ली (के० ए० ए०)	निज़ामावाद	जंगमपल्ली
निज़ामाबाद	मेंदोरा	निज़ामाबाद	एर्रापहाड़
निज़ामाबाद	पोचन्पाड	निज़ामाबाद	कोंडापुर
निज़ामाबाद	पोचन्पाड	निज़ामाबाद	रजमपेट
निज़ामाबाद	रंजेरला	निज़ामाबाद	रेड्डीपेट
निज़ामावाद	वन्नेल (के०)	निज़ामाबाद	सदाशिवनगर
निज़ामाबाद	बंदापल्ली	निज़ामाबाद	जुक्कल
निज़ामाबाद	बिरकूर	निज़ामाबाद	बद्रीपुर
निज़ामावाद	डोंगली	निज़ामाबाद	डोंकेश्वर
निज़ामावाद	गंडीवेट	निज़ामावाद	मकलूर
निज़ामाबाद	कोडाबाद	निज़ामाब्राद	ममीदीपल्ली
निज़ामाबाद	नसरुल्लाबाद	निज़ामाबाद	अटमाकुर
निज़ामावाद	चौतपल्ली	निज़ामावाद	गांधारी

जिला	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज का नाम
निज़ामाबाद	सुखाजीवनगर	प्रकाशम	कंडुकुरू
निज़ामाबाद	निज़ामाबाद	प्रकाशम	मचावरम्
निज़ामाबाद	कामारेड्डी	प्रकाशम	कंबालाडिन्ने
निज़ामाबाद	अलूर	प्रकाशम	मोगल्लुरू
निज़ामाबाद	जकरनपल्ली	प्रकाशम	कोंडीपी
निज़ामाबाद	सूरबीरयाल	प्रकाशम	एथमुक्काला
निज़ामाबाद	रंजल	प्रकाशम	कुंकलामर्रू
निज़ामाबाद	येड़ापल्ली	प्रकाशम	पमीडीपाडू
निज़ामाबाद	बीबीपेट	प्रकाशम	पोथीनेमीवरीपलम
निज़ामाबाद	कोठापल्ली	प्रकाशम	पुनूर
निज़ामाबाद	आंध्रनगर	प्रकाशम	लिंगासमुद्रम
निज़ामाबाद	इंदलवाई	प्रकाशम	मुंडलामुरु
निज़ामाबाद	जन्नेपल्ली	प्रकाशम	वई अपारी आ
प्रकाशम	चिराला	प्रकाशम	डी० निडामनूर
प्रकाशम	मेरल्ला	प्रकाशम	मड्डीरालापड्डू
प्रकाशम	संतामागुलुरू	प्रकाशम	थीमासमुद्रम
प्रकाशम	अर्थवीडु	प्रकाशम	कराविड़ी
प्रकाशम	सी० जी० पुरम	प्रकाशम	पेरनामिटिया
प्रकाशम	चेन्नूपल्ली	प्रकाशम	पामुरू
प्रकाशम	थोटावरिपलेम	प्रकाशम	मुप्पावरम
प्रकाशम	एड्डनापुड़ी	प्रकाशम	पंगुलुरू
प्रकाशम	तुर्जमेल्ला	प्रकाशम	अन्नामधोरग्लावरीपलेम
प्रकाशम	गुडलुरू	प्रकाशम	पेड्डाडोरनाला
प्रकाशम	रमायापट्टनम	प्रकाशम	पोडिली
प्रकाशम	नागन्ड़ला	प्रकाशम	पोन्नालुरू
प्रकाशम	पूसापाडू	प्रकाशम	करेडू

जिला	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज का नाम
प्रकाशम	वलूलापलम	श्रीकाकुलम	भामिनी
प्रकाशम	टल्लूर	श्रीकाकुलम	जी० सिगादम
प्रकाशम	एम० निडामनुरू	श्रीकाकुलम	वाथिली
प्रकाशम	टी० नायडूपलम	श्रीकाकुलम	कोठापल्ली
प्रकाशम	पोथालापडू	श्रीकाकुलम	कुरीगम
प्रकाशम	तरलूपडू	विशाखापट्नम	विशाखापट्नम
प्रकाशम	उलियापल्ली	विशाखापट्नम	अन्नथागिरी
प्रकाशम	कालूजुवरल्लापडू	विशाखापट्नम	वराहापुरम
प्रकाशम	त्रिपुरान्थकम	विशाखापट्नम	आर० वी० नगर
प्रकाशम	वियापलम	विशाखापट्नम	जी० मड्गुला
प्रकाशम	पोकुरू	विशाखापट्नम	कोलूगान्डा
प्रकाशम	वोलीपिवरीपलम	विशाखापट्नम	कृष्णादेवीपेटा
प्रकाशम	ओन्डोल	विशाखापट्नम	हुकुमपेटा
प्रकाशम	वोडारेवू	विशाखापट्नम	जमादेवपेटा
प्रकाशम	कुरीचेडू	विशाखापट्नम	कोव्वुरू
प्रकाशम	रवीनूथाला	विशाखापट्नम	लोथूगेडैडा जंक्शन
प्रकाशम	अम्मनाडोरूलू	विशाखापट्नम	मंछागिपुट
प्रकाशम	लागूलुप्पालापडू	विशाखापट्नम	डी० येररावरम
प्रकाशम	कुनडररू	विशाखापट्नम	नाटावरम
प्रकाशम	येररागोन्डापलम	विशाखापट्नम	रेड्डीपल्ली
रंगारेड्डी	लक्ष्मीपुर	विशाखापट्नम	श्री रामपुरम
रंगारेड्डी	इलिमानेडू	विशाखापट्नम	रेडादयालू
श्रीकाकुलम	विटीवाड़ा	विशाखापट्नम	लालमकोडूर
श्रीकाकुलम	पुरुषोत्तमपुरम	विशाखापट्नम	रामविल्ली
श्रीकाकुलम	अमरुथालिंगानगरम	विशाखापट्नम	रविकामाथाम

जिला	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज का नाम
विशाखापट्नम	रेविदी	वारंगल	वारंगल
विशाखापट्नम	वेमुललापुदी	वारंगल	बचान्नापेट
विजयानगरम	विजयानगरम	वारंगल	मादूदर
विजयानगरम	कासीपत्तनम	वारंगल	नारमेट्टा
विजयानगरम	बादांगी	वारंगल	बुपालापल्ली
विजयानगरम	थेरलाम	वारंगल	तेगलावेनी
विजयानगरम	चिन्तापल्ली	वारंगल	भीमाराम
विजयानगरम	कुनाडा	वारंगल	देवारुप्पला
विजयानगरम	पुलीपल्ली	वारंगल	पालाकूरथी
विजयानगरम	पिनपेन्की	वारंगल	अमानगल
विजयानगरम	सेनितादा	वारंगल	चिन्नागुडुर
विजयानगरम	कोटागडरेडु	वारंगल	इंगुरथी
विजयानगरम	जी० आर० वलासा	वारंगल	कबालापल्ली
विजयानगरम	रविवल्सा	वारंगल	करवी
विजयानगरम	पेरूमल्ली	वारंगल	मानेगुडेम
विजयानगरम	अलामांडा	वारंगल	मुनागलावेदु
विजयानगरम	मामीदीपल्ली	वारंगल	पेनुगोण्डा
विजयानगरम	पाचीपेन्टा	वारंगल	उप्पारागुडेम
विजयानगरम	देवादा	वारंगल	दयालापल्ली
विजयानगरम	वेपादा	वारंगल	हरिपीराला
विजयानगरम	डेनकाडा	वारंगल	नरसिमुलुपेट
विजयानगरम	दुन्कीनावलासा	वारंगल	नेल्लीकडुरू
विजयानगरम	पेदामानापुरम्	वारंगल	एल्लीजेरला
विजयानगरम	जी० एल० पुरम	वारंगल	चेलपुर
विजयानगरम	रामाभाद्रापुरम	वारंगल	कासीमदेवपेट

जिला	एक्सचेंज का नाम	जिला	एक्सचेंज का नाम
वारंगल	लक्ष्मीदेवपेट	वेस्ट गोदावरी	नरसापुर
वारंगल	अशोकनगर	वेस्ट गोदावरी	तानुकू
वारंगल	गिरनीवावी	वेस्ट गोदावरी	अलामुरू
वारंगल	नल्लावल्ली	वेस्ट गोदावरी	भीमाडोल
वारंगल	नेकोंडा	वेस्ट गोदावरी	सी० जी० पलम
वारंगल	आरेपल्ली	वेस्ट गोदावरी	कोनालापल्ली
वारंगल	अटमाकुर	वेस्ट गोदावरी	ईरमपल्ली
वारंगल	गोपालपुर	वेस्ट गोदावरी	के० कोटा
वारंगल	मंडीकोण्डा	वेस्ट गोदावरी	सीतानगरम
वारंगल	पंथनी	वेस्ट गोदावरी	टेडलम
वारंगल	पेगाडापल्ली	वेस्ट गोदावरी	देवारापल्ली
वारंगल	रेड्डीपुरम्	वेस्ट गोदावरी	राजावरम
वारंगल	थीमापुर	वेस्ट गोदावरी	जीलूगुमिली
वारंगल	वारांगल	वेस्ट गोदावरी	बयानागुडम
वारंगल	येलूकरथी-एच	वेस्ट गोदावरी	डूरमामिढ़ी
वारंगल	इनूगल	वेस्ट गोदावरी	कमायापलम
वारंगल	कोंकापाका	वेस्ट गोदावरी	कुयालागुडम
वारंगल	लवारथी	वेस्ट गोदावरी	पुछीकापडू
वारंगल	नंदानम	वेस्ट गोदावरी	आर० गनापावरम
वारंगल	पर्वतागिरी	वेस्ट गोदावरी	कोन्डालारामपलम
वारंगल	रायपरथी	वेस्ट गोदावरी	कडीयाड्डा
वारंगल	वर्धनापेट	वेस्ट गोदावरी	इलुरू
वारंगल	मारकल	वेस्ट गोदावरी	कोव्यरू
वेस्ट गोदावरी	अकीवीडू	वेस्ट गोदावरी	पलाकोले
वेस्ट गोदावरी	भीमावरम		

नागपुर में स्टाफ क्वार्टर

3830. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर में कुछ स्टाफ क्वार्टर गत चार वर्षों से खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनका आवंटन कब तक किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क).जी हां।

(ख) नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा कालोनी में जल-आपूर्ति का प्रबन्ध न कर पाने के कारण, नागपुर में टाईप "ख" के 24 तथा टाईप "ग" के 12 क्वार्टर खाली पड़े थे। विभाग अब जल आपूर्ति के लिए स्वयं ही प्रबन्ध कर रहा है।

(ग) ये क्वार्टर इच्छुक कर्मचारियों को आबंटित किए जा चुके हैं।

दूरसंचार क्षेत्र में क्षमता का उपयोग

3831. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूर-संचार क्षेत्र की क्षमता के उपयोग के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अधिष्ठापित और उपयोग की जाने वाली क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्षमता का उपयोग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) देश में पिछले तीन वर्ष के दौरान टेलीफोन क्षमता के उपयोग के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	**सज्जित क्षमता के उपयोग का प्रतिशत**
1991-92	85.67
1992-93	85.20
1993-94	82.04

नया टेलीफोन एक्सचेंज चालू करते समय चरणबद्ध तरीके से उसकी क्षमता का 60 प्रतिशत उपयोग करना तथा एक्सचेंज की संस्थापना के कुछ महीनों में उसकी क्षमता का धीरे-धीरे 90 प्रतिशत तक उपयोग करना एक सामान्य प्रक्रिया है ताकि उसका विस्तार, जांच तथा बाह्य संयंत्र का कार्य चालू किया जा सके।

(ग) 30.6.94 की स्थिति के अनुसार संस्थापित तथा सज्जित क्षमता के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(i) संस्थापित क्षमता —9907115

(ii) प्रयुक्त क्षमता — 8234103

(iii) प्रयुक्त क्षमता का प्रतिशत — 83.11 प्रतिशत

(घ) संस्थापित क्षमता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार विभाग में मार्गदर्शी सिद्धान्त विद्यमान हैं। नया टेलीफोन एक्सचेंज चालू करते समय उसकी क्षमता के उपयोग में थोड़ी कमी हो सकती है परन्तु एक्सचेंज का आगे विस्तार किए जाने तक अगले कुछ माह में उसकी उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में चल वसूली केन्द्र

3832. **डा० रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में टेलीफोन बिल की वसूली के लिए चल वसूली केन्द्रों की व्यवस्था करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को देश के दूसरे क्षेत्रों में भी शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों एवं ऐसे अन्य स्थानों से जहां आस-पास कोई वसूली केन्द्र नहीं है, बिलों की चैक द्वारा अदायगी के लिए प्रयोगात्मक आधार पर चल वसूली केन्द्र (मोबाइल कलेक्शन सेंटर्स) शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) जी नहीं।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 17 का रख-रखाव

3833. **श्री हरीश नारायण प्रभु झाट्ये :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ को बारास्ता महाड बम्बई से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 17 की कुल लम्बाई कितनी है और उसके रख-रखाव पर पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना व्यय किया गया,

(ख) क्या उचित रख-रखाव के अभाव में हर वर्ष काफी लंबी अवधि तक इस राजमार्ग पर यातायात जारी नहीं रह पाता है, और

(ग) यदि हां, तो इसे पूरे वर्ष यातायात योग्य बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 की लम्बाई 621 कि० मी० है। राष्ट्रीय राजमार्ग को उपलब्ध निधियों के अनुसार यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। संबंधित राज्य सरकारों को निधियां राष्ट्रीय राजमार्ग वार नहीं बल्कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए जारी की जाती हैं। महाराष्ट्र और गोवा की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के रख-रखाव से संबंधित खर्च इस प्रकार है :—

(लाख रु०)

वर्ष	महाराष्ट्र	गोवा
1991-92	391.41	21.74
1992-93	248.65	74.12
1993-94	483.04	63.64

केरल में टेलीफोन बिल

3834. **श्री थाइल जौन अंजलोज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में उपभोक्ता संरक्षण मंच के पास टेलीफोन बिलों के कितने विवादास्पद मामले लम्बित हैं;

(ख) सरकार को इस कारण अनुमानतः कितनी हानि उठानी पड़ी है; और

(ग) उन मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र

3835. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक कितने खुदरा पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान प्रदेश में कितने पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का वहां पर और रसोई गैस एजेंसियां आवंटित करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1.4.1994 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1968 खुदरा बिक्री केन्द्र कार्य कर रहे थे।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश की वर्तमान विपणन योजनाओं में 364 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और 72 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें थीं और तेल चयन बोर्ड (उ० प्र०) के माध्यम से चरणबद्ध पद्धति से इनके लिए चयन जारी है। किसी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को आरंभ करने में विज्ञापन जारी करने के बाद लगभग 1-2 वर्ष का समय लगता है।

गोदी श्रमिक बोर्ड

3836. **श्री लोकनाथ चौधरी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर गोदी श्रमिक बोर्डों को संबंधित पोर्ट न्यासों में सम्मिलित किए जाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) पत्तन प्रचालनों में किफायत लाने के लिए विभिन्न गोदी श्रमिक बोर्डों का संबंधित पत्तन न्यासों में विलय किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे गोदी श्रमिक बोर्डों के कर्मचारियों/कामगारों, परिसम्पत्तियों और देयताओं का संबंधित पत्तन न्यासों में विलय हो जाएगा। इस विलय से, उपलब्ध जनशक्ति का और अधिक किफायत पूर्वक उपयोग होगा तथा यह विलय, संबंधित पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों द्वारा इस बारे में संकल्प पारित कर दिए जाने तथा प्रबंधन और यूनियनों के बीच भी इस आशय का स्थानीय समझौता हो जाने के बाद ही किया जाएगा।

उड़ीसा में विकास कार्य

3837. **श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा सर्किल के विभिन्न डाक डिवीजनों में कौन-कौन से विकास कार्य, सिविल निर्माण कार्य और सुधार कार्य किए जा रहे हैं;

(ख) क्या भद्रक डाक डिवीजन में किया जा रहा सिविल निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सिविल परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) काम चल रहा है।

विवरण

चालू सिविल परियोजनाओं का ब्यौरा।

	परियोजना का नाम	डिवीजन का नाम
1.	अतागढ़ एच० ओ०	कटक दक्षिण मंडल
2.	टिगीरिया एस० ओ०	
1.	जाजपुर कस्बा एच० ओ०	
2.	जाजपुर रोड़	कटक उत्तर मंडल
3.	एरसमा एस० ओ०	
4.	मधुवनी एस० ओ० (पारादीप)	
5.	पारादीप में 10 क्वार्टर (टाइप-। के दो, टाइप-।। के 6 और टाइप-।।। के 2)	
1.	कटक में डी० डी० ए० कार्यालय भवन	कटक सिटी मंडल
2.	कटक डी० डी० ए० (पी) परिसर में टाइप-।।। के 4, टाइप ।।/के 4 और ।/के 2 क्वार्टर	
3.	विदनासी कटक में टाइप-।। के 12 क्वार्टर	
4.	लिंक रोड़ कटक में डाक सिविल विंग स्टोर	
5.	वीरीवत्ती एस० ओ०	
1.	हिन्डोल एस० ओ०	धेनकनाल मंडल
2.	पल्हाडा एस० ओ०	
1.	नयागढ़ एच० ओ०	पुरी मंडल
2.	पुरी एच० ओ०	
3.	खुर्दा में टाइप-।। के 9 और टाइप-।।। के 3 क्वार्टर	
1.	माकतपुर एस० ओ०	भुवनेश्वर मंडल
2.	वाणीविहार में टाइप-।।। के 8 क्वार्टर	
1.	फूलबनी एच० ओ०	फूलबनी मंडल
1.	वारागढ़ में टाइप-।। के 6 क्वार्टर	सम्बलपुर मंडल
1.	सोनपुर राज एस० ओ०	बोलनगिर मंडल
2.	बोलनगिर में टाइप-।। का 1 क्वार्टर	

1.	बंट्टा एस॰ ओ॰	भद्रक मंडल
2.	भद्रक में टाइप-।।। के 6 क्वार्टर	
1.	बोनंईगढ़ एस॰ ओ॰	सुन्दरगढ़ मंडल
2.	बीरमित्रापुर एस॰ ओ॰	
3.	लाठ्ठीकटा एस॰ ओ॰	
1.	मंडल कार्यालय बालासोर	वालासोर मंडल
2.	बालासोर एच॰ ओ॰ का विस्तार	
3.	जुलेश्वर एच॰ ओ॰	
4.	राजनीतगिरी एस॰ ओ॰	
5.	वालासोर में टाइप-।।। के 16, टाइप-।। के 24, टाइप-। के 4 तथा टाइप-।।/ का 1 क्वार्टर	
1.	अतरंगपुर एच॰ ओ॰ विस्तार	मयूरभंज मंडल
2.	वारीपाड़ा वाजार एस॰ ओ॰	
3.	रायरंगपुर एच॰ ओ॰ कम्पाउन्ड में टाइप-।।। के 2 क्वार्टर	
4.	वारीपाड़ा में टाइप-। के 4, टाइप-।। के 12 तथा टाइप ।।/का 1 क्वार्टर	
1.	जयपोर (के) में टाइप-। के 4, टाइप-।। के 8, टाइप-।।। के 4 तथा टाइप-।।/का 1 क्वार्टर	कारापुट मंडल
1.	परलखेमुंड्डी में टाइप-।। के 2 तथा टाइप-।।। के 2 क्वार्टर	वरहामपुर(जी॰ एम॰) मंडल

खनन उद्योगों की स्थापना

3838. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में खनिज पदार्थों के सर्वेक्षण तथा खोज के लिये कितने संयंत्रों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन संयंत्रों का विस्तार अथवा नये एककों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में खनिजों के सर्वेक्षण और गवेषण हेतु किसी भी संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है। तथापि,

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी॰ एस॰ आई॰), खनिज गवेषण निगम लि॰ (एम॰ ई॰ सी॰ एल॰) और रज्य सरकारों द्वारा इन राज्यों में सर्वेक्षण और गवेषण कार्य किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लौह अयस्क शोधन सुविधाएं

3839. **श्री राम पूजन पटेल : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पादित अतिरिक्त लौह अयस्क का उपयोग करने के लिए देश में स्वदेशी लौह अयस्क शोधन सुविधाएं उपलब्ध हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि॰ (कि॰ आई॰ ओ॰ सी॰ एल॰) जो कर्नाटक राज्य में स्थित एक शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई है, लौह अयस्क सान्द्रण और पैलेटों का उत्पादन करने के लिए लौह अयस्क का सज्जीकरण करती है। निर्यात के लिए लौह अयस्क का सज्जीकरण गोवा क्षेत्र में कुछ निजी खान मालिकों द्वारा भी किया जाता है।

[अनुवाद]

तेल शोधक कारखाने

3840. **श्री काशी राम राणा :**
श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ओर से देश के विभिन्न भागों में तेल शोधक कारखानों तथा अन्य संबद्ध एककों की स्थापना करने के लिए अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षो के दौरान अब तक प्राप्त हुए ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने प्रस्तावों को अब तक स्वीकृति दी गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने गुजरात में 5 एम॰ एम॰ टी॰ पी॰ ए॰ क्षमता वाली तेल रिफाइनरी (जिसका 10 एम॰ एम॰ टी॰ पी॰ ए॰ तक विस्तार किया जा सकता है) की स्थापना के लिए कथित रूप से श्री भीखू भाई परमार (एक अनिवासी भारतीय) द्वारा प्रोत्साहित मै॰ इंटरनेशनल पेट्रोलियम एस॰ ए॰) बी॰ वी॰ आई॰) को आशय पत्र जारी कर दिया है। 100% निर्यातोन्मुखी योजना के अंतर्गत, स्नेहक तेल मल्टी ग्रेड, गैस तेल के निर्माण हेतु मै॰ पाल रिफाइनरी इंडिया को भी एक आशय पत्र जारी कर दिया गया है।

स्नेहकों और ग्रीसों के मिश्रण/निर्माण और विपणन के लिए सरकार ने भारत में इंडियन आयल

कारपोरेशन लि० और मोबिल इंटरनेशनल पेट्रोलियम इंक, यू० एस० ए०, भारत पेट्रोलियम का० लि० और शैल ओवरसीज इन्वेस्टमैंट; आई० बी० पी० और मै० काल्टेक्स पेट्रोलियम यू० एस० ए०; बामर लारी एण्ड कं० लि० और नाइको, एस० ए० आफ फ्रांस और इंडियन आयल कारपोरेशन लि०, और बामर लारी एण्ड कं० के साथ मै० फुक्स पेट्रोल्यूब, एजी, स्विटजरलैंड द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना और बिटूमन इमल्शन के निर्माण के लिए एच० पी० सी० एल०-कोलास (फ्रांस) संयुक्त उद्यम का अनुमोदन कर दिया है।

हल्दिया से बरौनी तक पाइपलाइन परियोजना

3841. **डा० असीम बाला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्दिया से बरौनी तेलशोधक कारखाने तक सोधी पाइपलाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम विदेशी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को कार्यान्वित करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) हल्दिया से बरौनी तक कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछाने के लिए आई० ओ० सी० ने सरकार को एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट के अनुसार जून, 1994 के मूल्य स्तर पर, 902.39 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर पाइपलाइन की लम्बाई लगभग 515 कि० मी० होगी और सरकार के अंतिम अनुमोदन से 42 महीनों को अवधि में परियोजना पूर्ण हो जाने की आशा है।

(ग) वर्तमान समय में किसी विदेशी एजेन्सी द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में एल० पी० जी० वितरक

3842. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल राज्य में एल० पी० जी० वितरकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) राज्यों को पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस प्रदान करने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) एल० पी० जी० (रसोई गैस) विपणन कंपनियों के अनुसार केरल राज्य के एल० पी० जी० (रसोई गैस) वितरकों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जब कभी दो ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, प्रत्येक शिकायत की जांच की जाती है तथा गलती करने वाले वितरक के विरुद्ध, जहां भी गलती को पुष्टि हो जाती है विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के तहत उचित कार्यवाही की जाती है।

(ग) वर्तमान में केरल की विद्यमान एल॰ पी॰ जी॰ (रसोई गैस) उपभोक्ताओं की जरुरतों को पूर्णतया पूरा किया जाता है। जहां कहीं किसी अस्थायी बकाया के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होती है वहां प्रभावित बाजारों की एल॰ पी॰ जी॰ (रसोई गैस) को पूर्ण मांगो पूरा करने के लिए काम के घंटों में वृद्धि करके तथा रविवारों एवं अवकाश के दिनों के दौरान एल॰ पी॰ जी॰ (रसोई गैस) भरण संयंत्रों का प्रचालन जारी रख कर आपूर्तियां बढ़ाकर सप्लाई पूरी की जाती है।

[हिन्दी]

ताप विद्युत केन्द्रों का विद्युत संयंत्र भार

3843. **श्री केशरी लाल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1994 से जून, 1994 के दौरान देश में सभी ताप विद्युत केन्द्रों की राज्यवार औसत संयंत्र भार क्षमता क्या है, और

(ख) इन ताप विद्युत केन्द्रों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडु) : (क) जनवरी, 94 से जून, 94 के दौरान देश में ताप-विद्युत केन्द्रों का राज्यवार/प्रणाली-वार औसत संयंत्र भार अनुपात संलग्न वितरण में किया गया है।

(ख) देश में अधिष्ठापित क्षमता के इष्टतम समुपयोजन के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में, पुरानी यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को आरंभ किए जाने के लिए बिजली बोर्डों को सहायता, अपेक्षित मात्रा तथा गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति, प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिकों का प्रशिक्षण तथा पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना शामिल है।

विवरण

जनवरी, 1994 से जून, 94 तक ताप विद्युत केन्द्रों का राज्यवार औसत मासिक संयंत्र भार अनुपात (प्रतिशत) का ब्यौरा निम्नलिखित है।

राज्य/ प्रणाली	औसत संयंत्र भार अनुपात (%) जनवरी, 94 से जून, 94	(संयंत्र भार अनुपात %)					
		जन 94	फर 94	मार्च 94	अप्रैल 94	मई 94	जून 94
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	67.2	67.1	76.0	72.6	57.8	64.9	65.0
हरियाणा	47.9	54.8	44.6	50.1	50.8	42.2	45.0

1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्थान	91.9	91.8	93.7	97.2	90.7	90.1	87.9
पंजाब	64.0	69.3	67.0	66.0	56.9	59.7	64.9
उत्तर प्रदेश	65.3	71.6	72.6	69.4	62.9	58.6	56.7
गुजरात	68.5	67.6	71.1	71.0	71.8	71.4	58.3
महाराष्ट्र	64.1	63.6	66.6	64.9	66.4	65.3	57.5
मध्य प्रदेश	70.6	76.1	76.0	79.7	69.8	67.8	54.4
आन्ध्र प्रदेश	81.9	86.9	82.2	87.6	83.1	75.3	76.0
कर्नाटक	72.4	64.6	82.0	73.6	72.5	71.9	69.9
तमिलनाडु	68.1	60.7	72.4	70.2	68.4	69.7	66.9
बिहार	25.1	24.1	26.9	27.7	27.0	22.5	22.3
उड़ीसा	39.7	34.8	42.7	46.8	41.1	38.6	34.4
पश्चिम बंगाल	56.9	53.8	53.3	58.2	60.4	60.5	55.3
डी० वी० सी०	43.9	44.8	46.1	59.8	45.2	39.9	36.5
असम	26.9	23.0	31.9	29.6	29.8	25.5	21.6

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

3844. **श्री के० टी० वान्डायार** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा उनको चौड़ा करने के लिए वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि दी गई है,

(ख) राज्य के कितने राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास रख-रखाव तथा मरम्मत का कार्य आरंभ किया गया तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है, और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास (चौड़ा करने सहित) के लिए वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्रमशः 1600.00 लाख रु० और 3150.00 लाख रु० उपलब्ध कराए गए।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रख-रखाव और मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध निधियों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप

3845. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में एक रसोई गैस वितरक कम से कम कितनी जनसंख्या पर नियुक्त किया जाता है;

(ख) क्या वर्तमान मानदण्डों में संशोधन करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) एल॰ पी॰ जी॰ (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिपें, आर्थिक व्यवहार्यता तथा उत्पाद उपलब्धता के होते सभी जिला मुख्यालयों तथा उन नगरों में जिनकी आबादी 20,000 और उससे अधिक है, एक चरणबद्ध ढंग से स्थापित की जाती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूरोपीय संघ का कश्मीर पर मसौदा पत्र

3846. **श्री गुरूदास कामत :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ ने अपने मसौदे पत्र "टूवाईस ए न्यू एशिया स्ट्रेजी" में कश्मीर को तीन क्षेत्रीय जिलों में शामिल किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) यूरोपीय आयोग द्वारा तैयार किए गए "टूवईस ए न्यू एशिया स्ट्रेट्जी" नामक मसौदा कार्य पत्र में एक टिप्पणी दी गई है कि यूरोपीय संघ को एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ताओं में सकारात्मक सहयोग देना चाहिए। इस संदर्भ में इस पत्र में कोरिया, स्प्रेटली और कश्मीर में क्षेत्रीय विवादों का उल्लेख है। यूरोपीय संघ परिषद को अभी इस मसौदा पत्र पर विचार करना है और इस समय यह यूरोपिया संघ की नीति नहीं है। सरकार ने जर्मनी के अध्यक्षमंडल का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि "क्षेत्रीय विवाद" के रूप में कश्मीर का किसी प्रकार का उल्लेख करने से पाकिस्तान को इस बात के लिए बढ़ावा मिलेगा कि वह कश्मीर मसले को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप दे और यह यूरोपीय संघ के बताए गए सर्वसम्मति के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं होगा जो भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मामलों का समाधान करने के लिए दोनों देशों के बीच वास्तविक द्विपक्षीय वार्ता का समर्थन करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा

3847. **श्री ए० अशोक राज :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते दामों पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) क्या ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन के वार्षिक किराये तथा काल-चार्जेज को कम करने का प्रस्ताव है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु के कितने गांवों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में किराया पहले ही काफी कम और अत्यधिक (सब्सिडाइज्ड) इमदादी हैं। इसके अलावा, वे ग्रामीण क्षेत्र जिन्हें मुख्यतः फ्लैट रेट एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, वहां उपभोक्ता द्वारा डायल, किए गए कॉलों के लिए अलग से प्रभार नहीं लिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रहे लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों से की गई ट्रंक कॉलों के प्रभार भी सामान्य प्रभारों के सिर्फ 50% हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर मे उल्लिखित प्रभार पूरे देश में लागू हैं।

[हिन्दी]

माल परिवहन उद्योग का निजीकरण

3848 **श्री तेजसिंहराव भोसले** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी कम्पनियों अन्तरांज्यीय/अन्तर्देशीय जलमार्गों द्वारा माल परिवहन की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) सरकार ने अंतरांज्यीय अंतर्देशीय जलमार्गों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं या उठाने जा रही है, और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अंतर्राज्यीय अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण उन्हीं राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार है जो किसी एक राज्य अथवा एक से अधिक राज्यों से गुजरते हैं। निजी कंपनियां पहले से ही इन राष्ट्रीय जलमार्गों अर्थात्

गंगा-भगीरथी-हुगली नदी प्रणाली (एक अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय जलमार्ग) ब्रह्मपुत्र नदी (असम राज्य में) तथा पश्चिमी तटीय नहर (केरल राज्य में) में माल की ढुलाई कर रहे हैं।

(ग) एकमात्र अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय जलमार्ग को हल्दिया से इलाहाबाद तक नोचालन के लिए विकसित किया जा रहा है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 1 और 2 में 2 मीटर की गहराई वनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 3 (पश्चिम तटीय नहर) जिसे अभी हाल ही में अर्थात् फरवरी, 1993 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था, विकास कार्य चल रहा है।

(घ) अंतर्राज्यीय अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए बजट में विशेषरूप से कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। ऐसे जलमार्गों का विकास देश में जलमार्गों के विकास के लिए सकल बजटगत आबंटन में से किया जा रहा है।

[अनुवाद]

बंदरगाहों की स्थिति

3849. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जुलाई, 1994 के "दैनिक जागरण" में बंदरगाहों की स्थिति के वारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) भारतीय बंदरगाहों को विश्व के अन्य बंदरगाहों के समान बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार का लगातार यह प्रयास रहता है कि पत्तन की उत्पादकता में सुधार किया जाए। उत्पादकता में सुधार से पत्तन की क्षमता बढ़ जाती है। विभिन्न महापत्तनों में सुविधाओं का स्तर बढ़ाने तथा उत्पादकता और क्षमता में बढ़ोतरी किए जाने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 2948.00 करोड़ रु० का परिव्यय उपलब्ध करवाया गया है।

महाराष्ट्र में दूरसंचार सुविधा

3850. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

तेल चयन बोर्ड के सदस्यों का गठन

3851. **श्री हरि केवल प्रसाद :**
श्री राम कृपाल यादव :
श्री एस० बी सिदनाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1992 से आज तक तेल चयन बोर्ड के सदस्य रहे व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन तारीखों को तेल चयन बोर्ड के सदस्य बदले गए और नए बोर्डो में पुराने सदस्यों को शामिल करने के क्या कारण थे;

(ग) कुछ राज्यों के लिए तेल चयन बोर्ड का पुनर्गठन न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) तेल चयन बोर्डो का गठन कब तक किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) 1992 के दौरान कोई तेल चयन बोर्ड नहीं था। 1.1.1993 को सत्रह तेल चयन बोर्डों को सरकार द्वारा निम्नानुसार गठित किया गया था :-

(1) उच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश- अध्यक्ष

(2) अ० जा०/अनु० सू० ज० जा०/अन्य कमजोर वर्गों का एक प्रतिनिधि-सदस्य

(3) एक ख्याति प्राप्त जननेता-सदस्य

इन तेल चयन बोर्डों का कार्य काल नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए है।

सात तेल चयन बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को सरकार द्वारा 2 मर्च, 1994 को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि इन बोर्डों के कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं पाये गये थे।

निम्नलिखित राज्यों के लिए सात तेल चयन बोर्डों में से छः को लोक हित में पुनर्गठित कर दिया गया है :—

1. विहार
2. हरियाणा
3. कर्नाटक
4. महाराष्ट्र, गोवा, दमण और द्विव
5. पंजाब
6. उत्तर प्रदेश

केरल और लक्ष्यद्वीप के तेल चयन बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पेट्रोल पम्पों के लिए लाइसेंस शुल्क

3852. **श्री जी० देवराय नायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1975-76 से पहले तेल विपणन निगम द्वारा प्रत्येक पेट्रोल पम्प का लाइसेंस शुल्क जमा कराया जाता था और तत्पश्चात इसे वास्तविक आधार पर पेट्रोल पम्प डीलरों से वसूल किया जाता था;

(ख) यदि हां, तो क्या एक बैठक में मंत्रालय की सम्मति से डीलरों से वास्तव में जमा किये गये शुल्क से अधिक शुल्क लेने का निर्णय लिया गया;

(ग) यह बैठक कब आयोजित की गई थी और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है;

(घ) अधिप्रभारित लाइसेंस शुल्क का पेट्रोल पम्प डीलरों के लाभार्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) क्या तेल निगमों द्वारा लिए जाने वाले लाइसेंस शुल्क में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ डीलरों के कमीशन में भी वृद्धि की जाती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पिछले 10 वर्षों के दौरान आर० पी० ओ० डीलरों से लाइसेंस शुल्क की वसूली दो बार बढ़ाई गई है। दोनों ही अवसरों पर डीलरों का कमीशन भी बढ़ाया गया था।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

3853. **श्री अवतार सिंह भडाना : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में गत छः महीनों के दौरान लाखों टेलीफोन कनेक्शन जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रतिक्षा सूची में किस वर्ष तक के प्रतिक्षारत लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) 1.1.94 से 30.6.94 (छः मास) तक की अवधि के दौरान कुल 107563 टेलीफोन प्रदान किए गए।

(ग) 1.7.94 को प्राप्त सूचना के आधार पर स्थिति इस प्रकार है- ओ० वाई० टी० और विशेष श्रेणी के अंतर्गत सबसे पुरानी लंबित प्रतीक्षा सूची 30.6.91 की है और सामान्य श्रेणी की प्रतीक्षा सूची 8.10.87 की है। तथापि, बहुत से एक्सचेंज क्षेत्रों में ओ० वाई० टी० और विशेष श्रेणी की प्रतीक्षा सूची शून्य है और कुछ एक्सचेंज क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी में 30.4.94 तक की प्रतीक्षा सूची का निपटान कर दिया गया है।

[अनुवाद]

इंडियन काउंसिल फार वर्ल्ड अफेयर्स

3854. **श्री अन्ना जोशी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स के लिए आवर्ती अथवा तदर्थ आधार पर कोई सहायता अनुदान मंजूर किया था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(घ) क्या इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स को सरकार की वित्तीय सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने की अनमति दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने भारतीय विश्व कार्य परिषद को आवर्ती आधार अथवा तदर्थ आधार पर कोई सहायता अनुदान मंजूर नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नही उठता।

(घ) जी नहीं, भारतीय विश्व कार्य परिषद को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है।

(ङ) प्रश्न नही उठता।

महाडाकपाल-कार्यालय

3855. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्किल मुख्यालयों के अलावा अन्य स्थानों पर महाडाकपाल और महाप्रबंधक दूरसंचार के कार्यालयों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड दिशा निर्देश अपनाए गए हैं;

(ख) सर्किल मुख्यालयों के अलावा कौन-कौन से स्थान पर ऐसे कार्यालय चल रहे हैं;

(ग) क्या महाडाकपाल और महाप्रबंधक, दूरसंचार के कार्यालय डिब्रूगढ़ में खोलने की सरकार की योजना है, यदि हां, तो कब तक खोले जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) पोस्टमास्टर जनरल और महाप्रबंधक दूरसंचार के कार्यालयों की स्थापना के मानदंड/मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नानुसार हैं :—

(i) डाक सेवाओं में प्रबंध कार्य का विकेन्द्रीकरण करने तथा निर्णय लेने वाले स्तर को क्षेत्रीय प्रचालन- कार्यों के निकट लाने के उद्देश्य से सर्किल मुख्यालय से अलग पोस्टमास्टर जनरल की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालयों की एक स्कीम डाक विभाग में 1989 में शुरू की गई थी;

(ii) सामान्यतया किसी महाप्रबंधक का कार्यालय सर्किल मुख्यालयों के अलावा अन्यत्र तभी स्थापित किया जाता है जब समतुल्य सीधी एक्सचेंज लाइनों की संख्या 30,000 से अधिक हो जाती है। लेकिन हाल में किए गए किफायती उपायों को ध्यान में रखते हुए तथा मानदंडों को सख्त बनाकर, अब इसका सृजन 34,500 लाइनें होने पर किया जाता है।

(ख) सर्किल मुख्यालयों के अलावा ऐसे कार्यालय जिन-जिन स्थानों पर स्थित है उनको दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(ग) और (घ) (i) उपयुक्त भवन तथा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं के उपलब्ध होने के उपरान्त असम क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल के मुख्यालय को गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

(ii) इस समय डिब्रूगढ़ में महाप्रबंधक दूरसंचार का कार्यालय स्थापित करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्यभार के आधार पर यह औचित्यसम्मत नहीं ठहरता है।

विवरण

सर्किल मुख्यालयों के अलावा पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय जिन स्थानों पर स्थित हैं उनकी सूची।

क्र० सं०	पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय	मुख्यालय
1.	कुरनूल क्षेत्र	कुरनूल
2.	विजयवाड़ा क्षेत्र	विजयवाड़ा
3.	विशाखापट्नम क्षेत्र	विशाखापट्नम
4.	मुजफ्फरपुर क्षेत्र	मुजफ्फरपुर
5.	रांची क्षेत्र	रांची
6.	राजकोट क्षेत्र	राजकोट
7.	वड़ोदरा क्षेत्र	बड़ोदरा
8.	उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र	धारवाड़
9.	कालीकट क्षेत्र	कालीकट
10.	कोचीन क्षेत्र	कोचीन
11.	इन्दौर क्षेत्र	इन्दौर
12.	रायपुर क्षेत्र	रायपुर
13.	पुणे क्षेत्र	पुणे
14.	नागपुर क्षेत्र	नागपुर
15.	ओरंगाबाद	ओरंगाबाद

16.	गोवा क्षेत्र	गोवा
17.	सम्बलपुर क्षेत्र	सम्बलपुर
18.	बरहामपुर क्षेत्र (जी एम)	बरहामपुर
19.	पूर्वी राजस्थान क्षेत्र	अजमेर
20.	जोधपुर क्षेत्र	जोधपुर
21.	कोयम्बटूर क्षेत्र	कोयम्बटूर
22.	मदुरै क्षेत्र	मदुरै
23.	त्रिरुचिरापल्ली क्षेत्र	त्रिरूचिरापल्ली
24.	कानपुर क्षेत्र	कानपुर
25.	देहरादून क्षेत्र	देहरादून
26.	इलाहाबाद क्षेत्र	इलाहाबाद
27.	गोरखपुर क्षेत्र	गोरखपुर
28.	आगरा क्षेत्र	आगरा
29.	बरेली क्षेत्र	बरेली
30.	उत्तरी बंगाल और सिक्किम क्षेत्र	सिलीगुड़ी

(ii) महाप्रबंधकों की अध्यक्षता वाले वे दूरसंचार जिले जो सर्किल मुख्यालयों के अलावा अन्यत्र स्थित हैं।

सर्किल

आंध्र प्रदेश	(1) विजयवाड़ा (कृष्णा), (2) गुन्टूर (3) राजमुन्दरी (पूर्व गोदावरी) (4) विशाखापट्नम
असम	-----
बिहार	-----
गुजरात	(1) राजकोट (2) सूरत (3) बड़ोदरा (4) [illegible]माणा (5) नादेंयाड़ (खेड़ा)
हरियाणा	(1) फरीदाबाद (2) करनाल
हिमाचल प्रदेश	-----
जम्मू और कश्मीर	-----
कर्नाटक	(1) मंगलौर (2) मैसूर

केरल	(1) एर्नाकुलम (2) कालीकट (3) त्रिचूर (4) कन्नानूर (5) कोट्टायम
मध्य प्रदेश	(1) इन्दौर (2) जबलपुर
महाराष्ट्र	(1) पुणे (2) कल्याण (3) नागपुर (4) नासिक (5) पणजी (गोवा) (6) कोल्हापुर
उत्तर पूर्व	-----
पंजाब	(1) अमृतसर (2) जालंधर (3) लुधियाणा (4) पठानकोट (5) फिरोजपुर (6) चंडीगढ़
उड़ीसा	-----
राजस्थान	-----
तमिलनाडु	(1) कोयम्बटूर (2) त्रिवेणी (3) मदुरै (4) सलेम (5) इरोड़
उत्तर प्रदेश	(1) कानपुर (2) वाराणसी (3) गाजियाबाद

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

3856. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है और उनकी लम्बाई क्या है,

(ख) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई की तुलना में इन राजमार्गों की प्रतिशत लंबाई क्या है, और

(ग) राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए जा रहे विभिन्न कार्यों का क्या ब्यौरा है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) उत्तर प्रदेश में ग्यारह राष्ट्रीय राजमार्ग है जिनकी कुल लम्बाई 2613 कि॰ मी॰ है।

(ख) 7.67

(ग) उत्तर प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 117 सड़क निर्माण कार्य और 21 पुल निर्माण कार्य-प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

[अनुवाद]

भारतीय तेल निगम द्वारा एस॰ के॰ ओ॰/एल॰ डी॰ ओ॰ के खुदरा बिक्री केन्द्र शुरू किए जाना।

3857. **श्री एस॰ बी॰ सिदनाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारतीय तेल निगम ने एस० के० ओ०/एल० डी० ओ० डीलरशिप और रसोई गैस डिस्ट्रीव्यूटरशिप सहित कितने खुदरा बिक्री केन्द्र शुरू किए;

(ख) किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ये बिक्री केन्द्र शुरू किए गए; और

(ग) 1994-95 के दौरान ऐसे कितने बिक्री केन्द्र शुरू किए जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान समूचे देश के विभिन्न भागों में इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा आरंभ की गई खुदरा बिक्री केन्द्रों, एस० के० ओ०-एल० डी० ओ० की डीलरशिपों तथा एल० पी० जी० की डिस्ट्रीव्यूटरशिपों की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	आर० ओ०	एस० के० ओ०	एल० पी० जी०
1991-92	13	10	81
1992-93	18	8	75
1993-94	127	215	85
योग	158	43	241

(ग) तेल उद्योग की चालू खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना में 1519 खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप, 623 एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा 202 एस० के० ओ०/एल० डी० ओ० डीलरशिप शामिल की गई हैं। डीलरशिपों का वास्तविक रूप से शुरू होना विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है जैसे विज्ञापनों के प्रति आवेदन करने वाले आवेदकों की सख्या तथा तेल चयन बोर्डो द्वारा किए जाने वाले साक्षात्कारों की संख्या और आवंटितियों द्वारा भूमि की व्यवस्था और स्थापित की जाने वाली अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

एल० पी० जी० कनेक्शन

3858. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एल पी० जी० के नए कनेक्शन जारी करने हेतु उनके मंत्रालय के सचिव और संयुक्त सचिवों को भी अधिकार प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके लिए एक वर्ष का कितना कोटा निर्धारित किया गया है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उनके द्वारा कितने एल० पी० जी० कनेक्शन जारी किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव (विपणन) तथा निदेशक (विपणन) अग्रता आधार पर एल० पी० जी० (रसोई गैस) कनेक्शन मंजूर करने के लिए अधिकृत हैं।

(ख) इस उद्देश्य के लिए कोई कोटा नियम नहीं किया गया है।

(ग) कलेन्डर वर्ष 1992 तथा 1993 के दौरान संयुक्त सचिव (विपणन) तथा निदेशक (विपणन) द्वारा कुल 4792 घरेलू एल॰ पी॰ जी॰ (रसोई गैस) कनेक्शन मंजूर किए गए हैं।

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण

3859. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताप विद्युत संयंत्र अत्यंत विषैला पारा पर्यावरण में छोड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों द्वारा पर्यावरण में फैलाए गए प्रदूषण सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज

3860. **श्री मानवेंद्र शाह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में 1993-94 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज चालू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) अब तक उनमें से किन-किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज चालू किए गए हैं और 1994-95 के दौरान ये एक्सचेंज किन-किन स्थानों पर चालू किए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में 18 एक्सचेंजों को चालू करने की योजना बनाई गई थी, इनमें से 10 स्थानों पर 1993-94 के दौरान एक्सचेंज चालू कर दिए गए थे जबकि शेष 8 स्थानों पर 1994-95 के दौरान एक्सचेंज चालू करने की योजना है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

उपरोक्त टेलीफोन एक्सचेंजों के अतिरिक्त, 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में 33 टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने की योजना भी है।

विवरण

पैरा (क) और (ख) वे स्थान जहां 1993-94 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंज चालू किए गए हैं।

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	स्थान का नाम/एक्सचेंज
1.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़
2.	नैनीताल	रामनगर
3.	नैनीताल	पंतनगर
4.	नैनीताल	बाजपुर

5.	नैनीताल	सितारगंज
6.	नैनीतल	रानीखेत
7.	देहरादून	देहरादून
8.	देहरादून	मंसूरी
9.	पौड़ी	श्रीनगर
10.	देहरादून	रायपुर

II. वे स्थान जहां 1994-95 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंज चालू किए जाने की योजना है।

क्र० सं०	जिला का नाम	स्थान का नाम/एक्सचेंज
1.	नैनीताल	किच्छा
2.	नैनीताल	गदरपुर
3.	नैनीताल	जनकपुर
4.	देहरादून	गजपुर
5.	देहरादून	दाड़वाला
6.	देहरादून	डाक पत्थर
7	चमोली	कर्णप्रयाग
8.	चमोली	रुद्रप्रयाग

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में 33 टेलीफोन एक्सचेंज चालू किए जाने की योजना भी है।

हरियाणा में ई० डी० स्टाम्प वेन्डर

3861. **श्रीमती भावना चिखलिया : क्या संचार मंत्री** 9 मई, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं० 6671 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) यह सूचना कब तक एकत्र कर ली जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सर्वाधित विवरण दिनांक 28.06.94 की कार्यान्वयन रिपोर्ट में पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है। यह रिपोर्ट अतारांकित प्रश्न सं. 6671 दिनांक 9.5.94 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के रूप में प्रस्तुत की गई है। कार्यान्वयन रिपोर्ट सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दसवीं लोक सभा का नौवा सत्र, 1994

प्रश्न संख्या तारीख और सदस्य का नाम	संचार मंत्रालय विषय	डाक विभाग दिया गया आश्वासन	आश्वासन पूरा करने की तारीख 28.06.1994 कब और कैसे पूरा किया गया	विलंब के कारण
1	2	3	4	5
श्री राजेश कुमार का दिनाक 09.05.1994 का अतारांकित प्रश्न सं. 6671	**हरियाणा में विभागेत्तर टिकट विक्रेता** पूछा गया था कि :— (क) 1986 में हरियाणा में विशेष तौर पर गुड़गाव के विभिन्न प्रधान डाकघरों में कितने विभागेत्तर टिकट विक्रेताओं को सेवा मुक्त किया गया है; (ख) कितने विभागेत्तर टिकट विक्रेताओं को अब तक पुनः नियुक्त किया गया है,	(क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(क) 1986 म गुड़गाव सहित हरियाणा में विभागेत्तर टिकट विक्रेताओं को दे दिया गया और उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया। (ख) ऐसे 23 विभागेत्तर टिकट विक्रेताओं को विभाग में फिर से नियुक्त कर दिया गया है। शेष विभागेत्तर टिकट विक्रेताओं ने या तो वैकल्पिक विभागेत्तर कार्य	

1	2	3	4	5
			करना अस्वीकार कर दिया है या विभाग से बाहर नौकरी पा ली है या उनकी मृत्यु हो गई है या प्रस्तावों के प्रत्युत्तर देने में असफल रहे हैं या जाली मनीआर्डरों के एक मामले में अपराधियों की सहायता करने के कारण वे इसके लिए अयोग्य हो गए हैं।	
	(ग) गुड़गाव प्रधान डाकघर के कितने विभागेत्तर टिकट विक्रेताओ को अब तक पुनः नियुक्त नही किया गया है, और		(ग) और (घ)	
	(घ) कब तक उन्हें पुनः नियुक्त कर दिया जाएगा ?		गुड़गांव प्रधान डाकघर में सरप्लस करार दिए गए एक विभागेत्तर टिकट विक्रेता की फिर से नियुक्ति नहीं की गई है क्योंकि उसने वैकल्पिक विभागेत्तर नौकरियों में नियुक्ति के दोनों प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। सरप्लस विभागेत्तर एजेंटों की बहाली पर प्रभावी मौजूदा अनुदेशों के अनुसार यह विभागेत्तर टिकट विक्रेता पुनः बहाली के लिए अयोग्य पाया गया।	

शिपयार्डों का कार्य-निष्पादन

3862. श्री विजय एन० पाटील : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पोत-कारखानों को पोत निर्माण हेतु विदेशी नौवहन कम्पनियों से आदेश प्राप्त हो रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) पोत कारखानों की उत्पादकता/कार्य निष्पादन में सुधार हेतु क्या कदम उठए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय शिपयार्डों को विदेशी नौवहन कम्पनियों से जहाज निर्माण के आर्डर प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों की उत्पादकता/कार्य निष्पादन में सुधार किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है :—

(1) शिपयार्डों में लागत को कम करने के लिए उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाना और उपकरणों तथा फिटिंग का मानकीकरण करना।

(2) शिपयार्डों नामतः कोचीन शिपयार्ड लि० और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की पूंजीगत पुनसंरचना करना।

(3) भारतीय शिपयार्डों में निर्यात समुद्रगामी पोतों के लिए मूल्य निर्धारण फार्मूले का संशोधन।

(4) 8वीं योजना अवधि के दौरान शिपयार्डों का आधुनिकीकरण करने के लिए अनेक स्कीमों को कार्यान्वित/विचार किया जा रहा है।

(5) सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों की प्रगति की मंत्रालय द्वारा आवधिक समीक्षा करना और उस पर निगरानी रखना।

(6) शिपयार्डों में आधुनिक वस्तुसूची नियंत्रण प्रणालियों को अपनाना।

(7) मौजूदा सुविधाओं का ईष्टतम उपयोग।

(8) उत्पादन का नियोजन और नियंत्रण।

(9) शिपयार्डों के कार्यों में विविधता लाना।

(10) जहाजों के अधिक आर्डर प्राप्त करने के लिए शिपयार्डों द्वारा अधिक विपणन प्रयास।

(11) आयात/निर्यात नीति को उदार बनाना।

(12) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के तहत जनशक्ति को कम करना।

(13) जहाजों के कम लागत और उत्तम गुणता के डिजाइन के लिए विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय शिप डिजाइन तथा अनुसंधान केन्द्र (एन॰ डी॰ आर॰ सी) की स्थापना।

(14) भारतीय शिपयार्डों को विदेशी शिपयार्डों के साथ डिजाइनों और प्रौद्योगिकी के उदार आयात में सहयोग करने की अनुमति है।

(15) मानकीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण में वृद्धि।

केरल में एल॰ पी॰ जी॰ बाटलिंग संयंत्र

3863. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1994-95 के दौरान केरल में नए एल॰ पी॰ जी॰ बाटलिंग संयंत्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु किन किन स्थानों का चयन किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) आठवीं योजना के दौरान कीलोन में 22 टी॰ एम॰ टी॰ पी॰ ए॰ की वार्षिक क्षमता सहित नये एल॰ पी॰ जी॰ भराई संयंत्र स्थापित करने की योजना है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा आइस-क्रीम का उत्पादन

3864. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आइसक्रीम उद्योग के बारे में अध्ययन करने हेतु किसी विशेषज्ञ कार्य दल का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन दल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इन पर सरकर की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) आइसक्रीम के निर्माण को आरक्षणमुक्त करने के राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अनुरोध पर वर्ष 1989 में एक कार्यदल की स्थापना की गयी थी।

(ख) और (ग) समिति की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर आइसक्रीम के निर्माण के लिए सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों को चयनात्मक अनुमति देना, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, खुदरा विक्रेताओं का मार्जिन कम करना, स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, उन्नत देशों से प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण को बढ़ावा देना, प्रोप्राइटरी इमल्सिफायर और स्टैबिलाइजरों के आयात की अनुमति देना, आइसक्रीम मिक्स निर्माण को बढ़ावा देना और सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र यूनिट द्वारा इसकी बिक्री करना, इसके विकास में आने वाली कठिनाईयों आदि को दूर करना शामिल है। अन्य विभिन्न घटकों के अलावा ऐसे अध्ययन दलों की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाता है।

आरक्षण की नीति सार्वजनिक, सहकारी और प्राईवेट क्षेत्र के यूनिटों सहित सभी क्षेत्रों के लिए लागू है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 16 की हालत

3865. **श्री जी० गंगा रेड्डी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तेलगाना क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 16 की हालत खराब है,

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है,

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 को पेनकेट से जगदलपुर तक चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव एक सतत प्रक्रिया है और उपलब्ध निधियों से राष्ट्रीय राजमार्गों को सामान्यतया यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। रा० रा०-16 के चुनिंदा खंडों की कुल 30 कि० मी० लम्बाई को चौड़ा किए जाने संबंधी कार्य को आठवीं योजना में शामिल कर लिया गया है और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन इसे शुरू किया जाएगा।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन तथा कावेरी में तेल के कुएं

3866. **श्री धर्मभिक्षम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृष्णा-गोदावरी बेसिन तथा कावेरी में कितने नए तेल कुओं का पता लगाया गया है; और

(ख) आंध्र प्रदेश में ऐसे कुओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) अप्रैल, 1991 से मार्च 1994 की तीन वर्षों की अवधि के दौरान के जो बेसिन में 11 कूप और कावेरी बेसिन में 26 कूप तेल युक्त पाए गए इनमें आंध्र प्रदेश में मोरी-मोरी केसानापल्ली-1, मांडापेट्टा-12 और मोरी-5 नामक कुंए शामिल हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण में भ्रष्टाचार

3867. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने किरिबूरू और मेघाहताबुरू खानों के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए कोई जांच समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राधिकरण ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और

(ङ) जांच समिति की रिपोर्ट को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सौंपने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) किरिबुरू और मेघाहतबुरू खानों के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों का कोई मामला लम्बित नहीं है। इसलिए कोई जांच समिति गठित नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार पेंशन

3868. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **संचार मंत्री** 9 मई, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं० 6818 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) संलग्न विवरण में ब्यौरा पत्र सं. 45-6/94 पेंशन, दिनांक 9-8-94 के रूप में दिया गया है। एकत्र की गई आवश्यक जानकारी पत्र के अनुबंध-एक और दो में दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आश्वासनों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित जानकारी संसदीय कार्य मंत्रालय को दिनांक 9.8.94 को प्रस्तुत कर दी गई हैं।

विवरण

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001.

सं० : 45-6/94-पेंशन

दिनांक 8 अगस्त, 1994

विषय : लोक सभा में 9.5.94 को दिए गए अतारांकित प्रश्न सं० 6818 के उत्तर में संसद आश्वासन—कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

मुझे उपर्युक्त विषय पर संसदीय कार्य विभाग के दिनांक 23.5.94 के का० ज्ञा० ix/सी (46) अतारांकित प्रश्न संख्या 6818/लोक सभा/94 के संदर्भ में इसके साथ हिन्दी व अंग्रेजी में कार्यान्वयन रिपोर्ट की 15-15 प्रतियां संलग्न करने का निदेश हुआ है। अनुरोध है कि आश्वासन की पूर्ति हेतु इन्हें सभा-पटल पर रखा जाए। इसके कार्यान्वयन की तारीख के बारे में इस विभाग को भी सूचित किया जाए।

संचार राज्य मंत्री ने कार्यान्वयन रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया है।

ह०
(बी० डी० बवेजा)
सहायक महानिदेशक (पेंशन)

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार

श्री अमर चन्द,
अवर सचिव
संसदीय कार्य मंत्रालय,
रोड़ नं० 143, गली नं० 12/11,
जामनगर हाउस नई दिल्ली

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

प्रश्न संख्या तारीख और सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	पूर्ती की तारीख कब और कैसे पूरा किया गया	विलंब के कारण
1	2	3	4	5
श्री इन्द्रजीत गुप्ता और श्री तारा सिंह का दिनांक 9.5.1994 का अतारांकित प्रश्न सं० 6818	**परिवार पेंशन** पूछा गया था कि :— (क) क्या उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्य महाडाकपाल के कार्यालयों में उदारीकृत पेंशन नियमों के अंतर्गत भूतपूर्व विभागीय कर्मचारियों की विधवाओं के भारी संख्या में आवेदनपत्र, निर्णय और अंतिम स्वीकृति दिए जाने के लिए लंबित पड़े हैं; (ख) क्या कुछ विधवाएं तो जीवन भर पेंशन प्राप्त नहीं कर सकीं; (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; (घ) क्या सरकार इस संबंध में आवेदनों को निपटाने तथा भुगतान करने की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के लिए कार्यालयों को निदेश देगी; (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?	(क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(क) से (ख) पश्चिम बंगाल सर्किल में कोई मामला लंबित नहीं है। तथापि ऐसी रिपोर्ट मिली है कि एक मामला बिहार सर्किल में और एक मामला उड़ीसा सर्किल में अंतिम निर्णय के लिए लंबित हैं। दोनों ही मामलों में, भुगतान प्राप्त करने से पहले ही विधवाओं की मृत्यु हो चुकी है। (ग) और (घ) इन दोनों मामलो का ब्यौरा अनुबंध । और ।। में दिया गया है।	

अनुबंध-एक

उड़ीसा सर्किल

स्व० श्री रविन्द्रनाथ बनर्जी की पत्नी श्रीमती ममता बनर्जी ने 10.4.92 को परिवार पेंशन के दावे हेतु एक सादे पेपर पर आवेदन दिया था। उन्होंने उल्लेख किया था कि उनके स्व० पति बिहार में देवघर से सेवानिवृत्त हुए थे और वे कलकत्ता से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे थे तथा वर्ष 1965 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल बिहार से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि स्व० कर्मचारी उस सर्किल से सेवानिवृत्त नहीं हुए थे। कलकत्ता, जहां से स्व० कर्मचारी अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे थे, से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह प्रमाणित हो गया था कि उक्त कर्मचारी की पेंशन का मामला अतिरिक्त पोस्टमास्टर जनरल, पुरी (उड़ीसा) से प्राप्त हुआ था क्योंकि स्व० कर्मचारी कटक डिवीजन से हेड क्लर्क के बतौर सेवानिवृत्त हुए थे। श्रीमती ममता बनर्जी ने अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य/दस्तावेजों के साथ निर्धारित फार्म में अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया था और दिनांक 31.5.93 को उनकी मृत्यु हो गई थी जैसा कि श्रीमती ममता बनर्जी की पुत्री श्रीमती मिनाती चक्रवर्ती ने सूचित किया था। श्रीमती मिनाती चक्रवर्ती ने अपने भाई बहनों की ओर से अपनी मां की परिवार पेंशन की बकाया राशि के लिए दावा प्रस्तुत किया था। स्व० श्रीमती ममता बनर्जी की पुत्री श्रीमती मिनाती चक्रवर्ती को निर्धारित फार्म में दावे के पेपरों का एक सैट इन हिदायतों के साथ भेजा गया था कि वे अपने दावे के समर्थन में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र और शपथपत्र के साथ सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें। श्रीमती मिनाती चक्रवर्ती से अभी तक दावे के कागजात प्राप्त नहीं हुए हैं।

अनुबंध-दो

बिहार सर्किल

इस मामले में, स्वर्गीय श्री नरसिंह सहाय, भूतपूर्व सब पोस्टमास्टर, हयाघाट, बिलासपुर (दरभंगा) दिनांक 30.6.37 को सेवानिवृत्त हुए थे और दिनांक 15.2.1945 को उनका निधन हो गया था। उनकी विधवा पत्नी श्रीमती बुद्धि देवी ने स्व० कर्मचारी की विधवा होने का दावा करते हुए एक शपथपत्र के साथ परिवार पेंशन के लिए आवेदन किया था। जब इस मामले की जांच चल रही थी, उस दौरान 15.6.1987 को श्रीमती बुद्धि देवी का भी निधन हो गया और वह अपने पीछे तीन पुत्र और दो पुत्रियां छोड़ गई। इन पांचों व्यक्तियों ने परिवार पेंशन की बकाया राशि में से एक समान हिस्सा प्राप्त करने का दावा किया था। इसी बीच, उनके बड़े पुत्र, श्री एम० पी० सिन्डा ने एक शपथपत्र प्रस्तुत किया जो कथित तौर पर श्रीमती बुद्धि देवी द्वारा बकाया राशि का भुगतान केवल श्री एम० पी० सिन्हा को ही करने के बारे में निष्पादित किया गया था। समुचित जांच-पड़ताल के पश्चात् स्व० श्रीमती बुद्धि देवी को परिवार पेंशन मंजूर करने के मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। दावाकर्ताओं द्वारा पेश किए गए परस्पर विरोधी दावों को ध्यान में रखते हुए बकाया राशि का भुगतान उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद केवल कानूनी उत्तराधिकारी को ही किया जा सकता है। श्री एम० पी० सिन्हा से किसी उपयुक्त न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है।

अरुणाचल प्रदेश में तेल शोधक कारखाना

3869. **श्री द्वारका नाथ दास :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में निकट भविष्य में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अरुणाचल प्रदेश में उपलब्ध ऐसोशिएटिड प्राकृतिक गैस का उपयोग करने हेतु अन्य योजनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश में तेल रिफाइनरी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) गैस को मध्य आसुतों में परिवर्तित करने संबंधी परियोजना हेतु अरुणाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में गैस का "सैद्धान्तिक" आबंटन कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टेलीग्राफ कार्यालय

3870. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कुल कितने टेलीग्राफ कार्यालय कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितने टेलीग्राफ कार्यालयों में हिन्दी में टेलीग्राफ भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में ऐसे कुछ और कार्यालय खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ये कार्यालय कब तक खोल दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) मध्य प्रदेश में कार्यरत तार-घरों की कुल संख्या 2411 है।

(ख) सभी 2411 तार-घरों में हिन्दी में तार भेजने की सुविधा उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) जी हां। मांग, आवश्यकता और व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए, विभाग वर्ष के दौरान कुछ और तार-घर तथा दूरसंचार केन्द्र खोलने का प्रस्ताव कर रहा है।

तमिलनाडु में टेलीफोन कनेक्शन

3871. **श्री पी० कुमारसामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में, जिलेवार 1993 के दौरान तथा 1994 में अब तक अनुमति दिए गए तथा स्थापित किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या अलग-अलग वर्ष में क्या है;

(ख) राज्य में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों की जिलेवार संख्या क्या है; और

(ग) प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) विवरण-एक और दो संलग्न।

(ख) विवरण तीन संलग्न हैं।

(ग) वार्षिक योजना 1994-95 में 1.52 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने पर विचार किया गया है। प्रतीक्षा सूची को और कम करने के लिए अतिरिक्त उपस्कर को पट्टे पर देने के प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि 2.9 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के अनुसार 01.04.1997 तक मांग पर टेलीफोन प्रदान किए जाने हैं।

विवरण -एक

तमिलनाडु सर्किल में 1992-93 के दौरान मंजूरशुदा/संस्थापित जिलावार टेलीफोन कनेक्शन

जिला	मंजूरशुदा	संस्थापित
1	2	3
अंबेडकर	1903	1903
चेंगलपट्टू एम० जी० आर०	1890	1890
चिंदम्बरनगर	854	854
कोयम्बटूर	7639	7192
धर्मपुरी	718	718
डिंडिगुल अन्ना	820	820
कमराजार	553	553
कन्याकुमारी	857	857
मदुरै	3186	3186
नागापट्टिनम क्वेमिलाद	1370	1370
नेल्लई कट्टाबोम्मन	2350	2342
पसुम्पन	431	431
पेरियार	4872	4872
पांडिचेरी	1011	1011
पुडुकोट्टई	580	580

1	2	3
रामनाथपुरम्	569	569
सलेम	4348	4348
संबूवरयार	733	733
थंजावुर	1825	1825
नीलगिरि क्षेत्र	1133	1133
त्रिची	2866	2795
वल्लार	1334	1334
विल्लूपुरम एस॰ एस॰ आर॰		
कुल	41842	41316

विवरण -दो

क्र॰ सं॰	जिले का नाम	मंजूर किए गए टेलीफोन	संस्थापित टेलीफोन
1	2	3	4
1.	अंबेडकर	3270	3270
2.	चेंगलपट्टू एम॰ जी॰ आर॰	2673	2673
3.	चिंदम्बरनगर	1286	1249
4.	कोयम्बटूर	8806	8350
5.	धर्मपुरी	1452	1452
6.	डिंडिगुल अन्ना	2033	2033
7.	कमराजार	1900	1900
8.	कन्याकुमारी	1579	1579
9.	मदुरै	5682	5682
10.	नागापट्टिनम क्वेमिलाद	1049	1049
11.	नेल्लई कट्टाबोम्मन	5525	5510

1	2	3	4
12.	पसुम्पन	582	582
13.	पेरियार	7261	7261
14.	पांडिचेरी	1853	1853
15.	पुडुकोट्टई	600	600
16.	रामनाथपुरम्	257	257
17.	सलेम	6955	6955
18.	संबूवरयार	1259	1259
19.	थंजावुर	4316	4302
20.	नीलगिरि क्षेत्र	1113	965
21.	त्रिची	2407	2157
22.	वल्लार	2751	2751
	बिल्लूपुर एस० एस० आर०		
सर्किल जोड़		64609	63689

विवरण -तीन

ख. तमिलनाडु सर्किल की जिलावार स्थिति जुलाई, 1994.

क्र० सं०	जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची			
		ओ० वाई० टी०	गैर विशेष	गैर सामा०	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	अंबेडकर	219	463	10175	10857
2.	चेंगलपट्टू एम० जी० आर०	92	253	6938	7285
3.	चिंदम्बरनगर	534	383	5648	6565
4.	कोयम्बटूर	2808	3415	47317	53540
5.	धर्मपुरी	222	353	3710	4285
6.	डिंडिगुल अन्ना	119	284	5145	5548

1	2	3	4	5	6
7.	कमराजार	211	406	4299	4915
8.	कन्याकुमारी	312	548	6461	7321
9.	मदुरै	501	1331	14855	16687
10.	नागापट्टिनम क्वेमिलाद	137	111	3181	3429
11.	नेल्लई कट्टावोम्मन	47	212	5258	5517
12.	पसुम्पन	207	183	2502	2892
13.	पेरियार	125	1229	17864	19218
14.	पांडिचेरी	449	798	6077	7324
15.	पुडुकोट्टई	30	107	2294	2431
16.	रामनाथपुर	257	150	2884	3291
17.	सलेम	328	1552	21490	23370
18.	संबूवरयार	10	101	2313	2424
19.	थंजावुर	453	497	9905	10855
20.	नीलगिरि क्षेत्र	136	116	3064	3316
21.	त्रिची	770	1114	19341	21225
22.	वल्लार	278	298	5462	6038
	बिल्लूपुर एस० एस० आर०	35	53	1268	1356
सर्किल जोड़		8280	13959	207450	229689

अंतर्देशीय जलपरिवहन क्षेत्र के लिए परिव्यय

3872. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने 1994-95 में अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए परिव्यय को कम कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल मार्ग को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए 87.65 करोड़ रु० आबंटित किए जाने का प्रस्ताव था। तथापि, अन्ततः 20.00 करोड़ रु० का आबंटन किया गया था।

(ग) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग, प्राधिकरण द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के धुबरी-गुवाहाटी खंड में 2 मी० की न्यूनतम गहराई को बनाए रखा जा रहा है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ खंड में 2 मी० की न्यूनतम गहराई विकसित करने तथा उसे बनाए रखने और तेजपुर, धुबरी, जोगीगोपा और डिब्रूगढ़ में फ्लोटिंग टर्मिनलों का विकास किए जाने की योजना है जो यातायात की मांग पर निर्भर करेगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण

3873. **डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गो पर 1993-94 के दौरान कितने पुलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है,

(ख) इस समय कितने पुलों पर मरम्मत-कार्य चल रहा है, और

(ग) पुलों की मरम्मत पर गत तीन वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) ग्यारह।

(ख) पांच।

(ग) निधियों का आबंटन राज्य में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए किया जाता है। अलग-अलग पुल की मरम्मत के लिए निधियां राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती हैं। तथापि, राज्य लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान पुलों की मरम्मत के लिए किया गया व्यय इस प्रकार है :—

	(लाख रु०)
1991-92	44.89
1992-93	58.12
1993-94	40.08

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र नदी में गाद छंटाई कार्य

3874. **श्री प्रवीन डेका** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धुबरी से गुवाहाटी तक ब्रह्मपुत्र नदी-तल से गाद निकालने संबंधी कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) इस वर्ष के दौरान भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का धुबरी से गुवाहाटी तक ब्रह्मपुत्र नदी के तल के निकर्षण का प्रस्ताव है ताकि इस खंड में न्यूनतम 2 मीटर की गहराई सुनिश्चित की जा सके।

महानगरों में टेलीफोन डायरेक्टरी

3875. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगरों में नगर-वार पिछली पूर्ण टेलीफोन डायरेक्टरी का किस वर्ष प्रकाशन हुआ था;

(ख) क्या सैद्धान्तिक रूप से समय-समय पर अनुपूरक डायरेक्टरियां जारी करने के अतिरिक्त मुख्य डायरेक्टरी में प्रतिवर्ष संशोधन किया जाना अपेक्षित है;

(ग) टेलीफोन डायरेक्टरियों के प्रकाशन की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) टेलीफोन डायरेक्टरियों के प्रकाशन में विलंब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) :

(क)	**मैट्रो नगर**	**पिछले संस्करण के प्रकाशन का वर्ष**
	दिल्ली	1992
	बंबई	1992
	कलकत्ता	1992
	मद्रास	1992

(ख) जी हां।

(ग) मेट्रो टेलीफोन जिलों में टेलीफोन डायरेक्ट्री ठेकेदारों की मार्फत सामान्यतः पीले पृष्ठों सहित प्रकाशित की जाती हैं और उन ठेकेदारों को कोई भुगतान नहीं किया जाता जिन्हें स्वयं उनके द्वारा बसूल किए गए विज्ञापन प्रभार अपने पास रखने की अनुमति दी जाती हैं। इन डायरेक्टरियों के प्रकाशन के लिए ठेकेदार विभाग को रॉयल्टी देते हैं। जहां तक कलकत्ता टेलीफोन डायरेक्ट्री का संबंध है, चूंकि इसका पिछला अंक 1989 में प्रकाशित हुआ था और ठेकेदारों की वजह से आगामी अंकों के प्रकाशन में काफी देर हो चुकी है, अतः अगले अंक को बिना पीले पृष्ठों के विभागीय तौर पर प्रकाशित करने का प्रस्ताव है और 1994 के इस अंक के प्रकाशन की अनुमति लागत 2.5 करोड़ रू० है।

(घ) दिल्ली और बंबई में, वर्ष 1993 की प्रमुख टेलीफोन डायरेक्टरियां प्रकाशित नहीं की जा सकी, क्योंकि न्यायालय के एक फैसले के कारण पूर्ववर्ती करार को समाप्त करना पड़ा और पुनः निविदाएं आमंत्रित करके एक नए ठेकेदार की नियुक्ति करनी पड़ी थी। 1989 के संस्करण के उपरांत, कलकत्ता टेलीफोन डायरेक्ट्री के प्रकाशन में मूल ठेकेदार द्वारा काम करने में असफल रहने और तदंतर जारी की गई

निविदाओं का प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के कारण विलंब हुआ है। मद्रास टेलीफोन डायरेक्ट्री के प्रकाशन के मामले में कोई देर नहीं हुई है।

"हॉली-डे होम"

3876. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा स्थानवार कितने "होली-डे होम" चलाए जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने कर्मचारियों और उनके आश्रितों ने इस सुविधा का लाभ उठाया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन "हॉली-डे होम" पर स्टेशनवार तथा वर्षवार कितना व्यय किया गया है; और

(घ) 1994 के दौरान कितने नए "हॉली-डे होम" खोले जाने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) संचार मंत्रालय के अधीन 37 हॉली-डे-होम हैं। इनके स्थानवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

हॉली डे होम की सूची

(क) दूरसंचार विभाग के अंतर्गत

	सर्किल का नाम		स्थान
1.	हरियाणा	(i)	कुरुक्षेत्र
2.	हिमाचल प्रदेश	(ii)	शिमला
		(iii)	कुल्लू
3.	जम्मू तथा कश्मीर	(iv)	कटरा
		(v)	श्रीनगर
4.	कर्नाटक	(vi)	बेंगलूर
		(vii)	हसन
		(viii)	मैसूर
5.	केरल	(ix)	गुरुवायूर
		(x)	कुमीली

6.	मध्य प्रदेश	(xi)	पचमढ़ी
7.	उत्तर पूर्व	(xii)	इंफाल
8.	उड़ीसा	(xiii)	पुरी
9.	राजस्थान	(xiv)	माउंट आबू
10.	तमिलनाडु	(xv)	कोडई-कनाल
11.	उत्तर प्रदेश	(xvi)	नैनीताल
		(xvii)	आगरा
		(xviii)	वाराणसी

(ख) डाक विभाग के अंतर्गत

	सर्किलों के नाम	स्थान	
1.	आंध्र प्रदेश	(i)	तिरुपति
2.	असम	(ii)	गुवाहाटी
		(iii)	कम्हाया
3.	बिहार	(iv)	देवघर
		(v)	राजगीर
4.	गुजरात	(vi)	द्वारका
5.	जम्मू तथा कश्मीर	(vii)	श्रीनगर
		(viii)	जम्मू
6.	केरल	(ix)	त्रिवेंद्रम
7.	महाराष्ट्र	(x)	मथेरन
8.	उत्तर पूर्व	(xi)	अगरतला
		(xii)	शिलांग
9.	उड़ीसा	(xiii)	पुरी
		(xiv)	गोपालपुर
10.	राजस्थान	(xv)	उदयपुर
11.	तमिलनाडु	(xvi)	कन्याकुमारी

12.	उत्तर प्रदेश	(xvii)	मंसूरी
13.	पश्चिम बंगाल	(xviii)	दीघा
		(xix)	डायमंड हार्बर

[हिन्दी]

बिहार में डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

3877. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों के कुछ डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस क्षेत्र में विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, अब तक कोई भी शाखा डाकघर दर्जा बढ़ाए जाने योग्य नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

ई० डी० कर्मचारियों हेतु केन्द्रीय भविष्य निधि योजना

3878. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ई० डी० एजेंटों के लिए केन्द्रीय भविष्य निधि योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछली पद्धति के अनुसार नियमित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग का गठन होने के बाद अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवा शर्तों और वेतन-ढांचे की जांच करने के लिए एक समिति गठित की जा रही है। इस समिति द्वारा सामाजिक सुरक्षा स्कीम की शुरूआत करने के औचित्य के साथ-साथ सेवानिवृत्ति लाभों पर भी विचार किया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला

3879. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उनके मंत्रालय के तत्वाधान में ग्रामीण विद्युत निगम द्वारा विकेन्द्रीकृत विद्युत वितरण प्रणाली पर एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस कार्यशाला में भाग लेने वाले विशेषज्ञों ने क्या सुझाव दिए;

(ग) क्या इन सुझावों के सम्बन्ध में अड़चनों, व्यवहारिकता तथा आर्थिक व्यवस्था के बारे में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां,।

(ख) से (घ) कार्यशाला का आयोजन मुख्यतः क्षेत्र में विद्युत वितरण प्रणालियों के विकेन्द्रीकरण की संभावनाओं पर विचार करने के लिए किया गया था। जिन विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया था उनमें संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र या व्यवहार्य सरकारी समितियों में क्षेत्र आधारित विद्युत वितरण संगठनों को स्थापित किए जाने की संभावनाऐं शामिल हैं। जो..........इस तरह के संगठनों की स्थापना के लिए तौर-तरीकों से संबंधित हैं। ये संगठन व्यवहार्य होने चाहिए तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधाओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न मानदण्डों पर पूरा उतरते हों। इस तरह के संगठनों की स्थापना की व्यवहारिकता तथा लाभकारिता की, जब और जैसे भी उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त हों प्रत्येक मामले के आधार पर जांच-पड़ताल की जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात में माइक्रोवेव स्टेशन

3880. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में माइक्रोवेव स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो ये कहां-कहां पर स्थापित किए जायेंगे;

(ग) ये कबसे कार्य करना शुरू कर देंगे और इन पर किए जाने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) कम क्षमता वाली कुल 60 माइक्रोवेव प्रणालियां तथा उच्च क्षमता वाली 6 माइक्रोवेव प्रणालियां संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। स्थानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त प्रणालियां उत्तरोत्तर रूप से 31 मार्च, 1996 तक चालू किए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि समय पर 442678 हजार रुपए अनुमानित लागत के उपस्कर उपलब्ध हों।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान पोलेयन प्रणाली चालू करने संबंधी अनन्तिम कार्यक्रम

क्र० सं०	एक्सचेंज	श्रेणी	एस.टी.डी. की स्थिति	रूट	तालुका	जिला
1	2	3	4	5	6	7
(क) 30 चैनल 2 जी एच जेड डी माइक्रोवेव :						
1.	लिलियामोटा	एसडीसीसी	एसटीडी	दमनासर-लिलियामोटा	लिलियामोटा	अमरेली
2.	कुंकावाव	टी एच क्यू	—	दगासाराकुकावाव	कुंकावाव	अमरेली
3.	पिपावाव	—	—	राजुला-पिपावाव	राजुला	अमरेली
4.	वड़गाम	टी एच क्यू	ओ/डब्ल्यू एस टी डी	पालनपुर-वड़गाम	वड़गाम	पालनपुर
5.	थारड	टी एच क्यू	ओ/डब्ल्यू एस टी डी	देवदर-थारड	थारड	पालनपुर
6.	गढ़	512 आई एल टी	—	पालनपुर-गढ़	पालनपुर	पालनपुर
7.	देडियापाड़ा	टी एच क्यू	—	नेतरंग-रामपुर (एच) पी सी एम	देडियापाड़ा	भरूच
8.	सेलम्बा (सागवाड़ा)	टी एच क्यू	—	देडियापाड़ा-सागवाड़ा	सागवाड़ा	भरूच
9.	घोघा	टी एच क्यू	—	भावनगर-घोघा	भावनगर	भावनगर
10.	धासा	512 आई एल टी	—	गधाड़-धासा	गधाड़ा	भावनगर
11.	अलंग	—	—	तलाजा-अलंग	तलाजा	भावनगर

1	2	3	4	5	6	7
12.	गधाड़ा	टी एच क्यू	—	बोतट-गधाड़ा	गधाड़ा	भावनगर
13.	जमकल्याणपुर	टी एच क्यू	—	भाटिया-कल्याणपुर	जमकल्याणपुर	जामनगर
14.	मालिया	हातिना टी एच क्यू	ओ/डब्ल्यू एस टी डी	कोशोड-मालिया	मालिया (एच)	जूनागढ़
15.	बन्थली	टी एच क्यू	ओ/डब्ल्यू एस टी डी	जूनागढ-वंथली	वंथली	जूनागढ़
16.	भेसन	टी एच क्यू	—	विश्वाधर-भेसन	विसवधर	जूनागढ़
17.	धरमाज	300 एमएएक्स ।।	—	पेटलाड़-धरमाज	पेटलाड	नडियाद
18.	सोजित्रा	200+86	ओ/डब्ल्यू एस टी डी	पेटलाड़-सोजित्रा	नडियाद	नडियाद
19.	कथालाल	512 आई एल टी	—	कापड़वंज-कथाला	कापड़वंज	नडियाद
20.	सरसा	512 आई एल टी	—	आनंद-सरसा	आनंद	नडियाद
21.	गगोवर	एस डी सी सी	—	राहपड़-गगोदर	भूज	भूज
22.	सुमरासर	एस डी सी सी	—	भूज-सुमरासर	भूज	भूज
23.	खावड़ा	एस डी सी सी	—	भूज-खावड़ा	भूज	भूज
24.	पनाधरो	—	—	दयापर फन्ड्रो	लखापत	भूज
25.	बड़नगर	500 सी-डॉट	ओ/डब्ल्यू एस टी डी	खेरालू-वड़नगर	खेरालू	मेहसाणा
26.	संतरामपुर	टी एच क्यू	—	लूनावाडा-संतरामपुर	संतरामपुर	गोधरा
27.	मालिया (मिवाना)	टी एच क्यू	—	मोर्वी-मालिया-मिवाना	मालिया (एम)	राजकोट

1	2	3	4	5	6	7
28.	मेघराज	टी एच क्यू	ओ/डब्ल्यू एल टी डी	मालपुर-मेघराज	मेघराज	हिम्मतनगर
29.	विजयनगर	टी एच क्यू	—	केडीवी-विजयनगर	विजयनगर	हिम्मतनगर
30.	पालसाना	टी एच क्यू	—	वारडोली-पालसाना	पालसाना	सूरत
31.	मंगरोल	टी एच क्यू	—	कोसवा-मंगरोल	मंगरोल	सूरत
32.	उकाई	—	—	एफ सोनगढ़-उकाई	सोनगढ़	सूरत
33.	सायला	टी एच क्यू	ओ/डब्ल्यू एस टी डी	सुरेन्द्रनगर-सायला	सायला	सुरेन्द्रनगर
34.	सिनोर	टी एच क्यू	एस टी डी	करजन-सिनोर	सिनोर	बड़ौदरा
35.	बन्सवा	टी एच क्यू	—	वलसाड-बन्सवा	वन्सवा	वलसाड़
36.	अम्लसाड	512 आई० एल टी	—	विलीमोरा-अम्लसाड	विलीमोरा	वलसाड़
37.	सांजन	512 सी०डॉट०	—	सांजन-उमरगाम	उमरगाम	वलसाड़

(ख) 120 चैनल 2 जी एच जेड माइक्रोवेव

1	2	3	4	5	6	7
1.	बगसारा	एस डी सी सी	ओ/डब्ल्यू एम टी डी	अमरेली-बगसारा	कुंकावाव	अमरेली
2.	धनेरा	टी एच क्यू	—वही-	दिसा-धनेरा	दिसा	पालनपुर
3.	दंता	टी एच क्यू	—वही-	पालनपुर-झाजोरा-दंता	दंता	पालनपुर
4.	वागरा	टी एच क्यू	—	वागरा (जी आई-डी सी) (अमोड)	अमोड	भरूच

1	2	3	4	5	6	7
5.	जगाड़िया नई (जी आई डी सी)	1000	—	जगाडिया (जी-आई डी सी)	जगाडिया	भरूच
6.	गरियाधर	टी एच क्यू	ओ/डब्ल्यू एस टी डी	भावनगर-पालि थाणा गरियाधर	गरियाधर	भावनगर
7.	भनवाड़	टी एच क्यू	—वही-	लालपुर-भनवाड़	भनवाड़	जामनगर
8.	जामजोधपुर	टी एच क्यू	—वही-	लालपुर- जामजोधपुर	जामजोधपुर	जामनगर
9.	कलावाड़	टी एच क्यू	—वही-	जामनगर-जयवा कलावाड़	कलावाड़	जामनगर
10.	मेंदारता	टी एच क्यू	—वही-	जूनागढ़-मेंदारता विस्वाधर	वन्थली	जूनागढ़
11.	कापडवंज	टी एच क्यू	एस टी डी	नडियाद-कापडवंज	कापडवंज	नडियाद
12.	खेड़ा	टी एच क्यू	एस टी डी (आर/एम)	खेड़ा-आणंद	अहमदाबाद	नडियाद
13.	काम्बे	टी एच क्यू	—वही—	पेटलाड-काम्बे	काम्बे	नडियाद
14.	वसाड़	300 एम - ए एक्स ।।	—वही—	आणंद-वसाड़	आणंद	नड़ियाद
15.	महुड़ा	512 आई एल टी	—	नड़ियाद-महुड़ा	नड़ियाद	नड़ियाद
16.	काड़ी	टी एच क्यू	एस टी डी	मेहसाणा-काड़ी	काड़ी	मेहसाणा
17.	झालोड़	टी एच क्यू	ओ/डब्ल्यू एस टी डी	दाहोद-झालोड़	झालोड़	गोधरा
18.	वांकानेर	टी एच क्यू	एस टी डी (आर एम)	वांकानेर-राजकोट	वांकनेर	राजकोट

1	2	3	4	5	6	7
19.	मालपुर	टी एच क्यू	ओ/डब्ल्यू एस टी डी	मोड़ासा-मालपुर	मालपुर	हिम्मतनगर
20.	कोसवां	400 एम ए एक्स।।	—	के आई एम-कोसवां	मंगरोल	सूरत
21.	महुवा	टी एच क्यू	—	वारडोली-महुवा	महुआ	सूरत
22.	सचिन	—	—	सूरत-सचिन	सूरत	सूरत
23.	दमन (संघ क्षेत्र)	—	एस टी डी आर/एम	वापी-दमन	दमन	वलसाड़

टिप्पणी : संबंधित सर्वेक्षण डिवीजनों से लंबित मामलों को यदि कोई शेष हों "कैरी आउट" करने के लिए अनुरोध किया।

वर्ष 1995-96 के दौरान चालू किए जाने वाले प्रस्तावित उच्च क्षमता वाले माइक्रोवेव प्रणाली के ब्यौरे।

क्र० सं०	योजना का नाम
1.	वेरावल-कोडीनार-उना
2.	जमनासार-लालपुर-खम्बालिया
3.	खम्बालिया-नन्दाना-द्वारका
4.	पटलाड-आनन्द
5.	मनावदर-कुटियाना-पोरबन्दर
6.	बम्बई-अहमदाबाद

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ परमाणु हथियार प्रयोग न करने संबंधी समझौता

3881. **श्री तारा सिंह :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जुलाई, 1994 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पाक स्पर्नस नो फर्स्ट अटैक प्रयोजन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान के समक्ष एक-दूसरे के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग न करने सम्बंधी किसी समझौते का कोई प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पाकिस्तान की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 24 जनवरी, 1994 को पाकिस्तान को जो छह अ-दस्तावेज भेजे गये थे उनमें से एक में सरकार ने पाकिस्तान की सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव किया था कि दोनों देशों के बीच अविश्वास को कम करने तथा विश्वास को बढ़ाने के लिए अपनी वचनबद्धता को फिर एक बार जाहिर करते हुए भारत एक ऐसा करार करने के लिए तैयार है जिसके अनुसार दोनों देश यह वचन लें कि दोनों में से कोई भी देश दूसरे के खिलाफ अपनी नाभिकीय क्षमता का इस्तेमाल करने अथवा उसकी धमकी देने की पहल नहीं करेगा।

खेद है कि 19 फरवरी, 1994 को टिप्पणियों और जबावी प्रस्तावों के रूप में प्राप्त पाकिस्तान की प्रतिक्रिया नकारात्मक थी। 21 मार्च, 1994 को सरकार ने फिर एक बार पाकिस्तान से अनुरोध किया कि वह भारत के प्रस्तावों पर निष्ठापूर्वक विचार करे क्योंकि वे व्यापक तथा सार्थक बातचीत का आधार बन सकते हैं। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

म्यांमार के लिए सड़क के रास्ते सस्ती यात्रा सुविधा

3882. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ संसद सदस्यों तथा "बर्मीज एसोसिएशन ऑफ डिस्पलेस्ड पर्सन्स" से भारत व म्यांमार के लोगों के बीच परस्पर संपर्क बढ़ाने के लिए सड़क मार्ग द्वारा सस्ती यात्रा सुविधा प्रदान करने की मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) सरकार को बर्मा विस्थापित व्यक्तिगत संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि भारत और बर्मा के बीच अपेक्षाकृत सस्ती सड़क यात्रा सुविधा का प्रावधान किया जाए। इस अभ्यावेदन को एक संसद सदस्य द्वारा अग्रेषित किया गया था।

(ख) इस अभ्यावेदन में बहुत से सुझाव दिए गए हैं जैसेकि जिन लोगों के रिश्तेदार म्यांमा में रहते हैं उन्हें भू-मार्ग से यात्रा की अनुमति देना, एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल को म्यांमा भेजना, आदि। इस समय सम्बन्धित प्राधिकारी इन सुझावों पर विचार कर रहे हैं।

रसोई गैस कनेक्शनों का जाली स्थानान्तरण

3883. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनेक राज्यों में जाली रसोई गैस ट्रांसफर वाउचर वितरण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों की जानकारी सरकार के पास है; और

(ग) इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) एल० पी० जी० कनेक्शनों के लिए नकली अग्रता वाउचरों के कुछ मामले सरकार की दृष्टि में आए हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) डिस्ट्रीव्यूटरों को विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि वे नकली अग्रता वाउचरों का पता लगा सकें। जब कभी नकली वाउचरों का पता लगा जमा राशि जब्त कर ली गई और रीफिलों की आपूर्ति रोक दी गई। कुछ मामलों में उपस्कर वापस ले लिए गए और पुलिस मामले दर्ज किए गए।

संदर्शी डाक योजना

3884. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाक सेवा के क्षेत्र में विश्वव्यापी विकास वर्तमान और भावी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए डाक नेटवर्क का विकास करने तथा इसे आधुनिक बनाने के लिए दसवर्षीय संदर्शी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उपकरणों की सप्लाई तथा वजट संबंधी आवंटन करने से पहले सभी सम्बद्ध कार्यों और प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं आदि पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) डाक सेवा का आधुनिकीकरण करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों की बढ़ती हुई मांग का अध्ययन करने और व्यापक योजना बनाने के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि के उपायों की सिफारिश करने तथा उपयुक्त आधुनिक टेक्नालॉजी की शुरुआत करके डाक प्रचालन-कार्यों को किफायती बनाने के लिए सरकार ने 1987 में डाक सेवाओं में उत्कृष्टता पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों ने डाक सेवाओं के लिए दीर्घावधि योजनाओं के उद्देश्य व प्राथमिकताएं तय करने के लिए आधार प्रदान किया है। डाक सेवाओं के विकास में अन्यत्र उभरती हुई प्रवत्तियों को ध्यान में रखते हुए कार्य-कलापों के विविध क्षेत्रों को विकसित व आधुनिक बनाने के लिए विशिष्ट नीतिगत उपाय शुरू किए गए हैं।

कार्य-कलापों के विशिष्ट कार्यक्रम सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में योजनाबद्ध किए जाते हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बनाए गए ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य कुशल व त्वरित काउंटर सेवाएं प्रदान करना, मेल प्रोसेसिंग का मशीनीकरण तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से मनीआर्डर का त्वरित पारेषण करना है। योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिसकी अवधि 1992-97 तक है, इन कार्यक्रमों के लिए 138.30 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय मंजूर किया है।

(ख) काउंटर सेवाओं का विकास डाक नेटवर्क के विस्तार के माध्यम से किया गया है, जबकि अधिक कार्यकुशलता व उत्तरदायी सेवा कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनों की शुरूआत करके सुलभ कराई गई है। देश में 1000 से अधिक डाक काउंटरों पर ऐसी मशीनें लगाई जा चुकी हैं। उत्कृष्टता पाकेट

(पाकेट्स आफ एक्सेलेंस) बनाने के लिए कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से चुनिंदा महत्वपूर्ण डाकघरों के पूर्ण आधुनिकीकरण हेतु कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ये उत्कृष्टता-पाकेट आधुनिकीकरण के लिए मॉडलों का कार्य करेंगे।

अप्रैल, 1993 में बंबई में देश के पहले आटोमेटिड मेल प्रोसेसिंग केन्द्र की स्थापना के साथ ही मेल प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अत्यन्त विकसित टेक्नालॉजी आरंभ की गई है।

उपग्रह चैनल के माध्यम से मनीआर्डर के त्वरित पारेषण के लिए एक प्रारंभिक योजना कार्यान्वयनाधीन है।

बचत बैंक और डाक जीवन बीमा कार्यों के लिए कम्प्यूटरीकरण की शुरूआत की गई है जिसमें इन सभी सेवाओं में "कस्टमर इंटरफेस" के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया है।

कारपोरेट सेक्टर के लिए, धनराशि के त्वरित अंतरण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कारपोरेट मनीआर्डर सेवा को अंतिम रूप दे दिया गया है। विशिष्ट व्यवसायिक संगठनों को प्रणालीबद्ध सेवा प्रदान करने वाली यह योजना, देश में विभिन्न स्थानों पर धनराशि शीघ्रता से भेजने की व्यापारी वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करेगी।

स्पीड पोस्ट सेवा में प्रचालन कार्य की कुशलता को बढ़ाने के लिए कम्प्यूटर आधारित टेक्नालॉजी की शुरूआत करने के प्रयोजन से ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली की एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

राष्ट्रीय राजधानी तथा महानगरों और राज्यों की राजधानियों के बीच पिन कोट अंकित डाक की भारी मात्रा के लिए शुरू किए गए मेट्रो व राजधानी चैनल के लिए कम्प्यूटरीकरण द्वारा एक प्रबंध सूचना प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी डाक को अब निश्चित और सुव्यवस्थित चैनलों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाता है। और उसे उसके गंतव्य स्थान पर 24 से 48 घंटे के भीतर वितरित कर दिया जाता है।

(ग) उपस्कर की स्थापना के साथ-साथ सभी आवश्यक औपचारिकताएं, जिनमें प्रचालन पद्धतियों और नियमों में परिवर्तन, साइट प्रीप्रेशन्स, प्रशिक्षण आदि शामिल हैं, पुरी करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है। परिणाम समय पर प्राप्त करने के लिए बेहतर प्रबंध नियंत्रण और परियोजनाओं की सूक्ष्म मॉनीटरिंग की जा रही है।

डिब्बाबन्द फल

3885. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री छेदी पासवान :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने प्रतिशत फलों को डिब्बाबंद किया जाता है;

(ख) कितने डिब्बाबंद फलों का निर्यात किया जाता है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है;

(ग) क्या सरकार का विचार मौसम में उत्पादित फलों तथा सब्जियों के हो रहे अपव्यय को कम

करने हेतु पर्याप्त अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और नई अनुसंधान और विकास सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) 1993-94 के दौरान धूप में सुखाए गए और तले गए उत्पादों को छोड़कर प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पादों के विनिर्माण के लिए देश में उत्पन्न लगभग 1.1% फलों और सब्जियों को वाणिज्यिक रूप से प्रसंस्कृत किया गया है।

(ख) 1993-94 के दौरान लगभग 1.15 लाख टन प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पादों का निर्यात किया गया था जिससे 225.0 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आमदनी हुई।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने फल और सब्जी प्रसंस्करण के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करने में सहायता करने के लिए योजना स्कीमें बनाई हैं और उन्हें लागू कर रहा है। सरकार ने विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते के लिए ऑटोमेटिक अनुमोदन की अनुमति भी दी है बशर्ते कि ऐसी प्रौद्योगिकी की फीस आदि 1.00 करोड़ रुपए से अधिक न हो।

[अनुवाद]

पंचशील के नये सिद्धान्त

3886. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 27 जून, 1994 को नई दिल्ली में पंचशील तथा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पंचशील के नये सिद्धान्तों का विवरण दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनके निष्कर्षों तथा सुझावों का संक्षिप्त विवरण क्या है; और

(ग) नये सिद्धान्तों के अनुसरण में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुनंदन लाल भाटिया) : (क) से (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

27 जून, 1994 को "पंचशील तथा सार्वभौमिक राज्य" पर विचार-गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रत्येक पीढ़ी को इन पांच सिद्धान्तों की व्याख्या करनी होगी और अपने युग की समस्या पर इन्हें सृजनात्मक ढंग से लागू करना होगा तथा साथ ही उन्होंने पांच नये सिद्धान्त प्रतिपादित किए।

2. इन नये सिद्धान्तों में पहला सिद्धान्त मध्य-मार्ग है जो इस बात को मान्यता देता है कि अर्थ-व्यवस्था के अनेक क्षेत्रों को तीव्र गति से हो रहे प्रौद्योगिक परिवर्तनों के साथ-साथ चलने में समय लगेगा तथा हमें उन क्षेत्रों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए जो उन क्षेत्रों के साथ नहीं चल पा रहे हैं जो उनसे आगे बढ़ गए हैं।

3. दूसरा सिद्धांत "गांव की ओर वापसी" का है जिस में भारत में ग्रामों को प्रमुखता प्रदान की गयी है और यह कहा गया है कि हमें आगे बढ़ने के लिए वापस ग्रामों में जाना होगा।

4. तीसरा सिद्धांत "आदर्श ग्राम" का है, जिसमें कहा गया है कि किसी गावं को एक व्यवहार्य आर्थिक एकक बनने के लिए उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए और यहां कि भारत की ग्रामीण जनता राष्ट्रीय उद्देश्य तथा प्रयास से संबद्ध रहते हुए अपने जीवनयापन की तथा अपनी जलवायु संबंधी परिस्थितियों एवं उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत ही फलफूल सकती है।

5. चौथा सिद्धांत "आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा परम्परा के बीच सामंजस्य" का है, जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि संगत प्रौद्योगिकीयों में प्रगति तथा प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर ध्यान देने से हमारे बड़े-बड़े शहरों में हो रही निरन्तर वाणिज्यिक होड़ की अपेक्षा अधिक लाभप्रद परिणाम होंगे।

6. पांचवा सिद्धांत "नई विश्व व्यवस्था" का है जिसे पंचशील के साथ सक्रिय रहना चाहिए और जिसे आने वाली शताब्दी की विचारधारा में इस सिद्धांत को दृढ रूप से पुनः स्थापित करना चाहिए।

7. सरकार प्रधान मंत्री के भाषण में उल्लिखित विचारों और सुझावों पर सम्बद्ध व्यक्तियों तथा हस्तियों के बीच विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करती रहेगी। प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तावित नए प्रस्तावों पर समाचार-तन्त्र में पहले ही व्यापक चर्चा हो चुकी है।

[हिन्दी]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

3887. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वदेशी मछुआरों की जो कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम के प्रस्तावों से भयभीत हैं, कि शिकायतों के निवारण के लिए गठित की गई विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) गहन समुद्री मत्स्यन कार्य-प्रचालन पर विशेषज्ञ ग्रुप द्वारा अपनी रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की गई है। समिति ने अनेक उपचारात्मक उपाय सुझाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ तटीय और गहन समुद्री क्षेत्रों में समग्र मत्स्यन प्रयासों के विनियमन के लिए समन्वित प्रणाली हेतु सुझाव, इन क्षेत्रों में मत्स्यन कार्य करने वालों के बीच हितों पर विवाद कम करने हेतु सुझाव, प्रभावकारी-प्रवर्तन और विधायी उपाय, विश्वसनीय सूचना, मत्स्यन जलयानों के लिए आवरण संहिता आदि शामिल हैं। इन सिफारिशों पर कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

[अनुवाद]

भारत और नार्वे के बीच द्विपक्षीय समझौता

3888. **श्री शंकरसिंह वाघेला** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नार्वे सरकार के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग संबंधी कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस समझौते से भारत को कितना लाभ मिलेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) आर्थिक औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक सहयोग के संबंध में नार्वे के साथ 6 जुलाई, 1987 को एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ।

(ख) इस समझौता ज्ञापन के अनुसार भारत तथा नार्वे ने यह वचन लिया है कि वे दोनों देशों की इच्छुक संस्थाओं, संगठनों, उद्यमों तथा अन्य संबधित संस्थाओं के बीच आर्थिक, औद्योगिक और प्रौद्योगिक सहयोग की बढ़ावा देंगें और उसे सुविधाजनक बनाएगें। इस समझौता ज्ञापन में यह भी प्रावधान है कि सहयोग के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा उसके तौर-तरीकों पर विचार करने के लिए समय-समय पर परामर्श किया जाएगा।

(ग) इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य औद्योगिक संयुक्त उद्यमों तथा प्रौद्योगिकी अन्तरण को बढ़ावा देना और वाणिज्यिक संबंधों के विस्तार, विविधिकरण को सुविधाजनक बनाना है। नार्वे के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए तय सम्भावना सम्पन्न क्षेत्रों में, विद्युत, तेल और प्राकृतिक गैस, रसायन तथा पेट्रो-रसायन, महासागर विकास, गहरे समुद्र में खनन, इलैक्ट्रोनिकी, जहाजरानी तथा जहाज निर्माण और मत्स्य पालन शामिल हैं। भारत के आर्थिक सुधार कार्यक्रम से इन क्षेत्रों में परस्पर लाभकारी सहयोग की संभावनाएं भी बढ़ी हैं।

[हिन्दी]

दुग्ध प्रसंस्करण तकनीक का सुधार

3889. **श्री महेश कनोडिया** :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध प्रसंस्करण में आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने की काफी गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का देश में दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) दुग्ध प्रसंस्करण में आधुनिक प्रौद्योगिकी की शुरुआत करना एक सतत प्रक्रिया है। भारत में कुछ दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों के स्टेंडर्ड की तुलना किसी भी उन्नत देश के संयंत्रों से की जा सकती है।

[अनुवाद]

ग्रेनाइट का निर्यात

3890. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993-94

के दौरान खनिजों के निर्यात से अर्जित कुल विदेशी मुद्रा में से ग्रेनाइट के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : वर्ष 1993-94 में खनिजों (कोयले और खनिज ईंधनों को छोड़कर) के निर्यात से हुई 309694 लाख रुपये की कुल विदेशी मुद्रा आय. में से ग्रेनाइट के निर्यात से 66368 लाख रुपये की आय हुई जोकि लगभग 21 प्रतिशत है।

मोटर दुर्घटना के दावे

3891. **श्री मोहन रावले** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1994 तक मोटर दुर्घटनाएं दावा प्राधिकरण में मुआवजे के कितने मामले लम्बित थे और ये मामले कब से लम्बित हैं,

(ख) इस प्राधिकरण द्वारा एक मामले को निपटाने में सामान्यतः कितना समय लिया जाता है,

(ग) इस प्रकार के मामलों में अनावश्यक विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(घ) मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) यदि यह प्रश्न दिल्ली से संबंधित है तो सूचना इस प्रकार है :-

कुल मामले	17365
5 वर्ष और उससे अधिक	1651
4 वर्ष पुराने	1088
3 वर्ष पुराने	1308
2 वर्ष पुराने और उससे कम वाले	13318

(ख) मामलों को निपटाने में न्यायालय औसतन लगभग 2 से 3 वर्ष तक का समय लेता है और कुछेक मामलों में 5 वर्षों से भी अधिक समय लग जाता है।

(ग) आधूरी याचिका दर्ज किए जाने, प्रभावित पक्षों द्वारा साक्ष्य जुटाने में लगने वाले समय इत्यादि जैसे विभिन्न कारणों से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में मामलों के निपटान में विलम्ब होता है।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आयुक्त-व सचिव (परिवहन) द्वारा ली जाने वाली आवधिक बैठकों में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के न्यायाधीशों से अनुरोध किया जाता है कि वे मामलों को शीघ्र निपटाएं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

3892. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का विचार मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है:—

(1) सभी मैक्स ।।। एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना;

(2) लाइन खोजी किस्म के सभी मैक्स- ।। एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना।

(3) मियाद समाप्त टेलीफोन उपकरणों को डिजिटल उपकरण से बदलना;

(4) सभी एक्सचेंजों में एस टी डी सुविधा की व्यवस्था ।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3,19,000 नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है। तथापि, नई दूरसंचार नीति में 1.4.1997 तक सारे देश में मांग पर टेलीफोन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

मध्य प्रदेश सहित देश भर में 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी मुख्य कस्बों में सभी एस टी डी उपभोक्ताओं को 1.4.1997 तक इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों और मूल्यवर्धित सेवाओं के साथ संपर्कता प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग

3893. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गत दो वर्षों से किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने का कार्य चल रहा है,

(ख) अभी तक कितना कार्य पूरा हो चुका है, और

(ग) शेष कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :

(क)	राष्ट्रीय राजमार्ग -17	पनवेल-महाद-पंजिम सड़क
	राष्ट्रीय राजमार्ग -50	पुणे-नासिक सड़क

(ख) और (ग) निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं और इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है।

पाकिस्तान द्वारा मिथ्या प्रचार

3894. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान विदेशों में भारत के विरुद्ध मिथ्या प्रचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मिथ्या प्रचार का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान द्वारा भारत के संबंध में जो कुप्रचार किया जा रहा है उसका प्रतिकार करना एक सतत् प्रक्रिया है। पाकिस्तान के मिथ्या तथा दुष्प्रेरित कुप्रचार के प्रतिकार के लिए त्वरित, व्यापक और

प्रभावी कार्रवाई की जाती है। निर्णय कर्त्ताओं, समाचार तन्त्र; तथा दूसरे देशों की सरकारों को विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से तथा भारत में स्थित इन देशों के मिशनों के माध्यम से नियमित आधार पर तथ्यात्मक सूचना दी जाती है। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलों की भारत की यात्राओं तथा भारत से इन देशों को जाने वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलों की यात्राओं के दौरान भी इन देशों की सरकारों को तथ्यों से अवगत कराया जाता है।

[अनुवाद]

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

3895. **श्री बसुदेव आचार्य** :
प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का इस्पात का औसत दैनिक उत्पादन कितना है,

(ख) सरकार द्वारा संयंत्र में इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं,

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से दुर्गापुर से एलोय इस्पात संयंत्र में होट रोलिंग मिल को लगाने का अनुरोध किया है,

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, और

(ङ) क्या होट रोलिंग मिल न लगाये जाने के कारण संयंत्र घाटे में चल रहा है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम चार महीनों (अप्रैल-जुलाई, 1994) के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में विक्रय इस्पात का औसत दैनिक उत्पादन लगभग 2000 टन है।

(ख) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण किया जा रहा है जिससे इसकी विक्रय इस्पात की क्षमता में वृद्धि होगी और इसका उत्पादन बढ़ेगा।

(ग) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एल० पी० जी० कनेक्शन

3896. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** :
श्री के० प्रधानी :
श्रीमती कमलेन्द्र कौर :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :
श्री एस० एम० लालजान बाशा :
श्री नारायण सिंह चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान रसोई गैस के ग्राहकों के पंजीयन में वृद्धि करने और दो सिलिंडरों की सुविधा कनेक्शन (डी बी सी) देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों को रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र तथा कंपनियों को 1994-95 के दौरान 20 लाख नए एल पी जी (रसोई गैस) उपभोक्ताओं का नामांकन करने तथा 20 लाख द्वितीय सिलिंडर सूविधा देने के संबंध में निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं।

(ग) नए एल पी जी (रसोई गैस) कनेक्शनों का आबंटन तथा डी बी कनेक्शनों का प्रदाय राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता है नए एल पी जी (रसोई गैस) कनेक्शन एल पी जी (रसोई गैस) की उपलब्धता, नए ग्राहकों के कुल नामांकन, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध बकाया तथा उनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए चरण बद्ध ढंग से किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के द्वितीय सिलेंडर के इच्छुक एल० पी० जी० (रसोई गैस) ग्राहकों से अपेक्षित है कि वे अपने नामों को संबंधित डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत करवाएं। डिट्रीब्यूटर कोटा उपलब्ध होने पर पहले आओ पहले पाओं के आधार पर दूसरे सिलिंडर देते हैं।

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

3897. **श्रीमती शीला गोतम** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए निर्धारित कुल योजना परिव्यय में कटोती की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस कमी के फलस्वरूप कच्चे तेल के उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तेल की घरेलू आवश्यकता को किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) समग्र रूप से स्रोत की कठिनाई के कारण सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के 33393 करोड़ रुपए के परिव्यय हेतु मूल प्रस्ताव के प्रति 8वीं योजना के लिए 17,511 करोड़ रुपए के परिव्यय की मंजूरी की है तथापि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को इस आश्वासन के साथ मूल रूप से प्रस्तावित वास्तविक कार्यक्रम को जारी रखने का निर्देश देते हुए आश्वासन दिया गया था कि वर्ष दर वर्ष आधार पर निधियां दी जाएंगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में टेलीफोन परामर्शदात्री समितियां

3898. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में टेलीफोन परामर्शदात्री समितियों को गठित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं,

(ख) इन समितियों का कार्यकाल कितना होता है,

(ग) क्या इस वर्ष इन समितियों को गठित किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन प्रत्येक मेट्रो/दूरसंचार सर्किल के लिए मुख्य महाप्रबंधकों और महाप्रबंधक/दूरसंचार जिला प्रबंधक की अध्यक्षता में प्रत्येक सेंकेडरी स्विचन क्षेत्र के लिए किया जाता है।

(ख) दूरसंचार टेलीफोन सलाहकार समितियों का कार्यकाल दो वर्ष का होता है।

(ग) टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया है। जब कभी टेलीफोन सलाहकार समितियों का कार्यकाल समाप्त होता है, उनका पुनर्गठन कर दिया जाता है। 1.1.1994 से 31.7.1994 तक 27 टेलीफोन सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया जा चुका है।

(घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1.1.1994 से पुनर्गठित टेलीफोन सलाहकार समितियों के नाम :

असम

असम

गुवाहाटी

बिहार

बिहार

गोवा

गोवा

हरियाणा

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश

रायपुर

मणिपुर

इम्फाल

पंजाब

अमृतसर

लुधियाना

हिसार	पठानकोट
रोहतक	**राजस्थान**
फरीदाबाद	जयपुर
हरियाणा	राजस्थान
करनाल	**उत्तर प्रदेश**
जम्मू व कश्मीर	इलाहाबाद
जम्मू तथा कश्मीर	**पश्चिम बंगाल**
श्रीनगर	कलकत्ता
जम्मू	पश्चिम बंगाल
कर्नाटक	**केरल**
कटागू	केरल
कर्नाटक	
बैंगलूर	

[अनुवाद]

संयुक्त मत्स्यन उद्यम

3899. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मत्स्य पालन के लिए संयुक्त उद्यम लगाने हेतु 1993-94 के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) 31 मार्च, 1994 तक संयुक्त उद्यम लगाने संबंधी जिन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन कंपनियों के आवेदन अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं, उनकी संख्या कितनी है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) गहन समुद्री मत्स्यन में संयुक्त उद्यमों के लिए 1993-94 में नौं आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) 1991 में नई गहन समुद्री मात्स्यिकी नीति की घोषणा से 31 मार्च, 1994 तक मंजूर किए गए संयुक्त उद्यम प्रस्तावों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) गहन समुद्री मात्स्यिकी के लिए 15.8.94 की स्थिति के अनुसार पांच कम्पनियों के आवेदन-पत्र लम्बित हैं।

विवरण

31.3.1994 की स्थिति के अनुसार संयुक्त उद्यम के लिए स्वीकृत परियोजनाएं

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	जलयानों सं०	विदेशी सहयोगी का नाम
1.	2	3	4
1.	फिशिंग फाल्कन लि० हैदराबाद	2	कोजे शिपबिल्डिंग कं० लि०, दक्षिणी कोरिया
2.	टारगेट मैरीन एण्ड इंजीनियर्स लि० नई दिल्ली।	2	सिल्वर ओसिएनिक कं० लि० थाईलैण्ड
3.	ल्यो स्विजिंड लि० नई दिल्ली	5	डीप सी फिशिंग कं०, प्यांगयांग, डी० पी० आर० कोरिया
4.	शिवगंगा फिसरीज लि० नई दिल्ली	1	चेवाने मरसेरोन बलैरी (सी० एम० बी०) एण्ड मै० क्रोफ्रेपेच आफ फ्रांस।
5.	न्यू ऐरा ऐग्रो कैमिकल्स इंडिया लि०, मद्रास	3	आल यूनियन फिशिंग कोप० असन, मोसको (पुर्ननामित क्लेक्टिव फिशिंग फार्मस, यूनियन)
6.	लीला सी फूड्स (प्रा०)लि०, विशाखापत्तनम	4	सुपचोक कं० लि०, थाईलैंड
7.	इंको फिशरीज (प्रा०) लि०, हैदराबाद	2	नामयांग कं० लि० सियोल, कोरिया
8.	इंडफिश लि०, नई दिल्ली	62	कान्सोलिडेटेड सी फूड करपोरेशन, बोस्टन यू० एस० ए०
9.	इंडमार फिरीज (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	3	हार्टफोर्ड (थाईलैंड) कं० लि०, वैंकाक
10.	ओरियन्टल हाई सी फिशरीज लि०, विशाखापत्तनम	1	टोयो कोसिसन कं० लि०, जापान
11.	बाय-डे (आई) फिशरीज (प्रा०) लि०, नं० दिल्ली	1	डे पेयोंग फिशरीज कं० लि०, सियोल, कोरिया
12.	गैरीन रिसोरसेज इंटरनेशनल, नं० दिल्ली	2	ओसियनिक फिशिंग इन्टरनेशनल लि०, रूस
13.	टिंग टाई इंडियम लि०, विशाखापत्तनम	2	टिंग टाई इन्टरनेशनल कं० लि०, ताईवान
14.	फारच्यून आसियनिक प्राडक्ट लि०, नई दिल्नी	10	"ओकीन" एस्टोनियन फिशिंग ज्वाइंट सस्टाक कं०, एस्टोनिया।

1.	2	3	4
15.	सत्येन्द्र अक्वाकलचर लि०, हैदराबाद	1	कोरसकाव बेस आफ ओसियन फिशिंग (कि० बी० ओ० आर०) रूस
16.	ग्रिनवेव मैरीन हारवेस्ट लि०, हैदराबाद	1	रिबफलौट, सेवेस्टोपोल, यूक्रेन
17.	सर्व कान्सुलेट मैरीन प्राडक्ट्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	5	युग बिजनेस सर्विस, मास्को, रूस
18.	इंचिता फिशरिज (प्रा०) लि०, मद्रास	56	चाइना नेशनल फिशरीज कारपोरेशन बीजिंग, चीन
19.	स्वान सी फूड्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	4	सिल्वर ओसियनिक कं० लि०, थाईलैंड
20.	अल्टिमा असेट्स एण्ड इन्वेस्टमैंट (प्रा०) लि० नई दिल्ली।	5	आइस लैण्डिक फिशिंग कम्पनी, आइस लैण्ड।

प्रतिबद्धता पूरा न करने वाले एककों को प्राकृतिक गैस की सप्लाई

3900. **डा० के० वी० आर चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन परियोजनाओं को प्राकृतिक गैस के आवंटन को रद्द करने का कोई प्रस्ताव है जो उसे प्रयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं करती;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को ऐसी कितनी परियोजनाओं का पता चला है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) आबंटन आदेशों में उल्लिखित शर्तों को पूरा न करने पर आबंटनों को रद्द किया जा सकता है इकाईयों की स्थापना में विलंब होने के कई मामले सामने आए हैं। जहां उचित समझा गया, वहां समय बढ़ा दिया गया, आवंटितियों द्वारा चूक करने के कारण गेल ने दो गैस आपूर्ति ठेके समाप्त कर दिए हैं।

[हिन्दी]

हीरे की खान

3901. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1992-93 में हीरा खानों, विशेषरूप से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की हीरा-खानों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बेचने से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई थी; और

(ख) क्या इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इन खानों में खनन गतिविधियां शुरू कर दी हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) एन० एम० डी० सी० में पन्ना जनपद में किसी भी एम० एन० सी० को अपनी हीरा खान नहीं बेची है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अमरीकी कंनियों द्वारा पूंजी निवेश

3902. **श्री के० प्रधानी** :
श्री शरत पटनायक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ अमरीकी कंपनियां देश के हाइड्रोकर्बन क्षेत्र में पूंजी निवेश करने के लिए उत्सुक है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विभिन्न अमरीकी कंपनियों ने समय-समय पर निजी कंपनियों को प्रस्तावित ब्लाकों/क्षेत्रों के अन्वेषण/विकास और सम्भावना सर्वेक्षण के लिए अपनी ओर से अथवा परिसंघों के भाग के रूप में बोलियां भेजी हैं।

सरकार ने अब तक के जी-ओ एस-90/1, जी के-जो एन-90/2 ब्लाकों के लिए ठेके देने का अनुमोदन किया है, जिनके लिए अमरीकी कंपनियों ने बोलियां भेजी थीं।

पुनश्च मध्यम आकार के क्षेत्रों मुक्ता, पन्ना, मध्य और दक्षिणी ताप्ती के विकास के लिए सरकार ने एनरोन एक्स्प्लोरेशन कम्पनी आफ यू० एस० ए० के नेतृत्व वाले परिसंघ को ठेके देने का अनुमोदन कर दिया है।

स्नेहकों के निर्माण और विपणन के लिए काल्टेक्स पेट्रोलियम कारपोरेशन, यू० एस० ए० और आई० बी० पी० कं० लि०, भारत के बीच संयुक्त उद्यम कम्पनी के निर्माण के लिए भी अनुमोदन दिया जा चुका है। आई० ओ० सी० ने भी मोबिल ब्रांड के स्नेहकों के मिश्रण और विपणन के लिए मोबिल इंटरनेशनल पेट्रोलियम इंक, यू० एस० ए० के साथ एक संयुक्त उद्यम किया है। इसके अतिरिक्त स्नेहकों के निर्माण और विपणन में प्रोद्योगिकी के हस्तान्तरण के लिए अमरीका के एक्सान कारपोरेशन ने अपने सहयोगी के माध्यम से एच० पी० सी० एल० के साथ समझौता-ज्ञापन किया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता

3903. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेलामंगला-टुमकुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन संबंधी परियोजना वित्तीय सहायता हेतु एशियाई विकास बैंक के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो यह सहायता कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की कच्चे तेल की उत्पादन लागत

3904. **डा० विश्वनाथम कैनिथी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की कच्चे तेल की उत्पादन लागत कितनी पड़ती है और इसे कितनी राशि का भुगतान किया जाता है; और

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की क्या लागत है और सरकार इसे किस दर से खरीद रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1993-94 के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन की अनुमानित उत्पादन लागत (सांविधिक प्रभारों आदि सहित) 2785 रु० प्रति मी० टन थी। इसके प्रति आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशम को 3342 रु० प्रति मी० टन कुल धनराशि अदा की जाती है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की मूल्य विश्वव्यापी मांग एवं आपूर्ति, ओ० पी० ई० सी० उच्चतम सीमा तथा उत्पादन कोटा व गैर ओ० पी० ई० सी० देशों द्वारा उत्पादन, संसार का आर्थिक दृष्टिकोण जैसे अनेक पहलुओं पर निर्भर करता है तथापित, 1993-94 के दौरान खरीदे गए कच्चे तेल का औसत मूल्य 14.65 अमरीकी डालर प्रति बैरल (अस्थायी) था।

[हिन्दी]

गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

3905. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में खनिज स्रोतों के दोहन और उपयोग हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खान मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निजी निवेश को आकर्षित करने के विचार से खनिज क्षेत्र को खोला गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा नये निवेश केवल वाणिज्यिक और आर्थिक अवधारणा पर आधारित होंगे।

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटनाएं

3906. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री राम विलास पासवान :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घातक सड़क दुर्घटनायें बहुत अधिक हो रही हैं,

(ख) यदि हां, तो 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान जून तक क्रमशः घातक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या क्या थी,

(ग) क्या सरकार ने भारत की तुलना में अन्य देशों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का कोई तुलनात्मक अध्ययन कराया है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सड़क दुर्घटनाओं तथा वाहन प्रदुषण पर नियंत्रण पाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं/करने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) यह थोड़ा अधिक है। तथापि, देश में वाहनों की संख्या में हो रही वृद्धि की तुलना में इसमें गिरावट का रुख है।

(ख) कलैंडर वर्ष के आधार पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। फिलहाल, वर्ष 1992 और 1993 के आंकड़े उपलब्ध है, तो नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	**घातक दुर्घटनाएं**
1992	51854 (अनन्तिम)
1993	24818 (केवल 15 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मामले में)

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सड़क दुर्घटनाओं और वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए/किए जा रहे उपाय क्रमशः संलग्न विवरण-एक और दो में दिए गए हैं।

विवरण-एक

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये किए गए/किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु ड्राइविंग स्कूल में औपचारिक प्रशिक्षण की एक पूवपिक्षा बना दिया गया है।

2. ट्रकों तथा हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए अधिकतम सुरक्षित लदान भार निर्धारित किए गए हैं।

3. हल्के मोटर वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

4. देश भर में वाहनों की उपयुक्तता की जांच करने के लिए एक समान अंतराल निर्धारित किए गए हैं।

5. यह निर्धारित किया गया है कि वाहनों में सड़क सुरक्षा यंत्र अर्थात् वाहनों के लिए ब्लिंकर प्रणाली से युक्त दिशा सूचक, खतरनाक अथवा जोखिम वाला सामान ढोने वाले वाहनों पर विशेष लेबल लगाए जाएंगे।

6. सड़क सुरक्षा उपाय तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद गठित की गई है। राज्य सरकारों से भी राज्य स्तर पर सड़क सुरक्षा परिषदें गठित करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य सरकारों को भी निम्नलिखित कार्रवाई करने की सलाह दी गई है :—

1. यातायात नियमों, और विनियमों का सख्ती और कड़ाई से प्रवर्तन।

2. अंधाधुंध और लापरवाही से वाहन चलाने, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, दोषपूर्ण हैड लाइटों, अधिक गति से वाहन चलाने, अधिक भार लदान इत्यादि के खिलाफ नियमित विशेष अभियान।

3. नोटिस जारी करके उल्लघनकर्ताओं का नियमित अभियोजन।

4. दुर्घटना वाले क्षेत्रों में ब्लिकंर/संकेतों की स्थापना।

5. दुर्घटना वाले क्षेत्रों में पुलिस की अधिक उपस्थिति।

6. विशेष प्रातः कालीन अभियान एवं रात्रि-गश्त।

7. बस बाक्सों, पीले बाक्सों की पेटिंग।

8. राजमार्गों पर विशेष रात्रि कालीन जांच।

9. बसों, एच॰ टी॰ वी॰, टी॰ एस॰ आर॰, टैक्सियों इत्यादि के खिलाफ विशेष अभियान।

विवरण-दो

वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए/किए जा रहे उपाय

1. केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत प्रदूषण संबंधी मानक निर्धारित किए गए हैं जिनका सभी मोटर वाहनों द्वारा अनुपालन अपेक्षित है।

2. सभी मोटर वाहनों के लिए उत्सर्जन काफी सख्त मानक निर्धारित किए गए हैं जो अप्रैल, 1996 से प्रभावी होंगे।

3. केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 115(7) के अनुसार सभी वाहनों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र का रखा जाना अनिवार्य बना दिया गया है।

4. पुलिस के सब-इंस्पेक्टर अथवा मोटर वाहन के निरीक्षक के स्तर के अधिकारी को यदि किसी वाहन के बारे में यह संदेह होता है कि अमुक वाहन निर्धारित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन नहीं कर रहा है तो वह अधिकारी उस वाहन के चालक अथवा प्रभावी व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वाहन की प्रदूषण संबंधी जांच करवाएं।

5. उत्सर्जन मानकों के उल्लंघन के बारे में जांच अधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर पंजीकरण प्राधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे वाहन का पंजीकरण निलंबित कर सकते हैं।

6. निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है :—

(i) अधिक भार लदान के लिए सख्त दंड, क्योंकि इससे भी प्रदूषण फैलता है।

(ii) वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण से संबंधित अपराधों का प्रशमन।

7. राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण संबंधी मोटर वाहन अधिनियम/नियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करें। निम्नलिखित उपाय किए जाने के बारे में उन्हें विशेष सलाह दी गई है :—

(क) मोटर वाहनों की जांच के प्रयोजन से परिवहन विभाग में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए।

(ख) निजी वर्कशापों/पैट्रोल पम्पों को ऐसी जांच करने और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

(ग) अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों की प्रत्येक सीमा चौकी पर जांच किए जाने हेतु उपयुक्त प्रयास किए जाएं। यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक सीमा चौकी पर प्रदूषण स्तर जांच केन्द्र खोले जाएं।

(घ) जन जागरण अभियान शुरू किया जाए।

(ड़) जांच अभियान और जागरूकता अभियान के समन्वय के लिए अंतर-र्राज्यीय समितियों का गठन किया जाए।

(च) डीजल के वाहनों के मामले में ओवर लोडिंग को वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण के लिए एक कारण माना गया है। राज्यों को जोर देकर कहा गया है कि वे ओवर लोडिंग को रोकने के लिए कारगर उपाय करें।

(घ) जहां तक संभव हो, परिवहन संबंधी कार्यकलापों को नगर की सीमाओं से बाहर शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए।

8. उद्योग पर भी यह दबाव डाला गया है कि वे दुपहिया वाहनों के लिए बार स्ट्रोक इंजन विकसित करें जो कि कम प्रदूषण फैलाता है।

[हिन्दी]

बिहार में पुलों का निर्माण

3907. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में वर्ष 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों का निर्माण किया गया,

(ख) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने पुलों की मरम्मत की गई, और

(ग) उक्त अवधि के दौरान पुलों की मरम्मत पर कितना धन व्यय किया गया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान दो पुलों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

(ख) और (ग) पुलों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव और मरम्मत कार्य एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार द्वारा यथा प्रस्तुत पिछले तीन वर्षों के दौरान मरम्मत किए गए पुलों की संख्या और उन पर किया गया खर्च निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	मरम्मत किए जा रहे पुलों की संख्या	पुलों की मरम्मत पर किया गया खर्च (लाख रु०)
1991-92	15	25.00
1992-93	20	121.91
1993-94	18	40.42

[अनुवाद]

एक से अधिक देशों के पासपोर्ट रखना

3908. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में भारतीय तथा अन्य निवासियों को एक से अधिक पासपोर्ट रखने दूसरे शब्दों में भारतीय पासपोर्ट के साथ-साथ किसी अन्य देश का भी पासपोर्ट रखने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से शुरू की गयी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई नियम बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) जी नहीं

(घ) प्रश्न नहीं उठता

ऊर्जा संरक्षण पर प्रतिवेदन

3909. **श्री शरद दिघे** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान कानून को और कड़ा बनाने के लिए गठित ऊर्जा संरक्षण समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार का इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आंध्र प्रदेश को सी आर एफ से आवंटन

3910. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आंध्र प्रदेश को सी० आर० एफ० में से कितनी धनराशि प्रदान की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : केन्द्रीय सड़क निधि के तहत पिछले तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश के जारी की गई निधियों के वर्ष-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	राशि (लाख रु०)
1991-92	50.00
1992-93	33.00
1993-94	50.00

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के रसोई गैस वितरक

3911. **डा० साक्षी जी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1994 तक उत्तर प्रदेश में कार्यरत निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों के रसोई गैस वितरक कितने थे;

(ख) कितने उपभोक्ता पंजीकृत हैं और ऐसे कितने उपभोक्ता प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ग) कब तक सभी उपभोक्ताओं को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) समानान्तर विपणन प्रणाली के अंतर्गत निजी एजेंसियां सरकार की भागीदारी के बगैर डिस्ट्रीब्यूटरों को नियुक्त करने तथा ग्राहकों को पंजीकृत करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतएव वांछित सूचना सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

1.4.1994 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास एल० पी० जी० कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची पर 13.39 लाख व्यक्ति दर्ज थे। एल० पी० जी० की उपलब्धता होने पर यथासंभव अधिकतम लोगों को शीघ्रता से एल० पी० जी० कनेक्शन देने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अहमदाबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय

3912. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अहमदाबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए और इस अवधि के दौरान आवेदकों को जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पासपोर्ट जारी करने के लिए निर्धारित समयावधि कितनी है तथा अहमदाबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय ने एक पासपोर्ट जारी करने में कितना समय लिया; और

(ग) निर्धारित समयावधि में पासपोर्ट जारी न करने के क्या कारण हैं तथा सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा जारी पासपोर्टों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) पासपोर्ट जारी करने के लिए सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 29.7.94 की स्थिति के अनुसार इस समय अहमदाबाद पासपोर्ट कार्यालय नया पासपोर्ट जारी करने में 75 से 80 दिन लेता है। पासपोर्ट पहले आओ पहले पाओं के आधार पर जारी किए जाते हैं और किसी पासपोर्ट कार्यालय द्वारा नये पासपोर्ट जारी करने में लगने वाला समय बहुत सी बातों पर निर्भर करता है जिनमें कार्यभार की मात्रा, कार्यालय विशेष की आधारभूत संरचना और कर्मचारियों की संख्या शामिल है।

विवरण

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय-अहमदाबाद

क्र० संख्या	वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या ।	जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या
1.	1991	131529	110233
2.	1992	133283	125321
3.	1993	111325	124080
	जोड़	376137	359634

[अनुवाद]

दूरसंचार कारखाना, मुम्बई

3913. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई में दूरसंचार कारखाने में काम कम होने से कामगार फालतू हो गये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मुम्बई में दूरसंचार कारखाने को बन्द करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार कामगारों को वैकल्पिक रोजगार दिलाने तथा उत्पादन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 35 से 40% तक कर्मचारी फालतू (सरप्लस) हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) I. 1994-95 के उत्पादन कार्यक्रम में निम्नलिखित नए उत्पाद शामिल किए गए हैं:—

(1) सी वी टी 93 (स्थानीय पे-फोन)

(2) सी-डॉट तथा अन्य उच्च क्षमता के एक्सचेंजों के लिए एम डी एफ

(3) एण्टीना

(4) लाइन जैक यूनिटें

(5) डी० पी० बक्से

(6) सी० डी० कैबिनेट

(7) सी-डॉट तथा ई-10 वी एक्सचेंज लाइन कार्डों की मरम्मत।

इन उत्पादों के कम श्रमसाध्य होने के कारण उपलब्ध फालतू (सरप्लस) श्रमिकों का पूर्ण उपयोग नहीं हो सकता।

II. उपलब्ध मानव संसाधन तथा अवसंरचना के उपयोग के लिए दूरसंचार फैक्ट्रियों के मुख्य महाप्रबंधकों को किसी तरह के दूरसंचार/गैर दूरसंचार संबंधित उत्पादों का उत्पादन करने और उन्हें दूरसंचार विभाग अथवा बाहर की पार्टियों को बेचने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है।

III. दूरसंचार फैक्ट्री जबलपुर सहित अन्य दूरसंचार सर्किलों में स्थानान्तरण के इच्छुक ऐसे फालतु (सरप्लस) कर्मचारियों के स्थानांतरण पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पंजाब में पेप्सी

3914. **श्री मोहन सिंह** : (देवरिया) क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में पेप्सी कोला कंपनी की इकाई द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान वर्षवार कितना उत्पादन किया गया तथा कितना लाभ कमाया गया;

(ख) इस इकाई की स्थापना से पंजाब के किसानों को क्या लाभ मिल रहा है; और

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान इस इकाई द्वारा वर्षवार कितनी खाद्य वस्तुओं का निर्यात किया गया;

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) पंजाब स्थित मैसर्स पेप्सी फूड्स लि० के यूनिटों द्वारा गत दो वर्षो के दौरान किया गया उत्पादन इस प्रकार है :—

	1992-93	1993-94 (अनलेखापरीक्षित 1.4.93 से 31.12.93)
1. प्रसंस्कृत आलू/खद्यान्न भोजन	749 टन	363 टन
2. मृद्व पेय सांद्रण	10093 यूनिट	8554 यूनिट
3. प्रसंस्कृत फल/सब्जी उत्पाद	3149 टन	2035 टन

कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसे पिछले दो वर्षों के दौरान कोई लाभ नहीं हुआ है।

(ख) कम्पनी द्वारा बढ़ी हुई उत्पादकता की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए नवीनतम कृषि शास्त्र संबंधी पैकेजों को लाया गया है और बड़ी मात्रा में विभिन्न शंकर बीजों का परीक्षण किया गया है। इस क्षेत्र में टमाटर की औसत पैदावार 6 टन प्रति एकड़ से बढ़कर 20 टन प्रति एकड़ हो गई है। पंजाब में टमाटर का कुल उत्पादन 25,000 टन से बढ़कर एक लाख टन से अधिक हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आमदनी बढ़ी है।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान निर्यात की गई खाद्यपदों का मूल्य इस प्रकार है :—

वर्ष	निर्यात (रुपये लाख में)
1992-93	1120.40
1993-94	126820

(अलेखापरीक्षित 1.4.93 से 31.12.93 तक)

[अनुवाद]

खनन में संयुक्त उद्यम

3915. **श्री शरत पटनायक :**
श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री विजय एन० पाटिल :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को विदेशी कम्पनियों से खनन क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने हेतु प्रस्ताव मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र में देशवार कितना निवेश किया जाएगा ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी हां। खान मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अलौह (नान-फैरस) धातुओं के गवेषण और विदोहन और कोलार में पछोड़नों को उपयोगी बनाने के लिए भी विभिन्न विदेशी कम्पनियों से प्रारंभिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। खान मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, हिन्दुस्तान जिंक लि० ने 18.7.1994 को भारत में ज्ञात स्वर्ण संभावनाओं के मूल्यांकन और विकास हेतु आस्ट्रेलिया की न्यूगिनी माइनिंग लि० के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी निवेश की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

[हिन्दी]

अल्पावधि विद्युत परियोजनाएं

3916. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पावधि विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वियन संतोषप्रद है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) कार्यान्वियन योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में पूरे किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है तथा योजना के कार्यान्वियन में तेजी लाने हेतु राज्यवार क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू की गई अल्पकालीन विद्युत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा, जिसमें गैस टरबाइन, स्टीम टरबाईन और डीजल जेनेरेटिंग सैट भी शामिल हैं, का ब्यौरा इस प्रकार है:—

परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा० में)	
उत्तर प्रदेश		
केन्द्रीय क्षेत्र		
दादरी सी० सी० जी० टी०	जी टी 1	131
	जी टी 2	131
	जी टी 3	131
	जी टी 4	131
	एस टी 1	146.5
	एस टी 2	146.5

परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा० में)	
जम्मू और कश्मीर		
राज्य क्षेत्र		
पामपोर चरण-2	जी टी 1	25
	जी टी 2	25
	जी टी 3	25
गुजरात		
केन्द्रीय क्षेत्र		
कवास सी० सी० जी० टी०	जी टी 1	106
	जी टी 2	106
	जी टी 3	106
	जी टी 4	106
	एस टी 1	110
	एस टी 2	110
गन्धार सी सी जी टी	जी टी 1	131
	जी टी 2	131
राज्य क्षेत्र		
उत्रान सी सी जी टी	जी टी 1	33
	जी टी 2	33
	जी टी 3	33
	एस टी 1	45
वातवा सी सी जी टी	जी टी 2	33
	एस टी 1	33
महाराष्ट्र		
राज्य क्षेत्र		
उरान अपशिष्ट उष्मा	रिकवरी यूनिट 1	120
तरोम्बे	जी टी	120
कर्नाटक		
राज्य क्षेत्र		
येलाहन्का डी जी सेट्स	डी जी 6	21.32
	डी जी 5	21.32

परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा० में)	
	डी जी 4	21.32
	डी जी 3	21.32
	डी जी 2	21.32
	डी जी 1	21.32
तमिलनाडु		
राज्य क्षेत्र		
नरीमनम	जी टी 1	5
	जी टी 2	5
असम		
लकवा	जी टी 5	20
	जी टी 6	20

[अनुवाद]

हैदराबाद में सेवानिवृत्त अफसरों को टेलीफोन कनेक्शन

3917. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय हैदराबाद शहर के विभिन्न एक्सचेंजों में सेवानिवृत्त अफसरों के कोटे में टेलीफोन कनेक्शन हेतु लंबित आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सेवा-निवृत्त अधिकारियों के लंबित आवेदन पत्रों की एक्सचेंज वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) लंबित 77 मामलों में से 18 कनेक्शन 31.8.94 तक प्रदान कर दिये जायेंगे और शेष कनेक्शनों का निपटारा 31.3.95 तक कर दिया जाएगा।

विवरण

सेवा-निवृत्त अधिकारियों के लंबित आवेदनपत्रों की एक्सचेंज-वार संख्या।

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
1.	चारमीनार/52	5
2.	दूरसंचार भवन/20	1
3.	सैफाबाद नॉन-ई-10 बी/3, 22	13

4.	सैफाबाद (सीमेंस) /31,89	13
5.	गोक्लीगुड़ा ई-10 बी/51	2
6.	गोक्लीगुड़ा आर एल यू/54	3
7.	कुकटपल्ली/278	2
8.	मुशीराबाद नॉन-ई-10बी/26	4
9.	सनतनगर नॉन-ई-10बी/26	4
10.	सिकंदराबाद नॉन-ई-10 बी/82, 83	3
11.	सिकंदराबाद (सीमेंस) /80	3
12.	सरूरनगर/87	15
13.	तरनका/868	6
14.	वनसतालीपुरम 530	3
	जोड़	77

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर निर्माण कार्य में प्रगति

3918. **श्री के० मुरली धरन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर कुट्टीपुरम पोथुपोन्नानी सड़क के प्रस्तावित निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ख) इस सड़क पर निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा और कब तक पूरा हो जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) इस परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और यह कार्य मार्च, 95 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है लेकिन यह निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। भूमि का अधिग्रहण कर लिए जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। यह बता पाना अभी संभव नहीं है कि यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

पूर्वी दिल्ली में डाकघर

3919. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"**: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान दिल्ली के यमुनापार क्षेत्रों के लिए कितने डाकघरों की स्थापना की स्वीकृति मिली है और 31 जुलाई, 1994 तक उनमें से कितनों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है; और

(ख) बाकी बचे हुए स्वीकृत डाकघर कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दिल्ली में यमुनापार क्षेत्र के लिए 1993-94 के दौरान तीन डाकघर मंजूर किए गए हैं। इनमें से एक डाकघर ने काम करना शुरू कर दिया है।

(ख) जैसे ही मंजूर किए गए शेष डाकघरों के लिए किराए पर उपयुक्त स्थान मिल जाएगा, वे भी काम करना शुरू कर देंगे।

[हिन्दी]

बिहार में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन

3920. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**
श्री मंजय लाल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में लम्बी दूरी के कितने सार्वजनिक टेलीफोन कार्य कर रहे हैं;

(ख) 1992-93 और 1993-94 के दौरान ऐसे कितने टेलीफोन लगाए गये;

(ग) क्या 1994-95 के लिए इस प्रयोजनार्थ कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31.7.1994 की स्थिति के अनुसार बिहार में कार्यरत लंबी दूरी के पी० सी० ओ० (एल० डी० पी० टी०) की संख्या 6,599 है।

(ख) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान संस्थापित किए गए इस प्रकार के टेलीफोनों की संख्या क्रमशः 885 और 299 है।

(ग) जी हां।

(घ) वर्ष 1994-95 में इस प्रकार के 7,230 टेलीफोनों को प्रदान करने का लक्ष्य निधारित किया गया है।

[अनुवाद]

आयल इंडिया लिमिटेड में इक्विटी

3921. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयल इंडिया लिमिटेड में 40% इक्विटी कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) ल्युब्रिकेन्ट आयल और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के लिए जनवरी 1994 से 30 जून, 1994 तक की अवधि में कितने एल ओ आई जारी किये गये;

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने देश में तेल के दोहन के लिए विदेशी कम्पनियों से सहयोग मांगा है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्म-निर्भरता पाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) विनिर्दिष्ट ब्लाकों में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए सरकार ने दोनों ही भारतीय और विदेशी निजी कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं।

(च) नयी ग्रास रूट रिफाइनरियों को संयुक्त उद्यम और निजी क्षेत्र में स्थापित कर तथा विद्यमान रिफाइनरियों की क्षमता विस्तार कार्य को हाथ में लेकर शोधन क्षमता को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को बढ़ावा देने के अतिरिक्त कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तेल और गैस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। सरकार ने कुछ तेल/गैस क्षेत्रों को विकास के लिए संयुक्त/उद्यमों/निजी कंपनियों को भी प्रस्तावित किया है।

केरल में ऑप्टीकल फाइबर का उपयोग

3922. **श्री पी॰ सी॰ थामस** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन क्षेत्रों में दुरसंचार क्षेत्र ऑप्टीकल फाइवर प्रणाली अपनायी जा रही है जहां प्रायः बिजली गिरती है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह प्रणाली सफल सिद्ध हुई है; और

(ग) केरल के किन-किन स्थानों पर यह प्रणाली शुरू की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। ऑप्टीकल फाइवर केबिल प्रणाली का दूरसंचार नेटवर्क में व्यापक इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में बार-बार बिजली गिरने का अंदेशा होता है उनमें भी इस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) केरल में जिन स्थानों में यह प्रणाली सुलभ कर दी गई है और जिनमें 1994-95 के दौरान सुलभ करने का प्रस्ताव है उनकी सूची संलग्न/विवरण में दी गई है।

विवरण

1. **जिन स्थानों में पहले ही सुलभ है उनके नाम**

(i) त्रिवेन्द्रम-क्विलोन-कोट्टायम-एरनाकुलम-त्रिचुर-पालघाट 140 एम॰ बी॰ एस॰

(ii)	कन्नूर-तेलीचरी-बड़गरा-क्विलंडी-कालीकट	140 एम० बी० एस०
(iii)	कोट्टायम-तिरूवला	—वही—
(iv)	एरनाकुलम-अलवई	—वही—
(v)	त्रिवेन्द्रम-अर्टींगल	34 एम० बी० एस०
(vi)	क्विलोन-कोट्टराकरा	—वही—
(vii)	अलेप्पी-शेरतलई-एरनाकुलम	—वही—
(viii)	कोट्टुयम-वेयकम	—वही—
(ix)	अलवई-परूर	—वही—
(x)	त्रिचूर-कुन्नमकुलम	—वही—
(xi)	त्रिचूर-गुरूवायूर	—वही—
(xii)	कालीकट-तमरासेरी	—वही—
(xiii)	इरीजंलकुडा-चलकुडी	—वही—
II.	**जिन स्थानों में 1994-95 के दौरान सुलभ करने का प्रस्ताव है उनके नाम**	
(i)	कालीकट-तिरूर-पेन्नानी-त्रिचूर	140 एम० बी० एस०
(ii)	कन्नूर-मंगलौर	—वही—
(iii)	अलप्पुजा-चंगनाचेरी	34 एम० बी० एस०
(iv)	अंगामाली-कलाडी-पेरम्बऊर-कोठमंगलम	—वही—

मध्य प्रदेश में राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ना

3923. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य की [illegible] सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ने के लिए विशेष धनराशि का आवंटन करने के लिए कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिए नियत की गयी धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य के ध्यान में 8वीं पंचवर्षीय योजना में अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़कों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत राज्योय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ने वाली कुछ परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव हैं। राज्य सरकार ने उपर्युक्त स्कीम के तहत 52.54 करोड़ रु० की लागत की 22 सड़क/पुल परियोजनाएं भेजी हैं। तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र सड़क कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित निधियों के सीमित आबंटन के कारण इस कार्यक्रम में 10.00 करोड़ रु० की लागत की झांसी-खजुराहो सड़क पर धासन नदी के पुल के निर्माण की एक परियोजना को अनुमोदित करना संभव हो पाया है।

स्मारक डाक टिकट

3924. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बंगाल के महान कवि एवं नाटककार स्वर्गीय द्विजेन्द्र लाल राय की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का निर्णय अब ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलैटेलिक सलाहकार समिति द्वारा विशेष स्मारक डाक-टिकट जारी करने के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है और उनकी मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भी जांच की जाती है। मार्गदर्शी सिद्धातों के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि विशिष्ट व्यक्तियों पर डाक-टिकट उनकी जन्मशती पर ही जारी किए जाएं। चूंकि, स्वर्गीय द्विजेन्द्र लाल रॉय का जन्म वर्ष 1863 में हुआ था इसलिए उन पर डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था और यह प्रस्ताव उनमें शामिल नहीं था जिनकी समिति द्वारा सिफारिश की गई थी।

पासपोर्ट पुस्तिकाएं

3925. **श्री हरिन पाठक** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अहमदाबाद, भोपाल तथा अन्य क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालियों में पासपोर्ट पुस्तिकाओं की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हल्दिया पोर्ट काम्पलेक्स में अतिरिक्त क्षमता

3926. **श्री सुब्रत मुखर्जी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हल्दिया पोर्ट काम्पलेक्स में कोयला सम्भलाई संयंत्र और अयस्क सम्भलाई सयत्र में अतिरिक्त क्षमता सृजित के लिए कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यातायात अनुमानों के आधार पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गैस के भंडार

3927. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तटवर्ती तथा अपतटीय गैस भंडारों में पृथक-पृथक कितनी मात्रा में गैस होने का अनुमान है;

(ख) तटवर्ती ड्रिलिंग कार्यों से कितनी मात्रा में गैस मिलती है;

(ग) क्या सरकार की योजना इसे रसोई गैस में बदलने तथा उसे यातायात हेतु काम में लाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1 अप्रैल, 94 की स्थिति के अनुसार के० जी० बेसिन में भूमिगत एवं अपतटीय गैस के स्थलगत भूवैज्ञानिक भंडार क्रमशः 56380.1 एम एम एम 3 तथा 18178.2 एम एम एम 3 अनुमानित की गई है।

(ख) 1 अप्रैल, 1994 की स्थिति को के०जी० आनलैंड से गैस के वसूली योग्य भंडार 31316.6 एम एम एम 3 है।

(ग) और (घ) उपलब्ध होने वाली अनुमानित गैस को पूर्णतया विद्युत, उर्वरक तथा अन्य परियोजनाओं को आबंटित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में डाकतार सेवाएं

3928. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीफोन, डाक और तार सेवाओं में सुधार करने संबंधी कोई निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) टेलीफोन, तार और डाक सेवाओं में सुधार करने के लिए सतत् रूप से निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:

दूरसंचार विभाग

1. पुराने टेलीफोन उपकरण बदलकर नये उपकरण लगाना।

2. पुराने इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों को बदलकर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करना।

3. बार-बार खराब होने वाली भूमिगत टेलीफोन केबलें, ड्रापवायर और टेलीफोन उपकरणों को बदलना।

4. भारी ओवर हैड लाइनें बदलकर भूमि गत केबल बिछाना।

5. बड़े शहरों में केबलों के लिए डक्टों का प्रावधान।

6. अधिक सार्वजनिक टेलीफोनों का प्रावधान ।

7. पारेषण मीडिया में आपटिकल फाइबर प्रणाली का अधिष्ठापन।

8. पारेषण मीडिया में डिजिटल सूक्ष्मतरंग प्रणाली का अधिष्ठापन ।

9. दोष मरम्मत सेवा का कंप्यूटरीकरण।

10. इलेक्ट्रानिक स्टोर-फारवर्ड संदेश स्विचन प्रणाली इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर इलेक्ट्रानिक की बोर्ड और अन्य सम्बद्ध उपकरण संस्थापित करके तार नेटवर्क का आधुनिकीकरण।

11. जहां कहीं कमी नजर आती है, वहां पर सेवाओं की नियमित निगरानी और सुधारात्मक उपाय करना।

डाक विभाग

1. वर्तमान डाक नेट वर्क का विस्तार करके अधिक विभागीय भवन प्रदान करके स्पीड पोस्ट नेटवर्क के जरिये डाक का तीव्र गति से वितरण करके उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में डाक सुविधाओं में सुझार के नियमित उपाय किये जा रहे हैं।

2. उत्तर-पूर्वी सर्किल में 1-4-94 को विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध डाक घरों की संख्या इस प्रकार है :—

प्रधान डाकघर	9
उप डाकघर	308
अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर	20
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	2478

3. वार्षिक योजना 1994-95 के अंतर्गत विभाग ने उत्तर पूर्व सर्किल में निम्नलिखित विभागीय उपडाकघर और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है :—

शाखा डाकघर

जनजातीय क्षेत्र	3
अन्य क्षेत्र	1
कुल	4

विभागीय उप डाकघर

जनजातीय क्षेत्र	3
अन्य क्षेत्र	1
कुल	4

दलहन प्रसंस्करण उद्योग

3929. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान दलहन प्रसंस्करण मिलों की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय दलहन विकास योजना के अंतर्गत ऐसी मिलों की स्थापना करने हेतु पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) सूचना महाराष्ट्र सरकार से एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) जी हां। केन्द्रीय रूप से प्रायोजित राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना के अन्तर्गत दाल प्रोसेसरों की सप्लाई के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान 69.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

ब्रिटिश गैस और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कम्पनी की स्थापना

3930. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश गैस और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने मुम्बई तक प्राकृतिक गैस लाने हेतु किसी नई कम्पनी की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृति दे दी है; और

(घ) प्राकृतिक गैस की बिक्री हेतु किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (घ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लि० और ब्रिटिश गैस बम्बई और उसके आसपास लगभग छह लाख गृहस्थों, वाणिज्यिक संस्थाओं और औद्योगिक इकाईयों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए बम्बई शहर गैस वितरण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना करने की मंशा रखते हैं।

(ग) जी हां।

अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास

3931. **श्री एस० एम० लालजान बाशा :**
डा० वसंत पवार :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने कौन-कौन सी योजनाओं का चयन किया है,

(ख) क्या प्राधिकरण ने ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि सीमित वित्तीय परिव्यय के कारण बड़े निर्माण कार्यों को शुरू नहीं किया जायेगा,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश में किन्ही बड़े निर्माण कार्यों को छोड़ दिया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं को पुनः चालू करने हेतु प्राधकरण को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा पिछले दो वर्षों अर्थात् 1992-93 और 1993-94 के दौरान बनी गई/कार्यान्वित की गई स्कीमों की एक सूची संलग्न विवरण-एक और दो में दी गई है।

(ख) और (ग) जी नहीं। तथापि, अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास संबंधी नीति/कार्य नीति में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने, आठवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक वित्तीय परिव्यय एवं तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता दर्शायी है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-एक

वर्ष 1992-93 के दौरान भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा संस्वीकृत स्कीमों की सूची

	स्कीम का नाम	संस्वीकृत लागत
		(करोड़ रु०)
1.	1992-93 के लिए गंगा पर नदी संरक्षण कार्य	1.10
2.	1992-93 के लिए ब्रह्मपुत्र पर नदी सुधार कार्य।	1.27
3.	उद्योगमंडल और चम्पाकारा नहरों पर विस्तृत जल सर्वेक्षण	0.10
4.	तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन।	

(क) गंगा पर आई० डब्ल्यू० टी० की कम लागत	0.17
(ख) गंगा पर नदी सुधार कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।	0.28

विवरण-दो

1993-94 के दौरान भा० अ० ज० प्रा०/सरकार द्वारा संस्वीकृत स्कीमों की सूची।

	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)
1.	1993-94 के लिए गंगा पर नदी संरक्षण कार्य।	2.63
2.	ब्रह्मपुत्र पर नदी सुधार कार्य	1.25
3.	कलकत्ता में फ्लोटिंग पेन्टून जैटी के निर्माण के लिए स्कीम	1.98
4.	ब्रह्मपुत्र में नौचालन सुविधाओं की व्यवस्था के लिए स्कीम	1.95
5.	पश्चिमी तटीय नहर का विकास	1.80
6.	राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) पर निजी प्रचालकों द्वारा प्रयोग व प्रोत्साहन के तौर पर आई० डब्ल्यू० टी प्रचालन शुरु करने की स्कीम	0.84
7.	ढोए गए कार्गो के लिए 10 पैसे प्रति नदी के एम० टी० की दर से मुआवजा देकर रा० जलमार्ग-1 और ।। में आई०डब्ल्यू०टी० को बढ़ावा देने की स्कीम।	5.00
8.	तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन	
	(क) काकीनाडा और मद्रास को जोड़ने वाली नहर प्रणाली।	0.14
	(ख) पश्चिमी तटीय नहर (कोल्लाम-कोवालम) ।	0.02
9.	आई० डब्ल्यू० ए० आई० कार्यालय व आर एण्ड डी का निर्माण।	4.57
10.	पश्चिमी तटीय नहर पर टोटापल्ली लॉक को गिराना	0.075

[हिन्दी]

रोजगार के अवसर पैदा करना

3932. **श्री गुमान मल लोढ़ा** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से यह उद्योग अल्प-श्रम उद्योग बनता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को बढ़ावा देने के क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। किन्तु, जुलाई, 1991 में उदारीकरण किए जाने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा बहुत अधिक पूंजीनिवेश आकर्षित किया जा रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार जून, 1994 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 2680 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें 4.81 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा विदेशी सहयोग, संयुक्त उद्यम/निर्यातोन्मुखी एकक स्कीमों के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना करने के लिए मंजूरी दी गई है जिनमें 7060 करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 83250 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इन प्रस्तावों में विदेशी/अनिवासी/भारतीय निवेश भी शामिल हैं। रोजगार उत्पन्न करने के अलावा तकनीक के विद्यमान लाभ प्राप्त करने, प्रबंध कार्य, बाजार विस्तार, निर्यात संवर्धन आदि के विचार से विदेशी कम्पनियों की भागीदारी की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

एस० टी० डी० प्रयोक्ताओं के लिए "इलेक्ट्रानिक स्विचिंग"

3933. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी एस० टी० डी० प्रयोक्ताओं को "इलेक्ट्रानिक स्विचिंग" से जोड़ने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) गैर-इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों से बदलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों। जहां कहीं इलेक्ट्रा-मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक, दोनों एक्सचेंज साथ-साथ अवस्थित हैं, तकनीकी व्यवहार्यता, यथा इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की क्षमता और वाह्य संयत्र संपर्कता को मद्देनजर रखते हुए, एस० टी० डी० टेलीफोनों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से जोड़ा जा रहा है।

ऊर्जा वित्त निगम तथा राज्य विद्युत बोर्डों का सम्मेलन

3934. **डा० रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम तथा राज्य विद्युत बोर्डों के निशेषज्ञों का कोई सम्मेलन आयोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं, और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) विद्युत वित्त निगम (पी० एफ० सी०) विद्युत क्षेत्र से संबंधित सामान्य हित के मुद्दों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करता रहा है। पी० एफ० सी० द्वारा हाल ही में "उत्तर-पूर्वी राज्यों में विद्युत क्षेत्र में सुधार "और" विद्युत यूटिलीटीज एवं दक्षता सुधार" जैसी दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। इनमें अन्यों के साथ-साथ राज्य बिजली बोर्डों के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

(ख) "उत्तर-पूर्वी राज्यों में विद्युत क्षेत्र में सुधार" से संबंधित कार्यशाला में विद्युत संयंत्रों के शीघ्र नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य किए जाने, पारेषण लाइनों एवं संचार प्रणालियों को सशक्त बनाने, राज्य बिजली बोर्डों एवं बिजली विभागों को पूंजी की पुनर्सरंचना करने की आवश्यकता, राजस्व बसूली या कम्प्यूटरीकरण किए जाने की आवश्यकता आदि के बारे में विचार-विमर्श किया गया था और क्रियान्वयन हेतु सिफारिशें की गई थी। इसी प्रकार "विद्युत यूटिलीटीज और दक्षता सुधार" से संबंधित कार्यशाला में विद्युत क्षेत्र की पुनर्सरंचना, वित्तीय प्रबंध एवं वाणिज्यिक प्रचालन में सुधार करने, रिटेल टैरिफ संरचना की समीक्षा किए जाने आदि को आवश्यकता के लिए सिफारिशें की गई थी।

(ग) सिफारिशों पर प्रारम्भिक रूप से संबंधित राज्य सरकार और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कार्रवाई की जानी है।

गुजरात में एल० पी० जी० बाटलिंग संयत्र

3935. **डा० अमृतलाल कालीदास पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गुजरात राज्य में एल० पी० जी० संयंत्र की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किस स्थल का चयन किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग:) आठवीं योजना के दौरान गुजरात के अंतर्गत दो नए एल० पी० जी० (रसोई गैस) भरण संयंत्र, एक अहमदाबाद में तथा दूसरा भावनगर में जो क्रमशः 32 हजार मी० टन तथा 44 हजार मी० टन वार्षिक भरण क्षमता के होंगे, स्थापित किए जाने के संबंध में योजना बनाई गई है। अहमदाबाद में निर्माण कार्य प्रगति पर है। भावनगर संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही प्रगति पर है।

[हिन्दी]

गुजरात में डाक व तार सेवाओं से प्राप्त होने वाला राजस्व व उनका खर्चा

3936. **श्री रतिलाल वर्मा :**

श्री एन० जे० राठवा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान सरकार को गुजरात में टेलीफोन, डाक और तार सेवाओं से अलग-अलग कितना राजस्व, प्राप्त हुआ; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन सेवाओं पर अलग-अलग कितना धन खर्च किया गया ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सरकार द्वारा टेलीफोन, डाक और तार सेवाओं से अर्जित राजस्व निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

	टेलीफोन	डाक	तार
1991-92	359.56	58.38	12.92
1992-93	438.47	66.51	10.50
1993-94	603.63	65.33	13.84

(ख) उपर्युक्त अवधियों के दौरान इन सेवाओं पर किया गया खर्च नीचे दिया गया है।

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

	टेलीफोन	डाक	तार
1991-92	96.88	89.29	10.94
1992-93	112.45	100.32	11.05
1993-94	130.36	108.29	12.50

[अनुवाद]

उड़ीसा डाक सर्किल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

3937. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा डाक सर्किल के भद्रक डाक डिवीजन में श्रेणी- ।।/ वर्क चार्ज तथा दिहाड़ी कर्मचारियों की जिनमें, ई० डी० जे० ल० इ० डी० ए० तथा इ० डी० एम० सी० के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, कितनी नियुक्तियां की गई;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों की नियमानुसार तथा विभाग में रखे गए "रोस्टरों" के अनुसार रक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो भद्रक डाक डिवीजन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्तियों का तुलनात्मक विवरण क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) ग्रुप "डी"/ कार्य प्रभारित तथा दिहाड़ी कर्मचारियों में की गई नियुक्तियों की कुल संख्या : शून्य 1 गत तीन वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए अति० विभागीय कर्मचारियों की कुल संख्या है: अन्य श्रेणी : 29, अनुसूचित जाति : 12 तथा अनुसूचित जनजाति :शून्य

(ख) जी हां।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति श्रेणी में नियुक्त किए गए अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या : 12 है। अनुसूचित जनजाति का कोई भी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था।

[हिन्दी]

उत्तर-प्रदेश में यमुना पर पुल

3938. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में यमुना पर पुल के निर्माण के लिए नींव पत्थर रखा गया था,

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से की राशि दे दी है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) निर्माण कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अक्तूबर, 1996 तक।

ब्रिटिश संसद में कश्मीर पर प्रस्ताव

3939. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार-पत्र की रिपोर्ट की जानकारी है कि 11 जुलाई, 1994 को लन्दन में एक विश्वव्यापी संसदीय पहल की गई थी जैसा कि दिनांक 12 जुलाई, 1994 के पाकिस्तानी समाचार पत्र "न्यूज" में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामन्स और कई अन्य देशों की संसदों में भी कश्मीर पर एक प्रस्ताव रखा गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) आल पार्टी ब्रिटिश कश्मीर पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन के तत्वावधान में 11 जुलाई, 1994 को लन्दन में आयोजित एक प्रैस कान्प्रेस में कश्मीरी आत्म-निर्णय के संबंध में एक कार्यक्रम की घोषणा

की गई। लगभग दस ब्रिटिश सांसद इस एसोसिएशन के सदस्य हैं जो यू० के० में पाकिस्तान समर्थक तथा कश्मीरी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत गुटों का सक्रिय रूप से समर्थन कर रही हैं। इस एसोसिएशन का कोई अधिकारिक अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय महत्व नहीं है।

(ग) और (घ) 7 जुलाई, 1994 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कामन्स में एक "अर्ली डे मोशन" प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारों से कश्मीरियों द्वारा आत्मनिर्णय की मांग को स्वीकार करने की मांग की गई "अर्ली डे मोशन" ब्रिटिश हाउस ऑफ कामन्स का एक औपचारिक प्रस्ताव नहीं होता। ये केवल उन सांसद विशेष के विचारों को प्रकट करता है, जिनके हस्ताक्षर उस पर अंकित होते हैं। अन्य देशों की संसदों में इस प्रकार के कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बारे में सरकार के पास कोई खबर नहीं है। लंदन स्थित हमारे उच्चायोग के माध्यम से सरकार ब्रिटेन के सांसदों तथा राजनीतिक दलों को अपने दृष्टिकोणों और हितचिन्ताओं से अवगत कराने के निरन्तर प्रयास कर रही है ताकि पाकिस्तान की प्रादेशिक महत्वाकाक्षांओं तथा सीमा पार आतंकवाद को उसके समर्थन को देखते हुए वे जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में निष्पक्ष दृष्टिकोण अपना सके। यू० के० के तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने हमारे उच्चायोग को यह बताया है कि आल पार्टी ब्रिटिश कश्मीर पार्लियामेन्ट्री एसोसिएशन के सदस्यों के वक्तव्य तथा उनकी गतिविधियां इन दलों की नीतियों तथा दृष्टिकोणों की बात नहीं करते।

टेलीफोन लाइनों के लिए धनराशि

3940. **डा० असीम बाला** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने निजी कम्पनियों के पट्टे पर धनराशि ली है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस धनराशि का उपयोग नई टेलीफोन-लाइनों के लिए किया जाएगा,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) उपकरणों की कमी या अन्य गड़बड़ी की वजह से काम न कर रही पुरानी टेलीफोन लाईन का भविष्य क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) विभाग पट्टे के आधार पर 4,70,000 लाइनों के नई प्रौद्योगिकी के स्विचन उपस्कर की सप्लाई के लिए समझौता किया है। इसमें अर्न्तनिहित निधियों की मात्रा लगभग 220 करोड़ रुपये है।

(ख) और (घ) अन्य ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी हां।

(ङ) मौजूदा नेटवर्क के रख-रखाव के लिए उपस्कर पर्याप्त हैं। पुरानी टेलीफोन लाइनें यथा समय बदल दी जाएंगी।

विवरण

1994-95 के दौरान पट्टे के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले बड़े आकार के स्विचन उपस्कर।

क्रम सं०	यूनिट	सप्लाई कर्त्ता तथा लाइनों की संख्या सीमेंस इंडिया लि०	डरिक्शन इंडिया प्रा० लि०	फुजुत्त इंडिया टेलीकाम	अलकाटेल मोदी
1	2	3	4	5	6
1.	एम टी एन एल—बंबई	—	—	50 के	65 के
2.	एम टी एन एल — दिल्ली	—	50 के	20 के	35 के
3.	कलकत्ता	10 के	—	—	—
4.	**आन्ध्र प्रदेश**				
	(क) विजयवाड़ा	10 के	—	—	—
	(ख) विशाखापट्टनम	10 के	—	—	—
	(ग) हैदराबाद	—	—	—	—
5.	**गुजरात**				
	(क) अहमदाबाद	20 के	—	—	—
	(ख) बड़ोदरा	—	—	10 के	—
	(ग) सूरत	—	—	10 के	—
6.	**हरियाणा**				
	(क) फरीदाबाद	10 के	—	—	—
7.	**कर्नाटक**				
	(क) बैंगलूर	—	30 के	—	—
8.	**केरल**				
	(क) एर्नाकुलम	—	10 के	—	—
9.	**मध्य प्रदेश**				
	(क) इन्दौरर	10 के	—	—	—

1	2	3	4	5	6
10.	**महाराष्ट्र**				
	(क) नागपुर	10 के	—	—	—
	(ख) पुणे	—	—	10 के	—
11.	**पंजाब**				
	(क) अमृतसर	20 के	—	—	—
	(ख) चंडीगढ़	—	—	10 के	—
	(ग) जालंधर	10 के	—	—	—
	(घ) लुधियाना	—	—	10 के	—
12.	**राजस्थान**				
	(क) जयपुर	10 के	—	—	—
	(ख) उदयपुर	10 के	—	—	—
	(ग) कोटा	—	—	—	—
13.	**तमिलनाडु**				
	(क) कोयम्बटूर	—	10 के	—	—
	(ख) मद्रास	—	—	—	—
14.	**उत्तर प्रदेश**				
	(क) मेरठ	10 के	—	—	—
		150 के	100 के	120 के	100 के

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम का बेड़ा

3941. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में कुल कितनी बसें हैं,

(ख) इसमें से कुल कितनी बसें मरम्मत न होने के कारण प्रयोग में नहीं लाई जा रही हैं,

(ग) सरकार ने इन बसों की मरम्मत करके इन्हें पुनः प्रयोग में लाने हेतु क्या कार्यवाही की है, और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) 16.8.1994 की स्थिति के अनुसार दि० प० नि० के पास 3514 बसों का बेड़ा था जिसमें से 725 बसें मरम्मत न होने के कारण उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं।

(ग) और (घ) दि० प० नि०, वर्ष 1994-95 के लिए बसों की मरम्मत हेतु निर्धारित 2.00 करोड़ रु० की राशि से यथासंभव बसों की मरम्मत करवा रहा है।

[अनुवाद]

एल० पी० जी० की शिकायत संबंधी आपात कोष्ठ

3942. **श्री ए० अशोक राज** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एल० पी० जी० संबंधी शिकायतें सुनने हेतु राज्यवार किन किन शहरों में आपतकाली कोष्ठ खोले गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे और अधिक कोष्ठ खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) देश के विभिन्न शहरों/नगरों के कुल 413 बाजारों में एल० पी० जी० आयात सेवा प्रकोष्ठ की व्यवस्था की गई है। उन नगरों/शहरों के नाम जहां ये प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) शेष बाजारों को आगामी वर्षों में चरणों में शामिल करने की योजना है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रकोष्ठों की सं०	स्थान
1	2	3	4
	उत्तरी क्षेत्र		
1.	दिल्ली	3	दिल्ली, दिल्ली (पश्चिम) दिल्ली (पूर्व)
2.	हरियाणा	19	हिसार, बहादुर गढ़, सोनीपत, गुड़गांवां करनाल, पंचकूला, पानीपत, यमुना नगर, रोहतक, बल्लभगढ़, घरौंदा, सफीदों, असंध समालखा, नरवाना, दादरी, बरवाला, कालका पलवल,

1	2	3	4
3.	पंजाब	25	पटियाला, होशियारपुर, कपूरथला, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, नाकोदर टांडा, समाना, सुनाम, धुरी, वासी पठाना, बरनाला, रायकोट, नवांशहर, फिल्लौर बंगा, जैतू, रामपुरा, फूले, जाइरा, फरीदकोट, ब्यास, नांगल, रोपड़ खरार, जरगांव।
4.	राजस्थान	27	जयपुर, बीकानेर, अलवर, अजमेर, जोधपुर उदयपुर, कोटा, बलोत्तरा, बारमर उचामन, करौली, माउट आबू, मकराना चित्तौड़ गढ़, पिलानी, झुझनू, राजगढ़ हनुमान गढ़ रतनगढ़, नवलगढ़, नीम का थाना, हिंडन, गंगापुर सिटी, अबू रोड ब्याना, सोजत डूंगरपुर।
5.	उत्तर प्रदेश	107	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, फैजाबाद फिरोजाबाद, झासी, कानपुर, लखनऊ, मुजफ्फर नगर, वाराणसी, शाहजहांपुर गाजियाबाद, रायबरेली, फरुखाबाद, मथुरा, रुड़की, काशीपुर, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, सिकदरा राव, गुलावठी, दिबाई, शिकारपुर, अतरौली, मवाना, भरुथ , नैनीताल, चित्तौड़गढ़, अल्मोड़ा, रामनगर, पंत नगर, रानीखेत, मंसूरी, टेहरी, उत्तर काशी, श्री नगर, पौड़ी, गोपेश्वर, लैंसडौन, डाक, पथर, खतौली, खैंडा, शामली, बागपत, कराना, कोसीकला, लोनी, पिलखुवा, सूर्य नगर, देवबंध, गंगा, कालागढ़, लोहाघाट, कछा, उजानी, अमरोहा, चांदपुर, सिहारा, किरातपुर, नजीबाबाद, टांडा, बिलासपुर, बेहरी, बिलासपुर, तिलहर, आंवला, कोटद्वारा, टनकपुर, बागेश्वर, धारचूला, विदिहट, सहसवान, ककरेला, जिनों, हसनपुर, नागिना, काशीपुर, पूरनपुर, खटीमा, मुगारकपुर, अमेठी, पदराना, बासी, बहराज, जलालपुर, बलिया, अतारा, राबर्टसगंज, गोला, लाहरपुर, जलान, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर, बबीना, विस्वान, महोषा, ललितपुर, फतेहपुर, सुखलगंज, कन्नौज, संदीला, ओराई, ओराई, ऐटा, सुल्तानपुर और संभलपुर।
6.	जम्मू व कश्मीर	2	तरवारा, जम्मू
	पूर्वी क्षेत्र		
7.	आसाम	1	गोहाटी
8.	बिहार	18	धनबाद, जमशेदपुर, पटना, रांची, बोकारो, गया, भागलपुर, लोहारडागा, झूमरी तलैया, गोमियां, गिडीह, गुमला, सिदरी, झरिया, कटरास, पतरातू, जमूई दुमका।

1	2	3	4
9.	उड़ीसा	14	राउरकेला, बेहरामपुर, पूरी, भुवनेश्वर, कटक बिमितरापुर, सुदरगढ़, अंगुल, भवानीपटना, बारबिल, झंजनगर, पारला खुमुडीजटनी, चतरपुर।
10.	प० बंगाल	24	तामलुक, कलकत्ता, कलकत्ता, दुर्गापुर, खराद, हावड़ा, घटक, निमतपुर, झारगम बेराकर, मिदनापुर, केटवा, अदरा, रामपुरत, कैनिंग, बासीहट, अरामबाग, टकेश्वर, मालदा, जलपाईगुड़ी, मुरर्शीदाबाद, कृष्णा नगर, रानाघाट, बनगाव,
	पश्चिमी क्षेत्र		
11.	गुजरात	10	अहमदाबाद, बडोदा, भावनगर, सूरत, अमरेली, धुरूजी, केसोड, मनवादर, पालीताना, हिम्मत नगर,
12.	मध्य प्रदेश	19	भिलाई, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रायपुर, रतलाम, भोपाल, उज्जैन, आस्था, भिंड डाबरा, दतिया, होशंगाबाद [illegible]गदा, नरसिंह गढ़, नीमच, पिपरैया, सरानी, अशोक नगर,
13.	महाराष्ट्र	20	अहमद नगर, औरंगाबाद, बम्बई, कोलापुर, नागपुर, पुणे शोलापुर, नागपुर, डोडीचा, सहेदा, उमेरर, फूलगाव, धरन गाव, तलोडा, छिकाली, वासिम, कामाती, रत्नगिरि चिपुलन, इसलामपुर,
	दक्षिणी क्षेत्र		
14.	आंध्र प्रदेश	42	गंटूर, वारांगल, हैदराबाद, ककिडा, कुरनूल, नैलोरी, राजामुदरी, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापतनम, इचामपुरम टकाली, पेनुगोडन, पालामनेर, मारकापुर, कोडक, आवनीगढ़ा, कंडूकूड, भोनगीर, फुंगानूर, त्रिरेवूर, नंदीगाम जगयापत, सतनापली, मिरयालगुडा, रायचोटी, वेतापलम, भेसा, मंचरियल, हजूराबाद, जगतियाल, कोराटला, पेडापली, सलूर, मिचराल, कंडूर, मंगल, गिरी, श्रीकुलम, मंदियाल, मंदापुटा, चिलाकालूरपट, रिपाली,
15.	कनार्टक	29	बिलैरी, मंगलौर, गुलबर्गा, बंगलोर, धारवाड, हुबली, मैसूर, सिमोगा, हगारी, बामानाहलाई, बासव, कल्याण, अलंद, चित्तापुर, शाहपुर, शोरापुर, हलियाल, बैलहांग, बाइयोगल, कित्तूर, कुन्ता, चलकेरा, कुंदापुर, शकलेशपुर, कोलर, सिजलघाटा, हंसुर, सीरा, टिपटूर, बगकोट, खानपुर, बैलगांम।
16.	केरल	16.	कालीकट, अरणाकुलम त्रिवेन्द्रम, अग्लापूठा हरिपद, चित्तूर, कालिगोडे, निमारा, वितानुर, किलीकोलुर, अटीगल, चिरैकल, नैदमगढ़, नेतिन्काडा, परासाला, कसारगोड।

1	2	3	4
17.	तमिलनाडु	31	मद्रास, मदुरेई, सलम, चिरेची, मद्रास, मद्रास, कोयम्बटूर, काकुड, बोधिनायकुनर, पालीपातो, डेकानी कोटैई, धर्मपुरः कावेरीपातोनम,, धर्मपुरम, पालीपलयाम, वैलाकोइल, अतयामपटी, रासीपुरम, त्रिरुचगोडे, तिरुवेलोर, ओलूर, श्री पेरम्बुदूर, [illegible] विरुद्धनगर,, पुडुकोटैई कोडाईकनाल, अम्बासग्राम, मैत्यूपुलम, भवान आरकोट वंदालुर।
18.	गोवा	3	पंजिम, बिछोलियम, छुरछोरम
	संघ राज्य क्षेत्र		
19.	चण्डीगढ़	1	चण्डीगढ
20.	पांडीचेरी	1	पांडीचेरी

पंजाब को पेट्रोल/डीजल तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई

3943. **श्री जगमीत सिंह बरार** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को पेट्रोल/डीजल तथा मिट्टी के तेल को इस समय कितनी-कितनी मात्रा सप्लाई की जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन जिन्सों की मांग तथा सप्लाई की क्या स्थिति थी;

(ग) क्या पंजाब सरकार की ओर से पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने के लिए कोई नया अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबध मे क्या कार्यवाही की जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) पूरे देश में सभी जगह आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूर्ण रूप से की जाती है। मिट्टी का तेल एक आबंटित उत्पाद है। केन्द्र सरकार राज्यों को पूर्व आधार पर तेल आवंटन करती है, जो इसके खुदरा वितरण का प्रबंध करते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब को आवंटित मिट्टी के तेल की मात्रा नीचे दर्शायी गयी है:—

(आंकड़े टी० एम० टी० में)

वर्ष	मिट्टी का तेल
1991-92	31[illegible].794
1992-93	319.304
1993-94 अनंतिम	322.461

(ग) और (घ) समय-समय पर मिट्टी के तेल के अतिरिक्त आवंटन के लिए राज्यों से अनुरोध प्राप्त होते हैं। तथापि उत्पाद की उपलब्धता, विदेशी मुद्रा और अत्यधिक राजसहायता की बाधाओं के कारण राज्यों की पूर्ण मांग को पूरा करना संभव नहीं है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान पंजाब को थोड़ी सी वृद्धि दी गई है।

गुजरात में स्वतंत्रता सेनानियों को टेलीफोन

3944. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में जिलेवार कितने स्वतंत्रता सेनानी टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में हैं,

(ख) क्या उन्हें शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन दिलाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है,

(ग) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गुजरात में नए टेलीफोन कनेक्शनों हेतु सिर्फ 4 स्वतंत्रता सेनानी प्रतिक्षारत हैं जिनके जिलेवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

अहमदाबाद	—	2
जूनागढ़	—	1
राजकोट	—	1

(ख) और (ग) उपरोक्त आवेदकों को टेलीफोन नहीं प्रदान किए जा सके, क्योंकि जिन क्षेत्रों में ये कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं, वे फिलहाल तकनीकी रूप से अव्यवहार्य हैं। इन सभी आवेदको को दिसम्बर, 1994 तक कनेक्शन प्रदान कर दिये जाएंगे।

(घ) उपरोक्त (ख) और (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० तथा एस० पी० जी० एल० के बीच समझौता

3945. **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन ने हाल ही में नैफ्था की आपूर्ति के लिए अमरीका की एक फर्म से कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संयुक्त उद्यम परियोजना में कौन-कौन सी कम्पनियां शामिल हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० ने मै० स्पेक्ट्रम कारपोरेशन लि० के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत उनके काकीनाडा में स्थापित किए जा रहे पावर स्टेशन को प्रति वर्ष 30000 मीट्रिक

टन नेफथा की आपूर्ति की जाएगी। परियोजना संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित की जा रही है तथा इसमें स्पेक्ट्रम टेक्नोलोजी य० एस० ए० इंक और हैदराबाद की जया फूड इंसस्ट्रीज हैं और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, रोल्स रायस पार्टनर्स फाइनेंस, वेस्टिंग हाउस कारपोरेशन और कामन वेल्थ डेवलपमेंट कारपोरेशन कम्पनी को इक्विटी में प्रतिभागिता करेंगे।

[हिन्दी]

कर्नाटक में टेलीफोनों का टेप किया जाना

3946. **श्री राम नाईक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में प्रमुख राजनीतिज्ञों और पत्रकारों के टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5 (ii) के उपबंधों के तहत, दूरसंचार विभाग, कतिपय स्थितियों में टेलोफोनों को टेप करने के मामलों के संबंध में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को तकनीकी सुविधाएं प्रदान करता है।

इस संबंध में दूरसंचार विभाग को अन्य कोई रोक लगाने का प्राधिकार नहीं है। तथापि विभाग को प्रमुख राजनीतिज्ञों तथा पत्रकारों के टेलीफोन टेप किए जाने की कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

महेश्वर जल-विद्युत परियोजना

3947. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बनने वाले महेश्वर जल विद्युत परियोजना को निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र/राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास संसाधनों की कमी के सम्बन्ध में और विद्युत की तेजी से बढ़ती हुई मांग और आपूर्ति के अन्तर को कम करने हेतु, विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा अधिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 1991 में एक नीति तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य विद्युत के उत्पादन और वितरण में क्षमता अभिवृद्धि के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है, यह नीति वर्तमान में क्रियान्वयनाधीन है। नीति के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने नवम्बर, 1992 में महेश्वर जल विद्युत परियोजना (400 मे० वा०) का कार्यनिष्पान मै० एस० कुमार्स को सौंपा है।

[अनुवाद]

भू-जल का दोहन

3948. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान नाबार्ड और व्यावसायिक बैंकों की भागीदारी से 700 करोड़ रुपये का एक बृहद पम्पसेट इनर्जाईजेशन प्रोग्राम चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे सम्भावना वाले क्षेत्रों में इनजाईजेशन को बढ़ाने हेतु राज्यवार, विशेषरूप महाराष्ट्र के भू-जल संसाधन के दौहनं हेतु कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान योजना आयोग ने 660 करोड़ रुपए की लागत से 3341 गांवों के विद्युतीकरण तथा 2.12 लाख पम्प सैटों को ऊर्जाकृत करने की मंजूरी दी है। 2.12 लाख पम्प सैटों के लक्ष्य में से लगभग 1.52 लाख पम्प सैटों को विशेष कृषि परियोजना (एस० पी० ए०) कार्यक्रम के अन्तर्गत नावार्ड और व्यवसायिक बैंकों की भागीदारी से ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) पम्प सैट ऊर्जाकरण कार्यक्रम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से वित्त पोषण द्वारा राज्य विजली बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा निरन्तर जारी रहने वाला कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य अधिकतम सम्भाव्यता तक भूजल क्षमता का सदुपयोग करना है यह कार्यक्रम सम्बंधित राज्यों के भू-जल वार्ड/भू-जल विभाग, लघु सिंचाई विभागों द्वारा प्रमाणित भू-जल क्षमता के आधार पर हाथ में लिया गया हैं। वर्ष 1994-95 के लिए पम्प सैट ऊर्जाकरण करने के राज्यवार लक्ष्य विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 के दौरान ऊर्जित किए जाने वाले पम्पसैट

क्रम सं०	राज्य का नाम	ऊर्जित किए जाने वाले पम्पसैटों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	53000
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	0
4.	बिहार	1000
5.	गुजरात	18000
6.	हरियाणा	5000
7.	हिमाचल प्रदेश	150
8.	जम्मू एवं कश्मीर	100
9.	कर्नाटक	5000
10.	केरल	1000
11.	मध्य प्रदेश	12000
12.	महाराष्ट्र	43000
13.	मणिपुर	0

1	2	3
14.	मेघालय	0
15.	मिजोरम	0
16.	नागालैण्ड	0
17.	उड़ीसा	3500
18.	पंजाव	4000
19.	राजस्थान	13350
20.	सिक्किम	0
21.	तमिलनाडु	40000
22.	त्रिपुरा	100
23.	उत्तर प्रदेश	11769
24.	प० बंगाल	800
25.	गोवा	0
26.	दिल्ली	0
	जोड़	2,11,769

बिजली की बचत की तकनीक

3849. **श्री एस० एम० लालजान बाशा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किसी ऐसी तकनीक को अपनाने का सुझाव दिया है जिससे उत्पादित बिजली की बड़ी मात्रा में हानि को रोका जा सकता है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त तकनीक का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में "शहरी क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन संयंत्रों और मोटर वाहन के प्रदूषण नियंत्रण के लिए पूवपिक्षाए" नामक एक लेख परिपत्रित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम किए जाने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। इस प्रकार के सुझाव में कोई नयापन नहीं है और इस प्रकार की हानियों की मात्रा को कम करने की तकनीकों की जानकारी हैं और विभिन्न राज्यों में प्रणाली सुधार स्कीमें क्रियान्वयनाधीन है।

12.00 **मध्याह्न**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद यादव जी।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा काम रोको प्रस्ताव है। आपने उसकी अनुमति नहीं दी है, यह ठीक है। आपका निर्णय हमारे सिर-माथे पर हैं लेकिन हम लोगों को कहने का अधिकार है कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। आप नियम पुस्तिका ले सकते हैं और मुझे आप पढ़कर वताइए कि आपको काम रोको प्रस्ताव की अनुमति कैसे दी जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मामला केवल प्रदेश का नहीं है। कानून और व्यवस्था से संबंधित सवाल है। 15 अगस्त को हुबली में जो कुछ हुआ........

अध्यक्ष महोदय : मै आपको डिस्कशन करने के लिये समय जरूर दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, उसका रूप क्या होगा। आप हमारे काम रोको प्रस्ताव को ले लैं, उस पर चर्चा हो जायेगी, हमारा काम हो जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप काम रोको प्रस्ताव संबंधी मामले को उठा सकते हैं। मैं उसके तुरन्त बाद ही आपको प्रश्न करने की अनुमति दूंगा।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, मैंने हुबली में घटी घटनाओं जहां सांप्रदायिक, धर्मान्ध शक्तियां सक्रिय है, भर्त्सना करते हुए स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए और साम्प्रदायिक शक्तियों की गतिविधियों की भर्त्सना की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने शरद यादव को बुलाया है, लोकनाथ जी, आपको थोड़ा सा सुनना भी चाहिये। इसके बाद आपको सुनूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारा एडजर्नमेंट मोशन ले लीजिये। हम भी इसकी मांग कर रहे हैं। कम से कम यहां तक एक राय हैं, आगे का पता नहीं।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : मुझे एक निवेदन करने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : में आपको बाद में बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

12.02 म० प०

[हिन्दी]

मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने के बारे में

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक विशेष उल्लेख इस सदन में करना चाहता हूं। कुछ महीने बाद देश के कुछ सूबों के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव सुधार संबंधी एक विधेयक पिछले साल में यहां लाया गया था लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। आर पी ए में संशोधन करने वाला विधेयक भी सलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया है। अब एक-दो महीने में संवैधानिक संकट खड़ा होगा। जहां तक पहचान पत्र की बात है, हम सिद्धान्तः इसका विरोध नहीं करते हैं लेकिन आप जानते हैं कि पिछली बार इलैक्ट्रानिक मशीन्स हम इस्तेमाल कर चुके हैं और उसका फेट क्या हुआ ? अभी हरियाणा में 70 प्रतिशत लोगों के पहचान पत्र बने हैं और 30 प्रतिशत लोगों के बाकी है। जैसा कि मजबूती के साथ कहा जा रहा है कि 30 नवम्बर तक बनने हैं। आप जानते हैं कि देश के कई सूबों में बाढ़ आयी हुई है। यह कहना कि तीन माह से पूरे देशभर में पहचान पत्र बने।

यह जो जिद है और बराबर जिस मजबूती से और जिस धमकी की मुद्रा में यह कहा जा रहा है, इससे मैं महसूस करता हूं कि संवैधानिक संकट का मौका जरूर आने वाला है। इस पर ज्यादा विवाद नहीं है। पहचान-पत्र बनाने के मामले का कोई विरोधी दल या सरकारी पक्ष विरोध नहीं करता है। अध्यक्ष जी, यदि इस पर लगातार बहस चलाई जाए और इस प्रयोग को ठीक से पूरे देश में लागू करने का काम किया जाए, तो कई जगह यह बहुत जरुरी है जहां विदेशी नागरिकों के बसने का मामला है। मगर हमारे कई सूबे ऐसे हैं जहां यह विवाद ही नहीं है कि विदेशी नागरिक आए है। मैं यह कहता हूं कि हरियाणा और उड़ीसा जैसे कई सूबे हैं जहां यह विवाद नहीं है कि कोई बंग्लादेशी नागरिक वहां रह रहा है। सामाजिक संदर्भ में भी आप मुसलमानों में पर्दा प्रथा को छोड़ दीजिए, पूरे देश में हमारे घरों में भी पर्दा प्रथा लागू है और इस लिहाज से जब हमारी बहू-बेटियां वोट डालने जाएंगी तो उनके घूंघट उठाए जाएंगे और यह बड़ी लोक-लज्जा का मामला हो जाएगा। .... **(व्यवधान)**

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) घूंघट की आड़ में कौन वोट देकर गया है और कौन नहीं देकर गया है, यही तो सबसे बड़ा मामला है।.........**(व्यवधान)**

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं बहुत मजबूती से इस बात को कहना चाहता हूं और मेरा यकीन है कि हमारे लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह का सुधार और एक साथ कोई प्रयोग करना हिन्दुस्तान के चुनावों के साथ छेड़खानी करना है। इसका पहले प्रयोग कर लेना चाहिए और प्रयोग में भी सफल हों तो इसको बढ़ा देना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब इस तरह से संवैधानिक संकट खड़ा होगा, क्या सरकार तब जागेगी ? सरकार ने अभी 29 जुलाई की सारे मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और उसमें प्रधान मंत्री ने उनसे कहा था कि वह इलैक्शन कमीशन के साथ इस मामले में कोई फैसलानुमा शक्ल में रास्ता निकालें अभी तक इस बाबत सरकार की तरफ से किसी तरह का भी संकेत नहीं है कि वह क्या करने जा रही है। दो सूबों में जहां हमारे दल की सरकारें हैं, वह उड़ीसा और बिहार बहुत गरीब प्रदेश है। वहां इस समय बाढ़ आई हुई है। उड़ीसा में इससे ज्यादा बाढ़ कभी नहीं आई और बिहार में भी बाढ़ आई है। ऐसी हालत में पहचान-पत्र बनाने के लिए तीन महीने बचे हैं और आज 22 अगस्त हैं तथा इस महीने के मुश्किल से दस दिन बचे हैं। तो इतने समय में क्या यह काम हो पाएगा ? जिस तरह से

यह किया जा रहा है, उससे कोई संवैधानिक संकट खड़ा न हो, मैं इसकी चेतावनी देता हूं, लेकिन इस तरह से दबाव से और जबरन चुनाव सुधार की प्रक्रिया के नाम पर यह काम किया जाएगा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में जल्दी से जल्दी बयान देकर सफाई देने का काम करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, इस वर्षाकालीन सत्र का यह अंतिम सप्ताह है और मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चुनाव सुधार के मामले को यहां उठाने का अवसर दिया है।

यह विषय केवल पहचान-पत्र से संबंधित नहीं है। यह विषय कुल मिलाकर देश में चुनाव व्यवस्था को परिष्कृत करने का है, उसके लिए आवश्यक सुधार करने का है और इस सदन में मैं कह सकता हूं कि लोक सभा में सबसे पहले यह सवाल श्रीमान वाजपेयी जी ने 1969 में उठाया था और उसके बाद एक संसदीय समिति बनी थी। जिसमें श्री सोमनाथ चटर्जी को भी काम करने का अवसर मिला और मुझे भी मिला। तब से लेकर आईडैंटिटी कार्ड की बात चली है। आईडैंटिटी कार्ड की बात केवल मात्र जब से शेषन हमारे चुनाव आयुक्त बने, तब से नहीं आयी बल्कि बहुत पुरानी है। तब से लेकर जो सरकार आयी, उसने कहा कि आईडैंटिटी कार्ड्स होने चाहिये, सिद्धांत सभी इससे सहमत थे लेकिन कार्यान्वित नहीं होता था। कार्यान्वित न होने के कारण ही आज ऐसी स्थिति आयी है।

यदि आप स्मरण करें कि आईडैंटिटी कार्ड्स के बारे में जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, 10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन्होंने यही कहा कि जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, जैसे आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोआ में, लेकिन उनको नहीं कहा बल्कि जहां पर 1995 में चुनाव होने वाले हैं, उनके लिये वर्तमान चुनाव आयुक्त ने कहा, गत अगस्त, 1993 में एक पत्र लिखकर कहा, जिसमें यह भी जोड़ दिया कि अगर वे आईडैंटिटी कार्ड्स नहीं बनायेंगे तो 1995 में चुनाव नहीं होंगे। मैं उनके इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं कि आईडैंटिटी कार्ड्स के बिना चुनाव होने या न होने की बात जोड़ी जाये क्योंकि मैं मानता हूं कि आईडैंटिटी कार्ड्स बनने चाहिये लेकिन मेरी शिकायत सरकार से है कि जिस सरकार को चेतावनी होने के बावजूद कि इस समय एक सांवैधानिक अधिकारी है, जिसने यह स्टैंड लिया है कि जनवरी, 1995 के बाद अगर आईडैंटिटी कार्ड्स नहीं बनाये जायेंगे तो उन प्रदेशों में चुनाव नहीं होंगे, उन्होंने इस दृष्टि से जो कुछ करना चाहिये था, वह नहीं किया।

मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गयी और दो बार बुलाई गयी। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मुख्यमंत्रियों की बैठक में गृह मंत्री जी ने विश्वास दिलाया था कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त से बात करेंगे और फिर रिपोर्ट करेंगे कि क्या होना चाहिये, क्या नहीं होना चाहिये, अब मुझे पता नहीं कि उन्होंने कोई बात की या नहीं की और अगर की तो उसका क्या परिणाम सामने आया? कुल मिलाकर संवादहीनता की स्थिति है। चुनाव आयुक्त एक सांवैधानिक अधिकारी है और सरकार एक्जीक्यूटिव है और इन दोनों के बीच में टोटल लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, तो अच्छी स्थिति नहीं है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बजाय अच्छा हो कि तीन पक्ष यानी सरकार, विपक्ष और चुनाव आयुक्त मिलकर सारे मसले पर औब्जैक्टिवली खुले मन से बातचीत करें और इसे नया करें। सब इस पर सहमत हैं और एक तरफ कहते भी है कि मैं सहमत हूं कि आईडैंटिटी कार्ड्स होने चाहिये लेकिन दूसरी तरफ बीच में पड़ने वाली बात ले आयेंगे या फ्लड़ आ जाता है।

इन चीजों से क्या होता है कि प्रामाणिकता के अभाव का प्रकटीकरण होता है। मैं जानता हूं

कि कुछ दिक्कत हैं, सामाजिक दिक्कत हैं लेकिन उसके बावजूद, जैसे हम पासपोर्ट के लिए अनिवार्य मानते हैं कि फोटो के बिना पासपोर्ट नहीं बनाया जायेगा, ऐसा कभी नहीं कहा कि बिना फोटो के भी चलेगा।

श्री शरद यादव : मैंने यह बात कहीं थी कि अकेले जिस संदर्भ में आपने कहा, जिसकी तरफ इशारा किया, वैसा नहीं है.....**(व्यवधान)**.... सुनिये, हम सब लोगों का कोई धर्म है। मैं अपने घर में जानता हूं। सामाजिक सन्दर्भ को भी हमें देखना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**.... उसमें कितनी दिक्कत आयेगी जब पोलिंग आफिसर के सामने हमारी बहू-बेटियों को कहा जायेगा कि घूंघट खोलो। उस स्थिति का भी आप कुछ अंदाजा कीजिये......**(व्यवधान)**.....मैंने इसका विरोध किया था। आपने जिस तरफ इशारा किया, वह नहीं है। ......**(व्यवधान)** ......यह कोई अकेला मामला नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैं इस विषय पर विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि सिक्किम में इसका प्रयोग हुआ था और वह प्रयोग सफल सिद्ध हुआ। सिक्किम में इलैक्ट्रोनिक मशीन सफलतापूर्वक प्रयोग में लाई गयी इसके अलावा कई दूसरे राज्यों में उप-चुनाव हुये और उनमें भी इसका सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है और स्वयं सरकार की ओर से हमें बताया गया यहां एक प्रश्न के उत्तर में कि इस प्रयोग के बाद चूंकि वैलट पेपर एलिमिनेट हो जायेंगे, बैलट बॉक्स एलिमिनेट हो जायेंगे और 2-3 साल में कितना उसके कारण लाभ हुआ। इन सारी चीज पर विस्तार में जाया जा सकता है। इस समय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की कई एक्सरसाइज हो चुकी है, इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन, आईडेंटिटी काड्‌र्स और डीलिमिटेशन वे सारी चीजें एक पहलू हैं। लेकिन कुल मिलाकर के चुनाव सुधार पर जितनी सारी एक्सरसाइज हुई है मिलकर के जितनी सारी चर्चाएं हुई हैं, उन चर्चाओं के निचोड़ के रूप में हमारे सामने दिनेश गोस्वामी की रिपोर्ट हैं, जिस पर एक आम सहमति सभी दलों के बीच में बनी, इस सरकारी दल सहित। सरकारी दल के उस समय जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि मुझे अधिकार नहीं है कि मैं हां कहूं। मैं सहमत तो हूं बहुत सारी चीजों से, लेकिन अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर विजय भास्कर रेड्डी ला मिनिस्टर थे, कुमारमंगलम उनके सहायक थे। उन्होंने सदन में अनेक बार कहा कि हम दिनेश गोस्वामी की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के साथ मोटेतौर पर सहमत हैं और हम चाहेंगे कि दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें जल्दी से जल्दी कानून का रूप धारण कर लें।

मान्यवर, ये 1990 की सिफारिशें हैं। 1994 का वर्ष आ गया है। चार साल में इस सरकार ने क्या प्रगति की है ? एक कदम आगे बढ़े हैं ? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अच्छा होगा कि इसी सत्र में इस विधेयक को स्वीकार करवा ले, इसके आधार पर कुछ कर लें, लेकिन इस आईडेंटिटीकार्ड और इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के बारे में क्या कदम उठाया है ? इलैक्शन कमीशन से क्या बात हुई है और यदि कोई बात नहीं हुई है, तो क्या सरकार कोई इस प्रकार का सम्मेलन बुलाना चाहती जिसमें सरकार भी हो, विपक्ष भी हो और चुनाव आयोग भी हो जिसमें इन सभी पर विचार किया जाए ?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : निस्सन्देह, यह मामला सार्वजनिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश में प्रत्येक मतदाता को पहचान पत्र जारी करने का एक राष्ट्रीय स्वीकृत, मामला, जिसे सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया है जिस पर किसी ने भी कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की, इसके लागू किए जाने अथवा स्थगित किए जाने की तरीके की मांग के कारण जटिल बनता जा रहा

है। जैसा कि हमने अभी देखा है यह विवाद का मामला बन गया है। अतः एक ऐसे दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है जिससे यथाशीघ्र पहचान-पत्र जारी करना संभव होगा जिसके लिए मुख्य मंत्रियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। सबको पता है कि देश में क्या कठिनाइयां हैं। अतः देश में चुनावों पर रोक लगाना ठीक नहीं है। क्या यह देश उस खतरे के होते चल सकता है ?

हम कतिपय सुधारों की मांग करते रहे हैं। वस्तुतः हम दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग करते रहे हैं। लेकिन मैं इस सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि सरकार सभी दलों द्वारा स्वीकृत इस रिपोर्ट को लागू करने के मामले में पीछे हट रही है। प्रश्न यह है कि हम इन कामों को कैसे करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और हमने इसे कई बार उठया है। किसी भी राजनीतिक दल अथवा किसी सरकार ने कभी भी पहचान पत्रों को जारी करने का विरोध नहीं किया। किसी ने इसको स्थगित करने की भी मांग नहीं की। लेकिन इसके लिए धन की, आवश्यक साधनों की और तकनीकी उपकरण तथा जनता के सहयोग की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या किया जाना है ? सरकार कोई प्रस्ताव लेकर आगे नहीं आती है। हमारे पास कोई समय-सारणी नहीं है। किसी को भी विश्वास में नहीं लिया जाता है।

कोई व्यक्ति देश में अपनी साफ-सुथरी छवि लेकर घूमता है और क, ख, ग और इस देश में सबको डराता-धमकाता है। सभी प्रकार के आदेश जारी किये जा रहे हैं जिससे वास्तव में संवैधानिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। अतः मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि पहचान-पत्र जारी करने और अन्य सुधारों के बारे में जो निर्णय लिये गये हैं, उनका शीघ्र लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए मैं इसमें विलम्ब करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसमें पहले ही काफी समय हो चुका है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि देश को कोई नुकसान न हो। इस देश के भविष्य की संवैधानिक प्रक्रिया को किसी व्यक्ति-विशेष की बातों के आधार पर नहीं आंका जा सकता और न ही उस पर निर्भर रहा जा सकता, भले ही वह कितनी भी बुद्धिमान व सक्षम क्यों न हो। अतः मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि वह तुरन्त कार्रवाई करें ताकि संविधान का कार्य और संसदीय लोकतत्र चलता रहे, और इसे किसी व्यक्ति के विचारों एवं रुचि पर आश्रित रहने नहीं दिया जाना चाहिए। इस मामले में एक दिन का विलम्ब भी नहीं होने देना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि सरकार को जवाब देना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चंण्डीगढ) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है, ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है, जो कि पहचान-पत्र जारी करने का विरोध करता हो। मैं श्री आडवाणी जी द्वारा जोर देकर कही गई इस बात की सराहना करता हूं कि इस प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। लेकिन, मुझे इस बात का खेद है कि वह इस विलम्ब के लिए केवल सरकार को दोष देते हैं।

जैसा श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है, यह मात्र इस इच्छा की पूर्ति करने की बात नहीं है कि आप पहचान पत्र होने की बात कहें और दूसरे ही दिन आपको मिल जाए। हम सब जानते ही हैं कि इसमें काफी धन लगेगा। बावजूद इसके, केन्द्र सरकार ने उस दिन इस सभा में प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि भारत सरकार इस पर होने वाले व्यय में से आधा व्यय स्वयं वहन करने के लिए तैयार है। यह श्री आडवाणी जी के दल द्वारा शासित सरकार सहित अन्य राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि आधा व्यय स्वयं वहन करके प्रक्रिया में तेजी लाए।

महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि इस अवसर पर यह कहना कि सरकार इस मामले

में विलम्ब कर रही है और सरकार की किसी प्रकार के सुधार में दिलचस्पी नहीं है, सच्चाई का उपहास है। गत दस वर्षों के दौरान कतिपय सुधार लाने के लिए कई संशोधन किये गये हैं। यह एक ही समय में किया जाने वाला उपाय नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कांग्रेस ने हमेशा अपनी भूमिका बखूबी निभायी है।

रही बात दिनेश गोस्वामी की रिपोर्ट की तो हमारा यह विशुद्ध विचार है कि एक पहलू जो सरकार द्वारा चुनावों की वित्त पोषण करने से संबंधित है, वह वास्तव में उचित नहीं है। हमें इसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी और कतिपय प्रयासों को छोड़ देना होगा। इस प्रकार की स्थिति बना कर ही हम राज्य सरकार द्वारा चुनावों का वित्त पोषण करने की बात सोच सकते हैं।

मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि उस ओर के मेरे मित्र 'राज्य' शब्द का अर्थ केवल भारत सरकार ही क्यों समझते हैं। 'राज्य' शब्द की व्याख्या उस अर्थ में क्यों की जा रही है ? मुझे विश्वास है कि वह इसका सही अर्थ जानते हैं।

उन सब ने सरकार पर इस मामले में विलम्ब करने का आरोप लगाया है और कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं सरकार में विवाद चल रहा है। मै विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि यह एक अनुदार टिप्पणी है। हम कुछ संशोधन लाना चाहते हैं और श्री आडवाणी जी ने भी चुनाव आयोग के गठन के बारे में कतिपय सुझाव दिये हैं। एक ऐसी भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है, जिसमें आमतौर पर यह कहा जा रहा है कि सरकार का मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ कोई विवाद चल रहा है। यह कुछ भी नहीं है बल्कि मात्र गलत सूचना का अभियान है।

सरकार ने गत सत्र में ही लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया था। उसमें एक यह प्रावधान भी शामिल है जिसमें निर्वाचन की अवधि घट जाएगी। क्या यह एक महत्वपूर्ण सुधार नहीं है। विधेयक समिति के समक्ष है। इसकी वजह से विलम्ब हो रहा है। मैं पुनः इस मामले पर विस्तार से नहीं जाना चाहता अब मुझे विश्वास है कि समिति, विधेयक के बारे में संसद को बताएगी यह एक ऐसा विषय है जो सभी के लिए चिन्ताजनक है। हम भी समान रूप से चिन्तित है। मैं चाहता हूं कि इसे स्पष्ट कर दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : मैं अपने स्थल को आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अभी जफर साहब ने रखा था और उसके बाद हमारे दोस्त बंसल जी व शरद यादव जी ने भी रखा। हर आदमी ने जो आरगूमेंट दिये हैं, उसी तरह के मेरे आरगूमेंट मैं 1952 से इलैक्शन लड़ रहा हूं। इलेक्शन के वक्त हम लोगों के घर में दूसरी जगह से लोग आते थे। जो बुर्का है। ......**(व्यवधान)**..... मैंने इसलिए जवाब दिया है कि यह समझ जायें। आप दिन भर घूमिये शक्ल दिखाईये । बुर्के की चरूरत नहीं है। लेकिन इलैक्शन की जरूरत है......**(व्यवधान)**....अभी बुर्का है लेकिन हमारे घर में कोई बुर्का नही पहनता। आप दूसरी जगह जाकर देखिये। यह अपनी जगह हो गया। जफर साहब का जवाब हाय, हौवा एजुकेटिड मिला। लेकिन मैं कहता हूं कि शेषन जैसा इंसान नहीं होगा। मैं 1952 से इलेक्शन कमीशन को देख रहा हूं। मैं अपने पार्लियामेंट इलैक्शन की मिसाल देता हूं कि जिस मकान में बैलेट बाक्स रखा हुआ था, वह पानी से भर गया। उस समय मैं दिल्ली में था। हमारे रिटरनिंग आफिसर ने सबको चटाई बिछाकर

सुझाया। उस जमाने में कौन पूछता था कि इलैक्शन व मिशन क्या है। आज हालत यह है कि सेशन के डर से सारे हिन्दुस्तान के रिटर्निंग ऑफिसर्स की **(व्यवधान)** ..**.

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस मामले में कुछ अनुसंधान करना है ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनाधिकारिक रूप से ।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : असली बात यह है कि सेशन ने कुछ दिन पहले एक पैम्फलेट भेजा। पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि सेशन का क्या कसूर है जब वह सरकार को कई साल से लिख रहा है। वह भी अपनी जगह बिल्कुल सही है।

यादव जी ने ठीक कहा।.....**..

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बात कार्यवाही से अलग है।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : मेरा आखिरी सुझाव यह है कि आप सब लोग मिलकर शेषन को जिन्दाबाद कहिए। इलैक्शन छः महीने लेट हों, वहां प्रेजीडेंट रूल हो जाए वह भी हम खुशी से मंजूर करेंगे लेकिन आईडैनटिटी कार्ड का काम होना चाहिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : गफूर साहब निर्वाचन आयोग को यह काम करना है उन्हें पहचान-पत्र वितरित करने दीजिए.......**(व्यवधान)** उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेने दीजिए। हमें बहुत खुशी होगी......**(व्यवधान)** उन्हें धन देने दीजिए। उन्हें यह काम करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, गफूर चाचा ने जो बात कही मैं उसपर ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने अपने दिल की बात कह दी। उन्होंने कहा के प्रेजीडैंट रूल हो जाए, ...**(व्यवधान)** उनको मालूम है कि इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। अबकी बार जो दलबदल किया है......**(व्यवधान)** ये इस तरह से कह रहे हैं जैसे उन्होंने बड़ा भारी कमाल किया है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए हमें किसी के नाम का जिक्र नहीं करना है।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : आपने कहा था वोलिए, नाम मत लीजिए लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। इनके कई गुनाह है जिन पर बहस हो तो मैं बता सकता हूं कि इन्होंने क्या-क्या गुनाह किए हैं।....**(व्यवधान)** मैंने नाम नहीं लिया है लेकिन मैं मानता हूं कि इनके रहते हिन्दुस्तान के चुनाव में सुधार नहीं होगा। मेरी राय में इन्होंने कोई सुधार नहीं किया है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, यह चर्चा विषय से थोड़ा हट रही है। बात यह है कि सरकार ने इस विषय पर चुप्पी साधकर स्वयं को संदेह की परिधि में खड़ा कर लिया है। पहचान पत्र जारी करने के बारे में केन्द्र सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच क्या हो रहा है। सदन में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। मंत्री महोदय ने जो कुछ पहले कहा है कि वे कुल खर्च का 50 प्रतिशत वहन करने को तैयार हैं, इसके अलावा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। खर्च के 50 प्रतिशत का भार राज्य सरकारों पर डाल दिया गया है। आप सोचिए काम करने का यह तो कोई तरीका नहीं है। मेरे विचार से हम सब इस बात से सहमत हैं कि इसके बाद अब बिना पहचान पत्र जारी किए कोई चुनाव नहीं होने चाहिए। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक पहचान पत्र तैयार नहीं होते हैं, तो उन राज्यों में चुनाव नहीं होंगे। क्या सरकार इस विचार से सहमत हैं ? हम यह जानना चाहते हैं। उन्होंने यह विधेयक, जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पेश किए हैं। हमें आज तक यह नहीं बताया गया है कि सरकार ने उस विधेयक के संबंध में कार्यवाही क्यों नहीं की और इसे पारित करने का प्रयास क्यों नहीं किया सरकार ने इसे वापिस क्यों लिया ? और इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

चूंकि विधि मंत्री यहां उपस्थित हैं, अतः अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूं कि वह अभी यहां बताएं कि इस विषय में नवीनतम स्थिति क्या है और मतदाताओं के फोटो पहचानपत्र तैयार किए जाने के प्रश्न के बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है। मैं जानता हूं कि सरकार के सामने वित्तीय कठिनाइयां हैं, सामाजिक कठिनाइयां हैं। मैंने 1960 में हुए अपने पहले चुनाव का उल्लेख किया था, कलकत्ता दक्षिण पश्चिम संसदीय सीट के लिए हुए उप-चुनाव में मतदान की तारीख तक 50 प्रतिशत मतदाताओं के फोटो नहीं खींचे गए थे। वह चुनाव पहली बार परीक्षण के तौर पर फोटो पहचान पत्र जारी करके कराया गया था। मैं जानता हूं कि अब तकनीक में भी सुधार हो चुका है। यह जरूरी नहीं है कि अब भी पहले जैसी स्थिति हो। फिर भी ये सब कठिनाइयां तो हैं ही, समस्याएं भी हैं। चूंकि, हम सब इस बात से सहमत हैं कि ये पहचान पत्र तैयार होने ही चाहिए, भारत सरकार को हमें बताना चाहिए कि इस बारे में उसकी क्या राय है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत जरूरी है कि इस लोकतांत्रिक कार्यवाही को बहुत ही स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से किया जाए। तब भारत सरकार इसकी जवाबदेही राज्य सरकारों पर नहीं डाल सकती। उसे यह जिम्मेदारी उठानी ही होगी। सरकार तथा निर्वाचन आयोग को मिलकर एक उचित प्रक्रिया अपनानी होनी तथा एक समय सारिणी तैयार करनी होगी ताकि ये फोटो पहचान पत्र आगामी प्रस्तावित चुनावों तक वहां के लोगों को उपलब्ध करा दिए जाए जहां चुनावों की तिथि की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अतः हम नवीनतम स्थिति जानना चाहते हैं। वे हमें इस बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें व्यक्तिगत रूप से कोई बात नहीं करनी हैं। हमें केवल इस मामले पर बात करनी है।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के सामने पहचान पत्र का जो सवाल आया है कि मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी किये जाने चाहिये, इस सवाल पर कोई मतभेद नहीं है। सभी पक्ष के लोगों की इस सम्बन्ध में एक राय है। इसमें जो व्यावहारिक कठिनाइयां है, उनको लेकर विवाद उत्पन्न होता है। मेरी राय में पर्दा प्रथा इसके आड़ नहो आ सकती ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम विस्तार में चर्चा नहीं करेंगें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मैं बहुत संक्षेप मे अपनी बात कह रहा हूं। इसमें सबसे बड़ी बाधा पैसे की हो सकती है। इसके बारे में केन्द्र संरकार और राज्य सरकारों ने भी कहा है कि पैसे कहां से आयेंगे और किस प्रकार इकट्ठे किये जायेंगे? इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

जहां तक चुनावों के लिये पैसे का सवाल है, चुनाव तो होने ही चाहिये। यह लोकतंत्र के लिये आवश्यक है। उसमें चाहे जितना भी खर्चा हो, चुनाव की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिये। पैसों के अभाव के चलते चुनाव प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता हैं क्यों कि चुनावों के न होने से लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा। सभी दलों की एक राय है कि पहचान पत्र जारी किये जाने चाहिये इसके लिये जिस प्रकार से भी हो-चाहे इसके लिये सरचार्ज लगाने की जरूर पड़े, उसकी व्यवस्था का निश्चित रूप से इंतजाम किया जाना चाहिये और पहचान-पत्र बनाने का काम एक निश्चित समय सीमा के अन्दर पूरा किया जाना चाहिये।

मैं दूसरी बात सफाई के तौर पर कहना चाहता हूं। गफर चाचा का उम्र के मुताबिक बोलने का अपना अंदाज है। हम किसी भी कीमत पर चुनाव की तारीख बढ़ाये जाने के पक्ष में नहीं है। किसी भी कीमत पर प्रेजीडेट रूल लागू करके इस चीज को टाला नहीं जाना चाहिये। चुनाव की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिये और इनके लिये केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिये। आडवाणी जी ने विल्कुल ठीक कहा कि सरकार और चुनाव आयोग के बीच एक संवादहीनता की स्थिति है। इस स्थिति को दूर किया जाना चाहिये। अगर त्रिपक्षीय बातचीत की आवश्यकता हो तो वह होनी चाहिये। इसके लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए और उसके आधार पर इसको लागू किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार सबको मिलकर पैसे का इंतजाम नए सिरे से विचार करके करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री टी॰ वेंकटेश्वर राव (बापतला) : महोदय, में समझता हूं कि सरकार जानबूझकर चुनाव संबंधी सुधार लाने में विलम्ब कर रही है। पिछले सत्र में, सरकार ने जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में 26 संशोधनों का प्रस्ताव रखा था जिसमें अन्य बातों के अलावा राज्यों के लिए वित्त व्यवस्था, चुनाव अवधि में कटौती, चुनाव रद्द करने सम्बंधी गतिविधियां और अन्य बातें शामिल थीं, जिनमें से अधिकांश संशोधनों से सभी राजनैतिक दल सहमत थे। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों के बारे में, सरकार के साथ-साथ विपक्षी

दल भी सहमत थे। अतः हमारी यह मांग है कि सरकार को तुरन्त चुनाव संबंधी सुधार करना चाहिए जिसकी नितांत आवश्यकता है।

महोदय, साथ ही, जहां तक पहचान पत्र जारी करने का संबंध है, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। 1987 में आंध्र प्रदेश में नगर पालिकाओं और नगर निगमों के चुनावों के दौरान करीब 15 लाख पहचान पत्र जारी किए गए थे और तभी चुनाव कराए गए थे।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस बारे में कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : महोदय, मुझे सदन को यह बताने की अनुमति दी जाए कि हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हमने जो बैठकें की उनमें सब एकमत थे कि पहचान पत्र होने चाहिए। किसी के मन में इस बारे में कोई विवाद, कोई भ्रम नहीं है और न ही कोई राज्य सरकार पहचान पत्रों के जारी किए जाने का विरोध कर रही है।

चुनाव आयोग यह चाहता है कि आरंभ में राज्यों को पहचान पत्र तैयार करने पर पैसा खर्च करना चाहिए और केन्द्र सरकार बाद में कुल खर्च का 50 प्रतिशत स्वयं वहन करेगी। लेकिन कुछ राज्यों ने धन की उपलब्धता के बारे में कुछ संकोच जाहिर किया है। अतः हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि क्या निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन किया जा सकता है। लेकिन हमारा भी उतना ही दायित्व है कि हम राज्य के मुख्यमंत्रियों की राय जानें और पता लगाए कि वे निर्वाचन आयोग के निदेशों का पालन करने की स्थिति में हैं या नहीं। उनमें से कुछ ने तो आपत्ति व्यक्त की है और कुछ ने कहा कि यदि कुल खर्च का 50 प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी तभी वे पहचान पत्र जारी कर सकने की स्थिति में होंगे।

अब मुख्य बात है समय की। निर्वाचन आयोग चाहता है कि यह काम अधिसूचना में बताई गई समयावधि के अंदर हो। लेकिन राज्य सरकारों का कहना है कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर पहचान पत्र तैयार नहीं कर सकते और दूसरी समय-सीमा निर्धारित की जाये जिसमें वे बताएंगे कि पहचान-पत्र तैयार करने में कितना ममय लगेगा। इस बारे में बातचीत जारी है।

महोदय, इसलिए यह कहना है एकदम गलत है कि हम पहचान-पत्र तैयार करने के मामले में गंभीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। हम पहचान पत्र तैयार करने के मामले में राज्यों को पूरा सहयोग दे रहे हैं। इस संबंध में मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा राज्य ने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है और पहचान पत्र तैयार करने का काम करीब-करीब पूरा होने वाला है। वह गुजरात राज्य तथा कुछ अन्य राज्यों को भी अपना तकनीक दे रहे हैं।

लेकिन जहां तक वर्तमान कानून का संबंध है, धारा 61 और नियम 28 के अनुसार एक सीमित क्षेत्र में निर्वाचन आयोग तुरन्त पहचान पत्र तैयार कराने के लिए कह सकता है। ताकि जाली मत से बचा जा सके। अतः स्वाभाविक है कि राज्य सरकारें यह सुझाव मानने के लिए तैयार नहीं थीं कि पहचान पत्रों के बिना चुनाव नहीं हो सकते। यहीं हमें यह देखना होगा कि निर्वाचन आयोग के विचारों को मान्यता भी दी जाये और राज्य सरकारों की बात भी रखी जाए ताकि उन्हें जल्दबाजी न करनी पड़े। अन्यथा राज्य सरकारों पर बहुत वित्तीय दबाव पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि पहचान पत्र जारी करने के बारे में कोई विवाद नहीं है, राजनैतिक स्तर पर बातचीत चल रही है और चुनाव संबंधी सुधारों के बारे में कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

महोदय, आपको याद होगा कि मैंने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (दूसरा) संशोधन पुरःस्थापित किया था और उस विधेयक में सरकार के विचार भी उल्लिखित थे और यह स्थायी समिति के समक्ष लंबित है। स्थायी समिति जैसे ही इसे स्वीकृति दे देगी मैं इसे अगले ही दिन पुरःस्थापित कर दूंगा। मैं पहले ही यह सुझाव दे चुका हूं कि इस बारे में निर्णय शीघ्र ही लिया जाना चाहिए?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हम स्थायी समिति से अनुरोध करते हैं कि वह यह कार्य शीघ्र करे।

श्री हंसराज भारद्वाज : स्थायी समिति में ससंद के दोनों सदनों के सदस्य हैं और मैं स्थायी समिति के विचारों को मानने के लिए बाध्य हूं।

12.39 म० प०

हुबली (कर्नाटक) में पुलिस द्वारा गोलीबारी

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त को हुबली में जो कुछ हुआ है, वह एक राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है। इस सदन में इस चिन्ता की अभिव्यक्ति की जाए, यह स्वाभाविक ही नहीं है, आवश्यक भी है। 15 अगस्त हमारी स्वतंन्त्रता का दिवस है, आनन्द का दिन है, उल्लास का दिन है। देश के किसी भी भाग में गोली चले, निर्दोष लोग मारे जायें, शोक का वातावरण उत्पन्न हो, यह तो हम सब के लिए आनन्द का विषय नहीं हो सकता है।

15 अगस्त को हम स्वाधीनता दिवस मनाते समय उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने अंग्रेजी राज में तिरंगा फहराने का प्रयास किया था और गोली का निशाना बने थे। आज हम उन्हें शहीद के रूप में याद उनको करते हैं और स्वतन्त्रता की वर्ष गांठ पर तिरंगा झण्डा, राष्ट्रीय झण्डा, फहराने के प्रयास में और उसे रोकने के लिए गोली चले, निर्दोष लोग मारे जायें-हुबली में जो कुछ हुआ है, हत्याकांड है। आप कहेंगे कि प्रदेश का मामला है। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया था कि यह केवल प्रदेश का मामला नहीं है। स्वतन्त्रता दिवस पर राष्ट्रीय झण्डा फहराने का प्रयास और रैपिड-एक्शन-फोर्स का उपयोग-यह भी स्पष्ट नहीं है कर्नाटक के मुख्य मंत्री 15 अगस्त को जब दिल्ली आए थे, तब यह मंत्री से मिले थे, तो यहां से कौन से निर्देश लेकर गए? क्या यह सच है, गृह मंत्री ने कहा है कि सख्ती से इस मामले को दबा देना चाहिए? जिस तरह से पुलिस ने बर्ताव किया है और तिरंगा झण्डा फहराने की वह जगह, विवाद का वह स्थान, यह तो अलग हो गया। देशपान्डे नगर में गोली चली है, जहां गोली चलने का कोई औचित्य नहीं है। बदला लेने की भावना से गोली चलाई गई है। सबक सिखाने के लिए गोली चलाई गई है। क्या रैपिड-एक्शन-फोर्स का गठन इसलिए किया गया है? जो लोग घायल हुए और अस्पताल ले जाए गए, वहां भी गोली चली और एक मर गया।

19 तारीख को जब लोग शोक प्रकट कर रहे थे, विरोध प्रकट कर रहे थे, तब भी गोली चली। ड्राइवर ने गोली चलाई- पुलिस आफिस कहते हैं कि ओवर-एक्शन था। पुलिस की गाड़ी का ड्राइवर गोली चलाए और एक महिला को गोली मार दी, निर्दोष महिला जिसका आन्दोलन से, जिसका प्रदर्शन से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह चार बच्चों की मां है। उसकी 19 तारीख को हत्या कर दी गई। क्या कम से कम

बल प्रयोग करके स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सकता था? क्या यह सच है, मरने के लिए गोली चलाई गई, भीड़ को तीतर-बितर करने के लिए नहीं? ठीक है, कर्नाटक की सरकार ने जुडिशियन एन्क्वायरी के आदेश दिए हुए हैं, मगर हम पुछना चाहते है, केन्द्र कहां है? गृह मंत्री से कर्नाटक के मुख्यमंत्री की क्या बात हुई? गृह मंत्री ने कौन से निर्देश दिए? क्या इतने बड़े हत्याकांड के बाद गृह मंत्री ने कर्नाटक सरकार से कोई रिपोर्ट मागी? क्या राज्यपाल से कोई रिपोर्ट मांगी गई? अभी-भी वहां तनाव है। यह कोशिश की जा रही है कि सारे मामले को साम्प्रदायिक रंग दे दिया जाए। मामले साम्प्रदायिक नहीं है। मैं चाहता हूं, अध्यक्ष जी, मेरी तो वहां जाने की इच्छा थी, मगर नहीं जा सका हूं-इस सदन की एक सदस्या कुमारी उमा भारती, उस दिन वहां मौजूद थी, सदन उनकी बात को सुनें। इस प्रसंग पर चर्चा हो।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हुबली में जो कुछ हुआ, वह दुर्भाग्पूर्ण है। यह सच है कि पुलिस की गोलीबारी में कुछ अभागे लोग मारे गए। यह सचमुच दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है?

पूरे राष्ट्र को इसकी जानकारी होनी चाहिए। वह ईदगाह एक बहुत छोटी है और साथ ही विवादस्पद भी है। वहां राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया गया था और राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करने की ओट में साम्प्रदायवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। राष्ट्रीय झंडा फहराने के पीछे उनका उद्‌देश्य यही था। दुर्भाग्य से एहतियात के तौर पर गोलीबारी करनी पड़ी। समाचार पत्रों में इस शीर्षक से समाचार दिए जा रहे हैं कि कुमारी उमा भारती उस क्षेत्र में छिपते छिपाते झंडा फहराने आई। और भी किसी स्थान पर झंडा फहराया जा सकता था। हर एक को अपने मकान की छत पर झंडा फहराना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज पर गर्व है। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के संरक्षक भी हैं जो कि धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए और साथ ही हमें धर्मनिरपेक्षता के इस प्रतीक की भी रक्षा करनी चाहिए। जिन्होंने इस घटना को और उद्वेलित किया है वे देश द्रोही हैं और इसके लिए वे ही जिम्मेदार हैं सरकार नहीं। उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिसमें बहुत बेकसूर लोग मरे। उन्होंने संकीर्ण राजनीतिक उद्‌देश्यों के लिए यह स्थिति उत्पन्न की अर्थात देश के दक्षिणी भाग में साम्प्रदायिक का जहर फैलाया। मैंने ऐसी गतिविधियों की निन्दा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है।

दूसरे दिन हमने सरकार को ए० टी० आर० वापस लेने के लिए मजबूर करके संसदीय व्यवस्था का पक्ष लिया क्योंकि सरकार संसदीय पद्धति का सम्मान नहीं कर रही थी। आज सभा से यह संदेश जाना चाहिए कि हम संसद की गरिमा बनाए रखने के इच्छुक हैं और हम राष्ट्र के धर्मनिर्पेक्ष स्वरूप को अक्षुण बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। हम राष्ट्रीय सौहार्द बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। जो लोग संकीर्ण राजनीतिक उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए इन गतिविधियों में शामिल हैं, जिससे बेकसूर लोगों की मृत्यु होती है उनकी दृढ़ता से निन्दा की जानी चाहिए और इस सभा को यह स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करके राष्ट्र को यह संदेश देना चाहिए।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आपके सामने और पूरे सदन के सामने हुबली की वास्तविक स्थिति को रखना चाहती हूँ। माननीय लोकनाथ जी सदन के सीनियर संदस्य है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरे सदन और देश को वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ रखा

जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि उस जगह को विवादास्पद कहना ही गलत हैं, उस जगह को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं रहा।

महोदय, 1921 में अंजुमन-ए-इस्लाम ने लोगों की रिक्वेस्ट पर कोर्ट में जाने पर उस मैदान में साल में दो बार नमाज पढ़ने का लाइसेंस प्राप्त किया था उसके बाद 1962 में विवाद इस बात पर हुआ, जब अंजुमन-ए-इस्लाम के लोग यहां पर कुछ दुकानें बनाना चाहते थे तो जिला नगर परिषद का कहना था कि यह जमीन हमारी है इसलिए हम यहां पर दुकानों का निर्माण नहीं होने देंगे। वहां इस बात को लेकर विवाद है कि उन दुकानों का निर्माण वहां पर होना चाहिए था। या नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा उस जगह को विवादास्पद स्थल कहना अपनी अज्ञानता जाहिर करना है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे दूसरी बात आपको यह निवेदन करनी है कि उस जगह पर पहले भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते रहे, जनता दल के समय पर रामकृष्ण हेगड़े जी की सभाएं उसी मैदान में हुई। परम पूजनीय डा० हेगड़ेवार का जन्म शताब्दी समारोह संघ के लोगों ने कारपोरेशन की अनुमति से उसी मैदान में मनाया है और जो यह बात कही गई है कि हम वहां पर सांप्रदायिकता पैदा करना चाहते थे, हम कोई केसरिया झंडा वहां फहराने नहीं गए थे माननीय लोकनाथ जी हम वहां पर राष्ट्रीय झंडा फहराना चाहते थे, हम वहां पर तिरंगा झंडा फहराना चाहते थे। जिस तिरंगे झंडे को लेकर के हमारे लो.गों ने गोलियां झेली है और आजादी की लड़ाई लड़ी हैं, जिस तिरंगे झंडे को लेकर के गीत गाए गए हैं-

झंडा ऊंचा रहे हमारा,
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,

उस प्यारे तिरंगे को लहराने के लिए हम वहां पर जाना चाहते थे और उसको लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं बल्कि शरारत के साथ और एक साजिश के अंतरगत जानबूझ कर के उस जगह को "ईदगाह मैदान" प्रचारित किया गया, जबकि हमने लगातार तीन साल से प्रदेश की सरकार, मुस्लिम नेता यहां तक के जिला प्रशासन को यह आग्रह किया कि बी० जे० पी० बिल्कुल वहां तिरंगा झंडा फहराने का इरादा नहीं रखती है। सरकार को प्रतिनिधि, प्रशासन का प्रतिनिधि, कोई भी वहां पर तिरंगा झंडा फहरा दे, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम उस मैदान को लेकर के कोई राजनीति नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रदेश की सरकार ने पूरी तरह से केन्द्र को गुमराह किया, इस देश के मीडिया को गुमराह किया और अंत में स्थिति यह बनी कि हमारे राज्य सभा के नेता को बंगलौर हवाई अड्डे पर ही गलत तरीके से गैर कानूनी तरीके से असंवैधानिक तरीके से और अवैध तरीके से बंगलौर के हवाई अड्डे पर सीढ़ियां उतरते ही कहा कि यू० आर० अंडर अरेस्ट मुझे हुबली में प्रवेश न करने दिया जाए, इसके लिए पूरा हुबली इस प्रकार से बना दिया गया जैसे मान लो पुलिस का जाल बिछा दिया गया हो और जब 15 अगस्त को 6.40 बजे बहादुर नौजवानों ने वहां पर तिरंगा झंडा फहराया है, उसके बाद यह तय हुआ कि जगह-जगह पर जो भीड़ इकट्ठी है, उसको वापिस जाने के लिए कहा जाए। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, देशपांडे नगर में जो भीड़ मौजूद थी, उसको मैं वापिस जाने के लिए कहने गई थी कि आप लोग वापिस जाइए, विजयोत्सव मनाइए, तिरंगा झंडा फहरा दिया गया है, लेकिन मुझे वहां पर नहीं जाने दिया गया। उसके पहले कि मैं भीड़ के सामने पहुंचती, कुछ सेकेंड्स का मामला था कि पुलिस बेरीकेट के पास मुझे पकड़ लिया गया। ...**(व्यवधान)** मैंने बार-बार यह आग्रह किया कि मुझे वहां पर जाने दिया जाए, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया।....**(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने माननीय लोकनाथ जी की बात शांतिपूर्वक सुनी है, वे सीनियर मेंबर हैं, कम से कम उन्हें तो यह याद रखना चाहिए, उनको तो हमें मैनर्स सिखाने चाहिए कि पार्लियामेंट में कैसे बिहेव किया जाता है, जब वे बोल रहे थे तो मैंने उनको एक बार भी नहीं टोका, तो क्या उनका यह कर्त्तव्य बनता है कि जब मैं बोलू तो वे मुझे न बोलने दें।

मैंने निवेदन किया कि मुझे भीड़ के सामने एक सेकेंड के लिए जाने दिया जाए, लेकिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और भीड़ के सामने सूचना दे दी गई कि उमा भारती गिरफ्तार हो गई है, 6.40 बजे तिरंगा झंडा फहरा दिया गया है, अब आप लोग वापिस जाइए। जब भीड़ को यह खबर लगी तो 1500-2000 लोग जो वहां जमा थे, वे जाने लगे, पीछे जो 40-50 लोग बचे हुए थे, अचानक, बिना किसी कारण के और यह झूठी बात जो देश में प्रचारित की जा रही है कि भीड़ हिंसक हो गई, पथराव हुआ, यह बिल्कुल असत्य बात है, एक कंकड़ तक नहीं मारा गया, एक गाली तक नहीं दी गई और बेकुसूर लोगों को, कोई घर के आंगन में खाना खाकर हाथ धोने के लिए बाहर आ रहा है, उसको गोली से उड़ा दिया गया, एक पुजारी मंदिर से पूजा समाप्त कर के अपने घर को जा रहा था, उसको गली में गोली से उड़ा दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोली चलाने के सिर्फ दो कारण थे, पहला कारण तो यह कुंठा थी कि पूरे प्रतिबंधों के बाद भी हम शहर में प्रवेश कर गए और दूसरी यह कुंठा थी कि पूरे प्रतिबंधों के बाद भी तिरंगा झंडा 6.40 बजे फहरा दिया गया और इसी कुंठा का परिणाम था कि यह खींझ मिटाने के लिए और पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए कि इसकी तरफ ध्यान न जा पाए कि तिरंगा झंडा फहराया गया, ध्यान इसकी तरफ जाए कि गोलियां चल गई और लोग मरे और बी० जे० पी० ने सांप्रदायिकता पैदा कर दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और तथ्य से इस सदन को अवगत कराना चाहती हूं जब वो पांचों लाशें हुबली में रखी हुई थी, उस समय जनता दल और कांग्रेस के लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं की भीड़ में घुस कर के यह अफवाह फैलाने का प्रयास किया कि इन लाशों का ईदगाह के मैदान में, ईदगाह के सामने दाह संस्कार किया जाए। वह तो बी० जे० पी० और संघ के लोगों की यह खूबी रही कि उन लोगों ने उन मृतकों के परिवारों से संपर्क किया और परिवार के लोगों को कहा कि आप आग्रह करिए कि हम अपने परिजनों का संस्कार वहां करेंगे, जहां पर हम चाहेंगे। केन्द्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने यह पूरी कोशिश की कि इस मामले को लेकर के दंगा हो और यह हिन्दू-मुस्लिम दंगा बने, यह हिंदू मुस्लिम मामला बने, लेकिन यह मामला हिंदू-मुस्लिम नहीं बन पाया, क्योंकि शहीद होने वालों में भाजपा का एक कार्यकर्त्ता अकबर अली बिल्लारी का भी रहने वाला है, इसलिए वह मामला सांप्रदायिक नहीं बन पाया। एक तरफ तो हैदराबाद शहर में 15 जगहों पर 14 अगस्त को पाकिस्तान के झंडे फहराए गए।...**(व्यवधान)** लाल चौक के मैदान में 14 अगस्त को पाकिस्तान के झंडे फहराए गए। ....**(व्यवधान)** .....**

ये बताएं की हैदराबाद में 14 अगस्त को 15 स्थानों पर क्यों पाकिस्तान का झंडा फहराया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : इसको हटा दीजिए, मुझे रिकार्ड में नही लाना है। यहां पर जो लोगों की चेतना सो गई है और जो राष्ट्रवाद की राख ठंडी पड़ गई है उसे जगाना है। काश्मीर की घाटी में 14 अगस्त को पाकिस्तान के झंडे क्यों फहराए गए ? काश्मीर की घाटी में हिंदुस्तान का झंडा जलाना और संविधान की प्रतियां जलाना और पाकिस्तान का झंडा फहरानेवालों को मुख्य मंत्री बनाने की तैयारी की जा रही है और साथ में उनको वी आई पी ट्रीटमेंट मिल रहा है जबकि हुबली में तिरंगा झंडा फहराने वालों पर गोलिया चल रही है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चन्द्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्वर्ग में टेलीविजन की न्यूज सुनी होगी कि तिरंगा नहीं फहराने दिया गया और पांच व्यक्तियों की लाशें बिछाई गई, तो धिक्कारा होगा। में आपके माध्यम से आग्रह करना चाहती हूं कि इसकी वास्तविकता को समझिए और सरकार इस पर वक्तव्य दे कि बेकसूर लोगों को क्यों मारा गया, पांच लाशें क्यों बिछाई गई ? देशपांडे नगर वहां से दो किलोमीटर की दूरी पर है तो क्या रिमोट कंट्रोल से झंडा फहराया जाता ? इस सदन को गुमराह किया गया। मुगलों से और ब्रिटिशर्स से हमें गुलामी नहीं मिली। ये ऐसे लोग है जिनकी बदौलत मुगलकाल में गुलामी करने में सफलता पाई और जिनकी बदौलत ब्रिटिशर्स ने गुलामी करने में सफलता पाई। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, अभी-अभी उनका भाषण सुनकर हम इस बात से संतुष्ट हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी वह कार्यक्रम क्यों शुरू किया था। लोगों को एकजुट करने और राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष करने के बजाय हमारे राष्ट्रीय जीवन के अतिमहत्वपूर्ण दिन अर्थात स्वतंत्रता दिवस का साम्प्रदायिक आधार पर लोगों को बांटने का उद्देश्य ही बहुत अशिष्ट उद्देश्य था।

महोदय, हमें यह नहीं बताया गया है कि राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए यह मैदान विशेष ही क्यों चुना गया था। यह भी एक विवाद है कि क्या कोई विवाद है या नहीं। अतः बहुत से क्षेत्र हैं। वहां कोई कठिनाई नहीं है। किसी को इस मुद्दे को प्रतिष्ठा का मुद्दा क्यों बनाना चाहिए कि उन्हें उसी समय विशेष पर राष्ट्रीय झंडा फहराना चाहिए ? मैं अपने राष्ट्रीय झंडे के प्रति अपनी वफादारी, श्रद्धा व्यक्त करने अपने राष्ट्रीय झंडे के भाव को बनाए रखने के लिए हमारी प्रतिबद्धता के लिए किसी के आगे झुकता नहीं हूं, केवल राष्ट्रीय झंडे के प्रति ही नहीं बल्कि यह हमें जो भी संदेश देता है अर्थात् हमारे देश का लोकाचार, धर्मनिर्पेक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, राष्ट्रीय प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय एकता। मैं किसी के आगे झुकता नहीं हूं। यह किसी का भी एकाधिकार नहीं है। अतः केवल यह कहना कि वे राष्ट्रीय झंडा फहराना चाहते हैं इसलिए वे बहुत ही ज्यादा देश भक्त बन गए हैं स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसका पूर्ण उद्देश्य हमारे देश के एक पावन दिन अर्थात स्वतंत्रता दिवस को साम्प्रदायिक विभेद उत्पन्न करने की कोशिश करना और उत्पन्न करना और साम्प्रदायिक आवेश उत्पन्न करके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करना था।

महोदय, हमें खेद है कि कुछ बेकसूर लोग मारे गए। इस संबंध में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से सरकार को कहना चाहता हूं कि वहां पर चाहे जो भी सरकार हो वह किसी भी समय प्रसन्न नहीं होगी। उसने वास्तव में स्वतंत्रता दिवस को साम्प्रदायिक आधार पर धार्मिक आधार पर समय को बांटने के राजनीति से प्रेरित कार्रवाई को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया है।

महोदय, आमतौर पर यह मामला इस सभा में नहीं उठाया जाना चाहिए था क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। लेकिन धर्मनिर्पेक्षता के प्रति इस सभा के सदेश को रोका नहीं जा सकता है और हम चाहते हैं। कि यहां से वह संदेश जाए। इसीलिए मैं भी इसमें भाग ले रहा हूं।

अतः मेरा विश्वास है कि इस सभा को, इस राष्ट्र को जानना चाहिए कि लोगों को बांटने की कोशिश कौन कर रहा है, इस देश में साम्प्रदायिकता का जहर फैलने की कोशिश कौन कर रहा है और हम इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं और हम हमारे देश के एक अति महत्वपूर्ण दिन, इस तरह की घटना जो साम्प्रदायिक समस्या उत्पन्न करने के अलावा और कुछ नहीं है। की गई कार्रवाई का समर्थन भी नहीं कर सकते हैं।

अतः महोदय जहां मैं एक ओर मारे गए लोगों में प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं वहीं दूसरी ओर इसके लिए जिम्मेदार लोगों के साथ उचित ढंग से निपटा जाना चाहिए और देश को उन्हें भूलाकर इतिहास के गर्त में डाल देना चाहिए।

1.00 म० सं०

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्षजी जो हुबली में घटना हुई है, वह बहुत अफसोसनाक है। हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस तरह की घटना होना, मैं माननीय अटलजी की बात से सहमत हूं और उनके साथ अपनी बात शेयर करता हूं, अफसोसजनक बात है। यह जो ईदगाह का इलाका है, यह एक विवादित जगह है। पिछले तीन-चार सालों से तो और भी उलझा हुआ मामला है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अदालत की राय में यह एक विवादित इलाका है। जब वहां जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय हेगड़े साहब मुख्य मंत्री थे, चन्द्र शेखरजी यहां हैं, यह मामला उस समय भी आया था, लेकिन सरकार ने दोनों पक्षों को बुलाकर और समझाकर इस रास्ते को टालने का काम किया था। जो लोग गोली से मारे गये, वह एक निन्दनीय और खराब बात है। दूसरे तरीके से भी इनको टैकल किया जा सकता था। जैसे पानी की धार छोड़कर, रबर की बुलेट्स चलाकर, लाठी चार्ज करके भी इनको नियंत्रित किया जा सकता था। मैं अपने इन मित्रों से कहना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में इन्होंने इस पर कुछ नहीं किया, अब जब देखा कि चुनाव में सिर्फ कुछ महीने रह गये हैं तो ये लोग श्री सिकन्दर बख्त से लेकर माननीया सदस्या जो अभी भाषण कर रही थी, इन्होंने पूरी ताकत के साथ इस दिन को चुना। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र दूरबीन और खुर्दबीन लेकर इस तरह के मामले ढूंढ़ रहे हैं जहां दो साम्प्रदायों में विवाद हो या कोई विवादित इलाका हो। इस देश में बहुत सी जगहों पर विवाद है, लेकिन इससे यह साफ हो जाता है कि ये लोग ऐसी ही जगहें ढूंढते रहते हैं। गुलामी के बहुत बड़े दौर के बाद हमने यह राष्ट्रीय ध्वज पाया है और हम आजाद हुए हैं।

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : जहां-जहां देशद्रोही लोग हैं....**(व्यवधान)**

श्री शरद यादव : देशद्रोही लोगों को पैदा करने की भी संस्कृति होती है। हजारों साल से देशद्रोहियों की बात हो रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है। आज भ्रष्टाचार देश में एक अहम मुद्दा है। पूरे देश में यह छाया हुआ है, सरकार कई घोटालों में फंसी हुई हैं। चीनी घोटाला है, स्क्रेम का मामला है, इसके अलावा देश में गुरबत का सवाल है, पूरे देश में 30-32 प्रतिशत लोग गरीबी

की रेखा से नीचे हैं, इन सब सवालों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के मित्र कर्नाटक में विवादित ईदगाह के मैदान में झण्डा फहराने गये, जबकि तीन साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया वह इसलिए कि वहां अब शीघ्र ही चुनाव होने हैं।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : तीन साल से हो रहा है।

श्री शरद यादव : इस बार गाजे-बाजे के साथ किया कि जरूर झगड़ा हो। सरकार ने गोली चलाई, बेकसूर लोग मारे गये, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। लेकिन उन लोगों को प्रबोक करके हमारे इन मित्रों ने अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए उनको झगड़े में कूदने का काम किया और बाद में बड़ी बहादुरी के साथ बताया कि हमने झण्डा फहरा दिया। हमारे हजारों फौजियों ने अपनी कुर्बानियां दी और आज भी वे लोग कश्मीर में देश की सुरक्षा के लिए कुर्बानियां दे रही हैं, और हमारी बहनें, मां और बेटियां विधवा हो रही है। ये लोग तो वहां से चुपचाप खिसक गये और गोली उन गरीब लोगों को लगी। मैं आपसे इसलिये नहीं कह रहा हूं। मैं कई आन्दोलनों में रहा हूं। मेरे दोनों पैर टूटे हुये हैं। मैं साढ़े चार साल जेलों में रहा हूं। कभी लाठी-चार्ज हुआ तो भागे नहीं, गोली चली तो उसका सामना किया और मैं अपने कंधे दिखा सकता हूं कि किस प्रकार मेरे बाजू में से गोली निकलकर गयी हैं। लेकिन आप लोग तो गरीब लोगों को मरवाकर भाग गये। देश में तो कितनी डिस्पूटिड जगह हैं, आप हिन्दू-मुसलमानों में ऐसा वातावरण बनाने का काम बंद करें। देश में और जगह झंडा फहरा लो। कौन सी जगह बची है जहां पर झंडा फहराने नहीं दिया जायेगा? आप संकल्प लें कि झंडे को बरकरार रखेंगे और एक-एक इंच धरती पर फहरायेंगे लेकिन आप यह काम मत करे। कहीं इस देश में ऐसा काम न हो जाये कि झंडा फहराते-फहराते हमारा झंडा भी कमजोर हो जाये और हमारा देश टूटता नज़र आये। हमारे देश के ये 14 करोड़ लोग हैं।...**(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : **(व्यवधान)** ...**

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।....**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : क्या वही एक मात्र दल है? इसकी कोई सीमा है, बी० जे० पी० ने एक राजनीतिक निर्णय लिया है। अयोध्या के बाद उन्होंने दुबली में यह करने का निर्णय लिया है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि उन्हें क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया वही वे हुबली में करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, वे 14 करोड़ लोग हमारे देश के ही हैं और उन्हीं में से बादशाह खान भी थे। आज वे हमारे बीच में तो नहीं लेकिन हम आजादी का जो झंडा फहरा रहे हैं, जब हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो वे भी उन करोड़ों में से एक थे। आप उनको भूलने का काम मत करो। ...**(व्यवधान)** .. मैं यकीनन कह सकता हूं यदि आप मुझे सुनेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। मैं शुरू

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

से इस देश के हित की बात करता रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी आयी तो मैं आपको याद कराना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने दो तीन लोगों के जन्मदिवस मनाने की बात कही हैं पर मुझे तकलीफ है कि बादशाह खां का नाम वह भूल गए। बादशाह खां हिन्दुस्तान में महात्मा जी के बहुत करीब थे और आजादी को जितना हम सब लोगों ने तिरंगा लगाकर मनाया है, उतना पाकिस्तान में बादशाह खां ने, और वह भी चौदह करोड़ लोगों में से थे। अशफाक उल्ला चौदह करोड़ लोगों में से थे। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो, मैं सबके हक में बात कह रहा हूं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि किसी आदमी को यह हक हो कि वह राष्ट्रीय झंडे को फहराने से रोके। कोई आदमी किसी भी मजहब का हो, यकीनी तौर पर वह अगर रोक रहा है तो हम लोगों ने कुर्बानी की है। निश्चित रूप से ये लोग आजादी की लड़ाई के दौर की बात कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई के दौर में किसकी कुर्बानी का कितना हिस्सा है, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। आजादी की लड़ाई में बहुत लोगों ने कुर्बानियां दीं और वह सब हमारे पुरखे थे, लेकिन आज जिस आजादी की लड़ाई की बात आप कर रहे हैं और जितना गौरव अनुभव करके आप बताना चाहते हैं कि हम लोग उनके वारिस हैं जो 1942 की लड़ाई में थे- आचार्य नरेन्द्र देव, डा० राम मनोहर लोहिया, श्री जयप्रकाश नारायण, लेकिन हम बखान नहीं करते। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहना चाहता हूं और अपील करके कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान गरीबी, लाचारी से बेबस है और विदेशियों के हाथ हिन्दुस्तान बेचा जा रहा है। सारा देश पूरी तरह से 47 वर्ष बाद भी बेकारी और भूख से डूब रहा है और चोरियों और घोटालों में ये लोग मौज कर रहे हैं आप लोग दोनों मिलकर हिन्दुस्तान को बांटने का काम मत करो। जनता को चुनाव के लिए बांटने का काम मत करो। आप दूरबीन लेकर ढूंढते हो कि डिसप्यूट कहा है। आप तिरंगा नहीं फहराना चाहते हैं, यह सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आप तिरंगे का प्रयोग करना चाहते हैं। यह खराब बात है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और जो घटना वहां हुई है उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जिस तरह से गोली चलाने का काम किया है वह नहीं होना चाहिए था। बहुत लोग बीमार हो सकते हैं, लेकिन वह इन्सान हैं, उन्हें सुधारने का हक है। जिस तरह से आपने वहां पांच-छह लोगों को मारने का काम किया है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। उस भीड़ पर आप पानी छोड़कर नियंत्रण कर सकते थे। यहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रैली की थी तो आपने उनको कंट्रोल किया था। एक आदमी मरा था। आपने सावधानी क्यों नहीं बरती ? आपने जान-बूझकर यह काम होने दिया जिससे मुसलमान आपको वोट दें। इस बदनीयत से आपने ये गोली चलवाई और आपने हिन्दू और मुसलमान का यह जलसा निकालने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि इस काम को आपको बंद करना चाहिए। यह गोली चलाने का काम आपने ठीक नहीं किया है। यह विषय ऐसा है जिस पर ये मुझे छोड़ दें तो मैं चुप नहीं रह सकता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि दो महीने बाद वहां चुनाव होने वाला है, यह घटना राजनैतिक लाभ के लिए हुई है और इसलिए हमें आत्मचिन्तन करना चाहिए कि चुनाव के लिए नर-हत्या कराकर हम हिन्दुस्तान में चुनाव लड़ने का काम करें यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) महोदय, लोग सबसे अच्छा फैसले करने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। ...**(व्यवधान)**.....

[हिन्दी]

श्री असलम शेर खां (बेतुला) : अध्यक्ष महोदय, इस वाकये के ऊपर मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। हुबली में तिरंगा झंडा फहराने का मामला 15 अगस्त का था। उसमें मैं समझता हूं कि कोई बुराई नहीं थी। जो लोग मरे, जिनकी जानें गई, मेरी उनके साथ सिम्पैथी है। उस केस के ऊपर कर्नाटक सरकार ने ज्यूडीशियरी इनक्वायरी भी बैठा दी है। तथ्य भी सामने आ जायेंगे, लेकिन जो आज यहां बहस हो रही थी, इसके अंदर एक चीज साफ नज़र आ रही है। मुसलमानों को इस देश के अंदर एक ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं और कई पार्टियां उनको अपनी सरकार बनाने में, सत्ता हथियाने में प्रयोग कर रही हैं। मुसलमानों को इस देश पर, प्रजातंत्र पर, डैमोक्रेसी पर और भारत के संविधान पर हमेशा से भरोसा रहा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में, जब देश ने तरक्की की, इंदिरा जी पर उनका विश्वास बना, राजीव जी पर भी उनका विश्वास था लेकिन आज जिस तरह से साजिश हो रही है, मुझे याद है, मैं यहां कोट नहीं करना चाहता लेकिन मैं अटल जी का सम्मान करता हूं, अटल जी की सोच यह है कि देश के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये, सबको मौके मिलने चाहिये लेकिन उनकी बेबसी को भी मैं जानता हूं क्योंकि बी जे पी ने जो लाईन ली थी, उसके कारण मुसलमानों ने उसे वोट नहीं दिया जिसके कारण उनकी पार्टी कुछ जगह पावर में नहीं आ पायी। बी जे पी ने जो कट्टरपंथी राजनीति इस देश में शुरू की, यह उसी का परिणाम है। मैं इस मौके पर शहाबुद्दीन साहब का नाम भी लेना चाहूंगा क्योंकि उनकी वजह से भी आज देश में ऐसे हालात पैदा हुये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री शहाबुद्दीन को बोलने के लिए बुला रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री असलम शेर खां : बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी उन्होंने ही बनायी। इस देश में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाने वाले दो लोग ही थे ......**(व्यवधान)** लेकिन बाबरी मस्जिद बचाओ एक्शन कमेटी तो आपने बनायी थी। हमारी सरकार जो कुछ करती है वह सबके सामने है। इस मुल्क में हमारा सबसे बड़ा घाटा राजीव गांधी की हत्या के रूप में हुआ। न हमारा बंटवारा होता और न हिन्दू मुसलमानों की कोई बात सामने आती।

मैं इस मुल्क के लोगों का बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि जब मैं क्वालालम्पुर में पाकिस्तान के खिलाफ गोल करके और भारत को विजय का गौरव दिलाकर वापस यहां आया तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिन्दुस्तान की जनता में मुझे सराहा। आज भी जब कहीं दंगे होते हैं तो जिस स्थान पर मुसलमान ज्यादा होते हैं वे अपने हिन्दू भाईयों की मदद को आते हैं और जहां हिन्दू ज्यादा रहते हैं, वे अपने मुसलमान भाईयों की मदद को आते हैं लेकिन आज उसे भी तोड़ने की कोशिश हो रही है।

मैं यहां आपसे इतनी विनती करना चाहता हूं कि अब इसे छोड़ा जाये, मुसलमानों को क्यों आप गंदा बना रहे हैं। आपने एक ईश्यू बना लिया है और जहां भी आपको चांस मिलता है, आप उनके खिलाफ उसका प्रयोग करने लग जाते हैं। ये आप लोगों के आपसी झगड़े हैं, आपके सत्ता में आने के रास्ते हैं लेकिन इसमें आप क्यों हिन्दू-मुस्लिम रंग देकर कम्युनल तनाव पैदा करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि हुबली

में मुसलमानों को वहां की हालात पर कोई एतराज होगा। वहां के मुसलमानों को उससे कुछ लेना-देना नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी ये सब झगड़े हो रहे हैं।

मेरी आपसे अपील है कि वोट की राजनीति के लिये मुसलमानों को टारगेट न बनाया जाये। आज चूंकि मुसलमान काफी जागरूक हो गये हैं, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद उनका बहुत कुछ अकीदा टूटा है। वे बहुत कमजोर हो गये हैं। यदि इस रास्ते पर हम मुल्क को ले जायेंगे तो बम्बई जैसे कांडों से नहीं बचा जा सकता और सारा देश बड़ी मुश्किल में पड़ जायेगा।

मैं इस मौके पर अपील करना चाहता हूं कि आज मुल्क इस पोजीशन में है, मुल्क ऐसी जगह पर है कि जब हमें यहां रोजी और रोटी की बात करना चाहिये। ईश्यूज को अब चेंज करना चाहिये। सभी पार्टियां बराबरी पर खड़ी हैं। कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी से ऊपर नहीं है। मैं समझता हूं कि बस अब इन बातों को समाप्त करना चाहिये ताकि हम अपने मुल्क की धरोहर को बनाये रखें और मुल्क की एकता और भाईचारे को बरकरार रखा जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : जनाब स्पीकर साहब, इन बेचारे कांग्रेसियों की मजबूरी है कि जब ये बी जे पी की तकवीद करते हैं तो बीच में शहाबुद्दीन को लाना जरूरी समझते हैं।

जनाबे सदर, आजाद हिन्दुस्तान में शहरी और बच्चे सरकार की गोलियों का शिकार हों, इससे बढ़कर बदनसीबी नहीं हो सकती। और हम सब उसकी खुले दिल से मजम्मत करते हैं।

मैंने अखबारात में जो हालात पढ़े हैं उनसे मेरा कतअन यह अंदाजा है कि जो भी हुबली शहर में था उसके बगैर इंसानी जान का खून बहाए हुए आसानी से निपटाया जा सकता था। हम सब वाकई इस बात पर तो एक हद तक राजी है कि जुडीशियल इन्क्वायरी हो रही है, लेकिन जुडीशियल इन्क्वायरी से वे जो जानें चली गई हैं, वे वापस नहीं आ सकती हैं। हम सरकार से इस मौके पर कहना चाहते हैं कि सरकार को पुलिस को अपनी फायर पावर के इस्तेमाल में सब्र और जब्त से काम लेना चाहिए। यह समझना चाहिए कि जो हमारे सामने खड़ा है वह हमारा शहरी है, हमारा भाई है। हमारा दुश्मन नहीं है। गोलियां इस बेदर्दी से नहीं चलानी चाहिए। मैं उसकी मजम्मत करता हूं।

मैं एक बात कहना चाहता हूं, जनाबे स्पीकर साहब, हुब्बुल वतनी और कौम परस्ती किसी का इजारा नहीं है। किसी एक फिरके का इजारा नहीं है, किसी पार्टी का इजारा नहीं है, किसी कौम का इजारा नहीं है, अगर किसी को मुसलमानों की कौम-परस्ती और हुब्बुल वतनी पर शक है, तो मैं उसकी मजम्मत करता हूं और मैं उसके बारे में किसी किस्म की कोई गवाही पेश नहीं करना चाहता हूं। मैं किसी की दुहाई नहीं देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि दो-चार गद्दार हर कौम में होंगे। अब जहां तक आम शहरी का सवाल है चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या किसी मजहब का हो, उसको यह देश वैसा ही प्यारा है जैसा किसी दूसरे को हो सकता है।

मैं अपने बुजुर्ग वाजपेयी जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जो मकामी मसला था उसको आपने कौमी मसला क्यों बना दिया? सिर्फ मेरा एक सवाल है कि क्या जरूरत थी उसके लिए सिकन्दर बख्त साहब और उमा भारती साहिबा दिल्ली से वहां तशरीफ ले जाएं? क्या उसके लिए कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की कयादत है, कर्नाटक के हुबली शहर के जो शहरी हैं, क्यो वे इस झगड़े को निपटाने के लिए काफी नहीं थे? इसलिए इसके पीछे कोई साजिश थी और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं

कि अगर यह मामला अदालत के सामने था और अदालत ने यह कहा था कि स्टेटसको मैनटेन किया जाए, तो कौम के नाम पर अदालत से दर्ख्वास्त की जा सकती थी कि शासन से कहा जाए कि 15 अगस्त को वहां झंडा लहराया जाए। अगर अदालत इजाजत दे देती, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। मगर आप कानून नहीं मानते हैं। आप कानून का सहारा लेने की बजाय, ताकत का इस्तेमाल करते हैं और एजीटेशन चलाते हैं। लोगों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। लोगों को बहकाते हैं। मैं आपकी इस गलत नीति की मजम्मत करता हूं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सियासत में अगर हर छोटे-छोटे मसले को हम निजी सवाल बना लेंगे और इज्जत का सवाल बना लेंगे, जैसा मेरे भाई शरद यादव ने कहा कि दूरबीन से हिन्दुस्तान की जमीन को खोजेंगे कि कहीं पर हमें कोई मसाला मिल जाए, ताकि हम उसकी बारूद भरकर देश में आग लगा सकें, तो यह देश की मोहब्बत का सुबूत नहीं है। यह देश के साथ एक तरह से गद्दारी हैं। ...**(व्यवधान)**

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गद्दार शब्द का प्रयोग किया है, जो असंसदीय है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे कार्यवाही में से निकाल दिया जाए।...**(व्यवधान)**

श्री सैयद शहाबुद्दीन : दोस्तों, जनाबे स्पीकर साहेब, मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं अयोध्या में जो इन्होंने किया, वह दुनिया के सामने है, लेकिन अयोध्या के बाद हम इसकी इजाजत नहीं देंगे कि जुनूबी हिन्दुस्तान में दूसरी अयोध्या खड़ी करें और कश्मीर का नाम लेकर गलत रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। कश्मीर में लोग हैं, जो गलत रास्ते पर हैं। हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। हम मिलकर के कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर का जवाब हम हुबली में नहीं देंगे। कश्मीर का जवाब हम हिन्दुस्तान के मुसलमान और हिन्दुस्तान की जनता देगी।

अन्त में मै एक तरफ गोलियों की मजम्मत करता हूं और दूसरी तरफ उस सियासत की, उस साजिश की मजम्मत करता हूं जो कि हिन्दुस्तान को फिरकापरस्ती की आग में झुलसा देना चाहती है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, शहाबुद्दीन साहब ने अपना भाषण शुरू किया, तो मुझे लगा कि उनकी शैली भी कुछ असलम साहब जैसी होगी, लेकिन शायद असलम साहब ने जो कुछ उनके बारे में कहा था, उसके कारण थोड़े से डिरेल हो गए। असलम साहब ने यह कहा कि वे जब हाकी के कप्तान के नाते, जीत के आए थे, तो स्वागत करने में किसी ने यह नहीं देखा था कि किसी का क्या सम्प्रदाय है बल्कि कश्मीर से दक्षिण तक सारे हिन्दुस्तान में लोगों को गर्व हुआ कि हमारे हाकी के कैप्टेन, हाकी के नेता विजय प्राप्त कर के आए हैं। पता नहीं वे पाकिस्तान के साथ उस समय हुआ या नहीं, लेकिन हो सकता है कि उसका भी कुछ असर हो। मैं जानता हूं कि वे चाहें असलम साहब या अजरुद्दीन साहब हों, उसका सब पर कुछ असर होगा। हिन्दुस्तान के किसी नागरिक के मन में कभी यह विचार नहीं आता कि किसका मजहब क्या है। यह यहां की परम्परा है और हमको इस बात पर गर्व है। इसलिए मैं उनकी बात से सहमत हूं कि कोई सम्प्रदाय, कोई पार्टी या कोई व्यक्ति यह माने कि मेरी मोनोपली पेट्रियाटिजम क्या है, तो यह गलत होगा। हिन्दुस्तान इतना बड़ा देश है। अगर हम उसमें एक नेशन स्टेट बिल्ड अप करना चाहते हैं तो हरेक में राष्ट्र देशभक्ति पैदा करने की कोशिश करेंगे और यह भी मानेंगे कि सब सम्प्रदायों में देशभक्ति का अभाव भी होगा।

अध्यक्ष जी, बात यह है कि हुबली में जो कुछ हुआ, क्या वहां पर कोई विवाद है ? जो कि उसके बावजूद भी हुआ। एक तो मैं तथ्यों की बात कहना चाहता हूं कि वहां पर जो मैदान है, उसका थोड़ा सा जिक्र उमा जी ने किया था। लेकिन उसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसमें कोई कोर्ट का विवाद नहीं है। वह म्युनिसिपेलिटी की जमीन हैं। 1921 में अंजुमन इस्लाम को वहां पर लाइसेंस दिये गये। 1962 में वहां के स्थानीय लोगों ने पब्लिक लिटिगेशन किया कि उसे यह लाइसेंस दिया जाये कि वह वहां पर काम्पलैक्स या दुकानें बनायें लेकिन वह इजाजत नहीं दी गयी।

अध्यक्ष जी, बैकग्राउंड का पता नहीं है कि उसको कितना नुकसान होता है। आप यह भी सोचें और खासकर सरकार के लोग सोचें कि यहां पर हम बी॰ जे॰ पी॰ की आलोचना करेंगे लेकिन दुनिया भर में भारत की कितनी आलोचना होती है। आप यह न भूलिये कि सरकार जब डिसइनफरमेशन फैलाती है तो उसके कारण देश बदनाम होता है। आज विदेशों में टेलीविजन स्टूडियों में यह कह दिया कि

[अनुवाद]

"एक मुस्लिम दरगाह पर भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का प्रयास किया गया"

[हिन्दी]

....**(व्यवधान)** पहली बात तो फैक्ट्स के बारे में है। फैक्ट यह है कि यह कोई विवाद का विषय नहीं है कि यह जमीन किसकी है। आपको शायद पता नहीं कि हाई कोर्ट ने 1992 में आर्डर दिया है

[अनुवाद]

कि दुकानों आगे से गिरा दिया जाय। लेकिन जहां तक उस भूमि के उपयोग का सबध है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कोई स्थगन नहीं दिया है। यदि स्वीकार्य हुई तो विशेष अनुमति याचिका पर विचार किया जाएगा।

एक मात्र स्थगन दुकानों को न गिराए जाने के संबंध में है। लेकिन जहां तक उस भूमि के इंस्तेमाल का संबंध है, कोई स्थगन नहीं था और न्यायालयों के सभी आदेश हुबली के हर एक नागरिक के पक्ष में थे और वे उस भूमि का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र थे।....**(व्यवधान)**..

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : आपने श्री सिकंदर बख्त जी और कुमारी उमा भारती जी को वहां क्यों भेजा ?

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस सवाल को 1994 में नहीं उठाया। आज जो तमाम बातें हुई, शरद जी ने भी कहा कि 1994 के चुनाव होने वाले हैं इसलिए अचानक आपको याद आया है। यह ही सही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से विगत 3 सालों से इस मामले को उठाया जाता रहा है और वह इस आधार पर कि वहां पर सारे साल टैक्सियां जाती हैं, सभायें होती हैं। लेकिन यह क्यों है ? किसकी तरफ से विरोध है कि वहां पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाएगा। जहां तक मुझे जानकारी है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बार भी मुसलमानों की तरफ से विरोध नहीं था।....**(व्यवधान)** महीना या 20 दिन पहले यहां से कुछ पत्रकार वहां गये थे। जिन्होंने कहा कि यहां

के शायद बड़े मुसलमान नेता है। उन्होंने कहा कि कोई भी करे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया कि यह चाहे चीफ मिनिस्टर करे, चाहे कलैक्टर करे, चाहे अंजुमन इस्लाम करे। आपको पता है कि सरकार की ओर से कहा गया कि हम अंजुमन इस्लाम को वहां पर तिरंगा झंडा नहीं फहराने देंगे।

मेरे पास यह बयान है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : क्या आप 1991, 1992 और 1993 में नहीं थे? आपने झंडा फहराने के लिए 1994 क्यों चुना?

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, वहां की सरकार की ओर से वहां के प्रवक्ता ने कहा कि हम वहां पर तिरंगा झंडा नहीं लहराने देंगे, यदि अंजुमन इस्लाम भी लहराना चाहें तो भी नहीं लहराने देंगे।

आज इस सदन में बहुत गरमागरमी इस आधार पर हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पोलिटिकल कैम्पेन किया, पोलिटिकल मूव किया। मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का आम नागरिक क्या सोचेगा जबकि वह देखता है कि कश्मीर घाटी में कई बार तिरंगा झंडा लहराया गया। इस सदन में कोई जोश नहीं आया, इस सदन में कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं हुई। यदि मेरे जैसा कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया प्रकट करता है तो कहा जाता है कि आप साम्प्रदायिक हैं। शहाबुद्दीन साहब कहते हैं कि आप सब लोगों को गद्दार मानते हैं इसलिए बात कहते हैं। सब लोगों को गद्दार कहने का कोई सवाल नहीं है, सबको साम्प्रदायिक कहने को कोई सवाल नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि 1947 के बाद से लेकर देश की जितनी समस्याएं हैं, उन सबके अलग-अलग कारण हैं। उसमें एक कारण यह भी है कि धीरे-धीरे देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का राष्ट्र निर्माण में कमी होना है।...**(व्यवधान)** मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं।

मैं श्री असलम शेर खां की बात से सहमत हूं। यह सवाल हिन्दु और मुसलमान का नहीं है, यह सवाल कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्जी का जरूर है। कांग्रेस पार्टी के मन में यह था कि हमको तो मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिए उनको दिखाना होगा कि हम यहां तक जा सकते हैं, गोली तक चला सकते हैं। यह जो वोट बैंक पौलिटिक्स है, इसके कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसलिए वाजपेयी जी का यह पूछना बहुत लाजमी है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : मुसलमान भी राजनीतिक रूप जागरूक हैं। वे जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इस बात में नहीं जा रहा हूं कि कर्नाटक में क्या होने जा रहा है। आपने अपने भाग्य को शीलबन्द कर दिया है। उनके दल ने बेकसूर लोगों पर अनावश्यक रूप से गोली चला कर अपना भाग्य शीलबन्द कर दिया है।

[हिन्दी]

कोर्ट का जजमैंट आया। तब से बी० जे० पी० को ये लोग कहते रहे हैं। हम हिन्दू और मुसलमान का सवाल नहीं मानते, हिन्दू और मुसलमान का सवाल नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए सिकन्दर बख्त जी से निवेदन किया कि आप वहां जाकर झंडा फहराइए। आप पर तो आपत्ति नहीं होगी, उमा जी पर किसी को आपत्ति होगी। लेकिन मैं मानता हूं कि उमा जी पर तो अंजुमन को भी आपत्ति नहीं होती। अंजुमन को सिकन्दर बख्त पर भी आपत्ति नहीं होती लेकिन कांग्रेस पार्टी को आपत्ति थी। सिकन्दर बख्त जी को बंगलौर में गिरफ्तार कर लिया और उमा जी को हुबली में गिरफ्तार किया।

श्री असलम शेर खां, शहाबुद्दीन जी जैसे लोग बी० जे० पी० को टारगेट बना रहे हैं। वोट बैंक पौलिटिक्स के सबसे बड़े प्रवर्तक कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, थोड़ा-बहुत साथ यहां से भी हो जाता है। लेकिन प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक पौलिटिक्स चलाई है। **(व्यवधान)**

श्री सैयद शहाबुद्दीन : आप हिन्दू वोट क्रिएट कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : लोगों को पता है कि हिन्दू को अपील करने के लिए जाति का नाम चाहिए, हरिजन का नाम चाहिए, ब्राह्मण का नाम चाहिए, राजपूत का नाम चाहिए। इसलिए लोगों को लगता है कि मुसलमान को अपील करने के लिए आप वोट बैंक पौलिटिक्स इस प्रकार से कीजिए। हुबली की घटना वोट बैंक की भ्रष्ट राजनीति का नतीजा है। आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। बहुत महंगी पड़ेगी आपको। लेकिन इसके कारण बेगुनाह लोग मारे गए, उसकी सब लोगों ने भर्त्सना की है। अच्छा होगा कि आप लोकनाथ जी के ऐडजर्नमैंट मोशन को अनुमति दे दें।

[अनुवाद]

स्थगन प्रस्ताव स्थिति से निपटने में सरकार की विफलता के संबंध में होता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपने स्पष्ट कर दिया है कि इसे स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, मुझे भी इस पर बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुने बगैर इस चर्चा को समाप्त नहीं करने जा रहा हूं। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली दखल के लिये इतिहास में बहुत खून बहा। पता नहीं कितना खून दिल्ली को दखल करने के लिये आगे बहने वाला है? जब अटल जी ने सवाल उठाया तो मुझे ऐसा लगा कि केवल हम लोग इस बात की चिन्ता कर रहे हैं कि गोली क्यों चली और मासूम लोगों की जान क्यों गई, लेकिन उसके बाद जो बातें कही गई, शायद आपने उन्हें ध्यान से सुना होगा। मैं अटल जी से निवेदन करूंगा कि वह उन पहलुओं पर जरा विचार करें। मामला कश्मीर और हुबली तक सीमित नहीं रहा। हिन्दुस्तान में कहा-कहां पाकिस्तानी झंडे फहराये गये, मुझे इनकी कोई खबर नहीं है लेकिन जब यह बात इस सदन में कही गई, मैं नहीं जानता सरकार के लोग इसका खंडन करना

जरूरी समझते हैं या नहीं लेकिन इससे क्या संदेश देश और दुनिया में जायेगा ? हम सदन में बोलते समय अगर थोड़ा इसका ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा।

अभी आडवाणी जी ने वोट बैंक की बात उठायी। कहां कौन वोट बैंक तैयार कर रहा है, यह हम नहीं जानते लेकिन वोट बैंक तैयार करना कोई बुरी बात नहीं है। वोट बैंक तैयार करने के लिये इंसानियत की हत्या कर देना खतरनाक बात होती है।

अध्यक्ष महोदय, यहां 2-3 सवाल है। आडवाणी जी ने यहां यह भी कहा कि अंजुमन-ए-इस्लाम के लोगों को कोई एतराज नहीं था। क्या सरकार ने सचमुच यह कहा कि हम किसी को झंडा फहराने नहीं देंगे ? अगर यह बात है तो इसकी सफाई सरकार को देनी चाहिये। तिरंगा झंडा कहीं पर फहराया जाये तो उसके लिये कोई रोक नहीं होनी चाहिये, बल्कि श्रद्धा के साथ उसे फहराया जाना चाहिये। अटल जी ने कहा कि पहली बार श्री मुरली मनोहर जोशी ने ही कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराया। शहाबुद्दीन जी ने कहा कि क्या जरूरत थी सिकन्दर साहब को वहां जाने की, अगर यह नहीं हुआ होता तो अखबारों में इतनी चर्चा नहीं होती, इतनी उत्तेजना नहीं फैलती।

बहुत सी बातें शरद जी ने कहीं। मैं बुनियादी तौर पर उनसे सहमत हूं लेकिन उनकी भाषा से सहमत नहीं हूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अटल जी जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उसमें जो भाषा बोली जा रही है, वह भाषा न राष्ट्रभक्ति की है और न ही देश हित में है। उस भाषा को अगर बदल दिया जाये तो विचारों का अन्तर तो रहेगा।

अभी किसी ने 14 करोड़ लोगों की बात की। 14 करोड़ की बचाना क्या पाप है ? ऐसी भाषा इस सदन में बोली जाती है। कोई अगर किसी वर्ग विशेष के संरक्षण की बात करे तो वह राष्ट्र प्रेमी नहीं है, राष्ट्रद्रोही है, यह मैं नहीं समझता। असलम जी ने अभी एक तकरीर की। मैं समझता था कि उसका कुछ असर लोगों के दिमाग पर होगा लेकिन शहाबुद्दीन जी की जुबान पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अगर उधर से उत्तेजना फैलाने की कोशिश हो और दूसरी तरफ से भी फैलाने की वही कोशिश हो तो देश टूट जायेगा, देश मर जायेगा। इन सवालों की जांच जरूर होनी चाहिये। क्या कर्नाटक की सरकार ने तिरंगा झंडा फहराने देने का कोई संकल्प कर लिया था ? अगर कर लिया था तो भारत सरकार को इसकी जानकारी थी या नहीं ? अगर जानकारी थी तो क्यों अंजुमन-ए-इस्लामी को या सरकारी अहलकार को वहां झंडाने की अनुमति दी गई ? इस बारे में आडवाणी जी ने जो बात कही, वह एक गम्भीर बात है। इसका जवाब गृह मंत्री जी को इस सदन के सामने जरूर देना चाहिये।

यह खबर भी फैलायी जा रही है कि पाकिस्तान के झंडे हिन्दुस्तान में जगह-जगह फहराये गये। इसके बारे में भी सरकार को कुछ अधिकारिक रूप से बयान देना चाहिये। आज जो कुछ इस सदन में उठा है, वह कल अखबारों में छपेगा। दुनिया भर की एजैंसियों से इसका प्रचार होगा। न केवल देश में उत्तेजना फैलेगी बल्कि देश की गरिमा के बारे में, राष्ट्र की शक्ति के बारे में, राष्ट्र की क्षमता के बारे में एक प्रश्नवाचक चिन्ह सारे देश में लगेगा। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर भाषा वहीं बोली जाये जो अटल जी बोले, असलम साहब बोले तो हम अपनी बात भी कह सकते हैं और देश को टूटने से भी बचा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त, 1994 को कर्नाटक के हुबली जिले में जो कुछ हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां पर सब कुछ शान्तिपूर्ण था। उस दिन

भी कर्नाटक के हर हिस्से में शान्ति थी। लोग देशभक्त हैं। उन्होंने संबंधित क्षेत्रों में आमतौर पर राष्ट्रीय झंडा फहराया। लेकिन बी० जे० पी० ने विशेषरूप से वहां जाने के लिए उस स्थान और दिन और वहां पर लोगों को भड़काने और उनकी भावनाओं से खेलने के लिए चुना उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मंच बनाना चाहा। यह एक राजनीतिक पैंतरा था क्योंकि एक या दो माह में वहां चुनाव होने जा रहे हैं। उन्होंने वहां पर ऐसी स्थिति, उत्पन्न करके और कर्नाटक के लोगों की भावनाओं से खेल करके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है।

महोदय, चाहे उमा भारती जी हों, या सिकन्दर बख्त जी हों, उनके अपने जिले हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र हैं और गांव हैं। लेकिन इन जिलों के बजाय उन्होंने हुबली में राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए जानबूझकर उस विशेष स्थान और दिन को चुना। हमेशा की तरह यहां पर शान्ति भी। वे हुबली में विभिन्न समुदायों के लोगों की भावनाओं को जगाने के लिए गए। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सर्तकता उपाय किये थे कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। वह लोग अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे हमें कुछ वर्ष पूर्व '6 दिसम्बर की घटना की याद ताजा हो जाती है जिससे देश अभी तक उभर नहीं पाया है। देश को उस खून-खराबे के आघात से उबरना है, उस समाज विरोधी तत्वों से उभरना है जो भड़का और जिसने सामान्य, शान्तिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक विध्वंश कर दिया अर्थात अयोध्या प्रकरण जिसे हम अभी तक भूल नहीं पाए हैं। यह अभी भी हमारे मस्तिष्क को बेचैन कर रहे है। इन लोगों ने कर्नाटक में हुबली में अयोध्या जैसी दूसरी घटना घटित करवाने की कोशिश की। यह चाल नहीं चलेगी।

हम यह देखेंगे कि ऐसी घटना फिर न हो। वे वहां पर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। उमा भारती जी को वहां जाने और उस विवादास्पद स्थल पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए किसने उकसाया। न्यायालय ने किसी को भी अनुमति नहीं दी थी। माननीय श्री आडवाणी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य कि इससे कर्नाटक सरकार का भाग्य सीलबन्द हो गया है उससे यह पता चलता है कि उन्हें कर्नाटक में राजनीतिक प्रचार करना है। मैं अयोध्या प्रकरण को कर्नाटक में ला रहे हैं। हम ऐसी कोई बात नहीं होने देंगे। अन्यथा हमारे लोग शान्त हैं उन्होंने राष्ट्रीय झंडा फहराया है राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र भक्ति किसी की विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की संपति नहीं है। यह उनका एकाधिकार नहीं है। यह देशभक्ति की भावनाएं प्रदर्शित करने का तरीका नहीं है क्योंकि बहुत से अन्य स्थान हैं और बहुत से अवसर थे। वहां फ्लैग फहराने से कुछ नहीं होता।

अतः यह बात समाप्त होनी चाहिए। उन्हें कर्नाटक में एक विशेष स्थिति और वोट बैंक बनाने के लिए इसे एक मंच नहीं बनाना चाहिए।

[हिन्दी]

यह चाल नहीं चलने देंगे। कर्नाटक के लोग कम्युनल हारमनी मेण्टेन करने में हमेशा सबसे आगे रहे हैं इसलिए उनकी आदत को आप बने रहने दीजिए। इनका अननेसेसरी इण्टरफियरेंस वहां नहीं होना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी शहाबुद्दीन साहब ने कहा है, इस विषय पर मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं और सिर्फ एक ही बात में अर्ज करना चाहता हूं कि झंडा फहराने का अधिकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को सब जगह हैं? क्या इस देश के जितने भी फील्ड हैं, मैदान हैं, सभी जगह झंडे फहराये जाते हैं?

[हिन्दी]

मैं यही सवाल उठाना चाहता हूं। उमा भारती झण्डा फहराने के लिए हुबली पहुंच गई। एस एस फ्लैट के बाहर का मैदान खाली था, वहां झण्डा फहराने की इनको याद नहीं आई।...**(व्यवधान)** इस देश में इतने मैदान हैं, हर शहर में मैदान हैं और मैं बचपन से देख रहा हूं, जब से हमने होश संभाला है। ....**(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जहां नहीं लहराया है, वहीं लहरायेंगे ....**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : मैं नहीं जानता हूं। मैं वाजपेयी जी को और आडवाणी जी को बहुत गम्भीरता से सुन रहा था। मैंने बचपन से देखा है, जब से होश संभाला है, तब से, इतने फिल्ड्स होते हैं, झण्डा या तो सार्वजनिक स्थानों पर फहराते हैं, जगहें मुकर्रिर हैं। कहीं पर मुख्य मंत्री फहराते हैं, कहीं पर प्रधान मंत्री फहराते हैं, कहीं पर राज्यपाल फहराते हैं, दफतरों में फहराते हैं, जिला अधिकारी फहराते हैं। मतलब कि जगहें मुकर्रिर हैं, संस्थाओं में प्रधान फहराते हैं, अपने-अपने घरों में फहराते हैं, अपनी भक्ति के हिसाब से और अपनी भावनाओं के हिसाब से। मैंने कभी नहीं देखा है कि हर शहर और हर गांव के मैदान में कोई फहराने जाता है। हमारे गांव में भी, जिस गांव में आप चले जाइए, हर गांव में सार्वजनिक जमीन को लेकर कोई-न-कोई विवाद है। हर गांव में जो चरागाह की जमीन है, उस पर किसी न किसी दबंग आदमी ने कब्जा कर लिया है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से और आडवाणी जी से पूछना चाहता हूं, पांच लाख गांवों में इस प्रकार के चरागाहों पर दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। क्या उन पांच लाख गावों में झण्डा फहराने के लिए जायेंगे, 15 अगस्त को? लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सवाल साफ है, एक खास जगह को चुनना ....**(व्यवधान)** इस प्रकार के स्थल को खास तौर से चुनना...**(व्यवधान)** अवैध कब्जों से मुक्त कराने का नायाब तरीका इन्होंने चुना है। हम तो इनसे आग्रह करेंगे कि उन चार-पांच गावों में जहां-जहां पर भी डिस्पयुट हैं, उन सभी जगहों पर ये झण्डा फहराने के लिए पहुंचते, तो इनकी नीयत और इनकी इन्टैशन कर कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन जान-बूझकर एक खास जगह को चुना गया, ताकि देश में कहीं-न-कहीं माहौल खराब हो। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की तलाश में है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच एक अन्दरूनी समझौता है। यह हम अयोध्या के जमाने से देख रहे हैं कि तुम मुद्दा खोजने की कोशिश करो, उसमें हम भी अपना लाभ लेंगे। इसलिए गोली चलाकर, इस सवाल को इस प्रकार से ऊंचाई पर ले जाना, हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, यह दोनों की मिली-भगत का परिचायक है। कर्नाटक में न कांग्रेस की स्थिति ठीक थी और न इनकी ठीक थी-दोनों ने मिलकर तय किया, हम और तुम आपस में भिड़ेंगे और इस देश को बांट कर राज करेंगे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हम आप से आग्रह करना चाहते हैं कि इस सवाल पर बाहर चर्चा हो रही है, इस लिए सदन का समय जाया न किया जाए। एक वाक्य का प्रस्ताव इस सदन से पास हो कि इस देश में हम लोगों से साम्प्रदायिक सदभाव बनाए रखने की अपील करते हैं। चाहे कोई भी सदभाव तोड़ने की कोशिश करे, हम किसी भी कीमत पर इस सदभाव को समाप्त नहीं होने देंगे। यह अपील आपकी तरफ से जानी चाहिए। इस प्रकार की बहस, चाहे वह पक्ष हो या चाहे यह पक्ष हो, को ज्यादा देर तक इजाजत नहीं दी जानी चाहिए-यही मेरा आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : अध्यक्ष महोदय, हुबली में जो कुछ हुआ है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। न्यायिक जांच करा

कर कर्नाटक सरकार पहले ही कार्यवाही कर चुकी है। मेरे विचार में जो भी व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मैं 70 वर्ष की हूं और जहां तक मेरी जानकारी है, यह विवाद पिछले 30 वर्ष से चल रहा है। मेरे विचार में हमारे मुसलमान भाई साल में दो बार वहां प्रार्थना करते थे। कभी-कभी कुछ छोटे बच्चे एक-दो पत्थर फेंक देते थे और उसके बाद शहर में शांति रहती थी। इसी प्रकार गणेश उत्सव के दौरान भी कुछ मुसलमान बच्चे एक-दो पत्थर फेंक देते थे और उसके बाद शहर में शांति रहती थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक विवादित स्थल है। अभी भी यह मामला न्यायालय में लंबित पड़ा है। मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी से यह पूछना चाहती हूं कि कुमारी उमा भारती ने हुबली में इतने पोस्टर क्यों लगवाए ? हर इंच पर पोस्टर लगे हैं और उनमें यह घोषणा की गई है कि कुमारी उमा भारती हुबली में राष्ट्रीय झंडा फहराएंगी। आप वहां क्यों गए थे ? क्या आपका यह कहना है कि हमारे कर्नाटक के लोग विवाद सुलझाने में सक्षम नहीं है ? हम इसके लिए सक्षम है **(व्यवधान)** यदि यह मामला उच्चतम न्यायालय में भी जाता है तब भी इसे स्थानीय व्यक्तियों द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। आप वहां क्यों गए थे ? आपको वहां क्या काम था ? मैं बेल्लारी से हूं। बाबरी मस्जिद के मामले के समय वहां मुस्लिम या हिन्दू समुदाय के कुत्ते भी आपस में नहीं लड़े। कर्नाटक का यही इतिहास रहा है कि हम शांति से रहे हैं और हम अपनी समस्याएं सुलझाने में सक्षम हैं। लेकिन आपने अनावश्यक ही हमारे लोगों को भड़काया है। आपने कुछ स्थानों को चुना और वहां आपने दिखा दिया कि आप सांप्रदायिक घृणा का जहर फैलाना चाहते हैं। इसके बाद ऐसा नहीं होगा। आपने यह सोचा कि ऐसा करके आप अपनी पहली कारगुज़ारी में सुधार कर रहे हैं। आप इस प्रकार के कार्य करके, एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध भड़का कर इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं।

मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आप ऐसे कार्यों में शामिल न हों। हर कोई राष्ट्रवादी हैं। यदि आपको राष्ट्रवाद में इतना विश्वास है तो आपको अपने घर में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए था। आप कर्नाटक में क्यों आए ? क्या कर्नाटक के लोगों ने आपको वहां जाने के लिए निमन्त्रण दिया था उन्होंने ऐसा नहीं किया था। आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आये और यह देखें कि क्या एक समुदाय का कुत्ता भी दूसरे समुदाय के कुत्ते से लड़ रहा है। इतिहास यही है कि हमें एक दूसरे पर विश्वास है, हम बहन भाई की तरह रहते हैं। कर्नाटक का यही इतिहास है। इसके बाद आप हमारे यहां आकर, यही का इतिहास मत बिगाड़िए। मुझे पता चला है कि आप कर्नाटक का दौरा करने वाले हैं। आप इस गलतफहमी में मत रहिए की कर्नाटक के लोग चालाक नहीं है, वे आपको वोट नहीं देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मुझे इनको एक्सप्लेशन देना पड़ेगा कि कर्नाटक के लोगों ने मुझे इनवाइट किया था....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : एक ओर आप देशभक्ति की बात करते हैं और दूसरी ओर आप अपनी कथनी के विपरीत कार्य कर रहे हैं। आप दो विपरीत बातें एक साथ नहीं कर सकते हैं। कोई भी अपने पाप को नहीं छुपा सकता है। बादल सूर्य को छुपा नहीं सकता है। देशभक्ति की आड़ में कोई इस कार्य को देश के लिए अच्छा नहीं बता सकता है। पूरा राष्ट्र देख रहा है कि क्या गलत है और क्या सही है। हर कोई इसे जानता है। कोई इसे छुपा नहीं सकता है। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जानता है कि इसके

पीछे कैसी भावना है। हर कोई जानता है कि वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पीछे क्या कारण है। इसका उद्देश्य हमारे देश की जनता को मुसलमान समुदाय के विरुद्ध भड़काना है। मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक चर्चा है। यह प्रश्न-उत्तर काल नहीं है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : बाबरी मस्जिद गिराने के बाद जांच की गई है और उसके निष्कर्ष हमारे सामने हैं। इसी प्रकार यदि ठीक प्रकार से जांच की जाती और न्यायिक जांच की जाती तो यह पता लग जाता कि कौन दोषी है और इसके पीछे क्या भावना है। राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर हम क्या पाना चाहते हैं।

महोदय, मैं सभा को एक बात बताना चाहता हूं। सरकार को समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तथा देशद्रोहियों को सजा देनी चाहिए। देशभक्ति की आड़ में वे क्या कर रहे हैं वे भारत का एक बार फिर विभाजन कराने का प्रयास कर रहे हैं। वे हमारी धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बात देश को अवश्य जाननी चाहिए। इस संबंध में हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहना चाहिए।

श्री ई० अहमद : अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त को हुबली में जो कुछ भी हुआ वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज एकता और अखंडता का प्रतीक है। विभिन्न समुदायों के बीच फूट डालने के लिए जिसने भी राष्ट्रीय ध्वज का दुरुपयोग किया है अथवा विभाजन के बीज बोने का प्रयास किया है उसने राष्ट्र का अहित किया है। हमारे देश में प्रत्येक भारतीय अथवा प्रत्येक मुसलमान व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज पर गर्व करता है और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज का गौरव बनाए रखना चाहता है। इस देश की स्वतंत्रता के लिए मुसलमानों ने भी अनेक बलिदान किए हैं। मुसलमान व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग हैं। भारत का अर्थ है प्रत्येक हिन्दू, मुसलमान, ईसाई तथा प्रत्येक व्यक्ति का भारत मैं नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र देशभक्ति पर एकाधिकार क्यों करना चाहते हैं जैसे यह उनकी बपौती हो। देशभक्ति पर लोगों का कोई वर्ग, राजनीतिक दल या किसी समुदाय का अधिकार नहीं हो सकता है। हुबली में जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे दुख है। जो भी व्यक्ति निर्दोष व्यक्तियों की हत्या के लिए उत्तरदायी हैं उन्हें आज या कल राष्ट्र के समक्ष इसका उत्तर देना होगा। सांप्रदायिक विनाश से हमें बहुत दुख हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ? वाराणसी में क्या हुआ ? कुछ हिंसाप्रिय व्यक्तियों ने निर्दोष व्यक्तियों को मार दिया। बंबई में क्या हुआ ? कैसे अनेक निर्दोष व्यक्ति मारे गए ? सूरत और मेरठ में क्या हुआ ? दुर्भाग्यवश यह सभी घटनाएं इसीलिए घटीं क्योंकि कुछ व्यक्ति माननीय मूल्यों का आदर नहीं करते हैं। उन्होंने ऐसा कतिपय राजनीतिक और संकीर्ण लाभों के लिए किया। इसलिए इस समय जाति, वंश आदि से ऊपर उठकर सोचने का समय है। हमारा कोई भी धर्म हो, राजनीतिक विचारधारा हो, हमें भारतीय बन कर रहना चाहिए और देश तथा देश की अखंडता का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात कहते हुए दुःख हो रहा है कि कुमारी उमा भारती वहां थीं। यह एक विवादित स्थल है। कुमारी उमा भारती इस अपराध में अपनी जिम्मेदारी को छिपाने का प्रयास कर रही थीं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मैंने यह नहीं कहा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, कृपया किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मत बोलिए। कृपया इस मुद्दे के बारे में ही बोलिए और अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ई॰ अहमद : मुझे खेद है। कुमारी उमा भारती ने इस सभा में कुछ कहा था। उन्होंने जो कुछ कहा था वह इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि यह एक विवादित स्थल है। उन्होंने यहां जो कुछ भी कहने का प्रयास किया, वह 15 अगस्त को हुए इस अपराध में अपनी जिम्मेवारी को छुपाने का प्रयास था। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सभा को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की निंदा करनी चाहिए। हमें राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा भारतीय के रूप में एक होकर करनी चाहिए।

2.00 म॰ प॰

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : इन्होंने मेरी बात को गलत तरीके से कोट किया है।.....**(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, 15 और 19 अगस्त को जिनकी जानें गई तो उनके पक्ष में समस्त सदन शोक प्रकट करता है। न्यायिक जांच की बात हो रही है तो तथ्यों में जाना अभी मुनासिब नहीं होगा। एक बात के लिए आडवाणी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बी॰ जे॰ पी॰ और कांग्रेस का झगड़ा है। इसी झगड़े में अयोध्या में ध्वंस हुआ और कांग्रेस ने शाहबानों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने का दुत्कार दिया और बाद में शिलान्यास करके दोनों साम्प्रदायवाद को बढ़ाने का प्रयास किया और बी.जे.पी. ने उससे प्रेरणा पाकर अयोध्या में ध्वंस किया। क्या ये ध्वंस फिर दुबारा दोनों मिलकर करना चाहते हैं या हमारे देश की एकता की लाश पर करना चाहते हैं ? इस बारे में इस सदन से और देश की ओर से भी जवाब मिलेगा। सांप्रदायवाद का इस्तेमाल कर एक बार हम 1947 का बंटवारा देख चुके हैं, फिर दुबारा नहीं होने देंगे। कई सदस्यों ने कहा कि काश्मीर में पकिस्तान का झंडा फहराया गया तो इस क्रिया से ऐसे लोगों को हम बल नहीं पहुंचाते हैं तो गुमराह होकर या बेईमानी से काम करते हैं। में समझता हूं कि हमारे बी. जे. पी. के मित्र इससे बरी नहीं हो सकते हैं। साम्प्रदायवाद के खिलाफ सदन से एक आवाज उठनी चाहिए। सांप्रदायवाद होने का दावा खुलकर कोई नहीं करता है भले ही क्रिया से करे। मैं समझता हूं कि सांप्रदायिकता को फैलाने का यह पहला संगीन प्रयास है। इसको विफल करना हम सभी का कर्तव्य है। श्री असलम शेर खां और श्री शहाबुद्दीन की बात से मैं सौ फीसदी सहमत हूं। श्री असलम शेर खां ने यह कहा कि यह घटना उस ओर नहीं जानी चाहिए जिन्होंने बंबई में देश के और इन्सानियत के खिलाफ किया। वह किसी के इलाज का मामला नहीं हुआ। कोई भी वातावरण हो तो वैसी घटना के लिए कोई आधार नहीं हो सकता है। इस सदन से सांप्रदायिकता के खिलाफ और जो हत्या हुई है उसकी निदा करते हुए एकमत से आवाज जानी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को 15 अगस्त, 1994 को हुबली में हुई घटनाओं की जानकारी है। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए स्थानीय प्रशासन को गोली चलानी पड़ी थी। गोली चलाने की इस घटना में पांच व्यक्तियों की जानें गईं, अन्य दस लोग गोली लगने से घायल हो गए और इनके अलावा अनेक पुलिस कार्मिक, जिन पर पथराव किया गया, को गंभीर चोटें आईं। अन्य बीस लोग **लाठी-चार्ज** तथा पथराव के कारण घायल हो गये थे। मुझे इसका दुख है क्योंकि जिन घटनाओं को लेकर गोली चलाई गई उनसे बचा जा सकता था और इसमें कोई बड़े मुद्दे भी शामिल नहीं थे, जिनसे इस प्रकार का टकराव उत्पन्न होता। मेरी सहानुभूति इस स्थिति के शिकार शोकसंतप्त परिवारों के साथ हैं।

15 अगस्त, 1994 को जो कुछ हुआ, उसके विस्तार में जाने से पहले मैं माननीय सदस्यों को इस विवाद के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, संक्षेप में बताना चाहूंगा। यह मामला पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा है और वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में इस पर मुकदमा चल रहा है। कर्नाटक सरकार के अनुसार तत्कालीन हुबली-धारवाड़ की नगरपालिका ने मुम्बई सरकार से 11.1.1922 को अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अंजुमन-ए-इस्लाम, हुबली को ईदगाह के सामने का खाली पड़ा भू-खंड नाम मात्र के एक रुपया प्रति वर्ष के किराये पर 999 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे के आधार दिया था। उस समय हुबली-धरवाड़ मुम्बई राज्य का एक भाग था। उपर्युक्त भू-खंड 1 एकड़, 5 गुण्टा तथा 76 वर्ग गज का है। अनुंमन-ए इस्लाम हुबली ने 17.5.1930 को हुबली नगरपालिका के मुख्य अधिकारी के पक्ष में एक दस्तावेज निष्पादित किया। यह दस्तावेज उस खाली पड़े भू-खंड के सम्बन्ध में एक पट्टे के रूप में है, जिसे केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए ही प्रयुक्त किये जाने की अनुमति थी। इस पर एक दीवार खड़ी करने की व्यवस्था तो थी लेकिन उसे किराये पर देने अथवा उस पर कोई इमारत बनाने पर रोक थी।

वर्ष 1960 में नगर निगम के प्रशासन ने अंजुमन-ए-इस्लाम को ईदगाह के चारों ओर दुकानों का निर्माण करने देने के लिए एक संशोधित आदेश पारित किया अंजुमन-ए-इस्पाल ने 30.3.1962 को हुबली-धारवाड़ नगर-निगम के आयुक्त के पक्ष में किराया नोट के तरह का एक दस्तावेज निष्पादित किया। निगम द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार अंजुमन-ए-इस्लाम ने 18.6.1971 को उस भू-खंड पर निर्माण कार्य करने की अनुमति ले ली, जिसकी वैधता अवधि 17.6.1972 तक बढ़ा दी गई थी। अंजुमन-ए-इस्लाम ने छह दुकानों पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य नेताओं ने इस इमारत के निर्माण पर आपत्ति की। हुबली के मुंसिफ न्यायालय में एक मुकदमा दायर कर दिया गया था। उक्त मुकदमे में हुबली-धारवाड़ नगर-निगम के आयुक्त प्रतिवादियों में से एक थे। इस न्यायालय का निर्णय आने के पश्चात्, हुबली के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश के सामने एक अपील पेश की गई, जिन्होंने 12.10.1982 को एक आदेश पारित किया......

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आदेश क्या था......**(व्यवधान)**

श्री पी० एम० सईद : .... यह मामला पुनः कर्नाटक के उच्च न्यायालय के सामने पेश किया गया, जिसने 18.6.1992 के आदेश द्वारा हुबली के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश के निर्णय को परिपुष्ट किया।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अंजुमन-ए-इस्लाम ने भारत के उच्चतम न्यायालय में एक अपील पेश की है। उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका स्वीकार कर ली और 23.9.1992 को एक स्थगन आदेश जारी किया। इस स्थगन आदेश के द्वारा उस क्षेत्र में, विशेष रूप से इमारत गिराये जाने पर, जिसे लेकर विवाद बना हुआ था, रोक लगा दी। इसने उच्च न्यायालय के आदेश पर भी रोक लगा दी। इस प्रकार यह विवाद ईदगाह मैदान के प्रयोग और उस इमारत के निर्माण और उसको गिराये जाने के बारे में है।

माननीय सदस्यों को उपर्युक्त तथ्यों संबंधी वक्तव्य से पता चलेगा कि यह मामला न्याय-निर्णयाधीन है। किसी विवादित मामले पर किसी न्यायालय द्वारा निर्णय की घोषणा से विनिर्णय की प्रक्रिया तब तक समाप्त नहीं होती जब तक इस पर उस क्षेत्र के उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता अथवा जब तक निर्धारित अवधि के भीतर निचले न्यायालय के आदेश पर उच्चतर न्यायालय

के सामने कोई अपील पेश नहीं की जाती अथवा उसमें संशोधन करने को महत्व नहीं दिया जाता। इस विशेष मामले में यह मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय में लंबित है और इस विवादित मामले पर उच्चतम न्यायालय का वैध आदेश है।

मैं इस सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जब यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित था तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के एक समूह ने 26.1.1992 को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ-साथ इस विवादित स्थान पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई थी। इस लंबित मुकदमेबाजी को मद्देनजर रखते हुए स्थानीय अधिकारियों ने विवादित स्थान पर कोई भी झण्डा न फहराने देने के लिए तत्काल कार्यवाही की। तभी से हर बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं के प्रयासों को विफल करने के लिए जिला प्राधिकारी प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं।

ऐसे समाचार थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता 15 अगस्त, 1994 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विचार कर रहे हैं। वे इसके लिए समर्थन जुटा रहे थे तथा उनके दा राष्ट्रीय स्तर के नेता-राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री सिकन्दर बख्त और संसद सदस्या, सुश्री उमा भारती को 15 अगस्त, 1994 को ईदगाह मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराना था। हमने राज्य सरकार को सतर्क कर दिया था और उन्हें उस अवसर पर शांति बनाये रखने के लिए प्रभावी उपाय करने का सुझाव दिया था। राज्य सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये। जिला प्राधिकारियों ने 15.8.1994 को झण्डा फहराने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रोकने के लिए पूर्वोपाय के रूप में विवादित ईदगाह मैदान को सील कर दिया था। आठ पुलिस थानों के सीमाक्षेत्र में 14.8.1994 के शाम तीन बजे से 15.8.1994 के अर्धरात्रि तक का कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। सुश्री उमा भारती को 15.8.1994 को सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर उनके समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। विधायक तथा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, श्री बी. एस. येदुयुरप्पा को उनके समर्थकों के साथ 11 बजकर 30 मिनट पर निषेधात्मक आज्ञा भंग करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। देशपाण्डे नगर के पास गंधर्व कला मन्दिर के सामने मैदान में मध्याह्न समय तीन-चार हजार लोगों का समूह एकत्र हो गया। यह भीड़ चाहती थी कि उमा भारती आकर उन्हें संबोधित करे। चूंकि उमा भारती को पहले ही निवारात्मक हिरासत में रखा गया था, इसलिए भीड़ को सूचित किया गया कि उन्हें भीड़ को संबोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इससे भीड़ क्रोधोन्मत्त हो गई और बर्बरता पर उतर आई। स्थानीय पुलिस ने लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें तालुका न्यायाधीश के सामने न्यायिक हिरासत के लिए ले जाने को ही थी।

इतने में ही भीड़ ने बस को घेर लिया और पुलिस पर नियंत्रण करने की कोशिश की। आंसू गैस के गोले छोड़ने तथा रबड़ की गोलियां चलाने का कोई प्रभाव नहीं हुआ और अन्ततः पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। जैसाकि मैंने पहले कहा है, इस दौरान पांच आदमी मारे गये और दस घायल हो गये। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर तत्काल काबू पा लिया और जैसाकि देखा जा सकता है, अगर प्रभावी उपाय नहीं किये जाते तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी।

19.8.1994 को हुबली के मेदरा-ओनी स्थान पर 'मोइली हटाओ' आंदोलन के सम्बन्ध में स्थानीय भाजपा नेताओं के भाषण सुनने के लिए लगभग दो-तीन हजार लोग एकत्रित हुए थे। जंब भीड़

छंट गई और तिलज अर्हवन्त मंदिर से गुजर रही थी तो कुछ लोगों ने मंदिर के पास खड़ी पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फैंकना शुरू कर दिया। लगभग डेढ़ बजे गाड़ी के ड्राइवर ने बिना किसी आदेश के गोली चला दी, जिसके परिणामस्वरूप एक महिला की मृत्यु हो गई। उसके तुरन्त बाद, ड्राइवर को उस महिला को मारने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ अन्य घटनायें हुई थीं जिनमें अनियंत्रित भीड़ ने पुलिस थानों पर धावा बोल दिया और वाहनों को आग लगा दी तथा पत्थर फैंकने शुरू कर दिये। पुलिस ने भीड़ को चेतावनी दी और जब उन्हें मनाने के प्रयास बेकार हो गये तो पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी-चार्ज करना पड़ा। हुबली में स्थिति अव नियंत्रण में है। राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश पहले ही दे दिये हैं और पुलिस द्वारा गोलीबारी के दौरान मारे गये लोगों के निकट-संबंधियों को अनुदान-राशि प्रदान करने के उपाय किये हैं। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस स्थिति से बचा जा सकता था। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यह मामला पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में न्याय-निर्णयाधीन है। एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दल एक क्षेत्र पर गैर-कानूनी ढंग से कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। कानून को अपने हाथ में लेने के लिए जनता को एकत्रित करने की जल्दवाजी करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना उचित था। इस प्रकार की घटनाओं से न केवल जन और धन की हानि होती है बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द्रता पर भी तीव्र प्रतिक्रिया होती है। कुछ मामलों पर छुट-पुट विवाद हो सकते हैं अथवा किसी मुद्दे पर मत-वैभिन्नय भी हो सकता है, लेकिन उसमें किसी प्रमुख राजनीतिक पार्टी के शामिल हो जाने से स्थिति और खराब हो जाती है। यह न तो कोई राजनीतिक मुद्दा है और न ही धार्मिक। यह दो दलों के बीच का विवाद था और विधि न्यायालय इसे सुलझाने के लिए उपयुक्त मंच था। यह प्रक्रिया अभी जारी थी। मेरे विचार में जनता का उपयोग करके और उन्हें उकसाकर इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप जरा मुझे शुरू तो करने दीजिए। मैने आपसे निवेदन किया था कि केन्द्र सरकार हुबली की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। और इस वक्तव्य से, हमारे मित्र सईद साहव ने जो वक्तव्य दिया है यह बात सही सावित हो गई है। केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया कि प्रभावी कार्रवाई करो। क्या मतलब है प्रभावी कार्रवाई का ? और जो प्रभावी कार्रवाई हुई, उसके परिणामस्वरूप इतनी मौतें हुई। सरकार ने स्वीकार किया है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के इस वक्तव्य से यह भी स्पष्ट है कि विवाद को हल करके 15 अगस्त को वहां राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया जाए, मामला समाप्त हो जाए, इसके लिए कोई कोशिश नहीं की गई। क्यों नहीं की गई ? जो मामला अदालत में है वह अलग है, वह दुकानों से संबंधित है। अभी वहां सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, हेगड़े साहब की पब्लिक मीटिंग हुई थी। झंडा फहराने पर कोई सांप्रदायिक विरोध का सवाल नहीं था। तो यहां केन्द्र से क्यों नहीं कहा गया कि मामले को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सभी पक्षों से बात की जाए और रास्ता निकाला जाए। तीसरी बात अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि लोकल अथॉरिटीज़ पर मामला छोड़ दिया

गया था। गोली चलाने का आदेश किसने दिया? रेपिड ऐक्शन फोर्स की वहां क्या जरूरत थी? कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं था। किसी तरह का दंगा हो जाएगा, इस बात की आशंका नहीं थी। क्या उत्तेजना थी? आप कह रहे हैं कि वहां वैण्डलिज्म हुआ। क्या वैण्डेलिज्म किया लोगों ने? मंत्री महोदय ने 'वैण्डेलिज्म' शब्द का प्रयोग किया है। क्या मतलब है इसका? क्या वहां भी कोई ढांचा ढहाया गया? क्या मंत्री महोदय यही भेदभाव पैदा करना चाहते है?

अध्यक्ष महोदय, ये वक्तव्य हमें संतुष्ट नहीं करता। यह वक्तव्य आपत्तिजनक है, यह सारे मामले पर लीपा-पोती करने का प्रयास है और देखिए भेदभाव किस हद तक जा सकता है। कर्नाटक में अगर पुलिस की गोली से और लोग मरते हैं तो उन्हें दो लाख रुपया कंपनसेशन दिया जाता है और हुबली में जो मरे हैं उनको खाली एक लाख। हम सरकार से रुपए की मांग नहीं कर रहे हैं। जो मर गए हैं उनके परिवार की मदद हम खुद कर सकते हैं, मगर यह सरकार की मनोवृत्ति का परिचायक है कि कर्नाटक में ही मरने वालों की जान की कीमत अलग-अलग होगी। मगर ये भेदभाव किया जा रहा है। इससे लोगों में उत्तेजना पैदा होती है। इससे सांप्रदायिकता बढ़ती है। अध्यक्ष महोदय मैं अभी आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप हमारा काम रोको प्रस्ताव ले लें, हम जरा इनकी और खबर लेना चाहते हैं।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष जी, एक शब्द मैं कहूंगा। जो वक्तव्य मंत्री जी ने दिया है, उसमें एक बात बहुत आपत्तिजनक है कि अगर इनको यह सूचना थी तो कम से कम यह कोशिश क्यों नहीं की गई कि यह विवाद हल हो जाए और कोई सरकारी अधिकारी अगर वहां झंडा फहरा देता तो सब-ज्यूडीस कैसे नहीं होता? क्या यह सचमुच जो हमारे कुछ मित्र इधर से करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देने की आपने कोई नीयत बना रखी है? अगर यह है, अगर कोई मिलीभगत है जैसे नीतिश जी ने कहा तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर मामला है, अगर केन्द्रीय सरकार को यह बात मालूम थी तो केन्द्र सरकार ने वहां पर किसी सरकारी अधिकारी के जरिये झंडा फहराकर इस मामले को शांत क्यों नहीं किया? इनका जवाब क्या है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने यहां काफी लम्बा बक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने 3-4 अदालतों के निर्णयों का हवाला दिया लेकिन कहीं पर उन्होंने कोटेशन नहीं दिया। जो रेलैवेट मुद्दा था, वहां पर उन्होंने बताया ही नहीं कि मुंसिफ कोर्ट या सिविल कोर्ट का आर्डर था। मैं पूछना चाहता हूं कि 1961-62 के जिन आर्डर्स के अधीन अंजुमन-ए-इस्लाम को कुछ अधिकार दिया गया, उसके बारे में सभी कोर्ट्स ने क्या कहा? क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि यह लीज्ड नहीं है, लाईसेंस्ड हैं। और फिर क्या कहा :

[अनुवाद]

"कि ये आदेश गैर-कानूनी, अनाधिकृत, बेकार तथा प्रभावहीन है।" यह उद्द्दरण उस निर्णय में से ही लिया गया है, जिसे मुंसिफ न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक ने भी परिपुष्ट किया है।

[हिन्दी]

मैं चाहूंगा कि चूंकि उन्होंने यहां बयान दिया है, अच्छा होगा कि उन तीनों-चारों आर्डर्स को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आर्डर भी शामिल है, यहां सभा के पटल पर रखा जाये ताकि सारे विषय पर सहीं वस्तुस्थिति सामने आ सके क्योंकि उनका स्टेटमैंट बहुत मिसलीडिंग है, ईवन इन रैस्पैक्ट ऑफ कोर्ट्स डिसीजन, यही मेरा कहना है।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह एक पुराना विवाद है। और यह विवाद विभिन्न विधि न्यायालयों में लंबित है।

कर्नाटक में यह वर्ष चुनाव का वर्ष है। **(व्यवधान)** मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह क्या मतलब हुआ। कहीं न कहीं तो इलैक्शन्स होते रहते हैं .....**(व्यवधान)**..... इलैक्शन तो कोई रीजन नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरी बात में व्यवधान क्यों पहुंचाया जा रहा है ? **(व्यवधान)** मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह एक सच्चाई है। कोई भी इससे इन्कार नहीं कर सकता कि कर्नाटक में इस वर्ष चुनाव होने हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो उससे क्या फर्क पड़ता है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : 'उससे क्या फर्क पड़ता है', इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। **(व्यवधान)** यह वर्ष चुनावों का वर्ष है। न्यायालय के आदेश तथा कानून और व्यवस्था पर ध्यान दिये बगैर ही पिछले दिनों उस स्थान पर सभी प्रकार की गड़बड़ियों को उकसाने के लिए प्रयास किये गये हैं। **(व्यवधान)** इसकी रिपोर्टें भी प्राप्त हुई थी। समाचारपत्रों में छपी खबरों के माध्यम से हम सभी को यह मालूम था कि इस प्रकार का एक बडा प्रदर्शन, जिससे शांति भंग हो सकती है तथा जिसमें जन-हानि के साथ-साथ सांप्रदायिक सोहार्द्रता भी भंग हो सकती है, हुबली में होगा। इसी कारण केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से सभी उपचारात्मक उपाय करने का अनुरोध किया था। स्थानीय नागरिकों से संपर्क स्थापित किया गया था। शांति सभायें आयोजित की गई थीं। अगर संबंधित दलों में शांति को बनाये रखने की जरा भी मंशा होती तो वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम अधिनिर्णय के लिए इंतजार करते। अगर कोई सदस्य इस सभा में आकर यह कहे कि उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की जानकारी नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : विनाश।

श्री विद्याचरण शुक्ल : चाहे जो भी हो, मैं यहां अपने विचार रखना चाहता हूं। **(व्यवधान)** वह न्यायालय का आदेश था। श्री वाजपेयी ने चाहे किसी भी न्यायिक आदेश का उद्धरण दिया हो, उस आदेश पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है। **(व्यवधान)** कर्नाटक के उच्च न्यायालय के अपीलीय आदेश में जो कुछ कहा गया था, उसी आदेश पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्थगन आदेश पारित किया है। स्थगन आदेश दिये जाने के उपरांत सारा मामला **न्यायनिर्णयाधीन** हो जाता है और कानून और व्यवस्था को भंग करना, सांप्रदायिक हिंसा को किसी भी प्रकार से बढ़ावा देना, बिल्कुल अनावश्यक है। उसे रोकने के लिए, सभी तैयारियां की गई थी, ताकि 15 अगस्त का राष्ट्रीय त्यौहार शांतिपूर्वक गुजर जाये। लेकिन वहां ऐसी ताकतें थी, जो 15 अगस्त को गड़बड़ी उत्पन्न करने, शांति और कानून और व्यवस्था भंग करने पर तुली हुई थीं। वे कोई भी दलील दे सकती हैं, वह दलील चाहे कुछ भी हो, मैं यह नहीं

कह रहा हूं कि किसी एक स्थान पर या अन्य स्थान पर राष्ट्रीय झंडा फहराना गलत है या ठीक है। लेकिन मेरा कहना यह है कि यह जानने के बाद भी कि वहां स्थिति विस्फोटक है; अनेक वर्षों से वह स्थान विवादास्पद है; मामला न्याय-निर्णयाधीन है तथा उस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन आदेश भी है. वहां जाकर/किसी को इस प्रकार की कार्यवाही, जिसके परिणामस्वरूप हुबली में यह अति दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः, महोदय, इस सभा को इस बात की निन्दा करनी चाहिये कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हो मैं इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है कि देश के कुछ भागों में ऐसी दुःखद स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास किसने किया-उसकी जोर-शोर से निन्दा की जानी चाहिये। अतः, मैं चाहता हूं कि सभा उन सभी लोगों की, जो हुबली में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं, निन्दा करने में मेरा साथ दें और उन्हें भविष्य में चेतावनी दी जानी चाहिये। देश ऐसे लोगों की इस प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कुछ लोग यह सोचते हों कि इस देश के लोग अथवा इस देश के मतदाताओं को गुमराह किया जा सकता है, तो वे भूल में हैं। लोगों को गुमराह करने का परिणाम वे भविष्य में देखेंगे।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने एक बहुत गंभीर वक्तव्य दिया है क्योंकि किसी भी न्यायालय को यह स्थगन आदेश देने का अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय झण्डा फहराने से रोका जाये अथवा किसी विशेष स्थान पर राष्ट्रीय झण्डा नहीं फहराया जा सकता।....**(व्यवधान)** राष्ट्रीय झण्डे को कोई भी फहरा सकता है। संपूर्ण प्रश्न यह है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को अनुमति नहीं देनी चाहिये थी। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों अथवा जिला न्यायाधीश को राष्ट्रीय झण्डा फहराने के लिए क्यों नहीं कहा, क्योंकि आपने उन्हें ऐसा करने का अवसर दिया। आप यह कहकर कि कुछ ऐसे स्थान हैं, जहां राष्ट्रीय झण्डा नहीं फहराया जा सकता, उन्हें ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में मदद कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई भी स्थान नहीं हो सकता और सर्वोच्च न्यायालय को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि अमुक-अमुक स्थान पर राष्ट्रीय झण्डा नहीं फहराया जायेगा। 15 अगस्त अथवा 26 जनवरी को राष्ट्रीय झण्डा फहराया जा सकता है। प्रश्न केवल इतना है कि आपने पूर्वोपाय क्यों नहीं किये ताकि उन्हें अवसर का लाभ उठाने का मौका नहीं मिलता; आपको जिला-न्यायाधीश को वहां झंडा फहराने के लिए कहकर अवसर का लाभ उठाना चाहिये था। ऐसा करने के स्थान पर आपने उन्हें वहां त्वरित कार्यबल भेजने के लिए कह दिया ताकि उन्हें सभी प्रकार की प्रचार-सामग्री मिल सके और आप यही कहते रहें कि राष्ट्र को आपकी निष्क्रियता और गुण्डागर्दी का समर्थन करना चाहिये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि राष्ट्रीय झण्डा फहराने पर रोक लगाने का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन इन गतिविधियों का उद्देश्य ही सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाना था। वहां सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाई जानी थी और उस विशेष क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह राज्य अधिकारी हो, स्थानीय अधिकारी हो अथवा कोई अन्य राजनीतिक दल दो के द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही से गड़बड़ उत्पन्न हो जाती। कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार स्थानीय अधिकारियों का यही मत था। किसी भी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय झण्डा फहराने से रोकने का कोई प्रश्न नहीं है। देश में किसी भी स्थान पर राष्ट्रीय झण्डा फहराना हमारा मौलिक अधिकार है; कोई हमें उससे रोकेगा नहीं। कोई भी उस पर रोक लगाना नहीं चाहता। लेकिन कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार लोग स्थिति का जायजा लेते हैं और यह निर्णय करते

हैं कि कहीं भी इस प्रकर की कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिये, अन्यथा इसमे शांति और कानून-व्यवस्था भंग हो जायेगी। वे इसे बनाये रखने के लिए जिम्मेदार हैं और यह निर्णय वे स्वयं लेते है। राष्ट्रीय झण्डे का अपमान करने अथवा उसे फहराने से रोकने का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन जब कभी भी कानून और व्यवस्था के भंग होने की आशंका होती है, तो स्थानीय अधिकारी जिनके पास कानून और व्यवस्था का प्रभार होता है, को यह निर्णय लेने पड़ते हैं और हम सभी को उनके निर्णय का समर्थन करना पड़ता है ताकि इस प्रकार की घटनायें फिर न हों।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मेरे पास 10 तारीख का अर्थात् 15 अगस्त से 5-6 दिन पहले का **टाइम्स आफ इंडिया** है। यह कहता है कि सरकारी अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय बैठक होने के वाद एक उच्च अधिकारी ने कहा कि अंजुमन-ए-इस्लाम को भी वहां राष्ट्रीय झण्डा फहराने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार का यह रवैया है। यह न्यायालय का आदेश नही है। यह सरकार का निर्णय है कि वहां कोई झण्डा नहीं फहराया जायेगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सदन को गुमराह किया है....**(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कोर्ट का आर्डर नहीं है।....**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन्होंने इस तरह की बातें कहीं हैं।.....**(व्यवधान)** संसदीय गृह मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, वह आग में घी डालने के समान हैं। उन्होंने इस सदन को गुमराह किया है। दूसरा उन्होंने इस पर प्रकाश नहीं डाला कि सिकन्दर बख्त ने....**(व्यवधान)** हुबली जाने से पहले प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी। गृह मंत्री जी से भी मुलाकात की थी। उन्होंने बताया था कि वहां पर विवाद है और साम्प्रदायिक दंगे न हो इसलिये मैं जा रहा हूं।.....**(व्यवधान)** मगर उन्हें बंगलौर में ही रोक लिया गया। यह कहना गलत है कि 15 अगस्त से पहले मामले को हल करने की कोशिश की गई थी। सरकार नहीं चाहती थी कि मामला हल हो।.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, हम उनके और आपके निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कहिये।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपके निर्णय को हम छोड़ देते हैं। मगर हम सदन से जा रहे हैं

2.32. म० प०

(तत्पश्चात श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से वहिर्गमन किया।)

2.32$\frac{1}{4}$ म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाओं तथा शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के समझौता ज्ञापन

जल- भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : महोदय में, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा॰ का॰ नि॰ 35 (अ), जो 27 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भविष्य निधि) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा॰ का॰ नि॰ 51 (अ), जो 1 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (न्यास के अस्पताल में चिकित्सा परिचर्या तथा अस्पताल प्रभार की प्रतिपूर्ति) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा॰ का॰ नि॰ 52 (अ), जो 1 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा॰ का॰ नि॰ 56 (अ) जो, 2 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (त्यौहारों और प्राकृतिक आपदाओं के लिए अग्रिम मंजूरी) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा॰ का॰ नि॰ 57(अ), जो 2 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (वाहन अग्रिम भुगतान) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा॰ का॰ नि॰ 88 (अ), जो 10 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (हल्दिया गोदी परिसर के अतिरिक्त (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा॰ का॰ नि॰ 305 (अ), जो 9 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) पहला संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा॰ का॰ नि॰ 414 (अ), जो 26 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(नौ) सा॰ का॰ नि॰ 423 (अ), जो 29 अप्रैल 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा काण्डला पत्तन पायलट सेवा (प्रशिक्षण, श्रेणीकरन और वरिष्ठता) (संशोधन) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(दस) सा॰ का॰ नि॰ 453 (अ), जो 12 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगाव पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(ग्यारह) सा॰ का॰ नि॰ 465 (अ), जो 16 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (त्यौहार अग्रिम) संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(बारह) सा॰ का॰ नि॰ 454 (अ), जो 12 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(तेरह) सा॰ का॰ नि॰ 470 (अ), जो 18 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (हल्दिया गोदी परिसर के अतिरिक्त) (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6305/94]

(2) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और जल भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6306/94]

भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड और खान मंत्रालय आदि के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन :—

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत एल्युमिनीयम कम्पनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6307/94]

(2) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6308/94]

(3) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6309/94]

भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1994

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : श्री सुखराम जी की ओर से मैं भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1994, जो 28 जून, 1994 का भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 543 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6310/94]

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदि के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं-

(1) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6311/94]

(2) लुब्रिजोल इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयं के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6312/94]

(3) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6313/94]

(4) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6314/94]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6315/94]

(दो) मटलर्जीकल एण्ड इनजीनियरिग कनसल्टैट्स (इंडिया) लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6316/94]

बिहार फल और सब्जी विकास निगम लिमिटेड, पटना के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बिहार फल और सब्जी विकास निगम लिमिटेड, पटना के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार फल और सब्जी विकास निगम लिमिटेड, पटना के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणीयां।

(2) उपयुक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी-संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6317/94]

(3) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई-दिल्ली और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6318/94]

नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय आदि के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6319/94]

(2) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6320/94]

(3) नेशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6321/94]

2.32$\frac{1}{4}$ म० प०

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

आठवां प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : मैं वाणिज्य संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के कॉफी से संबंधित आठवें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा 3.30 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

2.33 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 3.30 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.36 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.36 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) नेताजी सुभाष चन्द्र राष्ट्रीय खेल संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा देने की आवश्यकता

श्री संतराम सिंगला (पटियाला) : पटियाला स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र राष्ट्रीय खेल संस्थान में ऐसी सभी सुविधा में तथा शैक्षणिक उपकरण उपलब्ध हैं जो एक पूर्ण विश्वविद्यालय में होने चाहिये जैसे कि उसकी विल्डिंग, खेल के मैदान, पुस्तकालय, वैज्ञानिक सुविधाएं और अध्यापन संकाय जो कि किसी से भी कम नहीं है। खेल-कूद के क्रियाकलापों, शारीरिक कौशल और खेल-कूद के उपकरणों के क्षेत्र में अनुसंधान के झुकाव के लिए अपना स्तर ऊपर उठाने के लिए उन्हें सरकार से अधिक वित्तीय सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आजकल जो धन सरकार द्वारा इस संस्थान को दिया जा रहा है, इस संस्थान को विश्वविद्यालय मिलने पर उसमें आवर्ती सहायता के रूप में थोड़ी वृद्धि करने की आवश्यकता हो सकती है।

ऐसा ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा योजना आयोग ने इस संस्थान को विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने की स्वीकृति पहले ही प्रदान कर दी है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह संस्थान एशिया में अपनी ही तरह का एक ऐसा संस्थान होगा जो कि पटियाला सितवियन वातावरण

म स्थित है। अगर विश्वविद्यालय के रूप में इसका दर्जा बढ़ा दिया गया तो यह स्वयं ही खेल तथा युवा क्रियाकलापों के क्षेत्र में शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए सम्पूर्ण एशिया से खिलाडियों को आकर्षित करेगा।

चूंकि पंजाब देश में विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत उपयुक्त सहायता प्रदान करता रहा है इसलिए उसे शैक्षणिक उत्कृष्टता तथा खेल क्रियाकलापों में विशेष स्थान दिया जाना चाहिए।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि नेताजी सुभाष चन्द्र राष्ट्रीय खेल संस्थान का दर्जा बढ़ाकर विश्वविद्यालय का कर दिया जाये।

(दो) जबलपुर जल निकासी परियोजना को नर्मदा कार्य योजना के एक हिस्से के रूप में शीघ्र क्रियान्वित करने की आवश्यकता ।

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : महोदय, मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होने नर्मदा नदी की सफाई के लिए कार्ययोजना बनाने हेतु सर्वेक्षण किया है जिसमें जबलपुर में गन्दे नालों के जल का शोधन भी शामिल है। यह पता चला है कि एक योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और नदी के प्रदूषण की मात्रा के बारे में अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण दल जबलपुर तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में भेजे गए हैं। यह एक ही नदी है कि जिससे मध्य प्रदेश में सिंचाई की जा रही है। इस योजना में ओम्ती नाला, मोती नाला तथा नर्मदा में गिरने वाली अन्य गन्दी नालियों को भी शामिल किया गया है जो कि नर्मदा नदी में गन्दगी ले जाती है।

इस संबंध में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जबलपुर में जहां अभी भी खुलो पारम्परिक जल-मल निकासी व्यवस्था है, वहां भूमिगत जल-मल निकासी व्यवस्था प्रदान करने हेतु इस परियोजना को नर्मदा कार्य योजना के एक भाग के रूप में लागू किया जाना चाहिये ताकि नदी में निकासी से पहले इसका उपाय सुनिश्चित किया जा सके। भूमिगत जल-मल निकासी व्यवस्था नगर की प्राथमिक आवश्यकता है, कम से कम आज जबकि हम 21वी. शताव्दी में कदम रख रहे हैं। इस शहर को भूमिगत जल-मल निकासी व्यवस्था प्रदान करने की यथावत् स्वीकृत परियोजना सरकार के पास वर्षों से लंबित पड़ी है। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह जबलपुर जल-मल निकासी योजना को नर्मदा कार्य योजना के एक अंग के रूप तत्काल कार्यान्वित करना सुनिश्चित करें।

(तीन) केरल के समुद्र तट के साथ-साथ दीवार का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : केरल राज्य का समुद्र तट बहुत लम्बा है और प्रत्येक वर्ष वर्षाऋतु में समुद्र द्वारा भूमि कटाव के कारण तटवर्ती क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होता है। इससे न केवल व्यक्तियों की मत्यु और सम्पत्ति की हानि ही नहीं हुई बल्कि इससे भूमि भी कम रह गयी है। ऐसी बार-बार होने वाली घटनाओं को अविलंब रोका जाना चाहिए।

मैं, इसलिए सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे केरल समुद्र तट के चारों ओर दीवारें बनाने के लिए तत्काल कदम उठायें।

[हिन्दी]

(चार) मध्य प्रदेश के वस्तर जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की खान संख्या 11-बी में खनन कार्य बन्द किये जाने के निर्णय की समीक्षा करने की आवश्यकता ।

श्री मानकूराम सोड़ी (बस्तर) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल वस्तर जिले की बैलाडीला पर्वत श्रृंखलाओं में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने कच्चे लोहे की खदानें पिछले 25-30

सालों में विकसित की है। इनका संचालन कर यह देश के लिए प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा और 100 से 150 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा अर्जित कर रहा है। निगम के पास खुद का 300 करोड़ रुपये का रिजर्व फन्ड है। यह उस इलाके के आदिवासियों तथा अन्य स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर तथा शिक्षा व स्वास्थ्य सेवायें भी उपलब्ध करा रहा है।

निगम का काम तीन खदानों डिपाजिट 14, 5 और 11-सी में अच्छी तरह से चल रहा है तथा इन्हीं के बीच उसने और एक खदान 11-बी का विकास पिछले पांच-सात सालों में 50 करोड़ रुपए खर्च किया है। अब यह वहां से उत्पादन शुरू करने की स्थिति में है। इसके लिए आवश्यक तकनीकी महारथ उसे हासिल है। इस प्रोजैक्ट पर कुल खर्च 550 करोड़ रुपए आयेगा, जो निगम अपने स्रोतों से ही लगाने में सक्षम है।

प्रधानमंत्री जी ने कई बार स्पष्ट घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग सफलतापूर्वक चल रहे हो, उन्हें कभी भी निजी क्षेत्र को नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस्पात व खान मंत्रालय ने 11-बी खदान में उत्पादन शुरू करने के लिए हो रही तैयारियों को रोक दिया है। ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। यह बहुत ही घातक होगा।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह उस मामले पर पुनः विचार करे।

[अनुवाद]

(पांच) वायुदूत के कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने की आवश्यकता

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : वायुदूत का संचित घाटा पिछले 20 वर्षों के दौरान 200 करोड़ रुपये से अधिक है। 25 मई, 1993 की स्थिति के अनुसार कम्पनी में कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 1,500 है। सरकार ने वायुदूत का इण्डियन एयरलाइंस में विलय करने का सिद्धान्तः निर्णय ले लिया है। साथ ही वायुदूत के प्रशासन ने 31 मार्च, 1994 से एवरो हवाई जहाजों की सभी उड़ानें रोक देने का निर्णय ले लिया है। इससे बम्बई से कोल्हापुर, देवू, कांडला, पोरबंदर, पुणे इत्यादि के लिए वायुदूत की उड़ानें बुरी तरह से प्रभावित होंगी और वायुदूत के कर्मचारियों में व्यापक असंतोष व्याप्त होगा। वायुदूत के कर्मचारी अपनी मांगों पर जोर देने और अपना असंतोष प्रकट करने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। सरकार ने वायुदूत के इण्डियन एयरलाइस में विलय को सुचारु बनाने के साथ-साथ उनकी शिकायतों पर गौर करने के लिए दो उपसमितियां नियुक्त करने का आश्वासन दिया है।

तथापि, कोई ठोस बात सामने नहीं आई है। अतः 1500 कर्मचारियों का भाग्य अभी अनिश्चित है। मैं सरकार से इस मामले पर तत्काल गौर करने और दो कम्पनियों, अर्थात्, वायुदूत और इण्डियन एअरलाइन्स में विलय के लिए उचित और प्रभावी कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

(छः) बिहार को पिछड़े राज्य का दर्जा देने और उसके सर्वांगीण विकास के लिए एक कार्य-योजना तैयार करने की आवश्यकता

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, देश में नयी औद्योगिक नीति गत वर्षों में घोषित होने के पश्चात् से 12,400 के लगभग नये औद्योगिक संस्थान स्थापित करने के ज्ञापन सरकार को पेश

करने का समाचार है किन्तु बिहार राज्य में नये उद्योग स्थापना हेतु मात्र इन गत वर्षों में 113 पेशकशें ही की गयी है। मैं समझता हूं राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक वातावरण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है जिससे कच्चे माल की उपलब्धि में घनी होने के बावजूद भी यह राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ गया है। लाखों लोग बेरोजगारी के शिकार बनते जा रहे हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि समस्त बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य का दर्जा दे कर इसके विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार करें।

[अनुवाद]

(सात) पटसन श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग को पुनर्गठित करने के लिए एक व्यापक पैकेज तैयार करने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मण्डल (जयनगर) : महोदय, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता एक बार पटसन उद्योग का आधार और केन्द्र था। पटसन मिलों में काम करने वाले मजदूरों की दशा केवल तेजी से खराब ही नहीं हो रही है बल्कि और भी कई प्रकार से भी दयनीय हो गई है। कम से कम आठ पटसन मिलें ऐसी हैं जो मजदूरों को त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं करती हैं। देश के कानूनों की खामियों का फायदा उठाते हुए नियोक्ताओं ने बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों को भविष्यनिधि, उपदान राशि, बोनस जैसे सांविधिक देयों से वंचित रखा है जिसमें अर्जित मजदूरी के आधार पर देय राशि भी शामिल है। यह उन पटसन मिल मालिकों का बहुत ही बुरा व्यवहार है जो अपनी मिलों में तालाबन्दी। मिलों को बन्द करने की प्रक्रिया को लम्बा खींच कर मजदूरों को मौजूदा उद्योग-बार समझौते में सुनिश्चित दरों से कम दरों पर मजदूरी स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

यद्यपि प्रबंध मजदूरी का 2.5 प्रतिशत भाग क्वार्टरों के रख-रखाव के लिए काटता है फिर भी रख-रखाव पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। कुएं का पानी बहुत गंदा होता है। कमरों में बारिश की फुहारों से पानी आ जाता है। मजदूरों को दुर्घटनाओं का खतरा रहता है क्योंकि उनमें क्वार्टरों की छतें गिरने की स्थति में हैं। बरसात के मौसम में गंदी नालियों का पानी क्वार्टरों में भर जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक ने भी कीटनाशी पदार्थों से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण के खतरों के बारे में जिनका श्रमजीवी लोगों पर प्रभाव पड़ता है, पर अत्यधिक चिन्ता व्यक्त की है।

मैं केन्द्रीय सरकार से पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग की दशा सुधारने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने और उनके लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने का अनरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(आठ) उत्तर प्रदेश के हरदोई कस्बे में कृषकों को कृषि उपकरणों के रख-रखाव तथा खेती की अन्य आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक (शाहबाद) : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा कृषि के आधुनिक यंत्रों एवं उपकरणों का भरपूर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए देश के कुछ स्थानों पर ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं, जहां सामान्य किसानों को कृषि के उपयोग में लाये जाने वाले कृषि यंत्रों का कार्य-पद्धति, इनका भरपूर उपयोग एवं मरम्मत आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश के हरदोई और इसके अन्य पड़ोसी जिले लखीमपुर-खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, फर्रूखाबाद, उन्नाव आदि की अस्सी प्रतिशत से अधिक जनसंख्या केवल खेती पर निर्भर है। प्रशिक्षण केन्द्र के अभाव में यहां के किसानों को आधुनिक कृषि-यंत्रों की उपलब्धता के बावजूद उनके समुचित उपयोग की जानकारी नहीं है। इस कारण यहां के किसान अपने पास उपलब्ध इन कृषि-यंत्रों का पूरा लाभ नहीं उठ पाते हैं। यही कारण है कि इस समूचे क्षेत्र में कृषि उत्पादन के परिणाम संतोषजनक नहीं है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर-प्रदेश के इन पिछड़े हुए जिलों के केन्द्र हरदोई जिले में कृषि-यंत्रों व उपकरणों, जैसे टैक्टर, थ्रेसर, डीजल पंप सेट, कीटनाशी रसायनों के छिड़काव से संबंधित उपकरणों आदि के उचित उपयोग एवं रख-रखाव से संबंधित एक ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाए, जिस प्रकार केन्द्र सरकार ने हरियाणा के हिसार तथा मध्य प्रदेश के बुदनी में खोले हैं ताकि ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र का लाभ क्षेत्रीय किसान अधिक से अधिक उठा सकें और अपने को देश की मुख्य विकास धारा से जोड़ सकें।

3.50 म० प०

मोटर यान (संशोधन) विधेयक....

राज्य सभा द्वारा यथापारित-जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या लेंगे जो श्री जगदीश टाईटलर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा के बारे में है। श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान बोल रहे थे।

[हिन्दी]

श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान (अमरोहा) : सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पिछली बार बता रहा था कि हमारे देश में जो इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कारण चालकों का प्रशिक्षित न होना है। हमारे यहां चालकों को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और इसी वजह से हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। सरकार द्वारा कुछ उपाय लायसेंस वगैरह के बारे में किए गए हैं, उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा।

बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट्स का एक और बड़ा कारण सड़कों का ठीक न होना है। आजकल बरसात का मौसम है, इसलिए हालत और भी खराब है। हाट मिक्स प्लांट टेक्नीक से बनी हुई सड़कें या अन्य साधारण सड़कें बारिश की मार सहन नहीं कर पाती और जगह-जगह पॉट-होल्स बढ़ते जा रहे हैं। इन खराब सड़कों के कारण गाड़ियां भी अधिक खराब होती हैं, ब्रेक-डाउन होता है और अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क बनाने की हमारी जो टेक्नीक है वह 30-40 साल पुरानी है, जिसको बदलने की आवश्यकता है। कोलतार, बजरी और चूना आदि मिक्स करने की नई टेक्नीक का इस्तेमाल करना होगा, ताकि एक बार सड़क बनने के बाद कम से कम 5 वर्ष, तक चल सकें। नई टेक्नीक यदि विदेश से लानी पड़े तो भी लानी चाहिए।

दुर्घटनाओं का एक और कारण है ओवर-लोडिंग। कमर्शियल व्हीकल्स पर जितना लोड अलाऊ होता है, उसके अतिरिक्त लोड इन व्हीकल्स में लाद दिया जाता है, जिसकी वजह से चेसिस, एक्सल, पहिए आदि टूटने से उस गाड़ी का नुकसान तो होता ही है, इसके साथ साथ एक-दो दिन के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सामान अपने स्थान पर देरी से पहुंचता है, यातायात करने वाली आम जनता को परेशानी होती है और दुर्घनाओं में भी वृद्धि होती है।

एक और महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती है और वह है एनक्रोचमेंट। हालांकि सड़कों पर, हाईवेज पर बोर्ड लगे हुए है कि 100 गज तक कोई निर्माण न किया जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि दिनोंदिन एनक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है। सड़क के किनारे जो गांव या छोटे-बड़े शहर पड़ते हैं, शहरीकरण के साथ- साथ एनक्रोचमेंट की समस्या बढ़ती जा रही है, सड़कों की चौड़ाई कम होती जा रही है, सड़कें बाटलनैक होती जा रही है, ट्रैफिक जाम होता है, आम जनता को परेशानी होती है और दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है।

ओवर-लोडिंग की समस्या सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पैसिंजर गाड़ियां, बसें, टेंम्पो, लाइट मोटर व्हीकल्स जो है, उनमें भी यह समस्या है। कई बार तो जा रहे व्हीकल का कोई और हिस्सा नजर नहीं आता, आदमी ही आदमी नजर आते हैं। टेंपो पर ही 20-25 लोग बैठे होते हैं, छतों पर लोग बैठे होते हैं। इस बारे में कानून बना हुआ है, लेकिन उसका कार्यान्वियन नहीं होता है। इस कानून का कार्यान्वियन आपको सख्ती से करना होगा। इसी तरह से चलने वाली गाड़ियों की दशा भी ठीक नहीं होती, 20-25 साल पुरानी होती है, मंडगाड, बंपर, लाइटें आदि इनमें नहीं होती। इस तरह की गाड़ियां सड़क सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खतरनाक हैं। गाड़ियों की बाडी ऐसी होती है जो हार्न का काम करती है। मैंने पहले भी कहा था कि एक्सीडेटस से बचने के लिए ड्राईविंग लाइसेंस का ध्यान रखना होगा। मुझे विदेश में जाने का मौका मिला। विदेश में मेरे पास लाईसेंस भी था। अपने देश में घर बैठकर पैसा देने से लाईसेंस मिल जाता है और विदेश के अंदर सवा साल या डेढ साल में लाईसेंस मिलता है। पहले तीन महीने तक लर्नर लाईसेंस मिलता है और उसके बाद प्रोविजनल लाईसेंस मिलता है और उसके बाद परमानेंट लाईसेंस मिलता है। दिल्ली में थोड़ी सी सख्ती है और छोटे शहरों में ड्राईविंग टेस्ट देने के लिए कोई नहीं जाता है। आप जो ड्राईविंग स्कूल का सहयोग लेने के लिए जा रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि इससे लाभ होगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ट्रेनिग स्कूल का एक तरीके से लाईसेंस देने का कांट्रेक्ट होता है। इसके ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा, कहीं ऐसा न हो कि ये ट्रेनिंग स्कूल दलालों का काम करना शुरू न कर दें और लाईसेंस बहुत आसानी से इनके माध्यम से मिल जाए। विदेश में एक नालेज टैस्ट होता है। वहां पर एक किताब होती है जिसका अध्ययन करना होता है। पहले वे नालेज टैस्ट लेते हैं जिसमें आबजेक्टिव्ज टाईप प्रश्न होते हैं या एप्टीच्युड टैस्ट होता है। इस नालेज टैस्ट से काफी ज्ञान मिलता है। इससे न केवल संकेतों का ज्ञान होता है बल्कि नालेज भी मिलती है। ऐसी किताब यहां पर उपलब्ध कराई जाए जिससे जो लोग ट्रेनिंग स्कूल में जाते हैं तो वे उसको पढ़े जिससे उन्हें प्रैक्टीकल और थ्योरिटिकल नालेज भी हो, उसके बाद वे टैस्ट देने के लिए जाएं। नियमों में यह प्रावधान है कि एक बार ड्राईविंग टैस्ट में कोई फेल हो जाए तो सात दिन के अंदर दुबारा टैस्ट दे सकता है। मेरा सुझाव यह है कि इसको बढ़ाकर तीस दिन कर दिया जाए। अगर वह व्यक्ति तीस दिन प्रशिक्षण देने बाद टैस्ट देने के लिए जाए तो वह अच्छा ड्राईवर बन सकता है।

रजिस्ट्रेशन के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि छोटे शहरों में और जिलों के अंदर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। जो एक बार ट्रेक्टर या मोटर साईकिल का रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो दुबारा नहीं कराता है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको खास ध्यान देना होगा। आप रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्युटर लेकर आए हैं। रजिस्ट्रेशन के रिनिवल के लिए आप नोटिस भेजेंगे तो मुझे विश्वास है कि लोगों को याद रहेगा क्योंकि लोगों की रजिस्ट्रेशन की किताब गुम हो जाती है। आप रिनिवल नोटिस भेजना शुरू कर देंगे तो आपको अच्छी आमदनी होगी और गाड़ियों पर भी कंट्रोल रहेगा और एक तरीके से सुपरविजन अच्छा होगा और रिकार्ड आपके पास रहेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बसों के परमिट का बहुत अधिक दुरुपयोग हो रहा है जबकि यह स्टेट सबजेक्ट हो जाता है लेकिन नियम यह है कि 24 किलोमीटर तक रीजनल अथोरिटी प्राईवेट लोगों को परमिट दे सकती है।

4.00 म० प०

मैं अपने राज्य उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। वहां पर जो यह परमिट दिये जाते हैं, ये पाइंट टू पाइंट दिये जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि इनका दुरुपयोग होता है। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप जो बस परमिट लोगों को देते हैं, उनमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि सेक्शन 71 क्लाज 4 में यह ऐड किया जाये।

[अनुवाद]

बेरोजगार स्नातकों को तथा स्वरोजगार के लिए तरजीह दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

इसमें यह केटेगरी जोड़ दी जायेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश में जो बेरोजगारों की संख्या है, उसमें कमी आयेगी। सेक्शन 79 में आपने दुपहिया वाहनों के चालकों के लिए हैलमेट अनिवार्य किया है। यह व्यवस्था अभी कुछ ही राज्यों में है। इसको पूरे देश के अंदर अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके साथ ही जो पीलियन राइडर है उसके लिए भी यह अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि दुपहिया बाहनों में लोगों की मृत्यु अक्सर इसलिए होती है कि उन्होंने हैलमेंट नहीं पहना होता है। सेक्सन 161 में हिट एंड रन के बारे में दिया है। यह केस ज्यादातर हाइवे पर होते हैं और काफी संख्या में होते हैं। लोग एक्सीडेंट करते, मारकर भाग जाते हैं। सेक्शन 161 के अंदर आपने मृतक के आश्रित को पच्चीस हजार रुपये मुआवजे का प्रावधान रखा है और परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में या गंम्भीर रूप से घायल होने की हालत में साढ़े बारह हजार रूपये मुआवजा देने का प्रावधान किया है। मेरा सुझाव है कि हिट एंड रन केसेज में पच्चीस हजार रुपये को बढ़ाकर पचास हजार रुपये कर देना चाहिए और साढ़े बारह हजार रुपये को बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये कर देना चाहिए।

सेक्शन 192 ए में आपने यूजिंग व्हिकल्स विदआउट रजिस्ट्रेशन एंड परमिट कहा है। इसके अंदर आपने काफी कदम उठाये हैं। आपने इसमें कहा है कि जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको आप अलाऊ कर देंगे।

[अनुवाद]

आपातकाल, बीमारी और घायल होने की स्थिति में अनुमत वाहन।

[हिन्दी]

यह प्रावधान भी आपने रखा है कि अगर सात दिन के अंदर नोटिस दे देता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो लोग गाड़ियां चलायेंगे वे इसका दुरूपयोग कर सकते हैं। वे राज्यों के प्राधिकरणों को पैसा देकर गाड़ियां चलाते रहेंगे। मेरा अनुरोध है कि ये परमिट अंधाधुंध न दिये जायें।

ट्रांसपोर्ट व्हिकल्स के लिए भी कहा है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इनको भी ब्लेंकेट परमीशन नहीं दी जाये। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होनी चाहिए। अगर इस तरह की गाड़ियां पकड़ी जायें तो उनको आप सीज़ न करे। ये मेरे कुछ सुझाव हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्रीजी इन पर विचार करके बिल में थोड़ा संशोधन करेंगे।

[अनुवाद]

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : सभापति महोदय, मैं मोटर यान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जब आंतरिक दहन के सिद्धान्त पर पहले मोटर इंजन का अविष्कार किया गया था तो यह मानव के लिए एक बड़ी सफलता थी क्योंकि इससे मानवता के जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति आई। इससे पहले मनुष्य या तो पैदल चलता था या पशुओं की सवारी करता था। लेकिन मोटर कार के अविष्कार के साथ उसका जीवन सुखमय हो गया है और वह तेजी से आना-जाना कर सकता है। इससे दुनिया निः संदेह छोटी हो गई है लेकिन हेनरी फोर्ट को उन मुसीबतों और समस्याओं तनावों और चिन्ताओं तथा निराशा और दुर्घटना का थोड़ा बहुत भी आभाष नहीं था जो बाद के वर्षों में हमारे जीवन में आएंगे।

भारत में केवल पिछले वर्ष, अर्थात् 1993 में 60,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरे। गृह राज्य मंत्री श्री राजेश पायलट के शब्दों में देश को दुर्घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्रति वर्ष 2,000 करोड़ रुपए का घाटा होता है। धीरे-धीरे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि वाहनों की संख्या अधिक होती जा रही है और परिवहन योग्य सड़कों की संख्या कम हो रही है।

नई आवास नीति की तरह जिसमें माननीय शहरी विकास मंत्री महोदय ने इस सभा में यह घोषणा की है कि सरकार की भूमिका, निर्माता के बजाय मददगार की होगी, नई उदारीकरण नीति के आने से जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से यह घोषणा करेंगे कि उनके मंत्रालय की भूमिका आगे से केवल मूलभूत सुविधाओं के विकास तक सीमित होगी। यह बात भी ठीक है, मानव जीवन को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सुरक्षा से किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि यदि हम मौजूदा रवैये को नहीं बदलते हैं और सड़कों में यातायात की दशाओं में सुधार नहीं करते हैं और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाते हैं और सड़के सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते हैं तो एक समय आएगा जब हमें नए वाहनों का उत्पादन बंद करना पड़ेगा। अतः मैं पुनः जोर देकर कहता हूं कि सरकार को मूलभूत सुविधा विकसित करने पर पूरा ध्यान देना चाहिए और पूरे देश को सड़कों से जोड़ेने का प्रयास करना चाहिए।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री चेतन पी० एस० चौहान ने उल्लेख किया है, दुर्घटना करके भाग जाने वाले वाहन चालकों संबंधी मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर समुचित निगरानी और गश्त लगाने की गतिविधियों में तीव्रता लानी होगी।

इस विधेयक का स्वागत-योग्य कदम यह है कि इस विधेयक में मूल अधिनियम के खंड 51 में धारा 163क जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि वाहन-चालक की लापरवाही एवं अंधाधुंध ढंग से वाहन चलाने के प्रमाण के बिना सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा दे दिया जायेगा।

धारा 161 के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाने अथवा किसी के गम्भीर रूप से घायल हो जाने की स्थिति में मुआवजे की राशि को बढ़ाकर क्रमशः 25000/- रुपये तथा 12500/- रुपये कर दिया गया है मैं अपने मित्र, श्री चौहान की इस बात से सहमत होना चाहता हूं। लेकिन मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सुझाव यह है कि मुआवजा राशि की न्यूनतम सीमा को जीवनयापन-लागत संबंधी सूचकांक के साथ ज़ोड़ा जाना चाहिये, ताकि समय बीतने के साथ ये उपबंध अव्यावहारिक न हो जायें।

दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल की अवस्था एवं मौत हो जाने को धनराशि के रूप में नहीं आंका जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने मंजुश्री राहा बनाम बी० एल० गुप्ता के मुकदमें में यह विनिर्णय दिया है कि किसी व्यक्ति के जीवन का कृत्रिम गणितीय सूत्र के आधार पर अवमूल्यन नहीं किया जाना चाहिये। संयोग से, इस विधेयक की धारा 131 में सड़क दुर्घटना संबंधी मामलों के निपटान की प्रक्रिया से संबंधित है। मैं एक बार फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी को उधृत करना चाहता हूं:

> "डॉक्टरों का यह कर्तव्य है कि वे चिकित्सा संबंधी कानूनी मामलों के बारे में प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं के पूरा होने की प्रतीक्षा किये बिना दुर्घटना में घायल हुए किसी व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा-उपचार प्रदान करे।"

वास्तव में, यह एक अत्यंत स्वागत योग्य कदम है तथा मैं मंत्री महोदय को इस सुझाव को इस विधेयक में शामिल करने के लिए बधाई देता हूं।

सड़क-दुर्घटनाओं के मुख्यतः ये कारक जिम्मेदार हैं: चालकों में योग्यता की कमी। मेरे मित्र इस बारे में उल्लेख कर रहे थे तथा मैं उनके अधिकतर सुझावों से सहमत हूं। कोई व्यक्ति रिश्वत देकर घर बैठे लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। अतः चालकों की परीक्षा ऐसे ढंग से ली जानी चाहिये कि उसे उस परीक्षा में उपस्थित होकर वह परीक्षा पास करनी ही पड़े, तभी उसे लाइसेंस जारी किया जा सकता है। उनके लिए चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया जाना चाहिये। लोगों द्वारा ड्राईविंग स्कूलों से लाइसेंस प्राप्त करने संबंधी दिया गया सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इस विधि से एक ओर तो कोई व्यक्ति उचित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, दूसरी तरफ हम चालकों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान न करने वाले ड्राईविंग स्कूलों के विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकेंगे।

मुझे एक सुझाव और देना है, यद्यपि मुझे विदित है कि इसका कुछ वर्ग विरोध भी करेंगे। मेरा यह सुझाव है कि वाहन चलाने वाले व्यक्ति को कम-से-कम दसवीं पास होना चाहिये क्योंकि ड्राइविंग के लिए बौद्धिक स्तर कम-से-कम इतना तो होना ही चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इतना बौद्धिक स्तर नहीं रखता है, तो वह ऐसी बंदूक के समान है, जो गोलियां बरसा कर किसी व्यक्ति को मार सकती हैं। अतः, मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव पर विचार करें कि लाइसेंस उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाये, जो कम-से-कम दसवीं पास हों।

जहां तक ड्राइविंग लाइसेंस का संबंध है, इन्हें बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। लेमिनेशन कार्ड बनाये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। जल-भूतल परिवहन मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि तीन चौथाई दुर्घटनाएं मानवीय गलती के परिणामस्वरूप होती हैं। शराब के नशे की हालत में ड्राइविंग करना घातक सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण हैं। अतः, मेरा सुझाव है कि बार-बार शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भारी जुर्माना किया जाना चाहिये तथा उन्हें कारावास की सजा भी दी जानी चाहिये।

मेरा दूसरा सुझाव वाहनों की खराबी के बारे में है। मैं यह महसूस करता हूं कि वाहनों के उपयोग की एक अवधि निर्धारित की जानी चाहिए और इसके बाद उसे सड़क पर चलाये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे दुर्घटनाएं होने की सम्भावनाएं कम हो जायेंगी जैसा कि हम विश्व के कुछ देशों में देखते हैं वाहनों में सीट बैल्ट अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जो निर्माता सुरक्षा के प्रयोजन से एयरबैग की सुविधा प्रदान करते हैं, उन्हें कर से छूट मिलनी चाहिए।

जिन वाहनों की देखभाल नहीं की जाती, जो हमारे देश के पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। अतः दो वर्ष में एक या दो बार प्रदूषण संबंधी जांच को अनिवार्य बनाया जाये। प्रदुषण मुक्त वाहनों यथा सौर ऊर्जा या पैट्रोल चालित गाड़ियों, ट्रकों इत्यादि को कर से छूट दी जाये। हम देखते हैं कि आटो-चालकों की पैट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाने की आदत होती है। यह प्रवृत्ति जनता के स्वास्थ्य के लिए वास्तव में हानिकारक हैं.। अतः इस तरह के मामलों के साथ सख्ती से निबटा जाना चाहिये।

मेरे मित्र यहां वाहनों में ज्यादा-माल भरने के बारे में उल्लेख कर रहे थे। हम देखते हैं कि हमारे देश में वाहनों में बहुत अधिक माल भरा जाता है। दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण वाहनों में जरूरत से ज्यादा माल भरना भी है। अतः इस संबंध में समुचित नियम बनाये जाने चाहिये तथा इन नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए।

देश भर में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप यातायात संबंधी चिन्हों को समान रूप से लगाया जाना चाहिये। हैल्मेट को अनिवार्य बनाया जाये।

मेरा तीसरा सुझाव देश में अच्छी सड़कों की कमी से संबंधित है। हम यह देखते हैं कि हमारे देश में जलवायु अनुकूल नहीं है तथा हमारी सड़कें भी सही नहीं हैं। सड़कों के समुचित निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए। बम्बई-पूना जैसी व्यस्त सड़कें मौत को खुले रूप से आमंत्रित करती हैं। इसलिए, टेढ़ी-मेड़ी सड़कें नहीं बनाई जानी चाहिये तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य-जैसा कि सरकार विचार कर रही है- 'सड़कें बनाओं, संचालन करो तथा अंतरित कर दो' के आधार पर दिया जाना चाहिये। राजमार्गों पर चलने वाले सभी वाहनों के लिए एम्बुलेंस, क्रेन एवं अलग रेडियो-आवत्ति से दुर्घटनाओं की संख्या की जा सकती है।

स्थानीय क्षेत्रीय यातायात कार्यालय में काफी भ्रष्टाचार होता है। इसलिए उपभोक्ता सेवा के लिए कम्पयूटर की सुविधा दिये जाने से स्थिति में सुधार सम्भव है तथा इससे भ्रष्टाचार में भी कमी आयेगी।

समुचित बाईपास के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि शहरों में भारी वाहन प्रवेश न कर सकें। इसी संदर्भ में, मैं कटनी बाईपास के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। कटनी मध्य-प्रदेश के बड़े शहरों में से एक हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 पर स्थित हैं। मैं मंत्री महोदय को पत्र लिख रहा हूं कि कटनी शहर में एक समुचित बाईपास बनाया जाये। इस संबंध में निशानदेही पहले ही की जा

चुकी है। मैंने मंत्री महोदय की इस संबंध में अनेक बार लिखा है तथा मुझे विश्वास है कि यह मामला मंत्री महोदय के विचाराधीन है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उस शहर के लोगों की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता-कटनी-बाईपास पर पूरा ध्यान देंगे।

गन्दी बस्तियों एवं पुनर्वास कालोनियों को सड़क से कम-से-कम बीस से तीस मीटर की दूरी पर बसाया जाये।

जहां तक राजमार्गों का संबंध है, विपक्षी दल के मेरे एक साथी ने पहले ही एक बात कही है। राजमार्गों पर आवारा पशु भी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। अतः, इन्हें भी रोका जाये।

अपीलीय यातायात न्यायाधिकरणों के गठन संबंधी निर्णय प्रशंसनीय है। यद्यपि, इनके नियमित एवं पूर्णकालीक कार्यकरण के लिए इनकी न्यायिक लेखा-परीक्षा अपेक्षित है। यह देखा गया है कि सड़क संबंधी अधिकतर न्यायाधिकरण दिन भर में मुश्किल से दो से तीन घंटे ही कार्य करते हैं।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम पश्चिमी देशों के जन-ज़ीवन का अवलोकन करें, तो हम यह देखते हैं कि वहां लोग कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता नहीं करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में लोग इतने संवेदनाशून्य नहीं है। तथापि, मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए इस के बारे में समुचित कानून बनाया जा सकता है।

इन्ही शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर सही दिशा में उठाये गये इस कदम का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : सभापति जी, मोटर यान अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने के लिये माननीय मंत्री जी ने मोटर यान अधिनियम (संशोधन) विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। इस अधिनियम में संशोधन की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि अब तक जो कमियां महसूस की गयी या वर्तमान में महसूस की जा रही हैं और चूंकि वर्तमान कानून काफी पुराना हो गया है, इसलिये उसमें संशोधन की आवश्यकता तो है ही, परन्तु वे संशोधन किस प्रकार से किये जायें, उन संशोधनों में किन-किन चीजों को सम्मिलित किया जाये, इस संबंध में हम लोगों द्वारा मंत्री जी को सुझाव दिये जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी हमारे सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेंगे क्योंकि देश में बढ़ती हुई आबादी और सड़कों की जैसी दुर्दशा है, उसके कारण आज देश में सड़क दुर्घटनायें बहुत अधिक संख्या में बढ़ गयी है और हम उन चीजों को नजर-अंदाज नहीं कर सकते।

ऐसा महसूस होता है कि इस दशक में केवल दिल्ली में जितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, पिछले दशक की तुलना में उनमें ढाई गुना वृद्धि हुई है। इन दुर्घटनाओं की वजह से देश को लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का घाटा सहन करना पड़ता है। हमें देखना है कि इन दुर्घटनाओं के पीछे मूल कारण क्या है। दिल्ली में रहते हुये हमें रोजाना ही कोई न कोई खबर सुनने को मिलती है कि आज रेड-लाईन बसों ने इतने लोगों की जान ले ली, इतने लोगों को मार दिया।

हमारे हाईवेज की स्थिति भी बहुत खराब है और सड़कों की बहुत दुर्दशा है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। यदि ऐसा कहा जाये कि बरसात के दिनों मे ही सड़कों की हालत खराब हो जाती है, तो वह काफी नहीं है बल्कि सड़कों की स्थिति पूरे वर्ष भर इतनी खराब रहती है कि कोई कारण न रहते हुये भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं।

हम लोगों का अक्सर दिल्ली लखनऊ राजमार्ग पर आना-जाना होता है और हम देखते हैं कि इस राजमार्ग की हालत हमेशा ही खराब रहती है। इस राजमार्ग पर हापुड़ नामक एक शहर पड़ता है, जिसकी सड़कें बहुत ही नाजुक स्थिति में है। पूरी सड़कें टूटी हुई और गड्ढेदार हो गयी है। उनकी कोई देखभाल नहीं है। वहां सड़कों पर मोटर वाहनों, रिक्सा-चालकों, साईकिल-वालों और सभी प्रकार के यातायात के साधनों का इतना प्रेशर रहता है कि आये दिन एक्सीडैंट होते रहते हैं। एक्सीडैंट में स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि पूरे के पूरे ट्रक सड़कों पर पलटे हुये दिखायी देते हैं। मैं महसूस करता हूं कि हमें मोटर यान अधिनियम में ऐसे प्रावधान करने चाहिये ताकि मोटर गाड़ियों पर, रिक्शा-चालकों या टैम्पो-चालकों आदि पर तो कुछ प्रतिबंध लगाये ही जायें साथ-साथ एक समय-सीमा के बाद उनकी बॉडी को बिल्कुल रद्द किया जा सके क्योंकि आज इस प्रकार की स्थिति देखने में आती है कि वाहनों की बॉडी बिल्कुल जर्जर हो चुकी होती है, उनकी हालत बिल्कुल खराब होने के बावजूद वे सड़कों पर चलाये जाते हैं। ऐसी कोई बस जब सड़कों पर चलती है तो उसके दरवाजे खुले रहते हैं, सवारियां बाहर सिर निकाले रहती हैं और कुछ लोग छतों पर बैठकर चलते हैं। पता नहीं कि अब तक के कानूनों में क्या इस प्रकार के प्रोवीजन थे कि ऐसी खराब स्थिति वाले वाहनों को सड़कों पर चलने दिया जाए और जो ड्राइवर अनट्रेंड हैं उनको भी सड़क पर गाड़ी चलाने की इजाजत दे दी जाए? मैं समझता हूं कि जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले लोग हैं या जो ट्रैफिक पर विचार करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए कौन से नियम और कानून हैं जिनके अन्तर्गत वे नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं और इस प्रकार की जरजर अवस्था वाले वाहनों को वे चल की इजाजत देते हैं?

कभी-कभी ऐसा होता है कि पुलिस द्वारा वाहनों को बैरीरियर पर रोक कर और एक-दो घंटे तक काफी वाहनों को इकट्ठा कर के कनवाए के नाम पर इकट्ठे चलने की छूट दी जाती है जिससे एक-दूसरे से वाहन टकरा जाते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। तो क्या पुलिस वालों के लिए ट्रैफिक के नाम पर इस प्रकार का कानून है कि वे ऐसा करें और दुर्घटनाओं को बढ़ाएं?

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अलीगढ़ से एक वैन चली और राजघाट-नरौरा का एक पुल पड़ता है। उस पुल पर उस वैन को वहां उपस्थित तीन सिपाहियों ने रोका और उसमें बैठे लोगों से 1500 रुपए छीन लिए और कहा कि हम तुम्हारे सामान को गंगा में फेंक देंगे। इस प्रकार से मेरा कहना यह है कि पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में काम करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, उनके द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यों के लिए उनके ऊपर सख्त कदम उठाकर कार्रवाई करें और जहां भी कोई इस प्रकार की रिपोर्ट मिले, तो उस पर तुरन्त एक्शन हो और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो। उनके द्वारा बहुत अव्यवस्था फैलाई जा रही है। इस कानून में पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने का प्रावधान करें जिससे वे लोग कहीं पर कोई किसी तरह की ज्यादती करें और उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट मिले तो अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, आए दिन इस प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी जिनमें पुलिसकर्मियों द्वारा ही कानून को तोड़ा जाता है। अभी हमारे एक भाई, बी॰ जे॰ पी॰ के श्री बलराज पासी हैं वे पांच-छः दिन पहले ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर एक सिपाही शराब पीकर कुछ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था और एम॰ पी॰ साहब के साथ भी इस प्रकार की कुछ बात हो गई, तो उन्होंने उसकी शिकायत करके उसे ससपेंड कराया। मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकांश प्रकरणों में ऐसा होता है कि जो कानून का पालन कराने वाले हैं, वे ही उसका उल्लंघन करते हैं जिसके कारण दुर्घटनाओं की स्थिति बढ़ गई है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यातायात के नियम हैं अगर उनका समावेश स्कूली पाठ्यक्रम में कर दिया जाए, तो विद्यार्थी बचपन से ही उन नियमों को सीख सकता है और दुर्घटनाओं से अपना बचाव कर सकता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जो नियम और कानून हैं, उनका पालन नहीं होता है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने 1988 से जो नियम और कानून बना रखे हैं और 1994 में बनाने जा रहे हैं, तो क्या आप उनको लागू करने की क्षमता रखते हैं? क्या आप उनको इन टोटो इम्पलीमेंट करेंगे?

सड़कों पर जो अवैध कब्जे हैं, क्या उनको हटाएंगे? दिल्ली में सदर बाजार के अंदर चले जाइए दोनों तरफ से आधी-आधी सड़कों पर अवैध कब्जा कर रखा है। अगर अवैध कब्जे हटवा दिए जाएं, तो दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। लोग सड़कों पर अपने वाहन खड़ी रखते हैं और दोनों साइड कारें, ट्रक, साइकिल मोटर साइकिल खड़ी रखते है या अपनी दुकानें दोनों ओर सड़कों पर आगे बढ़ा ली हैं। इन अवैध कब्जों को सख्ती से हटवाने का काम सबसे पहले करिये। जहां सरकार ने बाईपास बनाए हैं, वहां भी इस प्रकार की स्थिति है। लोगों ने आ कर सड़क और सड़क के आसपास के एरिया को घेरना शुरू कर दिया है। वहां लोगों ने आकर सड़क और सड़क के आस-पास के एरिया को घेरना शुरु कर दिया है और एक समय ऐसा आएगा अब जो बाईपास है उसको बनाने का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। कई जगह ऐसे मसले हैं जिन पर माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान दें जैसे-हापुड़ में आपने बाईपास पास कर रखा है, मुरादाबाद में आपने बाईपास पास कर रखा है।

माननीय मंत्री श्री जगदीश टाईटलर जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आपने हापुड़ और मुरादाबाद में दोनों जगह बाईपास पास किये हुए हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मुरादाबाद और हापुड़, दोनों बाईपास के लिए शीघ्र से शीघ्र अनुदान देने की कृपा करें जिससे यह दुर्घटना रहित क्षेत्र बन सके। इसके लिए दोनों शहरों के लोग आपके आभारी होंगे तथा इस दिशा में यह एक अच्छी बात होगी।

दूसरा मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, अगर उन क्षेत्रों में फ्लाईओवर की व्यवस्था हो सके जाये तो वहां की पब्लिक के लिए काफी सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त जो यातायात के सिगनल्स हैं, उनमें सुधार होना चाहिए। कहीं-कहीं सिगनल क्रास करने के बाद पता चलता है कि वहां रूकना था। इस तरह की स्थिति भी देखने को मिलती है।

मैं अधिक समय नहीं लूंगा। सभापति जी ने इशारा कर दिया है कि मैं अपनी बात समाप्त करूं। मैं केवल अंत में एक बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि दिल्ली में जो रेड लाईन बसें हैं, उनसे आप जरूर जनता को राहत दिलाइये क्योंकि इन बसों के द्वारा कत्ले-आम बहुत बढ़ गया है। जब हम पढ़ते हैं कि मासूम बच्चे की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है तो हमको बड़ी पीड़ा होती है इसलिए माननीय मंत्री जी, इन बसों पर कोई कंट्रोल करिये या इन पर कोई चैक रखिये। जिसको बस का परमिट दिया जाता है वह उसको ठेके पर उठा देता है। ठेकेदार चाहे ड्राइवर है या कंडैक्टर, वे सब और पैसा कमाने के चक्कर में अनियमित रूप से इसका प्रयोग करते हैं।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं तथा इस बिल का समर्थन करता हूं

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्नर) : महोदय, यह संसोधन विधेयक मूल अधिनियम में एक बहुपक्षीय संशोधन है जो एक बहुपक्षीय अधिनियम है। इस संविधि में सड़क परिवहन के अनेक आयाम हैं। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जो सड़क परिवहन प्रणाली का प्रमुख अंग है जिसके माध्यम से सरकार सड़क परिवहन को नियमित और नियंत्रित करने का प्रयास करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस अधिनियम का बहुत समय से किसी ने उपयोग नहीं किया, इसके प्रावधानों को नहीं माना है। इस अधिनियम को बलात् केवल उन लोगों पर लागू किया गया जो कानून को मानते हैं और इसका उल्लंघन नहीं करते हैं। उन्हीं व्यक्तियों को इस अधिनियम के अंतर्गत पकड़ा जाता है और अन्य उल्लघंन कर्त्ता मुक्त घूमते रहते हैं।

महोदय, इस अधिनियम में वाहनों के लिए कुछ प्रावधान हैं जैसे वाहनों का रख-रखाव और सुरक्षा स्तर बनाए रखना, चालकों के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता, चालक दल तथा मोटर वाहन आदि। इस अधिनियम में इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा दिया गया है। यह ऐसा अधिनियम नहीं है जो उपयुक्त हैं और यह संशोधन भी सभा में चर्चा करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। पहले जब तक कि इस अधिनियम के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई थी हमारे पास सभा में इस पर चर्चा करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था लेकिन अब समितियां हैं। स्थायी समिति हैं। इस अधिनियम पर उन्हें विचार करना चाहिए और उन्हें संशोधनों के विस्तृत ब्यौरों, उनकी आश्वयकता तथा पर्याप्तता के बारे में संसद को बताना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों नहीं किया गया जबकि स्थायी समितियां एक वर्ष पहले ही गठित की जा चुकी थीं स्थायी समिति को इस मामले के बारे में सभा को जानकारी देनी चाहिए। चूंकि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं कुछ पहलूओं के बारे में बोलूंगा जो कि अधिकांशतः नीति संबंधी पहलू हैं जिनके संबंध में इस अधिनियम बनाने वालों ने भी ध्यान नहीं दिया है।

महोदय, इस विषय पर कार्यवाही करने वाले मंत्रालय तथा उन अन्य मंत्रालयों, जिनसे उन्हें आदान, समर्थन और परामर्श तथा मार्गनिर्देश प्राप्त होता है, के बीच समन्वय होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि मंत्रालय को क्या मार्गनिर्देश प्राप्त हुए हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इसे तथ्य की जानकारी है कि भारत जैसे देश में ऐसी परिवहन नीति होनी चाहिए जिससे लंबी-दूरी के सड़क यातायात द्वारा ले जाए जाने वाले माल में कमी लाई जा सके। यह परिवहन नीति संबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश है। मेरे ख्याल से यह सिफारिश बी० डी० पांडे समिति द्वारा की गई थी जिसने 1982 में अपनी रिपोर्ट दी थी। मुझे संदेह है कि इस समिति की मुख्य सिफारिशों को लागू करना तो दूर की बात है इन्हें न तो स्वीकार किया गया है न ही अपनाया गया है। एक सिफारिश जिसे मैं भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त मानता हूं, यहां हमारे पेट्रोलियम संसाधन सीमित हैं, यह आवश्यक है कि 300 कि० मी० से अधिक दूरी तक भेजे जाने वाला सामान, यदि सारा नहीं तो अधिकांशतः रेल द्वारा ही ले जाना चाहिए। 300 कि० मी० से कम दूरी के लिए सड़क परिवहन का उपयोग किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि आज हमारे ट्रक इस देश में आयातित कुल पेट्रोलियम में से आधे पेट्रोलियम का उपयोग कर लेते हैं। उनका कहना है कि जहां तक संभव हो सके यह रेल द्वारा ले जाया जाना चाहिए। उन्होंने रेल द्वारा सामान ले जाने तथा सड़क द्वारा सामान ले जाने में प्रयोग आने वाली ऊर्जा के तुलनात्मक आंकड़े दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट आंकड़े दिए हैं। मुझे विश्वास है कि रेलवे लाइन के बड़े भाग का विद्युतीकरण करने से आज सड़क की तुलना में रेल द्वारा सामान ले जाना पहले की अपेक्षा अधिक वेहतर हो गया है। लेकिन इस बात की ओर 1988 मूल अधिनियम मोटर वाहन अधिनियम में अथवा इसके संशोधन में कोई ध्यान नहीं दिया

गया है और इस बात को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है कि लंबी दूरी तक माल की ढुलाई रेल द्वारा की जाएगी न कि सड़क द्वारा। इसके लिए जलभूतल परिवहन मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच समन्वय होना चाहिए ताकि ट्रकों पर कम से कम लागत से, कम से कम परेशानी व विलम्ब से सामान लादा जाए। हम आज के संशोधन में ऐसे ही प्रावधान की आशा कर रहे थे। आज जहां तक विदेशी मुद्रा की कमी का संबंध है, हमारी अर्थव्यवस्था पहले ही नाजुक दौर से गुजर रही है, फिर भी वे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि वे कभी जागरुक भी रहे हों। एक पहलू यह है।

दूसरे, एक अन्य पहलू जिसके ब्ये में मंत्रालय को विचार करना चाहिये, वह यह है, शहरों में बढ़ते हुए यातायात को कम कैसे किया जाये।

शहर में तथा अन्य स्थानों पर भी अधिकांश रूप से वाहन यातायात तथा सड़क परिवहन से होने वाले प्रदूषण को कम कैसे किया जाये। तुरन्त संशोधन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है अथवा वर्तमान अधिनियम में पहले से ही मौजूद ऐसी कोई नीति, सम्मिलित नहीं की गई है जिससे अन्य देशों की तरह, शहर में अधिक वाहन यातायात न चलने दिया जाय, उस शहर में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए। जनता को उपलब्ध परिवहन के साधन जैसे बसों, रेल-गाड़ियों इत्यादि का प्रयोग करना पड़ता है। वहां और अधिक मेट्रों रेलगाड़ियां बनाई गई हैं। लंदन परिवहन, जो 1850 में शुरू हुआ था, आज भी एक और लाइन बिछा रहा है। हाल ही में उन्होंने एक लाइन पूरी की है। एक लाइन आठवें दशक में, एक नौवे दशक में और एक अन्य लाइन दसवें दशक में पूरी की है। कलकत्ता में उन्होंने 1972 या 1974 में पहली मेट्रों का निर्माण शुरु किया था और वे उसे अभी भी बना रहे हैं। दिल्ली में इसके के बारे में वे केवल बात कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसके बारे में वे कितने समय तक बातचीत करते रहेंगे। मैं परिवहन मंत्रालय को ही दोष नहीं दे रहा हूं। लेकिन यहां कोई तालमेल नहीं है। हर सरकारी विभाग अपने आप में स्वतंत्र है। अन्य विभागों का इससे कुछ लेना-देना नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? आज, हमें बताया गया है कि दिल्ली में बगलौर, मुम्बई तथा कलकत्ता से ज्यादा वाहन हैं। इन तीनों शहरों में 20 लाख से कम वाहन हैं और दिल्ली में 20 लाख से अधिक वाहन हैं। यह बड़ी भयंकर स्थिति हैं। यह क्या हो रहा है?

उसके पश्चात् बसों, तिपहियों तथा स्कूटरों द्वारा फैलाया गया प्रदूषण आता है। और मोटर कारों से जो गैस निकलती है वह दिखाई भी नहीं देती। लेकिन इसमें घातक शीशा होता है। मुझे बताया गया है कि अन्य देशों में मोटर-कारों में जो पेट्रोल प्रयुक्त होता है, उसमें से शीशा अलग कर दिया गया है। ऐसा इस देश में क्यों नहीं किया जाता हमें बताया गया है कि पेट्रोल को तेल शोधक कारखानों में शीशा-रहित करने के लिए 3000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। क्या यह 3000 करोड़ रुपये की राशि शीशे के जहर से लोगों को बचाने अथवा कम से कम छोटी आयु के बच्चों में शीशे के जमाव से मस्तिष्क के विकास रुक जाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है? यह हमारे केन्द्रीय प्रदूषण-नियंत्रण-बोर्ड की रिपोर्ट है। चार से आठ वर्ष की या इसके आसपास के आयु के बच्चों का क्या होगा? उन्होंने यह अध्ययन किया है कि शीशे का यह जमाव एक सीमा से अधिक हो जाये तो मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। हम इसके लिए 3000 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर रहे हैं। कम से कम मोटर यान अधिनियम में अब यह व्यवस्था की जा सकती थी कि पांच वर्षों में यह काम कर लिया जाएगा। पांच वर्षों में जब तक पेट्रोल को शीशा रहित न किया जाये तब तक किसी वाहन को नहीं चलाया जा सकता। वे सरकार पर दबाव डाल सकते थे। निः संदेह, अगर इसे जन-समर्थन प्राप्त होता और इस मामले को समिति को भेजा जाता और समिति इसको स्पष्ट करती तो संसद इसका समर्थन करती। सिर्फ मेरे चिल्लाने से ही कुछ नहीं होगा।

यहां लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की किसी को परवाह नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि भारत में जब कोई नई बस सड़क पर आती है तो एक वर्ष के भीतर वह काला धुंआ छोड़ना शुरू कर देती है। एक नया ट्रक सड़क पर आता है और यह महीने के भीतर धूंआ छोड़ना शुरू कर देता है। इस संबंध में मैंने विशेषज्ञो से बात की है। उनका कहना है कि जहां तक ट्रकों का सम्बन्ध है, ईंधन क्षेपण उपकरण ईंधन क्षेपण पम्प में शुरू में ही कुछ छेड़छाड़ कर ली जाती है यह छेड़छाड़ क्यों आती है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसमें क्षमता से अधिक मालभार वहन किया जा सके। एक ट्रक जिस की सामान्यता नौ या दस टन माल ले जाने की क्षमता होती है वह अक्सर वे 15 से 16 टन माल उठाते हैं। ईंधन क्षेपण पम्प में कुछ हेरफेर करके ही इंजन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और यह इसी प्रकार चलता रहता है। बसों के मामले में ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन उनका कोई रख-रखाव नहीं किया जाता है। वे इनका रखरखाव इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार के दण्ड की व्यवस्था नहीं है। यहां लोगों का स्वास्थ्य ही दांव पर है। मेरे विचार में मोटर यान अधिनियम में यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि अगर कोई बस धुंआ फैंक रही हो तो उसे तत्काल जब्त कर लिया जाये। मैं देखना चाहूंगा कि इसके बाद कौन बस-मालिक बस चलाना चाहेगा। एक बार दस बसों को जब्त कर लिया जाये तो हरेक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि उसकी बस या उसका ट्रक इस प्रकार का धुआं न फैंके।

पूर्व वक्ता श्री मेहता बसों में अधिक भीड़ के कारण होने वाली दुर्घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे। बसों में अधिक यात्री भरने का एक तरीका इस मशीनरी में फेरबदल करना है, जिसके परिणामस्वरूप उससे धुआ निकलता है। कुल मिलाकर यह लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, सड़क-सुरक्षा तथा अपने कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मंत्रालय और सरकार की इच्छा के पूर्ण अभाव को दर्शाता है। एक के बाद एक ये कानून बनाये जाते हैं, लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया जाता। कानून को कोई महत्व नहीं दिया जाता और आज मोटरयान अधिनियम के प्रति भी यही रवैया है....**(व्यवधान)**

मैं नीतिगत मुद्दे पर बोल रहा हूं। जहां तक सड़क-सुरक्षा का सम्बन्ध है, प्रशिक्षण और शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। प्रश्न केवल इतना ही नहीं है। मैं इससे सहमत हूं कि ड्राइवरों को शिक्षित किया जाना चाहिये। जब तक ड्राइवरों को इस बारे में शिक्षित नहीं किया जाता तब तक वे सड़क-संकेतक पढ़ और समझ नहीं सकते। निःसंदेह सड़क संकेतकों की संख्या बहुत कम है। इसका दोष पुनः, मंत्रालय के ऊपर है क्योंकि सड़क-संकेत को बहुत कम हैं। सड़क संकेतक अधिक होने चाहिये, उन्हें बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिये और वे स्पष्ट पठनीय होने चाहिये तथा ऐसे शब्द होने चाहिये जिन्हें दूर से पढ़ा जा सके। केवल तभी सड़क संकेतकों का कोई फायदा है। लेकिन ड्राइवर को भी उन्हें पढ़ने, समझने तथा वाहन चलाने में उनका प्रयोग करने में समर्थ होना चाहिये। इस प्रकार, उसे न्यूनतम शिक्षा की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कह सकता कि उसे कितनी शिक्षा की आवश्यकता है। अगर इस पर समिति होती तो समिति से राय लेती यह बतलानी कि इसके लिए दसवीं कक्षा तक की शिक्षा आवश्यक है अथवा बारहवीं तक की। वह ऐसा बता पाती लेकिन मेरे विचार में शिक्षा आवश्यक है। इन सब बातों के अतिरिक्त, शिष्टाचार का मामला भी है इस देश में जहां तक ड्राईवरों का सम्बन्ध है उनमें वाहन चलाने की कुशलता का ही अभाव नहीं है बल्कि उनमें सड़क पर चलने वाले लोगों, अन्य वाहनों, पैदल चलने वालों तथा सड़क के अन्य प्रयोक्ताओं के प्रति शिष्टाचार की भावना भी नहीं है। यह प्रमुख जरूरत है। यदि एक बार दस बसें इस प्रकार जब्त की जाती हैं तो हर कोई ऐसा करेगा- प्रथा के अनुसार तो यह शिष्टाचार का मामला बनता है-लेकिन उन्हें कानूनन ऐसा करना होगा, जिसकी अभी कमी है।

सड़कों की मरम्मत और सड़क की दशा की भी आलोचना हुई है और उस पर टिप्पणी हुई है। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी को यह बात मालूम है मैंने समिति में बहुत पहले जांच के माध्यम से इस बात का पता लगाया था कि सड़क का डिजाइन उसकी सामग्री आदि सदैव निम्नस्तर की होती हैं। इसका यह तात्पर्य है कि लदे हुए वाहन का भार उसके वास्तविक भार के स्तर से कम माना जाता है। वास्तव में भारतीय ट्रंक रोड़ पर लदे हुए वाहन का भार 20 टन से अधिक होता है जिसमें वाहन का भार केवल 12 या 13 टन माना जाता है। यदि इन दोनों के बीच कोई सामंजस्य नहीं है, तो जिन स्वीकृत आंकड़ों के आधार पर डिजाइन आदि बनाए जाते हैं व सही आंकड़े होने चाहिए।

या तो आप यह कहिए कि ठीक हैं हम आपको इतना भार ले जाने की अनुमति देते हैं और इसलिए हम सड़कें और अधिक मजबूत हैं और इनके डिजाइन सामग्री आदि भी और अधिक बढ़िया होगी। या आप फिर यह कहिए कि यह ये डिज़ाइन, सामग्री आदि हैं और आपका इतनी भार सीमा का पालन करना कहिए उससे अधिक नहीं। हम आप पर जुर्माना लगाएंगे और आपको सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि जुर्माना ही इतना अधिक होगा।' इन्हीं कारणों से सड़कों के स्तर में इतनी गिरावट आई है। जिस तरह से सड़कों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस मान्यता पर सड़कों का निर्माण हुआ है उसके बीच कोई संबंध नहीं है।

जहां तक बसों का संबंध है, भीड़-भाड़ के समय और अधिक बसों की जरूरत हैं। क्यों? इसके दो कारण हैं। पहली बात यह है कि मैं चाहता हूं कि बस से अधिक लोग आएं और कारो से कम लोग आपको यह व्यवस्था करनी होगी ताकि लोग एक निर्धारित परिधि के बाद कारों से शहर में न आ सकें। दिल्ली में रिंग रोड या आउटर रिंग रोज के अंदर की ओर के सर्किल को लीजिए। यदि लोगों को कारों से आना है तो उन्हें उसी स्थान तक कारों से आना होगा। उनके लिए वहां पर अपनी कारों को खड़ी करने की व्यवस्था की जानी चाहिए और वहां से उन्हें बसों से आना होगा। यह आसानी से किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि दूसरे देशों में व्यस्त घंटों के दौरन किराया अधिक होता है। ताकि और अधिक बसें चल सकें और गैर-व्यस्त घंटों के दौरान किराया कम होता है। जो लोग अधिक किराया नहीं दे सकते हैं वह गैर-व्यस्त घंटों के दौरान आएंगे। अतः कुछ किया जा सकता है ताकि बसें सड़कों पर चल सकें और उन लोगों को ले जाने में बसें हों जो अन्यथा कारों से आ सकते हैं, लेकिन वह अपनी कारों से न आ सकें क्योंकि पार्किंग प्रभार इतना अधिक है कि वह कहीं पर भी अपनी कारों को खड़ी नहीं कर सकते हैं। यदि दिल्ली जैसे शहर या किसी बड़े शहर में कारों की भीड़-भाड़ को कम करना है तो इसी तरह कुछ करना होगा। कारों को बाहर खड़ा करने के साथ बसों पर भी ध्यान देना होगा।

लोगों ने राजमार्गों की बात की। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह आभास करवाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6, बम्बई-कलकत्ता राजमार्ग का इस समय कलकत्ता की ओर कोई अन्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसे कहीं पर समाप्त करवाने की व्यवस्था करें। यह डायमंड हार्बर पर समाप्त होना चाहिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 का वास्तविक अंत है। हुगली के दूसरे क्रासिंग जिसे विद्यासागर सेतु भी कहा जाता है, पर आने के बाद यह पहुंच मार्गों में खो जाता है। वास्तव में यह एक पहुंच मार्ग के साथ-साथ जाना चाहिए और डायमंड हार्वर की ओर मुड़ जाना चाहिए और डायमंड हार्वर रोड़ पर समाप्त हो जाना चाहिए, जो कलकत्ता की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 का सही अंत है।

मैं एक दूसरी सड़क का उल्लेख करता हूं। मैं समझता हूं कि संभवतः इस बारे में जानते हैं। दुर्गापुर एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाने वाला 'एक्सप्रेस वे' बनाया जा रहा है। समाचार पत्रों में मैंने जो खबरें

पढ़ी हैं उनके हिसाब से यह एक परियोजना है। हमें बताया गया है कि 'एक्सप्रेस वे' इतना संकरा है कि दो बसें एक दूसरे को क्रास नहीं कर सकती हैं। इस तरह का एक्सप्रेस वे' बनाया जा रहा है। मुझे मालूम नहीं है क्यों बनाया जा रहा है। डिजाइन सामग्री आदि पर गौर करना होगा और हो सकता है इसके लिए और अधिक धन उपलब्ध करवाना होगा।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा (सलम्बूर) : सभापति महोदय, मैं मोटर यान संशोधन विधेयक अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

मुझ से पूर्व बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार सदन में आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। सड़क निर्माण का कार्य निर्माण मंत्री के अंडर में आता है, पुलिस गृह विभाग के अंडर में आता है और वाहन आपके अधिकार क्षेत्र में आता है।मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस प्रकार इन तीनों में ताल-मेल बैठा पायेंगे ? सड़क पर दुर्घटना होती है, जो सड़क के खराब होने के कारण होती है और पुलिस कन्ट्रोलिंग पावर के पास है, तो कैसे तालमेल बैठेगा। इस बारे में जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, मैं उनसे सहमत हूं।

प्रशिक्षण की जो बात कही गई है, यह ठीक है कि नियम का पालन नहीं होता है। प्रशिक्षण ठीक न होने की वजह से दुर्घटनायें अनियमित होती है। प्रशिक्षण ठीक होता, तो दुर्घटनायें न होती। ट्रेफिक वाले, जो आर टी ओ के डिपार्टमेंट के आदमी वाहनों को चैक करने के लिए खड़े रहते हैं वे उसको क्या चैक करते हैं और किस तरह से चैक करते हैं, इसको हम सभी जानते हैं। वे केवल पैसा बटोरने के लिए गाड़ी रोकते हैं। यदि वे रसीद दे देते हैं और उसमें अमुक कमी है तो उस कमी की पूर्ति करने के लिए ड्राइवर को हिदायत कर दें कि आइन्दा वह ऐसी हरकत नहीं करेगा और यदि करेगा तो तुम्हारे वाहन को जप्त कर देंगे। सारे देश में निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जो गलती करे उसको सजा देनी चाहिए और ड्राइवर को हिदायत दे देनी चाहिए कि तुम आइन्दा ऐसी गलती नहीं करोगे तो निश्चित रूप से ड्राइवर भी समझ जाएगा कि हम अगर कोई गलत काम करते हैं, जैसे किसी ने दारू पी होगी या जिसके पास गाड़ी का लाइसेंस नहीं होगा, ड्राइवर सही नहीं होगा या वजन ज्यादा होगा, उनमें कई कमियां होती हैं तो वह नहीं करेगा। किन्तु जो चैक करते हैं वही उस नियम को आजू-बाजू कर देते हैं तो जो ड्राइवर है उसने 10 रूपया पकड़ाया और फिर वे चलते रहेंगे। हर 10-20 किलोमीटर पर चैकिंग वाले मिल जाते हैं। आज कल तो सौ रुपया लेते हैं तो ड्राइवर भी परेशान हो जाते हैं और परेशान हो करके ऐसी आपत्ति में पड़ जाते हैं कि वे गाड़ी भी अंधाधुंध चलाते हैं। इसको एक तो आर टी ए डिपार्टमेंट के चैक करते हैं, दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट का फ्लाइंग स्कवेड चलता है। मैंने बहुत सी जगहों पर देखा है वह इस बात के लिए चलता है कि कहीं दुर्घटना हो जाए तो उसमें मदद करेंगें। अगर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसको जल्दी हटा कर रास्ता साफ कर देंगे। लेकिन यह नहीं होता है जहां दुर्घटना हुई वहाँ रास्ता बन्द हो गया, जाम हो गया, तो हो गया। वे अपना काम ठीक से नहीं करते हैं।

मेरा कहने का अर्थ यह है कि दोनों डिपार्टमेंट आरटीए और पुलिस डिपार्टमेंट एंड वाहन डिपार्टमेंट सब को सही तरीके से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि हमारा नियम क्या कहता है, हमको नियमानुसार क्या चीज करनी चाहिए। इससे क्या होता है इन अनियमिताओ के कारण दुर्घटनाएं होती हैं या गलत तरीके से वाहन चलते हैं, अगर ये ठीक तरीके से चलें तो कम से कम दुर्घटनाएं हों। हमारे देश की आबादी बढ़

गई है और उसके मुताबिक वाहन भी ज्यादा चलने लग गए हैं और जितने वाहन चलते हैं उन सब में पैसेंजर जाते हैं तो कहीं न कहीं तो कमियां रहती हैं। मैं चाहूंगा और खास तौर से इसी पर जोर दूंगा कि चाहे आरटीए हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट हो, इन सब को ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे कि कम से कम दुर्घटनाएं हो।

महोदय, मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहूंगा, आम तौर से जो साधारण लोग होते हैं, जिनके पास कम पैसा होता है वे कहीं मजदूरी करने के लिए शहर में जाते हैं तो 20,30,40 कि०मी० चल करके शहर में नौकरी के लिए जाते हैं। वे ट्रकों में लद करके जाते हैं और उसके बाद उन्हीं ट्रकों में लद कर वापस अपने घरों में आते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे छोटे-छोटे रास्तों पर बसें चलाई जाएं जिससे लोग ट्रकों में न जाएं। कभी-कभी ऐसा होता है कि ट्रक वाले 24 घंटे चलते हैं, अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि तीन सौ कि०मी० से ज्यादा चलने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं कि उदयपुर से बम्बई साढ़े सात सौ कि०मी० है। यहां से शाम को 4 बजे बस या ट्रक चलता हैं और दूसरे दिन सुबह वहां 6 बजे बम्बई में पहुंच जाता है वह एक रात में इतनी दूरी पार करता है तो वह कितनी स्पीड से जाता होगा। इतनी स्पीड में जाने से बहुत से वीडियों कोच जाते हैं जो आमने-सामने टकरा जाते हैं और इससे कितने लोग मर जाते हैं। इस तरह से कितनी दुर्घटनाएं होती है लेकिन पुलिस और आरटीए के लिए कोई कानून नहीं। सब जानते हैं सड़कों पर बोर्ड लगाते हैं कि यह गाड़ी अमुक जगह से अमुक जगह पहुंचाई जायेगी। दुनिया भर के बोर्ड सड़कों पर लगे हुए हैं और उस पर टाइम लिखा हुआ है। पुलिस वाले जानते हैं, आरटीए तथा सभी डिपार्टमेंट जानते हैं और गवर्नमेंट भी जानती है कि इतनी जल्दी जाने की ड्राइवरों को अनुमति घोषित कर रखी है कि तुम इतने समय में इस पैसेंजर को पहुंचा दोगे तो तुमको यह इनाम दिया जाएगा। वह अपना इनाम लेने के लिए इतनी स्पीड से चलाता है। रास्तें में दुर्घटना हो जाती है और रास्ते में कितनी जानें चली जाती हैं इसकी उसको परवाह नहीं और मालिक को भी परवाह नहीं हैं क्योंकि इंश्योरेंस होता है। उसमें क्या होता है, किसी को 25 या 50 हजार दे दिया जाता है लेकिन उस व्यक्ति की तो जान चली जाती है तो इस प्रकार से जानते हुए भी अंजान हो करके हम काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, ताकि दुर्घटनाएं न हों।

इन सुझावों के साथ-साथ मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। उदयपुर बहुत बड़ा शहर है और इसके लिए बाईपास स्वीकृत हो चुका है, पैसा भी आ चुका है। बाकी सब बड़े शहरों में बाईपास का निर्माण किया जा चुका है लेकिन उदयपुर के लिए अभी तक बाईपास का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। आज स्थिति यह है कि जिस जगह पर बाईपास का सर्वे हुआ है और सड़क बननी है, वहां पर लोगों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं और मकान बनते चले जा रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि जब बाईपास बनने का वक्त आएगा, तब जिन लोगों ने अतिक्रमण करके मकान बना लिए हैं, वे लोग मुआवजा मांगेंगे और सारा पैसा इसी कार्य में खर्च हो जाएगा और बाईपास का निर्माण नहीं हो पाएगा। देश के कुछ अन्य शहरों में भी हो सकता है कि यही स्थिति हो। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जिन शहरों के लिए बाईपास स्वीकृत कर दिए गए हैं, वहां पर शीघ्र कार्य प्रारंभ करवाया जाए, ताकि इस तरह की दिक्कते न आएं, तथा जनता को शीघ्र इस सुविधा का लाभ मिल सके।

अवैध कब्ज़ों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जहां आदिवासी रहते हैं, वहां पर तो नेशनल हाईवे के आसपास 200 फुट की पट्टी ले ली गई है, आदिवासियों से कहा गया कि इसका मुआवजा ले लो, इसके

अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो दिल्ली जाना होगा। इस वजह से उन आदिवासियों से तो जगह खाली करवा ली गई, उनके मकान आदि बुलडोजर चलवा कर हटवा दिए गए, उन गरीबों की जमीन ले ली गई, लेकन जहां पर सवर्णों के मकान बने हुए हैं, उनको नहीं हटाया गया। मैंने भी उन सवर्ण लोगों से अनुरोध किया कि आप लोग यहां से अपने मकान हटाने दें, ताकि सड़क चौड़ी हो सके और लोगों को सुविधा हो, दुर्घटनाएं न हों। इसका प्ररिणाम यह हुआ कि विभाग के लोगों ने उन सवर्णों से कहा कि आपका प्रतिनिधि कहता है कि यहां से अवैध निर्माण हटाया जाए। इस तरह से वे लोग मेरे सिर हो गए कि विभाग तो नहीं कहता, आप कहते हैं कि अवैध निर्माण यहां से हटाया जाए। आज स्थिति यह है कि रोजाना एक गाड़ी मकान में घुस जाती है और दुर्घटनाएं होती हैं। मेरा अनुरोध है कि इस स्थिति में सुधार किया जाए।

इसी तरह से जो मैंने कहा है कि जहां पर लोग ट्रकों में यात्रा करते हैं, वहां पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए उन स्थानों पर पर्याप्त बसों की व्यवस्था की जाए, ताकि इन दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा जान-माल की हानि न हो।

एक चीज की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उदयपुर से लेकर दिल्ली तक मैंने देखा है, क्योंकि कई बार मैं सड़क मार्ग से भी दिल्ली आता हूं, जहां पर सवर्ण लोग रहते हैं, वहां पर तो बैरिअर लगाए गए हैं और वाहन धीमी गति से गुजरते हैं, लेकिन जहां आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर कोई बैरिअर नहीं लगाए गए हैं और वाहन बहुत तेजी से गुजरते हैं। वाहन चालक बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं और इतनी तेजी से जाते हैं कि तेज वाहन से चलने वाली हवा से ही दुर्घटना हो जाए। जब इस बारे में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो यह कह दिया जाता है कि यह तो नेशनल हाईवे है और नियमानुसार इस पर बैरिअर नहीं लगाए जा सकते, जबकि सवर्ण क्षेत्रों में बैरिअर लगाए गए हैं। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आदिवासी क्षेत्रों में भी बैरिअर लगवाए जाएं और नियम सभी जगहों के लिए समान होने चाहिए। यदि सरकार कुछ नहीं कर सकती तो फिर आदिवासी स्वयं कोई व्यवस्था कर लेंगे और भाले, तलवारें लेकर खड़े हो जाएंगे। तब फिर अपने आप बैरिअर बन जाएंगे।

अंत में मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा जहां पर वाहन 700 किलोमीटर का रास्ता 24 घंटे में तय करते हैं, चालकों के साथ नींद की समस्या होती है, कई चालक शराब पीकर वाहन चलाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती है, इस स्थिति में भी सुधार किया जाना चाहिए।

आशा है मंत्री महोदय मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

5.00 म०प०

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : सभापति महोदय, इस बारे में काफी बातें हो चुकी हैं लेकिन मैं अपनी बात वेहिकल के लाईसेंस से शुरू करना चाहूंगा। गाड़ी सीखने में जितनी दिक्कत नहीं होती जितनी लाईसेंस लेने में होती है। टैस्ट में पास होने के बाद लाइसेंस तुरंत मिल जाना चाहिए। यह मतलब नहीं है कि जो आए उसको लाईसेंस दे दिया जाए, ऐसा करने से तो एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। यह बात सुनने में आई है कि महिलाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं और तीस से तैंतीस परसेंट तक हम महिलाओं को चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं लेकिन महिलाओं को ड्राईविंग लाईसेंस नहीं मिल पाता है जबकि विदेशों में महिलाएं ट्रक और बसें चलाती हैं। लेकिन यहां पर पांच साल की ट्रेनिंग के बाद भी लाईसेंस नहीं मिल पाता है इसलिए मैं समझता हूं कि यह महिलाओं के साथ अन्याय है। हाई-वे पर एस आर ओ के हिसाब से स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए जाते हैं। इसकी वजह से

वेहिक्ल्स में नुकसान होता है और एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होते हैं और लोग मर जाते हैं और ट्र-व्हीलर्स के काफी लोगों को हमने मरते हुए देखा है जबकि स्पेसिफिकेशन एस ओ आर ओ के हिसाब से होना चाहिए। हर राज्य में अलग-अलग मोटर वेहिकल एक्ट होता है। गुजरात में पांच हजार टैक्स लिया जाता है और ऐसे ही राजस्थान में चार हजार, महाराष्ट्र में तीन हजार और यूनियन टैरीटरीज में अलग होता है। इस तरह के सिस्टम की बजाय देश में एक जैसा ही मोटर वेहिकल एक्ट होना चाहिए। आजकल हम देखते है कि पेट्रोल में मिलावट की जाती है जिसकी वजह से पोल्युशन बढ़ता है। कानून तो उनको पकड़ लेता है और 25 या 50 रुपए का जुर्माना लेकर छोड़ देता है। पोल्युशन कंट्रोल एक्ट होना चाहिए जबकि यह सिस्टम हमारे यहां नहीं है। हमारे देश में एक हजार वेहिकल्स में 31 एक्सीडेट्स होते थे जबकि अब 14 होते हैं। एक्सीडेंट्स की संख्या कम हुई है लेकिन लोगों के मरने की संख्या ज्यादा है। जापान में एक हजार वेहिकल में 14 लोग मरते हैं और फ्रांस में 18, जर्मनी में 21, ब्रिटेन में 23 और अमेरिका में 22 लोग मरते हैं लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि हमारे देश में 27 लोग परलोक में पहुंच जाते हैं। कौन कहता है कि हम पिछड़े हुए हैं लेकिन हमारी प्रोग्रेस इसमें ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ढाई परसेंट एक्सीडेंट्स बढ़े हैं।

हमारे देश के अंदर पौने दो करोड़ के करीब वाहन हैं। इनमें दुपहिये 33.6 प्रतिशत हैं। बड़े शहरों में इनकी संख्या 31 प्रतिशत है। दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में 30 प्रतिशत दुर्घटनाओं के शिकार थे वाहन और इनके चालक होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हम कोई ठोस कदम नहीं उठा पाये है। एक्सीडेंट होने की वजह बहुत छोटी सी होती है। जैसे रोड पर वाहन चलते हैं तो उनकी हैडलाइट सामने से हमारी आंखों पर पड़ती है जिससे हमें कुछ दिखाई नहीं देता है और इस वजह से साइड पर जो वाहन आदि खड़े होते हैं उनसे वाहन टकरा जाते हैं। इसके लिए नियम बनना चाहिए कि वाहन की हैडलाइट की रोशनी ऊपर नहीं जानी चाहिए, जमीन पर एक सौ फीट तक जानी चाहिए। मेरे पास 21 साल से ड्राइविंग लाईसेंस है। मैंने हर प्रकार के वाहन चलाये है। मैं जानता हूं कि वाहनों की दुर्घटना ज्यादातर हैडलाइट्स के कारण होती हैं। ऐसे ही साइड पर पार्क की हुई गाड़ियों की टेललाइट नहीं होती है। ड्राइविंग लाईसेंस के लिए जब हम आरटीओ जाते हैं तो वहां कई प्रकार के टैस्ट देने होते हैं। लेकिन आप अब मुझसे पूछेंगे तो मुझे कई नियम याद नहीं हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि हर ड्राइवर के लिए कम से कम पांच साल में एक बार टैस्ट अनिवार्य होना चाहिए। कई ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। आज तो एक प्रकार से उनमें प्रतियोगिता हो गई है कि देखों हम पीकर गाड़ी चला रहे हैं हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। इसका नतीजा यह होता है कि उनकी शराब पीने की केपेसिटी बढ़ जाती है और फिर यह दुर्घटना का कारण बनती है। इसी तरह वाहनों में साइड ग्लासेज़ जरूर होने चाहिए। ये सब छोटी बातें है, लेकिन ये बहुत महत्व रखती है। ऐसे ही ज्यादा वजन और ज्यादा सवारियों को ढोना भी दुर्घटना का कारण बनता है। अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि सम्बन्धित विभागों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। जैसे रोड वाले हैं उनकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी पर है, पुलिस की जिम्मेदारी गृह मन्त्रालय की है और आरटीओ का जिम्मा परिवहन मंत्रालय का है। इन विभागों में आपस में तालमेल बहुत जरूरी हैं।

एक्सीडेंट क्लेम का भी पुराना सिस्टम चला आ रहा है। अक्सर देखा गया है कि कहीं कोई दुर्घटना होती है तो जनरल इंशोरेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया वाले दो-दो, तीन-तीन दिन तक वहां नहीं पहुंचते हैं। वाहन रोड पर ऐसे ही पड़े रहते हैं। हमने अपने गुजरात में ऐसा ही देखा हैं। जामनगर से अहमदाबाद वाली रोड पर तो ऐसा होता है कि अगर दो वाहनों में एक्सीडेंट हो गया और इंशोरेंस वाले देरी से पहुंचते हैं तो वाहनों की संख्या चार तक पहुंच जाती है।

पालुशन का मैंने पहले भी जिक्र किया है। पेट्रोल पम्प के मालिक पेट्रोल और डीजल में मिलावट

करते हैं। पश्चिमी देशों में तो वाहनों की आयु सीमा निर्धारित है। उसके बाद वाहन को स्क्रैप में डाल देते हैं। लेकिन हमारा गरीब देश है इसलिए यहां पर खटारा वाहन भी रोड पर चलते हैं। वे सब स्पीड की होड़ में लग जाते हैं तो रास्ते में बहुत धूल उड़ती है, इस कारण भी दर्घटनायें होती है। ऐसे वाहनों को कैंसिल कर देना चाहिए। हमारी कीमती विदेशी मुद्रा का अधिकांश भाग पेट्रोल के आयात पर चला जाता है। कि पेट्रोल बचाने के लिये और प्रदूषण कम करने के लिये ईधन बचायेगा, प्रदूषण घटायेगा। आस्ट्रेलिया के मि० मैकडोनेल ने एक ऐसे यंत्र का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है जिससे प्रदूषण कम होता हैं और पेट्रोल-डीजल बचता है। हम लोगों को भी इसके बारे में सोचना चाहिये। मेरा माननीय मंत्री को सुझाव है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को यातायात की समस्या के बारे में पूरी जानकारी दी जाये और इसको पाठ्यपुस्तकों में शामिल करना चाहिये न क्रेवल शिक्षा के आधार पर यह कानून बेहतर होगा बल्कि सख्ती से काम लेना होगा। जो पुराना मोटरयान विधेयक है, उसमें सुधार करना चाहिये हमारे गुजरात में बम्बई का मोटर यान विधेयक 1892 था, जो 1988 में बदला गया। इस प्रकार यहां भी होना चाहिये। ट्रैफिक पुलिस को प्रशिक्षण देना चाहिये ताकि उनकी आदतों में सुधार हो सके। इससे भ्रष्टाचार पर भी रोक लग सकेगी। जहां जरूरत हो, वहां पर फ्लाई ओवर बनाना चाहिये। पार्किंग की सुविधा बढ़ायी जानी चाहिये। सभापित महोदय, इस संबंध में एक घटना का हवाला देना चाहूंगा। एक मोटर साईकल पर तीन लोग जा रहे थे कि एक भाई साहब ने सीटी बजायी और वे तीनों रूक गये। उनसे लायसेंस दिखाने को कहा गया तो उत्तर मिला कि जेब में नहीं है, घर पर है। नाम पूछने पर बताया कि एक का नाम राम, दूसरे का नाम लक्ष्मण और तीसरे का नाम भरत भाई साहब ने कहा कि चौथे का नाम शत्रुघ्न होगा। तीनों ने कहा कि आपको कैसे मालूम? तो उत्तर मिला कि मेरा नाम रावण हैं, चलो पुलिस स्टेशन। तीनों ने कहा कि रावण के तो दस सिर थे। उत्तर मिला कि पुलिस स्टेशन जाने के बाद आपको दस सिर दिखाई देंगे। तो आजकल पुलिस किस तरह से हैरासमेंट करती है, इससे यही सिद्ध होता है।

सभापति महोदय, हमारे गुजरात में 5600 बसों की हड़ताल चल रही है। ड्राईवर और क्लीनर्स सब बेकार हैं। क्या वे ट्रेक्स नहीं भरते हैं? क्या तेजी से चलाते हैं? उन पर तो क्लेम करना चाहिये। मगर समस्या यह है कि आर०टी०ओ० और दूसरे विभागीय कर्मचारी करप्शन करते हैं और ये बसे पार्क की हुई पड़ी हैं। कोई सुनने वाला नहीं है न वहां का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और न ही चीफ मिनिस्टर। मेरे कहने का मतलब यह है कि कानून एक ही होना चाहिये।

सभापति महोदय, हम 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं और सैटेलाईट तक पहुंच गये हैं। एक जमाने में किसान बैलगाड़ी पर जाता था और आज वह ट्रैक्टर पर जाता है। वह लेबर को घर से खेत तक और खेत से घर तक ट्रैक्टर पर ले जाता है। एकं गांव के दूसरे गांव में जाने के लिये ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है। मगर मोटर व्हीकल ऐक्ट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वह ट्रैक्टर ट्रोली में बैठ सके। यह ट्रेक्टर ड्राइविंग बहुत सिम्पल है। मेरा सुझाव है कि ट्रैक्टर पर जितना आप स्टडी करके उचित समझे, 15-20 आदमी, मजदूरों, परिवार के सदस्यों और उसके संबंधियों को बैठने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय, बहुत सारी बाते कहने के लिए रह गई हैं पर चूंकि आपने बहुत घंटी बजाई है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

श्री चाइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, मैं मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 1994 का समर्थन करता हूं। यह विधेयक देश में सड़क परिवहन को विनियमित करेगा। अतः यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण

विधेयक है क्योंकि यह विधेयक हमारे लिए सभी सुविधाओं, सड़क सुरक्षा आदि की व्यवस्था करेगा। अतः कानून के अन्तर्गत सरकार को भी यात्रियों के लिए आराम की व्यवस्था करनी होती है।

इस विधेयक में चालकों को लाईसेंस जारी करने, राज्य सरकारों को राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण के गठन के अधिकार दिये जाये, मुआवजे की राशि में वृद्धि करने और सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए मुआवजे संबंधी प्रार्थना पत्र को दाखिल करने की समय-सीमा को समाप्त करने जैसे जो प्रावधान समाविष्ट किये गये हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।

5.17 म०प०

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई)

जहां तक चालकों को लाईसेंस जारी करने की प्रक्रिया का संबंध है, मैं सभा के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूं। यदि चालकों को लाईसेंस की जरूरत हो तो उन्हें अपनी कुशलता, अपनी निपुणता और स्वयं अपनी कार्यक्षमता पर निर्भर होने देना चाहिए। यहीं पर यात्रियों के जीवन-मृत्यु की बात आती है। चालकों को लाईसेंस जारी करने से पहले सरकार को कड़े नियम बनाने होगें। सरकार चालकों के चालचलन के बारे में पूरी छानबीन करनी चाहिए। अन्यथा, यदि किसी अपराधी को लाईसेंस दिया जाता है तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। इससे समस्याएं खड़ी होगी। अतः चालको को लाईसेंस जारी करने से पूर्व चिकित्सा प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य कर देना चाहिए लेकिन यहां इस सन्दर्भ में यह कहा गया है जिसे मैं उदघृत करता हूं :

> "परन्तु किसी परिवहन यान से भिन्न किसी अन्य यान को चलाने की अनुज्ञप्ति के लिए ऐसा चिकित्सा प्रमाण-पत्र अपेक्षित नहीं है . . . . "

अतः इस प्रावधान का न होना जरूरी नहीं है। इसकी क्या आवश्यकता है? मैं कहना चाहूंगा कि चालक को केवल परिवहन वाहनों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य वाहनों को चलाने के लिए भी शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। अन्यथा, एक बीमार व्यक्ति को यद्यपि वह परिवहन वाहन के अलावा अन्य वाहन चलाता हो, कैसे लाईसेंस जारी किया जा सकता है? मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछता हूं कि इस प्रावधान को रखने की क्या जरूरत है जिसमें कहा गया है ?

> "परन्तु किसी परिवहन यान से भिन्न किसी अन्य यान को चलाने की अनुज्ञप्ति के लिए ऐसा किसी चिकित्सा प्रमाण-पत्र अपेक्षित नहीं है।"

मेरा विचार है कि इस प्रावधान को विधेयक में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। चालक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ/सक्षम होना चाहिए। उसका मनोबल अच्छा होना चाहिए और उसके व्यवहार की परीक्षा की जानी चाहिए।

महोदय, हमें कई शिकायतें मिलती हैं कि चालक और कंडक्टर यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर काफी समस्याएं खडी कर देते हैं। कंडकटरों को भी यात्रियों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। वाहन चालकों को लाईसेंस जारी करने से पहले इन महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि चालक वाहन चलाते समय कोई अपराध करता हो अथवा यात्रियों के साथ दुर्व्यहार करता हो तो लाईसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी को इसका जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार जिम्मेदारी निश्चित करने और चालकों के व्यवहार के लिए भी लाईसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी को जिम्मेदार ठहराने के लिए कड़ें नियम व कानून बनायें।

दूसरे , मैं यह बताना चाहूंगा कि राज्य सरकारों को राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण के गठन के अधिकार दिए जाने का प्रावधान स्वागत योग्य है। मैं इसका स्वागत करना चाहता हूं कि क्योंकि यदि यह अधिकार राज्य सरकारों को दिया जाता है तो इससे जनता की शिकायतों का समाधान हो सकता है। तथापि, ऐसे कई छोटे राज्य है जहां ऐसे अपीलीय प्राधिकरण मामलों को तेजी से नहीं निपटा पाते हैं और कई मामले लम्बित रह जाते हैं और साथ ही ये न्यायाधिकरण आवश्यकता से अधिक समय लेते हैं और इस कारणवश पीडित लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि इस मामले पर ध्यान दें ताकि इन न्यायाधिकरणों द्वारा समुचित समय के भीतर मामलों का निपटारा किया जा सके।

जहां तक मुआवजे की राशि को बढ़ाने का संबंध है, यह सराहनीय है क्योंकि सभी वस्तुओं के बढ़ते हुए दामों और जीवन स्तर में वृद्धि को दौड़ते हुये यह वृद्धि पीडितों को बहुत राहत पहुंचाएगी।

जहां तक सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों द्वारा मुआवजे हेत आवेदन दायर करने की समय सीमा को हटाने का संबंध है तो इसकी भी बहुत प्रशंसा की गई है। पहले दुर्घटना के शिकार व्यक्ति द्वारा एक सीमित समय के अन्दर आवेदन अथवा दावे दायर करना बहुत कठिन था। इसमें समय लगता है। अगर इस पाबन्दी को हटा दिया जाए तो इससे गरीब प्रभावित व्यक्तियों को बहुत सहायता मिलेगी।

महोदय, मेरा राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हमें बस द्वारा इम्फाल से गुवाहाटी तथा राजधानी दिल्ली पहुंचने के लिए लम्बी दूरी का सफर करना पड़ता है। माल के परिवहन में भी कठिनाई आती है। हमारी कठिनाई यह है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण वाहनों के मालिकों को अन्य कर देने पड़ते है। एन०एस०सी०एन० वाहनों के मालिकों से कर एकत्र करती है और चालकों को उन्हें देना पड़ता है। अन्यथा वे अपने वाहन नहीं चला सकते।

ये मामले कानून और व्यवस्था से जुड़े हैं। मैं तो केवल इन बातों को माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय लम्बी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के दृष्टिकोण से यात्रियों की सुरक्षा पर गौर करें।

अन्त में जब हम प्रेस के माध्यम से ऐसी रिपोर्टें पढ़ते हैं कि अनेक वाहन नदियों और नहरों में जा गिरे और अनेक यात्री मारे गए तो हमें ऐसी घटनाओं पर बड़ा अफसोस होता है।

सरकार को इन सभी समस्याओं पर गौर करना चाहिए और उनकी तकलीफों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एम० कृष्णा स्वामी (खन्डावाशी) : सभापति महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथा पारित मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक का समथर्न करता हूं।

सचांर एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मूल भूत सुविधा है और सड़क सेवा संचार माध्यम है जो गांवों और नगरों को जोड़ती है। जब कभी भी राज्य के परमिट सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं तो कुछ लोग आन्तरिक तथा गावों के दूर दराज क्षेत्रों में वाहन चलाने से झिझकते हैं जबकि व्यस्त मार्गों की बहुत मांग होती है। यह अनिवार्य कर दिया जाए कि परिवहन के कार्य में लगे व्यक्ति अथवा वाहन चलाने वाले व्यक्ति कम से कम एक ऐसे मार्ग पर भी वाहन चलाएं जो दूर दराज के गावों को जोड़ता हो। उन्हें यह सामाजिक दायित्व निभाना चाहिए और इसी के अनुरूप नियम तैयार करके इसे लागू किया जा सकता है।

यह एक व्यवस्था की तरह है यह व्यवस्था तमिलनाडु में है— सरकारी डाक्टर को तीन वर्ष तक प्राथमिक स्वास्थ्य के तहत कार्य करना चाहिए। उसी प्रकार जो वाहन चलाने वाले दो चार बसों के मालिक हैं, कम से कम एक बस को गांवों को जोड़ने के कार्य पर लगाए। मैंने देखा है कि कुछ मामलों में अधिकांश मार्गों के परमिट एक विशेष ऑपरेटर को जारी कर दिए जाते हैं। इसके फलस्वरूप अब इस व्यक्ति को इन मार्गों पर एकाधिकार प्राप्त हो जाता है और वह आन्तरिक गांवों को जोड़ने वाले मार्ग पर वाहन चलाने की परवाह नहीं करता और सेवाओं में भी सुधार करने की परवाह नहीं करता।

विभिन्न परिवहन मालिकों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के लिए एक व्यक्ति को जो परिवाहक है, तीन मार्गों से अधिक के लिए परमिट नहीं दिया जाना चाहिए। एक अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

पुराने वाहनों पर भी रोक लगाई जानी चाहिए अथवा एक नियत अवधि के बाद उन्हें चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर एक वाहन 1950 अथवा 1952 का मॉडल है तो एक निश्चित अवधि के बाद उसके चलाने पर रोक लगा दी जानी चाहिए अथवा उसे बेकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि पुराने वाहन प्रदूषण फैलाते हैं। जब ऐसा पुराना वाहन हमारे सामने आता है तो हम ठीक से नहीं देख पाते और ठीक से गाड़ी नहीं चला पाते हैं क्योंकि यह वाहन बहुत अधिक धुंआं छोड़ता है। ऐसी स्थिति है। अतः पुरानी बसों और ट्रकों को केवल एक निश्चित अवधि तक ही उपयोग में लाने की अनुमति होनी चाहिए और उसके बाद उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाना चाहिए।

परमिट जारी करने के संबंध में कोई एकाधिकार नहीं होना चाहिए। परमिट कई लोगों को दिया जाना चाहिए। कृषि मजदूर और अन्य मजदूर है जो पीढ़ियों से अन्य पेशों में लगे हुए हैं लेकिन उन्हें पूरे वर्ष लाभप्रद रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए सरकार को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और ऐसे लोगों को रूट परमिट देनें चाहिए जो दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसे कृषि मजदूरों को सहकारी परिवहन समितियां गठित करने के लिए संगठित किया जा सकता है और उन्हें भी भूतपूर्व सैनिकों के समान परमिट जारी किये जाने चाहिए। इसी भांति बेरोज़गार युवकों को भी ऐसी परिवहन सेवा चलाने तथा उससे अपनी आजीविका कमाने में मदद की जा सकती है। मेरे विचार में एक ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए ताकि युवाओं के बीच भी स्वरोज़गार का सृजन किया जा सके।

जहां तक वाहन चलाने के लिए लाईसेंस जारी करने का संबंध है अनेक सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है। लाइसेंस जारी करने के मामले में काफी कदाचार व्याप्त है। लोग किसी ड्राइविंग स्कूल में भर्ती हो जाते हैं और कुछ समय के पश्चात् कुछ पैसा देकर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं? इस तरह से वह व्यक्ति जिसे स्टीयरिंग व्हील पकड़ना भी नहीं आता उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। यदि ऐसे लोग सड़क पर आ जाये तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उससे कितनी तबाही हो जाएगी। लाइसेंसिंग प्राधिकरण को लाइसेंस जारी करने से पहले ड्राइविंग टैस्ट लेने के लिए निर्देश देनें चाहिए। इसे उपर्युक्त जांचों तथा प्रति जांचों के साथ ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए।

जैसा कि हम सब जानते हैं कि सभी राज्यों में मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण हैं। लेकिन मामलों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत बोझिल है क्योंकि न्यायाधिकरणों को तथ्यों के आधार पर अधिक कानूनी प्रश्नों पर निर्णय करना होता है। सरकार को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को दुर्घटना के तुरन्त बाद मुआवजे की कुछ राशि का भुगतान करने का प्रबंध करना चाहिए जो कि आवश्यकता के समय कुछ काम आएगी। अन्यथा मध्यस्थों अथवा दलालों द्वारा स्थिति खराब हो रही है।

वर्तमान में न्यायाधिकरण के सम्मुख दावे भरने की समय-सीमा छः महीने है। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है और वह इलाज के लिए छः महीने से ऊपर के समय से अस्पताल में है तो मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के सम्मुख दावा फाइल करने की समयावधि समाप्त हो जाती है और वो दावा नहीं कर सकते हैं। ऐसे मामलों में कुछ छूट दी जानी चाहिए। याचिका दायर करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए। या तो कम से कम एक वर्ष की समयावधि होनी चाहिए अथवा इस छः महीने की समयावधि को भी समाप्त कर देना चाहिए। कम से कम याचिका दायर करने के समय को बढ़ाया जाना चाहिए।

जब तक कि दुर्घटना पीड़ितों का तत्काल कुछ क्षतिपूर्ति की राशि नहीं की जाती कुछ अन्य लोग दुर्घटना पीड़ितों के घरों में चले जाते है और उन्हें दाह संस्कार के लिए कुछ पैसा देकर खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। फिर वे किसी वकील के पास जाकर उनकी तरफ से याचिका दायर कर देते हैं। तत्पश्चात् मुआवजे के रूप में जो भी राशि दी जाती है, उसमें से तीन-चौथाई राशि मध्यरूपों द्वारा ले ली जाती है और दुर्घटना-पीड़ितों के आश्रितों को केवल एक तिहाई राशि ही मिल पाती है। इसलिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह एक शव निधि का सृजन करें ताकि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दुर्घटना के तुरन्त बाद मुआवजे की कुछ राशि की अदायगी की जा सके, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है। बीमा कम्पनियों को भी यह निदेश दिए जाने चाहिए कि वे क्षतिपूर्ति की अ[illegible]यगी के मामलों और दावा करने वालों की बीमा राशि के मामले को तत्काल निपटायें। इस तेजी से भाग-दौड़ वाले युग में दुर्घटना कर भाग जाने वाले चालकों के मामले बहुत हैं। इसलिए, इनमें दुर्घटनाग्रस्त लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। मार कर भाग जाने वाली दुर्घटनाओं के मामलों में कुछ लोग वाहन का नम्बर नहीं जान पाते हैं। इसलिए वे न्यायाधिकरण में याचिका दायर नहीं कर सकते है। ऐसे मामलों में, सरकार को तत्काल उनके बचाव के लि[illegible] आना चाहिए और दुर्घटना-पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजे की राशि देना चाहिए।

भारी वाहनों के लिए वाणिज्यिक लाईसेंस जारी करते समय उम्मीदवार की वाहन चालन क्षमता की सावधानी पूर्वक जांच की जानी चाहिए और उनकी मनोवैज्ञानिक जांच भी की जानी चाहिए तथा उन्हें अपने व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण देना चाहिए क्योंकि बस में बैठे लोगों का भाग्य उनके हाथों में होता है। परिवहन बसों, ट्रक, लॉरी तथा पर्यटक बसों से हो रही दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्रत्येक सार्वजनिक वाहन में गति नियंत्रक लगाए जाने चाहिए तथा ऐसा न करने वालों को सजा देनी चाहिए और सज़ा इतनी कड़ी होनी चाहिए कि वह जानबूझ कर अथवा अनजाने में ऐसी गलती फिर न करें।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं उस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो कि बहुत व्यापक है और व्यापक संशोधनों के साथ प्रस्तुत किया गया है। लेकिन मैं इस अवसर का उपयोग माननीय मंत्री महोदय के विचार-विमर्श के लिए कुछ सुझाव देने में करूंगा।

हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव बहुत खराब है और हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठित अभी किया जाना है मैं न केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिए अधिक निधि के आबंटन का अनुरोध करता हूं बल्कि इससे भी अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तत्काल संस्थापना का अनुरोध करूंगा जो कि केन्द्र सरकार के अधीन प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव की जिम्मेदारी वहन करेगा। मैं भी अनुरोध करता हूं, कि राजमार्ग पर निगरानी व्यवस्था बनाई

जानी चाहिए जिसके अभाव में मेरे विचार से राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को नियंत्रित करना असंभव है।

दूसरे, मेरी एक समस्या है जिमका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। चूंकि हम 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूं हमें राष्ट्रीय राजमार्गो सहित सभी सड़कों पर मोटर वाहनो के लिए सड़कों को आरक्षित करने की समस्या का सामना करना पड़ेगा। मैं समझता हूं, यह समस्या कानूनी प्रावधान द्वारा सुलझायी जा सकती है और मैं नहीं समझता कि विधेयक में इसके लिए कोई प्रावधान है। इससे संबंधित एक प्रश्न है भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में शहरों के आन्तरिक हिस्से में सड़कों का अधिकतम उपयोग होना।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सिंगापुर में परिसीमो पर जब कार शहेर के आन्तरिक हिस्से में घुसने लगती है, यदि कार पूरी तरह से भरी हुई नहीं है तो दंड देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि हमारे जैसे देश में जहां पैट्रोल की कमी है, इस तरह का नियम होना बहुत उपयोगी होगा कि कार पूरी तरह से अर्थात् चार या पांच व्यक्तियों की उसकी क्षमता के अनुसार भारी होनी चाहिए। चार या पाचं यात्री उसमें होने चाहिए, अन्यथा कार को आगे नहीं जाने दिया जाएगा या आपको दंड का भुगतान करना होगा। यह एक सुझाव है।

लेकिन शहर के भीतरी क्षेत्रों में वाहनों में होने वाली भीड़-भाड से बचने के अनेक अन्य तरीके हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे शहर हैं जहां यंत्रीकृत पटरियों की व्यवस्था प्रारम्भ करने के प्रयोग किए जा रहे हैं या जिसे समस्तर ट्राली कहते हैं। मुझें मालूम नहीं है कि हमारे देश में ऐसा कोई प्रयोग किया गया है।

मैं कल्पना करता हूं कि हरीजन्दल एस्केलेटर का प्रयोग करने के लिए चांदनी चौक भी एक उत्तम स्थान होगा। ताकि लोग एस्केलेटर पर आ-जा सकें और सड़क को पूरी तरह से खाली रखा जा सके। . . . **(व्यवधान)** . . . सड़क पर सामान बेचने वालों को हटाना पडेगा।

बहुत से सहयोगियों में इसमें शामिल अनेक प्राधिकरणों के बीच समन्वय के प्रश्न का उल्लेख किया है और मैं इसके विस्तार में नही जाऊंगा। लेकिन एक समस्या है और एक वकील होने की वजह से मैं उससे परेशान हूं। हमारे सामने मुआवजे का प्रश्न है और जिसके लिए इस विधेयक में न्यायाधिकरणों अपील प्राधिकरणों इत्यादि का प्रस्ताव है और मुझे प्रसन्नता है कि इसमें यह प्रावधान है। लेकिन कभी-कभी किया गया अपराध या आपराधिक पहलू की अनदेखी हो जाती है। दुर्घटना के निश्चित रूप से दो पहलू होते हैं। अपराध के लिए जिम्मवार व्यक्ति की आपराधिक दायित्व यदि दुर्घटना मशीनी विफलता नहीं है तो, अपराध के शिकार हुए लोगों को मुआवजा देना होगा। अब मुआवजे का ध्यान रखा जाता है लेकिन मैं चाहता हूं कि आपराधिक पक्ष से निपटने वाले न्यायिक प्राधिकरणों और इन अधिकरणों के बीच समुचित सामजस्य रखने के लिए एक तरह का समन्वय तंत्र होना चाहिए।

प्रदूषण के प्रश्न के संबंध में इसमें एक अनुकूल प्रावधान है। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या किसी नागरिक को काला घुआं छोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार है ? क्या प्राधिकारी उसकी सुनवाई करेंगे? हमें मालूम है कि पुलिस को खरीदा जा सकता है। हम जानते हैं कि यदि वहां पर यातायात पुलिस भी है तो शायद उसे रिश्वत भी दी जा सकती है क्योंकि हर एक निरीक्षण अगले भ्रष्टाचार का रास्ता खोलता है। लेकिन मेरा सुझाव है कि हर एक नागरिक तत्काल वाहन का नम्बर नोट करने का अधिकार होना चाहिए और उसके बाद परिवहन प्राधिकरण में यातायात प्राधिकारी के पास किसी तरह की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का अधिकार होना चाहिए ताकि इस वाहन विशेष का निरीक्षण करवाया जा सके और उसके बाद यदि वह सीमा से अधिक प्रदूषण फैला रहा है तो उस पर नियमानुसार दण्ड लगाया जा

सकता है। मैं श्री अमल दत्त की तरह यह सुझाव तो नहीं दूंगा कि वाहन को तत्काल जब्त किया जाए। लेकिन किसी वाहन विशेष के खिलाफ बार-बार इस तरह की शिकायतें मिलने पर निश्चित रूप से उस वाहन को जब्त करने पर विचार किया जा सकता है।

सभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपने दैनिक अनुभव से पता चलता है कि हर एक राज्य परिवहन प्राधिकरण भ्रष्टाचार का अड्डा है। लेकिन मैं इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वास्तव में कोई सुझाव नहीं दे सकता हूं। चाहे ड्राइविंग लाइसेंस मंजूर करने का प्रश्न हो या कोई परमिट मंजूर करने का प्रश्न हो अथवा किसी निरीक्षण की बात हो मुझे विश्वास है कि हम अपने आप को पूरी तरह से निःसहाय महसूस करते हैं। मुझे वास्तव में यह मालूम नहीं है कि क्या मंत्री महोदय के पास इस अत्यधिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वास्तव में कोई सुझाव है।

जहां तक ड्राइविंग लाइसेंस का संबंध है, इस तथ्य के अलावा कि चालकों की कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए जैसा कि अनेक सहयोगियों ने तर्क दिया है, भाड़े के वाहन में यात्रा करते समय मैं कभी-कभी सोचता हूं कि कुछ ड्राइवर मनोरोगी होते हैं वास्तव में कभी कभी मैं देखता हूं कि यदि वे देखते हैं कि उनके सामने कुछ है जरूरी नही है कि वह आदमी ही हो वह कोई बकरी या मुर्गी भी हो सकती है, तो वे अचानक सड़क पर भागते हैं, वाहन को अचानक उठा लेते हैं। उससे मुझे ड्राइवर की बुद्धि का पता चलता है। ड्राइवर को जीवन से कोई संवेदना नहीं होती है और मानसिक रोग से पीड़ित ऐसा व्यक्ति मानोवैज्ञानिक रूप से अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक दुर्घटनाएं कर सकता है। अतः मेरा सुझाव है कि जिस चिकित्सीय जांच पर यहां पर बल दिया गया है उसमें मनोवैज्ञानिक जांच भी शामिल होनी चाहिए।

मुझे वास्तव में हैरानी है कि मंत्री महोदय को डी०टी०यू० को अपने अधीन क्यों रखना चाहिए। मैं सोचता हूं कि वह इसके बगैर मंत्रालय कई अधिक दक्षता से चला सकते हैं और मेरा सुझाव है कि उन्हें इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहिए और इसे भी खुराना को सौंप देना चाहिए भले ही वह अब यहां नहीं हैं। इन रेड लाइनों, ग्रीन लाइनों और ब्लू लाइनों से उन्हें निपटने दो। मंत्री महोदय के पास राष्ट्रीय परिवहन की पूरी योजना से निपटने के लिए कम से कम पर्याप्त समय तो होना ही चाहिए।

हमारे विशाल देश की परिवहन की भारी समस्याओं से निपटने के लिए वह तभी ऐसा कर सकते हैं जब उनके पास पर्याप्त समय और शक्ति होगी।

मैं एक बात जानता हूं। मैं हमेशा यह महसूस करता हूं कि कभी-कभी मंत्री और विभाग अपने शासन को बनाए रखना चाहते हैं और वह स्वैच्छिक रूप से अपने शासन को समाप्त नहीं करना चाहते है या अपने प्रभार का विकेन्द्रीकरण नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं मंत्री महोदय से वास्तव में यह आग्रह करता हूं कि उन्हें दिल्ली परिवहन, दिल्ली राज्य को सौंपने के संबंध में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

यदि मुझे आधा मिनट का समय और मिले तो मैं एक आखरी बात कहना चाहूंगा। मैं किशनगंज का प्रतिनिधित्व करता हूं जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर पड़ता है। पिछले 15 वर्षों से इसके रख-रखाव की स्थिति बहुत खराब है और हम किशनगंज शहर में प्रवेश स्थल पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर एक रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग करते रहे हैं। इससे कभी-कभी वाहनों की मीलों लम्बी लाइन लग जाती है क्योंकि पूर्वोत्तर की ओर रेल यातायात बढ़ रहा है और यह एकमात्र राजमार्ग है। वहां पर एक रेलवे ओवरब्रिज की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने राज्य सरकार और रेल विभाग दोनों से बातचीत शुरू करने की पहल की है। लेकिन किन्ही कारणों से उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है और मामला जहां का तहां पड़ा हुआ है।

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : इस संबंध में प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं माननीय मंत्री महोदय से सभी संबंधित पक्षों की एक साथ लाने और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर किशनगंज में खगड़ा में इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू करने का आग्रह करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक जो हमारे समक्ष है का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

इस बिल में कुछ खूबियां है, जिनपर मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। इसमें जो मुआवजें की बात कही गई है, वह एक अच्छी चीज है, सराहनीय चीज है। दूसरी चीज यह है कि इसमें राज्य सरकारों को ट्रिब्यूनल बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया है, उससे भी लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तीसरी बात यह है कि जो इसमें सीमा को बढ़ाया गया है, वह भी एक अच्छी चीज हुई है। इससे भी लोगों की दिक्कत दूर होगी। जो लोग समय की वजह से परेशान हो जाते थे, उनको इससे राहत मिलेगी। इस बिल में सारी अच्छी चीजें की गई है।

जो लोग वाहन ड्राइवर का लाइसेंस लेते हैं, उनको लाइसेंस देने से पहले हमें आवश्यक चीजों की जांच कर लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि वह कुशल ड्राईवर है या नहीं, वह अपराधकर्मी है या नहीं, वह शिक्षित है या नहीं, उसकी मानसिकता ठीक है या नहीं, इन सब चीजों को जांचकर ही लाइसेंस देना चाहिए, क्योंकि यह उसे केवल लाइसेंस देना ही नहीं है, बल्कि इसके द्वारा उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है।

आज भारतवर्ष में वाहनों के एक्सीडेंट्स बढ़ रहे है। दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो वह भारत में हो रहे हैं जबकि सब देशों के मुकाबले यहां ज्यादा वाहन नहीं है फिर भी यहां एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। यहां ऐसे दर्दनाक एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, जिनमें पूरे के पूरे परिवार समाप्त हो गये। हम यह भी देखते हैं कि जिस गति सीमा में वाहन को चलाना चाहिए, उस सीमा में वाहन न चलाकर बहुत अधिक तेजी से वाहन चलाते हैं, जिससे बहुत अधिक संख्या में एक्सीडेंट्स होते हैं। हम लोग गांव के रहने वाले हैं। गांव से शहर तक जो वाहन चलते हैं, उनसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि वहां सड़क की हालत बहुत ही खराब है। वैसे तो सड़क बनाना स्टेट का सबजैक्ट है लेकिन इसमें मंत्री जी को मैं सुझाव दूंगा,

ऐसी सड़क जिस पर चला नहीं जा सकता है, उस सड़क को देखा जाना चाहिए। हमारे यहां ऐसी बहुत सी सड़कें हैं, जिन पर चलने में कठिनाई होती हैं। जो सड़कें बनाई जाती हैं, उनकी एक उम्र सीमा होती हैं, लेकिन इन सड़कों की तो उम्र सीमा ही नहीं हैं। ये सड़के दो-तीन बरस में ही समाप्त हो जाती है। यह बात है कि राज्य सरकार के अपने कायदे-कानून हैं, लेकिन वहां की स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार को भी इस पर गौर करने की जरूतर है।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि जो वाहन चलने लायक नहीं हैं, ऐसे वाहनों को भी फिटनैस करार दे दिया जाता है। जो फिटनैस देने वाले अधिकारी हैं, वे मोटी रकम ले कर उनको फिटनैस दे देते हैं। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के वाहनों को सड़क पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही सड़कों पर एक्सीडेंट्स होते हैं। इस प्रकार के वाहनों के सड़क पर आने से रोक लगानी चाहिए। मैं आपको यह बताना

चाहता हूं कि आप जनहित में चाहे कितने ही अच्छे-से-अच्छे कानून बना दे, लेकिन भ्रष्टाचार इतना मजबूत हो गया है कि आपके सारे कानूनो को खत्म कर देता है। यहां संसद से कानून बना दिया गया और यहां से पास हो गया, लेकिन जो उसके इम्पलीमेंट करने वाले हैं, उनमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यदि आप आदमी की जिन्दगी को बचाना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, तो आपको इन को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी होगी।

महोदय, एक बात मैं राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में कहना चाहता हूं। इन मार्गों के रख-रखाव पर जितना खर्च होना चाहिए, उतना खर्च नहीं होता है। मेरा सुझाव है कि आप एक संगठन बनायें, जो केन्द्रीय सरकार के अधीन हो। यह संगठन इन राजमार्गों को अच्छे-से-अच्छे बना कर रखे। कारण यह है कि ये राजमार्ग ही एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ते है। इसलिए आपको इन पथों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

इतना कहते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जो एक्सीडेंट्स की स्थिति है, उसको कम किया जाए। इस बारे में जो कानून बने हैं, उनको देखा जा सकता है। जो वाहन चलने लायक नहीं हैं, उन को सड़क पर आने नहीं देना चाहिए। जब ऐसे वाहन सड़क पर आते हैं, उनसे एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की जानें जाती है। इससे लगता है कि इन्सानों की जैसे कोई कीमत नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनको इस पर ज्यादा से ज्यादा विचार करने की जरूरत है।

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : सभापित महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह बिल राज्य सभा से पारित होकर इस सदन में आया है। इसमें जो संशोधन आए हैं, मंत्री जी बधाई के पात्र है कि उन्होंने उन संशोधनों को इस बिल में सम्मिलित किया है। कम्पैशन के अलावा इस बिल मे अन्य सुविधायें भी दी गई है। बहुत से माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि जो व्यक्ति वाहन चलाते हैं, वे ज्यादातर अशिक्षित होते हैं और यही कारण है कि फिर एक्सीडेंट होते हैं। ज्यादातर शराब पीने से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। इसलिए बाकायदा शिक्षा मैट्रिक तक की होनी चाहिए और कोई व्यक्ति इतनी शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, तभी उसको लाइसैंस इशू होना चाहिए। यह सही है कि बहुत से चालक ग्रेजुएट होते हैं, एमए पास होते हैं, अब गरीब व्यक्ति यदि गाड़ी चलाना चाहता हैं, तो उसको सुविधायें दी जानी चाहिए। जो व्यक्ति सिलैक्शन करते हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि ड्राइवर कितनी देर काम करता रहा होता है कि ऐसे ड्राइवरों को पास कर दिया जाता हैं, जिनको सुनाई तक नहीं देता है और वे गाड़ी चलाते हैं। वे बेहरे लोग ड्राइविंग का काम करते हैं, किसी भी समय वे एक्सीडेंट नहीं होने देते हैं। इस तरह के लोग दिल्ली और कई स्टेट्स मे मिल जाते हैं। परन्तु ऐसे ड्राइवर भी हैं, जो पढ़-लिखे हैं और ज्यादा एक्सीडेंट कर देते हैं। ये जांच करके रखे जाने चाहिए।

मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। परिवहन के कर्मचारियों को पेंशन योग्य आपने बनाया है। यहां बहुत भारी अन्याय होता था, आपने उन सबके अन्याय को खत्म किया यह भी क्रेडिट आपको जाता है। जहां तक हमारे राष्ट्रीय मार्ग का सवाल है। उसमें जितने पहाड़ी राज्य आते हैं— गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या जितने भी हमारे राष्ट्रीय मार्ग हैं उनमें आज कल भारी वर्षा होने की वजह से सारे रास्ते बंद हो गए हैं। जितना बजट राज्य सरकार को जाता है वह आप देते हैं। आप और टाल दें ताकि सब बंद सड़कें खुल जायें। आपने अभी कुल्लू के लिए कुछ पैसा दिया है, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने पुल बनाने के लिए वहां पैसे का प्रावधान किया है। इस तरह से रोहतांग दर्रा में सुरंग बनाने के लिए प्रावधान किया गया था लेकिन बनाई नहीं गई है। हमारा जो इलाका है, किन्नोर, लाहोलस्पीति को जाते हैं, ये सारे जितने रोड हैं आज कल ये भूमि कटाव के कारण बंद हो गए है। राज्य सरकारों को तो मैं नहीं कह सकता, इसमें कितने

पैसे खर्च हुए। हमारे यहां जो गरीब लोग हैं वे अपनी फसलों की पैदावार को मंडियो में नहीं ले जा सकते। रेलवे का प्रावधान नहीं हे। यहां रेलवे मंत्री जी होते हैं वह हमारी बात को सुनते नहीं हैं और न रेलवे के लिए कोई पैसा देते है। आप ठीक तरह से परिवहन का इंतजाम करें।

महोदया, हमारा राष्ट्रीय राज मार्ग है उसमें पोंटा साहेब से लेकर रोहडू तक राष्ट्रीय राज मार्ग बनाया जाए। पिंजौर से स्वांरघाट तक राष्ट्रीय मार्ग बनाया जाए। जब पंजाब में झगड़े होते थे तो इस तरफ से बसें और ट्रक वगैरह आते थे, इस तरह से हमारे लोग लाभान्वित होते थे। मैं यह कहना चाहता हूं, सड़को के बारे में कहा गया। सड़कों के इर्द-गिर्द लोगों ने नाजायज कब्जे किए हुए है। ऐसी सब जगहों को देखना चाहिए, चाहे कलकत्ता, बम्बई या दिल्ली हो या किसी प्रदेश में जाएं वहां आप देखेंगे कि कुछ लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। सड़कों की जितनी चौड़ाई होनी चाहिए उसके अंदर आपका नियम बना हुआ है उसके अनुसार उसका इस्तेमाल नहीं होता वहां पर वे लोग नाजायज कब्जा कर लेते हैं। इस तरह से मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ आपको सरकारी तौर पर कार्यवाही करनी चाहिए और जो कोई विभाग इससे संबंधित है उनसे आपको कार्यवाही करानी चाहिए। अगर यह विभाग आपके पास नहीं आता है तो इससे संबंधित जो विभाग है उनसे आप कार्यवाहीं कराएं। क्योंकि जब कोई हादसा होता है तो वहां पर जो परिवहन मंत्री जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी दूसरा कोई मंत्री लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपके पास फाइनेंस की कमी होती है तो आपको पूरा फाइनेस मिलना चाहिए ताकि जो आप योजना बनाते हैं उसके अनुसार काम पूराकर सकें। कोई भी सड़क तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक योजनाबद्ध तरीके से उस पर पैसा खर्च नहीं करते हैं। अगर योजना अनुसार आपको पैसा मिलता है, जैसे 10 सड़कों पर काम कर देंगे और एक सड़क के लिए पैसा नहीं है तो किस प्रकार से सारी सड़कों को बना पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा फाइनेंस मंत्री जी से बात करें कि वह हमको पैसा दें। अगर उनके पास पैसा नहीं हैं तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको ही उन सड़कों को बनाने के लिए दे दो। वे पैसा लगाएं और लोगों को सुविधा प्रदान करें। . . . **(व्यवधान)** . . .

सभापित महोदय : अब आप और कितना समय लेंगे ?

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : बस मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

6.00 म०प०

अभी तक माननीय सदस्य बता रहे थे कि देश में प्रति वर्ष 60000 मौतें दुर्घटनाओं में होती हैं। इसके बारे में मेरा कहना है कि हमको वाहनों की तकनीक पर भी ध्यान देना चाहिए। कंपनियों को निर्देश देना चाहिए कि अच्छी किस्म की मशीनरी के साथ ट्रकों का निर्माण करें, कोई ट्रकों की तरह ताकि दुर्घटनाएं जो तकनीकी कारणों से होती हैं, वे न हों। आज कई लोग कर्जा लेकर ट्रक लेते हैं और एक साल के अंदर ही उनके ट्रक बेकार हो जाते हैं। जैसे कोई ट्रकों का हुआ तथा आपरेटरों पर बैकों का कर्जा अलग चढ़ जाता है। इस तरह की शिकायतें सभी माननीय सदस्यों के पास आती है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है, कि कंपनियों को अच्छी तकनीक इस्तेमाल करने के निर्देश दिए जाएं। . . . **(व्यवधान)** . . .

पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज देखने में आता है कि एक-एक सड़क पर इतने परमिट इशू कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रेफिक बहुत हो जाता है और धुआं ही धुआं फैल जाता है। ट्रक यूनियन वाले भी 100 रुपए लेकर पर्ची काट देते हैं। इस पर भी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने ईनाम देने की बात की, वह बिल्कुल सही है। शिमला से चल कर आजादपुर मंडी जो ट्रक पहले पहुंचता है, उसको 200 रुपए का ईनाम दिया जाता है, जिसके लालच में चालक न अपनी जान की परवाह करते हैं और न दूसरे की जान की परवाह करते हैं। इसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं इस प्रवृत्ति पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। क्योंकि जब दुर्घटनाए होती है तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी, उसके

मंत्रियों और सदस्यों को बनाया जाता है, जबकि गलती किसी और की होती है। इसलिए इन चीजों की ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है।

इस विधेयक में बहुत सी अच्छी बातें हैं, कपंसेशन वगैरह की व्यवस्था की गई है, कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, उनके बारे में सुझाव दिये जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की सारी चीजों का विरोध करने की की आदत हो गई है। सारी की सारी चीजों की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार पर डालने की प्रथा अपना है। एक मित्र कह रहे थे कि सारे अधिकार खुराना साहब को दे दीजिए, यदि ऐसा किया गया तो यहां पर भी हिमाचल प्रदेश वाली स्थिति आ जाएगी, अभी वे गंदी बस्तियों के बारे में दिए गए आश्वासनों को ही पूरा नहीं कर सके। मैं बताना चाहता हूं कि जहां-जहां बी जे पी की सरकार रही, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और अन्य स्थानों पर, वहां पर सारे के सारे बस परमिट बी जे पी के वर्कर्स को दिए गए। यह तो कांग्रेस ही ऐसी संस्था है, जो अपने लोगों को परमिट नहीं देती वरन् सारे लोगों का ध्यान रखती है। मैं तो बीजेपी के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने कम से कम अपने आदमियों की गरीबी तो दूर कर दी, आम आदमी वहीं के वहीं रह गए।

ये देखने में आया है। कि कुछ लोगों को ही बसों या ट्रकों के परमिट मिलते हैं। . . . **(व्यवधान)** हिमाचल प्रदेश में परिवहन सेवा से काफी लाभ होता है और वहां पर ज्यादातर एक्सीडेंट्स वारिश या बर्फ गिरने पर होते हैं या पहाड़ गिरने से होते हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी सड़कों का निरीक्षण कराएं और वित्त मंत्री से अधिक पैसे का प्रावधान कराएं जिससे परिवहन सेवा और सड़कें सुधार सकें। पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क की हालत बुरी है जबकि ये अंग्रेजों के समय की बनी हुई है इसलिए उनकी स्थिति में सुधार होना चाहि यह भी कहना चाहता हूं कि कुल्लु से लाहौल स्पीति का राष्ट्रीय मार्ग है जिसमें रोहतांग भी आता है त सुरंग बनाने के लिए सर्वेक्षण हुआ है इसलिए उसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाए और सैनिक दृ वह महत्वपूर्ण सड़क है, इस सड़क पर अधिक ध्यान दिया जाए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शेडयुल्ड का और शेडयुल्ड ट्राईब्स के लोगों को बसों और ट्रकों का परमिट मिलना चाहिए जबकि उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी आप परमिट इश्यु करें तो उनका भी हिस्सा रखें।

[अनुवाद]

6.08 ½ म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

पैतालीसवां प्रतिवेदन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पैतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : सभा कल 23 अगस्त, 1994 को ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.09 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार 23 अगस्त, 1995/भाद्र 1, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस०—48/34/20/94 (एन०)

250

© 1994 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)

के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और

प्रबंधक दि इण्डियन प्रैस दिल्ली द्वारा मुद्रित।